अष्टम माला, खंड 11 अंक 19 शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1985/22 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौथा सत्र)

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARL... 55 24/9/86

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11 चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1985/22 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1-18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 375, 378, 379, 385 और 273	...	...	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	13-169
तारांकित प्रश्न संख्या : 368 से 370, 372 से 374, 376, 377, 380 से 384 और 386 से 388	...	...	18—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3774 से 3776, 3778 से 3785, 3787 से 3827, 3829 से 3845, 3847 से 3894, 3896, 3899 से 3954 और 3956 से 4005	...	...	29—169
दिनांक 9 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2884 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	...	169-170
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	...	170-175
राज्य सभा से संदेश	...	...	175
सभा का कार्य	...	...	175,177-181
विधेयक पुरःस्थापित	—	...	181-182
(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक	...	...	181
(2) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	...	...	182
(3) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक	...	...	182
कतुआ—इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक और	...	...	235
अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल), 1985-86			
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	...	183—184
श्री शांति धारीवाल	...	...	

*किसी नाम पर अंकित †चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... ... 184—186
श्री अनूपचन्द शाह ... ... 186—187
श्री अजय मुशरान ... ... 187—190
श्री अब्दुल रशीद काबुली ... ... 190—193
श्री केशवराव पारधी ... ... 193—195
श्री सी०के० कुप्पुस्वामी ... ... 195—197
श्री एन० सुन्दरराजन ... ... 197—198
श्री जगन्नाथ चौधरी ... ... 198—199
श्री कमोदीलाल जाटव ... ... 199—200
श्री वी० कृष्ण राव ... ... 200—202
श्री बसुदेव आचार्य ... ... 202—203
श्री माणिकराव होडल्या गावीत ... ... 204—205
डा० प्रभात कुमार मिश्र ... ... 205—207
श्री गिरधारी लाल व्यास ... ... 207—208
श्री पीयूष तिरकी ... ... 208—210
श्रीमती ऊषा ठक्कर ... ... 210—211
श्री मूलचन्द डागा ... ... 211—213
श्री जनक राज गुप्त ... ... 213—215
श्री जी०एस० बसवराजू ... ... 214—216
श्री अमर राय प्रधान ... ... 216—218
श्री धर्मपाल सिंह मलिक ... ... 215—219
श्रीमती बसव राजेश्वरी ... ... 219—220
श्री ए०जी०वी०बी० महेश्वर राव ... ... 220—222
प्रो० सैफुद्दीन सोज ... ... 222—223
श्री माधव राव सिन्धिया ... ... 223 – 235

कटुआ—इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक 236
खंड 2 से 18 तक तथा 1 ... ...
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री माधवराव सिंधिया 236

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल), 1985-86
विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक 237
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव
श्री माधवराव सिंधिया 237
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री माधव राव सिंधिया 237
खंड 2, 3 तथा 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री माधव राव सिंधिया 237
प्रो० एन०जी० रंगा 238

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक	...	...	238-239
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्रीमती सुशीला रोहतगी	...	...	238—239
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	...	...	239
नौवां प्रतिवेदन	...	...	239
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प	...	...	240
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	...	...	240—241
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	241—245
प्रो० सैफुद्दीन सौज	...	...	245—247
श्री जी०एस० बसवराजू	...	...	247—249
श्री पीयूष तिरकी	...	...	249—251
डा० वी० वेंकटेश	...	...	251—253
श्री ए०जे०वी०वी० महेश्वर राव	...	...	253—255
श्री एम०एल० शिकराम	...	...	255—257
श्री ए०के० पंजा	...	...	257—262

लोक सभा

शुक्रवार, 13 दिसम्बर 1985/ 22 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे डाक्टर चेलीकानी वेंकटराम राव, के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री राव 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे व भूत-पूर्व संयुक्त मद्रास राज्य के काकीनाडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। वह पेशे से डाक्टर थे और एक जाने माने कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया।

डा० चेलीकानी वेंकटराम राव का निधन 85 वर्ष की आयु में आंध्रप्रदेश के रामचन्द्रपुरम में 25 सितम्बर 1985 को हुआ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ दुःखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेगी।

अब सभा शोक व्यक्त करने के लिए कुछ देर तक मौन खड़ी हो।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नों को लेंगे।

प्रश्न संख्या 368—श्री प्रिय रंजन दास मुंशी—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 369—श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 370—श्री मानिक रेड्डी, श्री एम० रघुमा रेड्डी—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 371—उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 372—श्री शरद दिघे—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 373—श्री सनत कुमार मंडल—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 374—श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 375—प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत—हां वह उपस्थित हैं।

महिला सदस्य ही यहां उपस्थित हैं।

व्यापार उदारीकरण वार्ता के नए दौर को अवरुद्ध करने के बारे में तीसरे विश्व के देशों पर अमरीका द्वारा लगाए गए आरोपों का समाचार

*375. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत†**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन समाचारों की जानकारी है जिनमें व्यापार को उदार बनाने की वार्ता के नए दौर को और अवरुद्ध करने के बारे में अमरीका तीसरे विश्व के कुछ देशों पर आरोप लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन पर आरोप लगाया गया है;

(ग) अमरीका उन देशों के विरुद्ध व्यापार के संबंध में क्या नीति अपना रहा है; और

(घ) इस संबंध में भारत का क्या रुख है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समाचार पत्र में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा दी गई गवाही के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत, ब्राजील, यूगोस्लाविया, मिश्र नाइजीरिया तथा अर्जेन्टिना सहित तीसरे विश्व के कतिपय देश गाट में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के नए दौर में बाधा डाल रहे हैं यथा कथित गवाही में अन्य बातों के साथ-साथ अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जी एस पी) के अन्तर्गत इन देशों से टैरिफ रियायतें वापस लेने की गाट मंच के बाहर व्यापार मसलों पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन में एक अधिवेशन आयोजित करने की ओर संकेत किया गया है।

यह सही नहीं है कि तीसरे विश्व के कतिपय देश उस रूप में व्यापार वर्ताओं के नए दौर में बाधा डालते रहे थे। वे गाट में की गई वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करना और 1982 में गाट के मन्त्री स्तरीय अधिवेशन में अनुमोदित कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव नए दौर में उन नए मसलों को, जो गाट से सम्बन्धित नहीं है जैसे कि सेवाएं शामिल करने का विरोध किया। गाट संविदाकारी पक्षकारों के जनेवा में हुए इक्तालिसवें सत्र में 28 नवम्बर 1985 को उद्देश्यों को निर्धारित करने सम्बन्धी प्रारम्भिक समिति गठित करने, प्रस्तावित बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए विषय-

वस्तु और रूपात्मकता के सम्बन्ध में अब सहमत विनिश्चय हो गया है। प्रारम्भिक समिति सितंबर 1986 में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक में पारित किए जाने के लिए वार्ताओं के कार्यक्रम सम्बन्धी सिफारिशें जुलाई 1986 के मध्य तक तैयार कर लेगी।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, संविदाकारी पक्षकारों ने पहले लिए गए विनिश्चयों के अनुसरण में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए और संविदाकारी पक्षकारों द्वारा उसके अगले सत्र में क्या इन विषयों में बहुपक्षीय कार्यवाही करना समुचित तथा वांछनीय रहेगा इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सिफारिश तैयार करने के लिए अलग से सहमत विनिश्चय लिया गया है।

भारत तथा सं० रा० अमरीका और अन्य देशों—विकसित और विकासशील दोनों के इस प्रारम्भिक समिति के विचार विमर्श में भाग लेने की आशा है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यू० एस० ए० ने विकासशील राष्ट्र-ब्राजील, यूगोस्लाविया, नाइजीरिया और अर्जेण्टीना पर यह आरोप लगाया है कि ये देश गाट के समझौते की अवहेलना कर रहे हैं;

क्या यह सही है कि यू० एस० ए० यह चाहता है कि सर्विस को ट्रेड में शामिल किया जाये ?

क्या यू० एस० ए० प्रतिनिधि क्लेटन ने यह धमकी दी है कि यदि इन शर्तों को नहीं माना जाएगा तो जो ड्यूटी फ्री कच्चा माल आता है, उस पर रोक लगा देंगे और गाट के बाहर वार्ता करने के लिये फ्री होंगे।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय महिला सदस्य ने सही ही कहा है कि सीनेट कमेटी के सामाने गवाही के दौरान श्री क्लेटन ने यह सब कहा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अमरीकी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मुख्य समस्या यह है कि भारत और अन्य देश जैसे ब्राजील, यूगोस्लाविया, मिश्र, नाइजीरिया, अर्जेण्टीना 'गाट' में यह रहे कहते हैं कि पहले तोकियो वार्ता में लिये गये सभी निर्णयों को लागू किया जाए। हम 'गाट' की परिधि में सभी सेवाओं को रखने के हक में नहीं हैं, क्योंकि अगर सेवाओं को गाट की परिधि में रखा जाता है तो वे बहुत ज्यादा सहायक नहीं होंगी। इसके अलावा ऐसा करना विकासशील देशों के लिए हानिकर होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : रेगन इकोनमिक के अनुसार जो विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं उनके ऊपर विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाता है और ब्याज की दरें भी ऊंची होती हैं। इससे तीसरी दुनिया के जितने राष्ट्र हैं उन सब को भारी आर्थिक हानि होगी। भारत जो कि तीसरी दुनिया में एक प्रमुख राष्ट्र है, क्या इस बारे में रेगन या किसी अमेरिकन प्रतिनिधि से बातचीत हुई है ? यदि हुई है तो उसके क्या परिणाम हुए ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : इस संबंध में राष्ट्रपति रेगन से बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, 'गाट' की बैठकों में ही बातचीत करनी होगी। इसके लिए एक प्रारंभिक समिति का गठन किया गया है जो कि इसके उद्देश्यों पर विचार कर इसके लिए सुझाव देगी। इस समिति में, भारत समेत, विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू : आज अमरीकी सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं कि 'गाट' समझौते में सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जहां तक सेवाओं को व्यापार-उदारता में शामिल न किए जाने की बात है इस हेतु अपने हितों की सुरक्षा के लिए हमारी क्या नीति है, क्योंकि हम तीसरे विश्व के देश हैं और हमारे उद्योग भी अभी नये हैं।

दूसरे, क्या भारत अपनी सौदेबाजी की स्थिति को बेहतर बनाने और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए और दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिकारी उपाय करेगा?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कई महत्वपूर्ण विकासशील देश सेवाओं को 'गाट' की परिधि में लाने के विरुद्ध हैं। निश्चय ही वे अपने हितों की रक्षा करने चाहते हैं क्योंकि अगर सेवाओं को इसमें शामिल किया जायेगा तो यह विकासशील देशों के लिए हानिकारक होगा और वे विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

श्री राम सिंह यादव : जहां तक व्यापार का संबंध है वर्तमान रीगन प्रशासन ने, संरक्षण देने की नीति अपनाई है और यह स्पष्ट है कि अमरीका में उपभोक्ता सामग्री के दामों के अमरीकी सरकार या रीगन प्रशासन ने मूल्यों में 30 प्रतिशत की कमी कर दी है। और यह बात भी विकासशील देशों के प्रतिकूल बैठती है। रीगन प्रशासन की इस आर्थिक नीति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक भारत द्वारा अमरीका को किए जा रहे आयात का सम्बन्ध है, यह कार्य बहुपक्षीय समझौतों के आधार पर किया जाता है और अभी तक उन समझौतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : सेवाओं से आपका क्या अभिप्राय है?

श्री एडुआर्डो फैलोरी : अमरीका के रवैये से यह पता चलता है कि वह विकासशील देशों में अमरीकी सेवाओं को लाना चाहता है विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा सेवाएं जिनका हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ये सेवाएं निश्चित रूप से समाजिक उद्देश्य से कार्य कर रही हैं और यदि हम अमरीका की बैंकिंग और बीमा कम्पनियों को इसकी अनुमति देते हैं तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होगी जिसकी हम अनुमती नहीं दे सकते हैं। अब उन्होंने यह धमकी दी है कि यदि हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो भारत में निर्मित वस्तुओं और खनिजों के अमरीका में सीमा शुल्क रहित आयात पर प्रभाव पड़ेगा और यह रियायत नहीं मिलेगी।

सर्वप्रथम मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति क्या है कि हमें हानि न हो और दूसरे मन्त्री और सरकार वस्त्रों और भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क के क्षेत्र में कोटे के बारे में क्या कर रहे हैं? भारतीय वस्त्रों के निर्यात का एक कोटा निर्धारित है, जबकि यूरोपीय वस्त्रों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। जहां तक

अमरीका द्वारा विकासशील देशों से वस्तुएं आयात करने का संबंध है, इस संबंध में हो रहे पक्षपात के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय और सरकार क्या कर रही है?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि कौन-कौनसी सेवाएं हैं—वे सेवाएं हैं—बैंकिंग, बीमा, संचार, नागर विमानन, नौवहन, डाटा प्रोसेसिंग, और परामर्श यात्री सेवाएं। ये सेवाएं हैं और स्वाभाविक है यदि इन सेवाओं को व्यापार और टैरिफ सामान्य समझते ही परिधि में शामिल किया जाता है तो ये हानिकारक सिद्ध होंगी और भारत सहित अन्य विकासशील देशों को इस सम्बन्ध में कठिनाई होगी।

यह सच है कि अमरीका में कपड़ों के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं; लेकिन अमरीका के साथ हमारे जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, समान्यत: उनका सम्मान किया जाता रहा है और जो कोटा निर्धारित किया गया और जो द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। हम उसी के अनुसार निर्यात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अभी मन्त्री जी ने मैडम के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि रेगन साहब से कोई बात-चीत नहीं हुई परन्तु एक प्रिपरेटरी कमेटी बनाई गई है तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में कौन-कौन से देश सम्मिलित हैं तथा कौन कौन से सदस्य इस कमेटी में रखे गए हैं?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में बताया है प्रिपरेटरी कमेटी में डेवलप्ड और डेवलपिंग कन्ट्रीज—दोनों के रेप्रेजेन्टेटिव्ज शामिल हैं। नार्मली ट्रेड लेवल के रेप्रेजेन्टेटिव्ज उसमें होते हैं। वहां पर हमारा भी रेप्रेजेन्टेटिव है, कामर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हमारे रेप्रेजेन्टेटिव हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जितेन्द्र सिंह। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री बृज मोहन, माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री रामेश्वर नीखरा, मानवीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प की वस्तुएं और बर्तन बनाने के लिए सिक्कों को गलाना

*378. **श्री रामेश्वर नीखरा :**
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि देश में सिक्कों की कमी का कारण कुछ लोगों द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुएं और बर्तन बनाने के लिए सिक्कों का गलाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ग) सिक्कों का गलाया जाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश के विभिन्न भागों से सिक्कों को गलाकर उनके पोशाक जेवर, बर्तन आदि बनाने के सम्बन्ध में अपुष्ट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस मामले में खोजबीन की जा रही है।

(ख) छोटा सिक्का (अपराध) अधिनियम 1971 द्वारा सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि जो व्यक्ति सिक्कों को गलाता है या उन्हें नष्ट करता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी किसी भी उद्देश्य से सिक्कों को गलाने के विषय में सूचना प्राप्त हो तो छोटा सिक्का (अपराध) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना इस मन्त्रालय को दी जाए। अब तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है उसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सिक्के के अंकित मूल्य को उसके धात्विक मूल्य से अधिक रखने के भी प्रयास किए गए हैं जिससे किसी व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर सिक्कों को गलाया जाना आर्थिक रूप से लाभकारी न हो सके।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : कुछ तरह के सिक्कों का आयात करने के बाद भी, रेजगारी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब तक इस सम्बन्ध में तुरन्त कुछ नहीं किया जाता, भविष्य में न जाने क्या होगा। सरकार का कहना है कि देश के विभिन्न भागों से सिक्के गलाए जाने के बारे में अपुष्ट खबरें मिली हैं। हमारी सरकारें-राज्य सरकारें और केंद्र सरकार—इस धोखाधड़ी का पता नहीं लगा पाई है। जब तक वे कोई कार्यवाही नहीं करते, न जाने क्या होगा ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार हमारे देश में हो रही धोड़ाधड़ी का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। यह सच है कि ऐसे अपुष्ट समाचार मिले हैं। जयपुर में एक मामले के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है जिसमें एक व्यक्ति के पास से 600 रुपए से अधिक के सिक्के बरामद हुए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा मंत्रालय राज्य सरकारों को निदेश दे रहा है कि जो व्यक्ति सिक्कों को लगाने के उद्देश्य से जमा करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। दुर्भाग्य से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हाल ही में मैंने मुख्यमंत्रियों से भी कहा है कि वे जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करें। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह राज्य का विषय है, वे अपनी सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए राजी करें। उसका अधिक प्रभाव होगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जहां तक उत्पादन का संबंध है, हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 1982 में 6600 लाख सिक्कों का उत्पादन किया गया जिसे बढ़ाकर 1984-85 में हमने 13550 लाख तक पहुंचा दिया। चालू वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 20000 लाख सिक्के रखा गया था। 24-11-85 को मैंने टकसालों के मुद्राप्रबन्धकों की

बैठक बुलाई थी और मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें न केवल लक्ष्य प्राप्त करने हैं अपितु लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने के लिए कदम उठाने होंगे। 22100 लाख सिक्के ढालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले सप्ताह का लक्ष्य 420 लाख सिक्के निर्धारित किया गया था और हमने 520 लाख सिक्कों का उत्पादन किया। उसके अतिरिक्त वितरण की देखभाल मैं स्वयं कर रहा हूं। आयातित सिक्के भी आने शुरू हो गए हैं। जहां सिक्कों की कमी है वहां उनका उचित वितरण किया जाएगा। उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मंत्री महोदय का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और वे सिक्कों का आयात भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम सबको हर रोज, हर क्षण रेजगारी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कुछ गम्भीर बात जरूर है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि वह बैंकों के साथ-साथ डाकघरों में भी सिक्के उपलब्ध कराए, क्योंकि डाकघरों में वे लोग रेजगारी के बदले हमें टिकटें देते हैं। क्या माननीय सदस्य इस संबंध में हमें आश्वासन देंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक से सिक्के लेने और उन्हें वितरित करने के लिए कहा है। पहले केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही ये सिक्के मिल रहे थे। अब बम्बई तथा दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 80 शाखाओं में सिक्के बदले जा सकेंगे। माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और उस पर विचार किया जाएगा लेकिन मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि देश के विभिन्न भागों में सिक्कों की पूर्ति करने के लिए निश्चय ही कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी एक बार रेजगारी के बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त की है और इस बार फिर कहते हैं लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। गुजरात और सौराष्ट्र में खासकर रेजगारी बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह रेजगारी कहां जाती है और राजकोट जिले के बारे में वे खासतौर से बताएं। इस का वितरण किस तरह से होता है, यह भी माननीय मंत्री जी बताएं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : सिक्के राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध हैं। सिक्कों की कमी के बारे में कोई विवाद नहीं है। हमें इनकी सप्लाई में वृद्धि करके इसकी कमी को पूरा करना होगा।

श्री अनिल बसु : विदेश से कई लाख सिक्कों का आयात किया जा रहा है। लेकिन राजधानी में ही दिल्ली परिवहन निगम ठीक उनकी नाक के तले सिक्कों के बदले कूपन जारी कर रहा है। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है ? दिल्ली परिवहन निगम में सिक्कों की कमी क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सिक्कों की कमी है।

श्री अनिल बसु : राजधानी में भी सिक्कों की कमी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने विदेशों से सिक्के आयात करने के लिए सिक्का-अधि-

नियम में भी संशोधन किया है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विदेशों के कितने सिक्कों का आयात किया गया, किन-किन देशों से इनका आयात किया गया और इन सिक्कों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

श्री जनार्दन पुजारी : हम मैसर्स बर्मिघम मिंट प्रोडक्टस लिमिटेड, ब्रिटेन से 1 रुपए के 5000 लाख सिक्के, रॉयल मिंट, ब्रिटेन से 50 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के 1 रुपए के 5000 लाख सिक्के,···37.5 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के 50 पैसे 7500 लाख सिक्कों का आयात कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, वह सिक्कों की कुल संख्या बता सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इतने विस्तार में बताने का अर्थ होगा···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कुल कितने सिक्के आयात किए गए ?

श्री जनार्दन पुजारी : कुल 2 अरब सिक्कों का आयात किया जा रहा है और उनका अंकित मूल्य करीब 143.75 करोड़ रुपए है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे आप सिक्कों का आयात कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और कनाडा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

श्री जनार्दन पुजारी : इसमें करीब 64.96 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, आज जो काइंस मिल्टिंग हो रही है, उसके मूल में सोचने की जरूरत है। इसकी रूट कहां है ? जब तक मैटल वैल्यू और एक्चुअल में डिफरेंस रहेगा, एक्चुअल वैल्यू से मैटल वैल्यू ज्यादा रहेगी तब तक मिल्टिंग प्रासेस जारी रहेगा। काइन की जो वैल्यू है, उसकी मैटल वैल्यू कमहो। क्या आप ऐसा कोई सिक्का निकालना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यदि आप धातु के मूल्य पर विचार करें तो मैं माननीय सदस्य के भले के लिए बता सकता हूं कि बम्बई टकसाल में ढाले जा रहे प्रति सिक्के की धातु और निर्माण लागत इस प्रकार है।

एक रुपए का सिक्का	—	58 पैसे
50 पैसे का सिक्का	—	48.42 पैसे
25 पैसे का सिक्का	—	27.13 पैसे
20 पैसे का सिक्का	—	19.10 पैसे
10 पैसे का सिक्का	—	14.78 पैसे

यदि आप लागत मूल्य और अंकित मूल्य की तुलना करें तो मैं नहीं समझता कि इन सिक्कों को गलाना आर्थिक दृष्टि से सम्भव होगा।

डा० डी० के० नायकर : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि परिचालन में सिक्कों की कमी है। लेकिन व्यवहार में सौदा आदि खरीदने के बाद या लेन-देन में होटलें, रेस्टोरेन्टों और अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कूपन दे दिए जाते हैं।···वे कूपन बेकार हो जाते हैं···

व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसका उपयोग केवल उसी दुकान पर कर सकते हैं। अत: यह कूपन देने वाली दुकान के लिए यह व्यवसाय का आश्वासन है।

श्री डी० के० नायकर : अत: रुपए की कीमत उस हद तक कम हो गई है और लोगों को और अधिक असुविधा उठानी पड़ती है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस स्थिति का सामना किस तरह करने का विचार रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह कदम उठा रहे हैं, किंतु अभी भी इसकी कमी बनी हुई है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और विदेशों से भी सिक्कों का आयात किया गया है। मार्च, 1986 तक स्थिति में सुधार हो जाएगा।

अग्रिम आयात लाइसेंस योजना

*379. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि शत प्रतिशत उत्पाद का निर्यात किये जाने की शर्त पर जारी किये अग्रिम आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले अनुभव के आधार पर इस योजना की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

(क) तथा (ख) जी हां। अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के सम्बन्ध में उल्लंघनों के लिए 1983 1984 तथा 1985 (आज तक) के वर्षों में मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात के मुख्यालय कार्यालय में 23 फर्मों के विरुद्ध विवर्जन कार्यवाही और 175 फर्मों के सम्बन्ध में जांच कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों ने भी अपने यहां कुछ मामलों में कार्यवाही की है जिसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तथा (घ) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना की निरन्तर समीक्षा की जाती है और प्राप्त किए गए अनुभव को देखते हुए इस योजना के दुरुपयोग की गुंजाइश को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आयात लाइसेंसों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री कोई कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। किंतु अग्रिम आयात लाइसेंसों के मामले में, निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित

की गई है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति है कि निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए समय सीमा न बढ़ाई जाए।

इसके बावजूद यह सत्य है कि अग्रिम आयात लाइसेंसों के मामले में इन निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है ? यदि हां, तो यह क्यों किया जाता है ? क्या आप कह सकते हैं कि इस वर्ष के दौरान कितनों की समय-सीमा को इस प्रकार बढ़ाया गया।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय मंत्री से पूरी तरह सहमत हूं कि अग्रिम लाइसेंसों के प्रयोग में कदाचार हुए हैं, किंतु मंत्रालय द्वारा इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है और यह देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि कहीं इन लाइसेंसों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, और इनका उपयोग केवल उन लोगों द्वारा होता है जो वास्तव में निर्यातक हैं। अतः पहले ही बहुत से उपाय किये गए हैं। ऐसा एक उपाय यह है कि यह बात सुनिश्चित की जाए कि सीमा शुल्क मूल्य के 33% का पहले ही भुगतान करें और 50 से 150 प्रतिशत का गुणवत्ता में वृद्धि करें।

मुझे इस बात का खेद है कि मेरे पास उन लाइसेंसों की असली संख्या के आंकड़े नहीं हैं जिनको बढ़ाया गया है किंतु मैं माननीय मंत्री को यह आश्वासन देता हूं कि अब हम केवल उस मामले में विस्तार करेंगे जब बहुत ही प्रमाणिक तथा न्यायसंगत कारण बताए गए हैं। इतना भी काफी जांच-पड़ताल करने के पश्चात् होता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : लगता है कि माननीय मंत्री ने मेरा प्रश्न नहीं सुना। हो सकता है उन्होंने इसे नहीं समझा। ठीक है। मैं प्रश्न दोहराना नहीं चाहता हूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : आप दुबारा कह सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : किंतु आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं उत्तर दूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा पहला प्रश्न यह था कि समय-सीमा किस आधार पर बढ़ाई जाती है।

श्री खुर्शीद आलम खां : वास्तव में जहां भी समय बढ़ाया गया है वह मामले की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आरंभ में आपने पहले ही इस बात की प्रशंसा की है कि वह अच्छी कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और मैंने पहले ही कहा है कि वह कड़ी और दण्डात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और इस बात पर मैं उनका समर्थन भी करता हूं।

अब मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं।

आयात लाइसेंसों के मामले में बहुत कालाबाजारी हुई है और उनका दुरुपयोग हुआ है। ऐसे भी मामले हैं जहां किसी विशेष वस्तु के लिए आयात लाइसेंस को किसी और वस्तु के आयात के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल सीमा-शुल्क अधिकारियों की मिली-भगत से किया जा सकता है सरकार केवल आदेश दे सकती है किंतु सीमा-शुल्क अधिकारी इन आयातकों की मिली भगत से इसे लागू करते हैं। जैसे···

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं प्रश्न की बात करता हूं···वह खाद्य नारियल तेल आयात करने के लिए औद्योगिक तेल के लिए मिले लाइसेंस का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपको ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें औद्योगिक तेल के स्थान पर खाद्य तेल यानी नारियल के तेल का आयात किया गया है ? यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने क्या कार्यवाही की है और यह देखने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे। यदि एक वस्तु के आयात के लिए लाइसेंस को दूसरी वस्तु के आयात के लिए प्रयोग में लाया जाता है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : अग्रिम लाइसेंस किसी विशेष वस्तु के आयात के लिए दिये जाते हैं। अभी तक यह अग्रिम लाइसेंस उत्पादकों तथा अन्य लोगों को दिये जाते थे, किंतु अब यह निर्णय लिया गया है कि अग्रिम लाइसेंस केवल निर्यातक के नाम दिये जायेंगे और फिर निर्यातक स्वयं ही निर्यात के लिए अपनी आवश्यकतानुसार आयात करेगा और किसी अन्य वस्तु के आयात की संभावना नहीं होगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा प्रश्न यह है : क्या आपको यह शिकायत प्राप्त हुई है कि औद्योगिक तेल के लिए आयात लाइसेंस का प्रयोग नारियल के तेल का आयात करने के लिए किया गया था ? यदि हां तो आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय सदस्य का प्रश्न मुझे स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यह अग्रिम लाइसेंसों के बारे में है अथवा सामान्य लाइसेंसों के बारे में है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जानते हैं कि इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : किंतु आप मुझे बताइए कि क्या आप अग्रिम लाइसेंस के लिए उत्तर चाहते हैं।

डा० के० जी० अदियोडी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि हमारे आयात में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है, जबकि हमारा निर्यात रुका हुआ है, जिसके कारण आयात रियायत के कारण व्यापार असंतुलन में काफी परिवर्तन होता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : आयात में सचमुच वृद्धि हो रही है किंतु पैसे के लिहाज से 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक आयात की जाने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, पी० ओ० एल०, खाद आदि पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तव में लगभग 10 प्रतिशत आयात सहायता से जुड़ा हुआ है। अत: केवल 35 प्रतिशत वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर मंत्रालय कुछ नियंत्रण लगा सकती है। यह मांगों के अनुसार किया जाता है। नीति को उदार बनाना होता है और महत्वपूर्ण वस्तुएं आयात की जाती हैं।

अभ्रक व्यापार निगम को हुआ लाभ और श्रमिकों को दिया गया बोनस

*385. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक व्यापार निगम को गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ हुआ तथा लाभ का कितना प्रतिशत भाग श्रमिकों को बोनस के रूप में दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि लाभ में वृद्धि होने पर भी बोनस कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० को हुए लाभ और उसमें से श्रमिकों को बोनस के रूप में दी गई प्रतिशत राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

	1982-83	1983-84	1984-85
(i) निवल लाभ (कर पूर्व) (लाख रु० में)	46.26	52.25	55.40
(ii) लाभ का प्रतिशत बोनस	11.07	8.88	9.62

(ख) और (ग) : गत सभी तीन वर्षों के दौरान, बोनस अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार अनुमेय सीमा तक बोनस दिया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न अभ्रक व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में कमाये गए लाभ तथा श्रमिकों को बोनस के रूप में दी गई प्रतिशतता से संबंधित है। भाग (ख) में मैंने पूछा है "क्या यह सच है कि लाभ में वृद्धि होने पर भी बोनस कम हो गया; और भाग (ग) में मैंने यह पूछा है कि "यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उन्होंने उत्तर दिया है कि 1981-82 से 1984-85 तक लाभ में वृद्धि हुई है। लाभ में वृद्धि हुई है पर बोनस में वृद्धि नहीं हुई है अपितु वह घट गया है। अत: मैं इसके कारण जानना चाहता हूं कि यद्यपि लाभ में वृद्धि हो रही फिर भी श्रमिकों को अधिक बोनस क्यों नहीं दिया गया। विवरण में उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है।

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

लेबर मिनिस्टर का रिप्लाई होना चाहिए था, क्या करें , कामर्स मिनिस्टर ने रिप्लाई कर दिया जबकि लेबर मिनिस्टर को यह रिप्लाई देना चाहिए था।

···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न यह है : क्या मैं मंत्री से पूछ सकता हूं कि निगम को हुए लाभ के अनुसार बोनस में वृद्धि क्यों नहीं हुई ? बोनस कम होने का क्या कारण है ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री खुर्शीद आलम खां : कारण यह है। पूर्व वर्षों का अधिशेष जो आगे जोड़ा गया उसमें 1983-84 के दौरान कमी हुई, और 1984-85 के दौरान कुछ भी अधिशेष उपलब्ध नहीं हुआ। 1984-85 के दौरान अभ्रक व्यापार निगम की शेयर पूंजी में वृद्धि हुई ताकि परियोजनाएं तैयार करने के काम को आरम्भ किया जा सके। शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण, शेयर पूंजी पर 8.5 प्रतिशत के लाभ में (जिसकी व्यवस्था बोनस अधिनियम के अन्तर्गत की गई है)

वृद्धि हुई है । इसके परिणाम-स्वरूप 1983-84 में आवंटन-योग्य अधिशेष में कमी हुई और 1984-85 में कोई अधिशेष प्राप्त नहीं हुआ । अत: यह कमी की गई है ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह कमी का कोई कारण नहीं है । यह उचित उत्तर नहीं है।

श्री पी० पंचालैया : न्यूनतम मूल्य आरम्भ करने और अभ्रक व्यापार निगम स्थापित होने से पूर्व कुछ 12 से 15 मध्यवर्गीय तथा कमजोर वर्गों के लोग खान स्वामियों तथा निर्यातकों के बीच रह रहे थे । न्यूनतम मूल्य आरम्भ करने और अभ्रक व्यापार निगम स्थापित करके यह सब लोग आजकल उपलब्ध नहीं हैं । अत: इस स्थिति में इन कमजोर वर्गों को बचाने के लिए क्या न्यूनतम मूल्य और अभ्रक व्यापार निगम को पूरी तरह हटाना उचित है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह विचार करने के लिए एक सुझाव है ।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि माथका कार्पोरेशन ने पिछले तीन सालों में कितना ट्रेड किया है और उसमें उन्होंने हर साल कितना प्रॉफिट किया है और पिछले तीन सालों में कितना-कितना बोनस दिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, लाभ और बोनस का उल्लेख सभा पटल पर रखे गए विवरण में किया गया है ।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से बोनस दिया गया है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : वास्तव में प्रश्न बोनस और लाभ के बारे में था । किंतु शेष जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

[हिंदी]

श्री गिरधारी व्यास : मान्यवर प्रॉफिट तो हुआ होगा तभी बोनस दिया गया है लेकिन प्रोफिट के हिसाब से बोनस नहीं दिया गया है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना बोनस दिया है ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । मैं बाद में माननीय मंत्री को यह जानकारी दे सकता हूं ।

[हिंदी]

श्री रामप्यारे लाल पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में जो बोनस देने का सिलसिला है वह बहुत ही असंतोषजनक रहा है और मिनिमम बोनस भी जैसे टैक्सटाइल कार्पोरेशन या अन्य कार्पोरेशन हैं, वे नहीं देते हैं, (व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। आपको अभ्रक व्यापार निगम के बारे में पूछना है। वस्त्रों की बात मत कीजिए। आप कपड़ों की बात क्यों करते हैं? अब, श्री प्रधान प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिंदी]

श्री के० एन० प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों ने बोनस के सम्बन्ध में क्या मांग की थी और मैनेजमेंट के बीच में क्या समझौता हुआ था, मंत्री जी यह बता दें?

श्री खुर्शीद आलम खां : उपाध्यक्ष महोदय, बोनस दिया गया और लोगों ने बोनस ले लिया।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस मामले में अभ्रक व्यापार निगम के बोनस का प्रश्न एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जहां हम सुनते हैं कि प्रबन्धकों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि 'जो मेरे पास हिस्सा है मैंने उसे बढ़ा दिया है, और इसलिए बोनस की जो राशि आपको लाभ से मिलती है वह कम हो गई है।' साथ ही इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोई समझौता हुआ है, यह कहा गया है कि 'हमने बोनस दिया और उन्हें अभी भी इसे लेना बाकी है।' प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के शोषण का यह एक अपनी ही किस्म का मामला है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या स्वयं मंत्री जी या उनका मंत्रालय ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विशेषकर जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है, को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, विचार के लिए यह एक अच्छा सुझाव है और हम इस पर गौर करेंगे।

नई वस्त्र नीति के बारे में राज्य सरकारों के विचार

*273. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद में नई वस्त्र नीति की सभी पक्षों द्वारा की गई आलोचना को देखते हुए सरकार का विचार नई वस्त्र नीति के बारे में राज्य सरकारों के विचार जानने का है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : सरकार द्वारा जून 1985 में घोषित नई वस्त्र नीति का कुल मिलाकर देश में स्वागत किया गया है। नीति तैयार करते समय, सभी सम्बद्ध हितों के विचारों को, जिनमें सम्बन्धित राज्य सरकार भी शामिल है, ध्यान में रखा गया है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, इस नई वस्त्र नीति ने तीन प्रकार के लोगों को प्रभावित किया है। एक पक्ष मिल मालिकों का है तथा दूसरा पक्ष हथकरघा बुनकरों और कपास उत्पादकों का है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने पुरानी नीति को बदलने से पूर्व या नीति बनाने के तुरंत पश्चात् मिल-मालिकों के, कपास उत्पादकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के तथा हथकरघा बुनकरों अथवा उनके प्रतिनिधियों के विचारों

की जानकारी ली थी। ये दो वर्ग, अर्थात् कपास उत्पादक तथा हथकरघा बुनकर इस नई नीति के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इस नीति को तैयार करने से पहले, एक विस्तृत और विवरणात्मक प्रश्नावली उनकी राय जानने के लिये सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजी गई थी। दुर्भाग्य से, मात्र तीन राज्य सरकारों ने जवाब दिया है और अन्य किसी भी राज्य सरकार ने अपना जवाब नहीं भेजा है।

जहां तक हथकरघा बुनकरों का प्रश्न है, हाल ही में हथकरघा बोर्ड की बैठक में, उन्होंने इस नीति पर विचार किया था और उन्होंने नीति की तारीफ की थी क्योंकि यह महसूस किया गया है कि नीति का लाभ बुनकरों को मिलने की संभावना है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, इन्होंने मुझे कपास उत्पादकों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे देते ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही इन बातों पर बातचीत कर ली है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : अपने प्रथम अनुपूरक प्रश्न में मैंने कपास उत्पादकों के विचारों के बारे में पूछा है। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने पहले ही कहा है कि राज्य सरकारों को, उनके मुख्य सचिवों के माध्यम से कहा गया है कि हमारे द्वारा भेजी गई विस्तृत प्रश्नावली के जरिये, वे अपनी राय बतायें इस नीति में रुचि रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विचार पता करके हमें विस्तृत जानकारी देने का कार्य राज्य सरकारों का था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, वस्त्र नीति के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि तीन राज्यों ने प्रश्नावली का जवाब भेजा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अपने विचार बताये हैं। क्या कर्नाटक सरकार ने वस्त्र नीति के बारे में अपने विचार भेजे हैं और यह किस प्रकार कपास उत्पादकों को प्रभावित करेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : पश्चिम बंगाल, दिल्ली प्रशासन, दादरा व नागर हवेली प्रशासन, गुजरात तथा महाराष्ट्र से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए थे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, और कोई प्रश्न नहीं।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, वास्तव में कर्नाटक सरकार ने इस नीति का तीव्र विरोध किया है क्योंकि इससे न केवल हथकरघा क्षेत्र प्रभावित होगा बल्कि रेशम कीट-पालन उद्योग भी प्रभावित होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन बातों पर विचार किया है।

श्री खुर्शीद आलम खां: महोदय, जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरे विचार से, उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ है क्योंकि इस वर्ष हमने हथकरघा उद्योग को 6 करोड़ मीटर अतिरिक्त जनता वस्त्र बनाने के लिये दिया है। हथकरघा उद्योग को खास तौर से लाभ होगा क्योंकि 20 प्रतिशत हथकरघे ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय थे और उन्हें पूरे वर्ष कार्य नहीं मिल पाता था। (**व्यवधान**)

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, इन्होंने रेशम कीट-पालन उद्योग के बारे में नहीं बताया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : रेशम कीट-पालन उद्योग के बारे में भी मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं क्योंकि मूल्य बढ़ गये हैं इसलिए हमने भी चीन से 25 टन कच्चा रेशम आयात करने का निर्णय लिया है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, सरकार द्वारा यह नई वस्त्र नीति शुरू करने के बाद से लोक सभा में बहुत संख्या में संशोधन लाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार की नीति केवल हथकरघा बुनकरों तथा विद्युत चालित करघों को सहायता करने की है तो नीति में इतनी जल्दी-जल्दी संशोधन नहीं करने चाहिए थे। परन्तु सरकार ने संघटित मिलों की मदद करने के लिए नीति में अक्सर संशोधन किये हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है, क्या सरकार की नीति में समुचित संशोधन किया जायेगा ताकि हथकरघा बुनकरों तथा विद्युत चालित करघों को संघटित मिलों के समान मदद पहुंचे ?

(**व्यवधान**)

श्री खुर्शीद आलम खां : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को इस पर विचार करने के लिए कहूंगा कि मूल रूप से यह एक लम्बी अवधि की नीति है और इसके वास्तविक लाभ इसको भली प्रकार से परखने के बाद ही पता चलेंगे।

हथकरघा उद्योग के बारे में, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हथकरघा क्षेत्र को इससे फायदा हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह समर्थन नहीं करता···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे उत्तर देने दीजिए। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ? हथकरघा उद्योग ने इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया है।

(**व्यवधान**)

श्री उत्तम राठौड़ : सरकार ने राज्यों के विचार मांग कर बहुत कृपा की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कपास उत्पादकों की वस्त्र नीति के प्रति प्रतिक्रिया पता लगायी है

अी अगर पता लगायी है तो वह क्या थी तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन के बाद उसकी आज क्या स्थिति है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे देश में आजकल जितनी कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास निगम को निर्देश दिये गये हैं कि वह उत्पादकों द्वारा जो भी कपास लाया जाये सब खरीद ली जाये। अत: कोई कठिनाई नहीं होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मंत्री महोदय कह रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। ये अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हम तुरंत आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह महत्वपूर्ण है तो आप अलग से सूचना दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी समझ सकता हूं। कृपया बैठ जाइए। श्री जयपाल रेड्डी, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री वसुदेव आचार्य : आप मुझे अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। क्या श्री जयपाल रेड्डी प्रश्न पूछेंगे ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : समझा जाता है कि नई वस्त्र नीति का आधार विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन है। ऐसा क्यों है कि सरकार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को गुप्त समझती हैं ? क्या सरकार इसे यहां अभी जारी करेगी ?

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने प्रश्नावली के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उत्तर देने का उल्लेख किया था जिसे विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन देने से पूर्व परिचालित किया गया था। क्या नीति की घोषणा होने के बाद राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था ? अगर किया था तो वे कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं तथा उनके विरोध करने के मुद्दे क्या-क्या थे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रश्नावली को परिचालित किया गया था। हां, इसे परिचालित किया गया था तथा मैंने बताया था कि कौन-कौन से राज्यों ने उत्तर भी दिया है।

प्रतिवेदन के बारे में यह है कि इसे मुद्रित किया जा रहा है और यह एक मुद्रित दस्तवेज होगा जो बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : सदस्यों को भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : स्वाभाविक है। यह उपलब्ध होगा।

राज्यों के प्रश्न के बारे में, कुछ राज्य जब कभी भी, हथकरघा अथवा विद्युत चालित करघे अथवा अन्य किसी क्षेत्र को यदि कोई कठिनाई पेश आती है और उस विशेष बात को सामने रखते हैं तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है तथा उपाय किये जाते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन-कौन से राज्य थे जिन्होंने नई वस्त्र नीति के प्रति विरोध प्रगट किया था? मेरा प्रश्न स्पष्ट था। मंत्री महोदय ने जानबूझकर इसका उत्तर नहीं दिया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने नई वस्त्र नीति के खिलाफ खासतौर से अपना विरोध दर्ज किया है। नई वस्त्र नीति बुनकरों के खिलाफ हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। प्रश्न-सूची समाप्त हो गई है। मैं फिर से सूची को दोहराऊंगा। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी···अनुपस्थित। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही···अनुपस्थित। श्री मानिक रेड्डी···अनुपस्थित। श्री एम० रघुमा रेड्डी···अनुपस्थित। श्री शरद दिघे···अनुपस्थित। श्री सनत कुमार मंडल·· अनुपस्थित। श्री ई० अय्यपू रेड्डी···अनुपस्थित। श्री जितेन्द्र सिंह···अनुपस्थित। श्री बृजमोहन महन्ती···अनुपस्थित। श्री विजय एन० पाटिल···अनुपस्थित। श्री थम्पन थामस अनुपस्थित। श्री दौलत सिंह जदेजा अनुपस्थित। श्री यशवंतराव गडाख पाटिल···अनुपस्थित। डा० गौरी शंकर हंसराज···अनुपस्थित। श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम···यहां नहीं है। श्री जैनुल बशर···यहां नहीं हैं। श्री बनवारी लाल पुरोहित···अनुपस्थित। प्रश्न सूची समाप्त हो गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी को रोकना

*368. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन तथा तस्करी की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर लगातार हानिकर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) तस्करी की गतिविधियों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी को कारगर ढंग से रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) तस्करी की गतिविधियों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वाले व्यक्तियों को, उनके द्वारा इस प्रकार अर्जित अवैध कमाई से अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों एवं विश्वासपात्र लोगों के नाम में रखी गई सम्पत्ति से वंचित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) पश्चिम बंगाल में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) तस्करी, विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी उल्लंघनों आदि जैसे आर्थिक अपराधों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अवश्य ही बुरे

प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने संबंधी सरकार के दृढ़ निश्चय के अनुसरण में, सारे देश में, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, तस्करी करने वालों/विदेशी मुद्रा के जालसाजों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सुगम्य क्षेत्रों में, सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तन्त्र को कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। सरकार ने आसूचना एकत्र करने सम्बन्धी कार्यकलापों, आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले जांच-पड़ताल सम्बन्धी प्रयासों और प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाहियों के समन्वय करने और उन्हें कारगर बनाने के लिए एक केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की स्थापना की है।

(ग) तस्करी की गतिविधियों/विदेशी मुद्रा नियन्त्रण के उल्लंघनों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ न्यायालयों में मुकदमे चलाकर भी सख्त कार्यवाही की जाती है। तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 में, तस्करों और विदेशी मुद्रा के छलसाधकों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित सम्पत्तियों को समपहृत करने की व्यवस्था है। यह अधिनियम, तस्करों और उनके सहभागियों की गैर-कानूनी ढंग से अर्जित सम्पत्तियों पर भी लागू होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के तहत दिनांक 30-11-85 तक 2,533 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें कुल 42.22 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्तियां भी शामिल हैं।

(ङ) तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का धन्धा करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज किए जाने के परिणामतः, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अभिगृहीत माल का मूल्य निरन्तर बढ़ा है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत माल का कुल मूल्य	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत अभ गृहीत मुद्रा का मूल्य
1983	90	1.34
1984	101	1.90
1985 (अक्तुबर तक)	161 (अनन्तिम)	4.76 (अनन्तिम)

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत दिनांक 1-1-1983 से 30-11-1985 तक 185 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनमें 4 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां भी शामिल हैं। 241 मामलों को उपर्युक्त अवधि के दौरान निपटाया गया था जिनमें 4.65 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्तियां भी शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के गुण-प्रकार को सुधारने के लिये उठाये गये कदम

*369. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में उच्च गुण-प्रकार के इस्पात का उत्पादन नहीं हो सका है और साधारण गुण-प्रकार के इस्पात के उत्पादन में भी कमी आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत लगभग एक वर्ष की अवधि के दौरान इस्पात के मूल्यों में डेढ़ से दो गुणा तक वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के गुण-प्रकार में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और इसकी स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र में हुई प्रगति की तुलना में क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) जी, नहीं। उच्च क्वालिटी इस्पात के विभिन्न ग्रेडों का अब देश में उत्पादन किया जा रहा है। इन मदों में से कुछ मदों जैसे वैद्युतिक इस्पात की चादरों, एल०पी०जी० चादरों और डीप ड्राइंग/एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी के इस्पात की चादरों का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। देश में विक्रेय इस्पात के कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राउरकेला, भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों में क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कई उपाय लागू किये गए हैं। दुर्गापुर की आधुनिकीकरण योजनाओं में क्वालिटी में सुधार लाने के उपायों को शामिल कर लिया गया है। हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों ने विसिलिकायन, विगंधकन, लाइम डस्ट इन्जेक्शन, लेडल रिफाइनिंग और प्रोसेस नियंत्रण के उपायों को लागू किया है। राउरकेला इस्पात कारखाने ने हाल में सिलिकन इस्पात का उत्पादन करना शुरू किया है। यह कारखाना इस्पात की मजबूती और लचीलेपन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिक आधार पर बेलन की नई तकनीकें शुरू कर रहा है जबकि भिलाई ने सतत् ढलाई शुरू की है।

'टिस्को' इस समय, बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर, वैक्यूम आर्क डि-गैसिंग और सतत् ढलाई जैसी सुविधाएं लगाकर अपने उत्पादों की क्वालिटी को अद्यतन करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस्पात कारखानों में उत्पादित इस्पात की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है।

मिर्च तथा हल्दी का निर्यात

*370. **श्री मानिक रेड्डी**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में मिर्च तथा हल्दी का भंडार जमा हो गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् को उपर्युक्त वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनुदेश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान इनका कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने की आशा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश में भंडार जमा होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् पहले से ही मसालों के निर्यातकों को, जिसमें मिर्च तथा हल्दी भी शामिल है, बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है, जिसमें निर्यातकों के प्रतिनिधि मण्डल प्रतियोजित करना, सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम तथा खाद्य मेलों आदि में भाग लेना शामिल है।

(ग) वर्तमान निदेशों के अनुसार 1985-86 के दौरान मिर्च तथा हल्दी के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की आशा है। 1985-86 के दौरान हुए निर्यातों के लिए इस स्तर पर कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (हजार रु०)
मिर्च		
1982-83	12888.46	12,35,43.91
1983-84	10610.45	8,78,26.80
1984-85	8159.66	9,66,57.00
हल्दी		
1982-83	7594.76	4,23,54.25
1983-84	10891.88	11,05,50.06
1984-85	12922.87	17,15,70.11

गैर-योजना व्यय में कटौती

*372. **श्री शरद दिघे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 के मध्य में सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी किए गए अनुदेश गैर योजनागत व्यय में पांच प्रतिशत कटौती करने के लिये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या यह कटौती खाद्यान्नों उर्वरकों पर राजसहायता तथा चीनी और खाद्य तेलों के आयात पर होने वाले व्यय पर भी लागू होगी, जो अधिकांशत: गैर-योजनागत व्यय है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कटौतियों को 1986-87 के बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के संशोधित अनुमानों में दर्शाया जाएगा। यह आशा की जाती है कि अब तक किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप संसद द्वारा पहले से स्वीकृत व्यय की तुलना में 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। 1985-86 के बजट अनुमानों में कुल योजना-भिन्न व्यय की लगभग 12.8% आर्थिक सहायता शामिल है। प्रबन्ध संबंधी एवं अनावश्यक व्यय में कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) को हुआ घाटा

*373. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) जो पूर्णतया भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन है, के लगभग 40,000 कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है;

(ख) इस इस्पात संयंत्र को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इस कंपनी की वर्तमान दुर्दशा के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं;

(घ) इस कंपनी के संयंत्र और मशीनों का अपेक्षित आधुनिकीकरण करके इसे लाभप्रद बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या 17 नवम्बर, 1985 को बर्नपुर में "सेव इस्को" (इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को बचाइये) बैठक आयोजित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस संयंत्र को चालू रखकर इसके 40,000 कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "इस्को" को हुई वास्तविक हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

		लाभ (+)/हानि (—)
		(करोड़ रुपए)
1982-83	(—)	71.05
1983-84	(—)	24.06
1984-85	(—)	81-60

वर्ष 1984-85 के अन्त तक 335.81 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई थी।

(ग) : "इस्को" की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य-मुख्य कारण हैं; संयंत्र और उपस्कर के पुराने हो जाने के कारण उत्पादन में कमी तथा क्षमता के उपयोग में कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी और बढ़िया क्वालिटी के कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई।

(घ) सातवीं योजना में "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, परन्तु रख-रखाव तथा सुधार के लिए धन राशि की व्यवस्था की गई है और उपलब्ध संसाधनों से ही कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) कारखाने में उत्पादन हो रहा है।

गेहूं और चावल का निर्यात

*374. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से अब तक कितने गेहूं का निर्यात किया गया है; और

(ख) यदि निर्यात नहीं किया गया तो क्या निकट भविष्य में गेहूं और चावल का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1 जनवरी 1985 से 30 नवंबर, 1985 तक निर्यातित गेहूं की मात्रा 3,36,040 मे० टन थी। इसमें सूखा प्रभावित अफ्रीकी देशों को उपहार के रूप में और वियतनाम को वस्तु ऋण के रूप में गेहूं के निर्यात शामिल हैं।

(ख) गेहूं तथा बासमती चावल के निर्यात की अनुमति पहले ही है।

[हिन्दी]

अयोध्या में रामचरित मानस पर आधारित प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की योजना

*376. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अयोध्या में रामचरित मानस और तुलसीदास की अन्य काव्य-कृतियों पर आधारित एक प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम तैयार करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना का हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर के अंग के रूप में संचार माध्यम से व्यापक प्रचार करने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर और चिल्का झील की पर्यटक क्षमता को बढ़ाना

*377. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर और चिल्का झील की पर्यटक क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की पर्यटक क्षमता के विकास के संबंध में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रह्मपुरी ब्लाक में बालीघाई से पुरी और हरचण्डी तक पुरी के समुद्र-तट पर समुद्र तटीय मार्ग का निर्माण और विस्तार करने के लिये राज्य सरकार से कहा है, और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल०भगत) : (क) और (ख) उड़ीसा में और इसी तरह देश के अन्य भाग में पर्यटक महत्व के केन्द्रों का विकास/सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में केंद्रीय तथा राज्य दोनों की सरकारें और साथ ही प्राइवेट सेक्टर शामिल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभाग ने उड़ीसा सरकार से विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का सुधार करने के लिए स्कीमें प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने पुरी-कोणार्क और चिल्का झील की पर्यटक संभाव्यता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव/स्कीमें भेजी हैं जिनपर कार्रवाई की जा रही है :—

	(लाख रुपए में)
(I) चंद्रभागा, कोणार्क में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुख-सुविधाओं की व्यवस्था	11.50
(II) कोणार्क में शापिंग काम्पलैक्स और डे-सेन्टर का निर्माण	16.85
(III) सतपदा, चिल्का झील में यात्री निवास	38.50
(IV) सिमलीपाल के लिए मिनी बसों, बैंगने:स और हाथियों की व्यवस्था	17.58
(V) पुरी और कोणार्क के बीच समुद्र-तट का सर्वेक्षण	13.15

विभाग इन स्कीमों को तैयार करने और इनके कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है।

(ग) पुरी और कोणार्क के बीच निर्माण-कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और अगस्त 1982 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। परिवहन मंत्रालय के रोड विंग्स को पुरी से हरचंडी तक ब्रह्मगिरि ब्लाक में सड़क का निर्माण करने के बारे राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एल्यूमिनियम उद्योग के लिये बौक्साइट के भण्डारों का विदोहन

*380. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बौक्साइट के भारी भण्डारों के विदोहन के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) विकसित देशों की तुलना में देश में एल्यूमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ग) एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा इस्पात और प्लास्टिक जैसी सामग्री के साथ कड़ी स्पर्धा को देखते हुए उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या अद्यतन प्रौद्योगिक तरीके अपनाये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) सरकार की व्यापक नीति बाक्साइट भंडारों के विदोहन की है, ताकि घरेलू बाजार हेतु एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके।

भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत 0.4 किलो है। यद्यपि पक्की जानकारी तो नहीं है, किन्तु सूचना है कि कुछ विकसित देशों में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम खपत अनुमानत: इस प्रकार है :—

इंगलैंड	9.9	किलोग्राम
फ्रांस	12.4	किलोग्राम
इटली	13.2	किलोग्राम
जापान	19.4	किलोग्राम
संयुक्त राज्य अमेरिका	26.0	किलोग्राम

भारत एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु नवीनतम तकनालाजी अपनाने में बराबर अग्रसर हो रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) नवीनतम तकनालाजी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है, जिसके विद्युत एवं अन्य आदान सामग्री खपत के मानक अपेक्षाकृत कम है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी कम्पनियां भी अपने कारखानों के आधुनिकीकरण तथा लागत किफायत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं।

धातु सामग्री का स्थानापन्न होना सनातन तथ्य है, जो तकनालाजी विकास, उत्पादन की कीमतों, उपलब्धि, किस्म आदि पर निर्भर होता है। एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं के विकास, ढलाई, गढ़ाई, झलाई तकनीकों, ताप शोधन, धातु परिष्कार तकनालाजी संबंधी शोधों और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं के नूतन, उपयोगों हेतु गहन प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे एल्यूमिनियम के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों में गैर-सरकारी निदेशक

*381. **श्री तम्पन थामस : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में कोई भी गैर-सरकारी निदेशक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें गैर-सरकारी निदेशक नहीं हैं; और

(ग) निदेशक-मंडलों के रिक्त पदों के कब भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 13 बैंकों के निदेशक मण्डलों में कोई गैर-सरकारी निदेशक नहीं हैं। इन 13 बैंकों के नाम हैं : बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, आंध्र बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और न्यू बैंक आफ इण्डिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशक मनोनीत करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात

*382. **श्री डी० पी० जडेजा : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शत-प्रतिशत निर्यात गारंटी पर किन्ही मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात की अनुमति दी है;

(ख) ऐसी अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की नौकाओं का इस्तेमाल इस समय केवल श्रिम्प मछली पकड़ने के लिये किया जा रहा है;

(घ) शत प्रतिशत निर्यात के आधार पर नौकाओं की खरीद पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ङ) उनके मन्त्रालय की इस उदार योजना के द्वारा अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ताजोंद आलम खां) : (क) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत उद्योग मंत्रालयों ने सात मामलों में स्वीकृति पत्र जारी कर दिए हैं जिनमें मत्स्य नौकाओं का आयात भी शामिल है।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(मूल्य लाख रुपये में)

क्रमांक	एकक का नाम	स्वीकृति पत्र सं० और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने की तारीख	मद	पहले ही आयात की गई/अनुमति दी गई मत्स्य नोकाओं का सी आई एक मूल्य	निर्यातों का एफ० ओ० बी मूल्य 5 वर्ष के दौरान अनुमति	अभी तक अनुमति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स सदर्न सी क्राफ्ट लि०, मद्रास	सं० 379 (83)/ ई० ओ० सं० 57 (83)/ आई० एल० दि. 30.5.83	श्रिम्प, प्राउन तथा मछली	200.00 दो जलयान पहले ही आयातित	836.65	1984-85× 8.31 रु० 1985-86 (30.9.85 तक) 27.65 रु०	×पार्टी की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार
2.	मैसर्स लिविस एंड लिविस फिशरीज(आई) प्रा० लि०, बंगलौर	सं० पी०इ०आर० 26 (82)/ ई०ओ०सं० 48 (82)/ एम०आई०एस०सी० दि० 5,8.82.	स्किप-जैक मछली	114.00 एक जलयान पहले ही आयातित	1247.00	——	जलयान आयातित किया गया लेकिन पंजीकरण मंजूर नहीं किया गया। इसलिए कोई उत्पादन/ निर्यात नहीं हुआ
3.	मैसर्स देव फिशरीज प्रा० लि०, बंगलौर	सं० पी० आर० 78 (82)/ ई०ओ०सं० 188 (82)/ एम०आई०एस०सी० दि० 31.12.82	टूना मछली	95.00 एक जलयान। पहले ही आयातित	737.00	——	—वही—
4.	मैसर्स चोला मंडल शिपिंग कं०, लि० मद्रास	सं०पी०इ०आर०: 79 (83)/ इ०आई०सं० 160 (83)/ एम०आई०एस०सी० दि० 15.12.83.	श्रिम्प सहित समुद्री उत्पाद	177.60 अभी आयात नहीं किए गए।	1231,00	——	——

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मैसर्स लींका एक्सपोर्टस (प्रा.) लि० मद्रास।	सं०पी०ई०आर०: 78 (83)/ इ०ओ०सं० 166 (83)/ एम०आई०एस०सी० दि०: 12.12.83.	मछली तथा श्रिम्प, प्राउन	175.00	875.00	— —	— —
6.	मैसर्स सदर्न फार्म फैब्रिकेशन (प्रा०) लि० बंगलौर।	सं०एल०आई०: (84)/ इ०ओ०सं०138 (84)/ आई० एल० दि० : 12.11.84.	सभी किस्म की मछली आदि। दो जलयान। अभी आयात श्रिम्पों नहीं किए के सिर। गए।	179.60	979.80	——	— —
7.	कलेरिअन फिशरीज(प्रा.) लि०, बंगलौर।	सं०एल०आई०: 760 (81)/ इ०ओ०सं० 114 (81)/ आई० एल० दि०: 14.8.81	मछली खाद्य प्रोटीन के अंश आदि सहित।	121:00	381.00	——	— —

स्रोत.स्तम्भ 5 तथा 6 के सामने दी गई जानकारी पार्टियों द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुरूप है।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

*383. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस्पात कारखानों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय सुधार निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष परिवर्द्धन संशोधन और प्रतिस्थापन के लिए कारखानों को धन-राशि आवंटित की जाती है, जो कारखानों का उपयुक्त रख-रखाव तथा उनके कार्यकरण में सुधार करते हैं। "सेल", भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर रही है।

[हिंदी]

नए पर्यटक केन्द्रों का विकास

*384. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिए चुने गये केन्द्रों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में वे कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) बिहार राज्य की समृद्ध, सांस्कृतिक विरासत के कारण बिहार की ओर अपेक्षित ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देवघर, नालन्दा, वैशाली आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक आवास उपलब्ध कराने और इन स्थानों के बारे में पर्याप्त प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) पर्यटक महत्व के मौजूदा केन्द्रों का विकास करना और नए केन्द्रों का अभिनिर्धारण करना पहले से चली आ रही एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दोनों केन्द्र और राज्यों की सरकारें शामिल हैं। पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना मुहय्या कराने या उसमें सुधार लाने के बारे में राज्य सरकारों से स्कीमें और प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उनकी प्राथमिकता तथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए उनपर विचार किया जाता है। अब तक पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटक महत्व के 44] केन्द्र अभिनिर्धारित किए हैं जिनकी सूची सभापटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1758/85**]

(ख) और (ग) विभाग बिहार के विभिन्न केन्द्रों की पर्यटन संभाव्यता का विकास करने की ओर समुचित ध्यान दे रहा है। राज्य के पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए देवघर, वैशाली, वासुकिनाथ, राजगीर, बोध गया, पटना, हजारीबाग और नेत्रहाट में आवास की व्यवस्था की है। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने पटना में एक होटल का और बोध गया में एक यात्री-गृह का निर्माण किया है। पर्यटन विभाग बेतला में एक यात्री-गृह का निर्माण भी कर रहा है। केन्द्र और राज्य दोनों के पर्यटन विभागों ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों द्वारा प्रयोग के लिए बिहार में पर्यटक महत्व के विभिन्न केन्द्रों पर पर्याप्त प्रचार सामग्री का प्रकाशन कराया है।

उत्पाद शुल्क से छूट के पात्र निर्यातोन्मुख उद्योगों का चयन

*386. **श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि बहुमूल्य रत्नों और कम मूल्य के रत्नों, मोती, सिंथेटिक रत्नों, आभूषणों और सोने तथा चांदी से बनी अन्य वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से इस आधार पर छूट दी गई है, कि यह एक निर्यातोन्मुख उद्योग है;

(ख) क्या सरकार ने किन्हीं अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाया है जो उत्पाद-शुल्क से छूट पाने के पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) बहुमूल्य रत्नों और कम मूल्य के रत्नों, मोतियों, बनावटी रत्नों, आभूषणों और सोने तथा चांदी से बनी अन्य धातुओं को उत्पादन शुल्क से छूट अन्य कारणों से भी दी गई है, केवल इस कारण नहीं कि वे नियातोन्मुख उद्योग

के उत्पाद हैं। तथापि, वास्तव में शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं को शुल्क की अदायगी के बिना बंध-पत्र के अधीन अथवा, अन्यथा उत्पादन शुल्क की छूट के दावे के अधीन, निर्यात किया जा सकता है। इसलिए, उत्पादन शुल्क से छूट के प्रयोजनों के लिए निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाने की आवश्यकता का साधारणतया प्रश्न नहीं उठता है।

हस्तनिर्मित कालीन उद्योग में संकट

*387. **श्री जेनुल बशर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को निर्यात की खराब स्थिति होने के कारण देश में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग में संकट आने की जानकारी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी भी है कि भारी मात्रा में माल की निकासी न हो पाने के कारण बड़ी संख्या में करघे बंद पड़े हैं और इससे हजारों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) जी नहीं। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 1985 के दौरान हस्तगठित ऊनी गलीचों के निर्यात 71.09 करोड़ रु० के हुए जबकि 1984 में इसी अवधि के दौरान ये 58.61 करोड़ रु० के हुए थे।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

*388. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, चन्द्रपुर और गडचरोली क्षेत्रों में 182 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पहले से कार्यान्वित क्षमताओं तथा 7वीं योजना अवधि में स्टील सेक्टर में निवेश राशि के प्रावधान को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा कोई नया इस्पात संयंत्र लगाए जाने की कोई संभावना नहीं है।

एशियाई विकास निधि से ऋण

3774. **श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास निधि से ऋण लेने के लिए भारत के आवेदन पर चार वर्ष पुराना गतिरोध अब अन्तिम रूप से टूट गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा आगामी दो वर्षों के लिए 4000 लाख डालर का ऋण लेने के संबंध में दोनों पक्ष अब नरम पड़ गए हैं और उन्होंने एक दूसरे के लिए रास्ते खोल दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन वायदों, जिन पर भारत सरकार, ऋण की मात्रा के संबंध में बैंक के पूर्व वायदों पर जोर देती आ रही है, को उन्होंने स्वीकार कर लिया है; और

(घ) भारत द्वारा ऋण को किस सीमा तक इस्तेमाल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारत को दिए जाने वाले ऋणों को ठीक-ठीक रकम और उनसे वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में एशियाई विकास बैंक के प्रबन्धकों के साथ अभी बात-चीत चल रही है ।

सातवीं योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

3775. **डा० जी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने की आशा है;

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिये कितने परिवार निर्धारित किये गये हैं;

(ग) प्रति व्यक्ति निवेश स्तर ऊंचा करने के लिये कितनी औसत राजसहायता देने का विचार है जिससे कि पर्याप्त आय अर्जित हो; और

(घ) इस कार्यक्रम के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकिंग क्षेत्र को क्या भूमिका सौंपी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 करोड़ हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के लिये राज्यवार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ग) प्रति नये हिताधिकारी को 2000/-रुपये की आर्थिक सहायता देने का सुझाव है ।

(घ) हिताधिकारियों को देय आर्थिक सहायता की रकम, परियोजना परिसम्पत्तियों की लागत के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच होती है । शेष रकम बैंकों से ऋणों के रूप में प्राप्त होती है । हिताधिकारियों को वास्तव में ऋण की राशि का भुगतान करने से पहले, ऋण के मामलों पर कार्रवाई करने तथा ऋण मंजूर करने की जिम्मेदारी बैंकों पर होती है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस

3776. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोनस को आस्थगित वेतन मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को उनका वेतनमान चाहे जो भी हो, बोनस देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक और उत्पादकता मूलक क्षेत्रों, जैसे - रेलवे, डाक, दूर-संचार, रक्षा एककों आदि के कर्मचारियों को उनके अपने अपने संगठनों में लागू उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस योजनाओं के अनुसार बोनस दिया

जाता है। उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस की किसी योजना के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को किसी उचित फार्मूले का विकास किए जाने तक, जिसे उन पर लागू किया जा सके, तदर्थ बोनस दिया जाता है। अतः बोनस अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में बोनस को आस्थगित मजदूरी के रूप में नहीं माना जा सकता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातकों और आयातकों के साथ खुली चर्चा

3778. **श्री आनंद पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बात की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अगस्त, 1985 को आयातकों और निर्यातकों के साथ खुली चर्चा के दौरान भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मर्चेन्ट एक्सपोर्ट हाउस को इस शर्त पर मेन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट हाउस में रहने की अनुमति दी जायेगी कि मूल में उन्हें जिस वर्ग में मंजूरी दी गयी थी वे उसकी वृद्धि दर को पूरा करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आदेश जारी किये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा सार्वजनिक सूचना सं० 45 आई० टी० सी० (पी० एन०) 185-88 दिनांक 4-11-85 में दिया गया है जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

चीथड़ों (पुराने कपड़ों) का आयात और ऊन उद्योग पर इसका प्रभाव

3779. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर चीथड़ों का आयात किया जा रहा है;

(ख) उस ऐजेन्सी का नाम क्या है जिसके माध्यम से इनका आयात किया जाता है;

(ग) इन चीथड़ों का आयात किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और इनका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इन चीथड़ों का उपयोग उद्योग में प्रयोग करने के स्थान पर इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त आयात से देश के ऊन उद्योग पर प्रभाव पड़ा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित आयात किए गए थे :

मात्रा	1982-83	1983-84	1984-85
किग्रा (लाख में)	178.84	267 65	335.20

(स्रोत : आई. डब्ल्यू. एम. एफ., बम्बई)

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए ऊनी चिथड़ों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है।

(ग) ऊनी उद्योग के शाडी क्षेत्र द्वारा ऊनी चिथड़ों का आयात किया जाता है और उन्हें कम्बल, अस्तर, ब्लेजर कपड़ा, टवी इस आदि के बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(घ) तथा (ड) ऊनी चिथड़ों के आयात में अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं। दुरुपयोग को रोकने के लिए चिथड़ों के आयात की नीति में संशोधन किया गया है ताकि ऊनी चिथड़े केवल पूर्व विकृत रूप में आयात किए जा सकें।

बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

3780. **श्री के० एस० राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपात्र कर्जदारों का चयन करने को प्रमुखता देने का है, जो ऋणों का नियमित वापस भुगतान करने के साथ साथ उत्पादन में अधिकाधिक योगदान करें;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों पर निर्भर करने के बजाय गैर-सरकारी व्यक्तियों से लघु बचत के जरिये जमाराशि प्राप्त करने पर जोर देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार परिश्रमी, निष्ठावान और अच्छे परिणाम दिखाने वाले बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन तथा बेईमानी अकुशल और इसी प्रकार के कर्मचारियों को दंड देने का है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उचित प्रकार के ऐसे कार्यकर्ता चुने, जो अधिक उत्पादन कर सकते हों और नियमित रूप से ऋण की किस्तें चुका सकते हों। ऋणकर्ता की साख और ऋण अदा करने की उसकी क्षमता उधार देने के मूल सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अतर्गत अर्थक्षम स्कीमों के लिए ऋण सुलभ करने के निर्देश दिए हैं। बैंक गरीबी हटाने के कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थक्षम स्कीमों के लिए ऋण देते हैं, चाहे प्रति एकक का उत्पादन में वृद्धि हो या नहीं। ऐसे मामलों में भी, अर्थक्षेम परियोजनाओं का ही वित्त पोषण किया जाता है, जिनसे ऋण की नियमित वापसी अदायगी निश्चित हो।

(ख) बैंक सभी वर्गों के जमाकर्ताओं से जमा राशियां जुटाते हैं और जमा खातों में छोटी छोटी बचतों के लिए व्यक्तियों को प्रेरित के लिए कई स्कीमें चलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न वर्गों की जमा राशियों में वृद्धि की प्रगति की लगातार समीक्षा करता है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से बेईमान और असक्षम कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ईमानदारी तथा कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का परामर्श दिया है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशी देशों में व्यापार मेलों का आयोजन

3781. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में आयोजित किये गये व्यापार मेलों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितने मेलों में भाग लिया;

(ग) इन मेलों में भारत द्वारा जीते गये पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है और इन मेलों के परिणामस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि प्राप्त की गई;

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं जिनमें भारतीय वस्तुओं के लिये नये बाजार खोजे गये हैं; पुराने ऐसे कौन से बाजार हैं जहां इन मेलों के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी है और उसके फलस्वरूप प्राप्त वस्तुवार वार्षिक उन्नति दर क्या है; और

(ङ) वे कौन सी भारतीय वस्तुएं हैं जो अन्य देशों में और अधिक लोकप्रिय हो गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 1984-85 के दौरान तीन अनन्य भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित कीं। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का 1985-86 के दौरान विदेशों में चार अनन्य प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है ।

(ख) 1984-85 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने विदेशों में 35 मेलों में भाग लेने की व्यवस्था की। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का 1985-86 के दौरान विदेशों में 35 मेलों में भाग लेने का आयोजन करने का विचार है।

(ग) 1984-85 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय मेला (नवम्बर 1984), काहिरा अंतर्राष्ट्रीय मेला (मार्च 1985) तथा लिपजिग स्प्रिंग मेला (मार्च 1985) में स्वर्ण पदक दिए गए। 1984-85 के दौरान प्रदर्शों की बिक्री 77.13 लाख रु० की रही जबकि बुक किया गया व्यवसाय 35,761.38 रु० का रहा । 1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर 85) के दौरान प्रदर्शों की बिक्री 72.41 लाख रु० की रही और बुक किया गया व्यवसाय 13,647.20 लाख रु० का रहा। इसके अतिरिक्त 150 करोड़ रु० के एक संयुक्त उद्यम पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने पहली बार स्विटजरलैंड, सेशेल्स, आल्वरी कोस्ट, वियतनाम, नीदरलैंड, पुर्तगाल, नेपाल, चीन मोस्को में भाग लेने की व्यवस्था की। जिन पुराने बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है, वे हैं सोवियत संघ, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, फ्रांस, इराक, ईरान, मिश्र, सऊदी अरब, कुवैत आदि। मेलों में भाग लेने के फलस्वरूप व्यापार में मदवार वार्षिक वृद्धि का परिमाण बताना सम्भव नहीं है।

(ङ) उन देशों में जहां पर भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने हाल के वर्षों में भाग लेने की व्यवस्था की बहुत से भारतीय उत्पाद काफी लोकप्रिय हो गए यथा मशीनों, औजार, वस्त्र मशीनरी, हाथ के तथा छोटे औजार, वायवीय औजार, ट्रांसफार्मर, कृषि और खेती के उपकरण, ट्रैक्टर, डीजल इन्जन, पम्प सेट, आटो तथा आटो-पार्टस, बिल्डर्स हार्डवेयर, वैज्ञानिक, शल्य-चिकित्सा तथा औद्योगिक यंत्र, इलैक्ट्रानिक्स माल, सिले-सिलाए परिधान, खेल का सामान, चमड़ा निर्मित वस्तुएं, रासायनिक तथा भेषजीय पदार्थ, प्लास्टिक का सामान, सैनीटरी वेयर तथा फिटिंग्स, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प आदि ।

भारत में ब्रिटेन के बारक्ले बैंक की शाखा खोलना

3782. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के बारक्ले बैंक ने भारत में अपनी एक या अधिक शाखा खोलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी और यह अनुमति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विकास परियोजनाओं के, जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, वित्तपोषण का कार्य इस बैंक को सौंपा जाएगा; और

(ग) भारत-इंगलैण्ड-आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जानर्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बारक्ले बैंक पी० एल० सी० ने, जिसका एक प्रतिनिधि कार्यालय बम्बई में है, अपने प्रतिनिधि कार्यालय को पूर्ण शाखा के रूप में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है । भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक लाइसेन्स नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय भारत में बारक्ले बैंक पी० एल० सी० की प्रस्तावित शाखा द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं से है । चूंकि बारक्ले बैंक पी० एल० सी० को भारत में शाखा खोलने के लिए लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया है, अत: विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में इसके सहयोग का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

प्रत्येक राज्य द्वारा काफी का उत्पादन और इसका निर्यात

3783. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1983-84 और 1984-85 में काफी का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1985-86 के अन्त तक कितना उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी काफी का निर्यात किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि काफी के निर्यात में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) काफी का निर्यात तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;और

(छ) क्या काफी का प्रचार कम कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान काफी उत्पादक राज्यों में उत्पादित काफी की मात्रा एवं वर्तमान वर्ष के लिए अनुमान नीचे दिये अनुसार हैं :—

(मे० टन में अनुमान)

राज्य	1983-84	1984-85	1985-86
कर्नाटक	79335	127990	96000
केरल	9555	46880	28500
तमिलनाडु	15515	14485	15500
आंध्र प्रदेश	530	475	—
अन्य राज्य	65	170	—
कुल उत्पादन	105000	190000	140000
निर्यात	71109	67649	58074
			(अप्रैल से अक्तूबर 85)

(ग) से (च) 83-84, 84-85 के दौरान लगातार सूखे की वजह से उत्पादन में कमी होने के कारण निर्यात दुष्प्रभावित हुए। काफी बढ़ी हुई मात्राओं की संविदाएं 85-86 में कर दी गई हैं और 93000-100,000 मे० टन तक के निर्यात होने की सम्भावना है।

काफी बोर्ड कई विकास ऋण एवं उपदान योजनाएं कार्यान्वित करता है। इसके अतिरिक्त देश में काफी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने बीज-गुणन एकक, काफी प्रदर्शन फार्म, अनुसन्धान फार्म, चलते फिरते मिट्टी परीक्षण एकक आदि खोले हैं।

(घ) जी नहीं। इन्स्टेंट काफी बनाने की क्षमता में वृद्धि होने से आशा है कि काफी की खपत बढ़ेगी। काफी बोर्ड को घरेलू काफी खपत को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाने की भी सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं खोलना

3784. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक हिमाचल प्रदेश में अनेक जिलों के लिए एक अग्रणी बैंक है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के क्या नाम हैं और उक्त प्रत्येक जिले में पंजाब नेशनल बैंक की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या राज्य में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु काफी प्रस्ताव भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान जिला-वार कितनी शाखाओं के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के लिए पंजाब नेशनल बैंक की अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। वर्तमान में इन जिलों में बैंक की शाखाओं की संख्या दी गई है :—

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1. हमीरपुर	17
2. कांगड़ा	24
3. किन्नौर	3
4. कुल्लु	8
5. मंडी	12
6. ऊना	12

(ग) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि इसने हिमाचल प्रदेश में 3 केंद्रों पर शाखाएं खोलने के लिए आवेदन किया है और इन केन्द्रों की मंजूरी की प्रतीक्षा है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न केन्द्रों पर बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति दिए जाने पर राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए केंद्रों की भेजी जाने वाली सूची के आधार पर शाखा लाइसेंसिंग नीति के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। 1-1-1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जितने लाइसेन्स मंजूर किए गए उनका ब्यौरा इस प्रकार है : —

जिले का नाम	मंजूर किए गए लाइसेंसों की संख्या
1. हमीरपुर	7
2. कुल्लु	1
3. ऊना	4
4. बिलासपुर	2
5. शिमला	2

अमृतसर को पर्यटक केन्द्र के रूप में मान्यता

3785. **श्री तेजा सिंह दर्दी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के महत्व को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को आकर्षिक करने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। अमृतसर भारत के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों में से है।

(ख) विदेशों में पर्यटक भेजने वाली महत्वपूर्ण मार्किटों में भारत के पर्यटक केन्द्रों का सम्वर्धन एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य पर्यटन विभाग के सामान्य कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग है। अमृतसर को हमारे पर्यटन ब्रोशरों और प्रचार सामग्री में प्रमुख रूप से सम्मिलित किया है।

आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर में खनिज सम्पति के लिये सर्वेक्षण

3787. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में भूमिगत खनिज सम्पत्ति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र का (1) खनिज पदार्थों और (2) भू-जल के लिए सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि ऐसा सर्वेक्षण पहले किया जा चुका है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनिजों की खोज लगातार चलने वाला कार्य है तथा प्रदेश के अनन्तपुर जिले में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा आंध्र प्रदेश भूतत्व एवं खनन निदेशालय, द्वारा खोज की जा रही है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने भी समूचे अनन्तपुर जिले में जल सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

(ग) खनिज खोजों के लिए अब तक के सर्वेक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित भण्डार होने का अनुमान है :

खनिज	भण्डार
स्वर्ण	2.588 मि० टन (5.6 ग्राम स्वर्ण/टन)

हीरा	वज्रकरुर क्षेत्र में स्थित 6 हीरायुक्त किम्बरलाइट पाइप, हीरा तत्व बहुत कम।
लौह अयस्क (हेमेटाइट)	7.54 मि० टन
चूनापत्थर	0.90 मि० टन
डोलोमाइट	0.018 मि० टन
चायनाक्ले	1016 टन
स्टेटाइट	1.58 मि० टन
सिलिका सैंड	2817 टन

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने अनन्तपुर जिले में 1378 मि० घन मीटर सालाना प्रयोग योग्य भू-जल स्रोतों का अनुमान लगाया है।

वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

3788. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री सोमनाथ रथ } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक कितनी ऐसी नई शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) ये शाखा खोलने के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम रूप दिया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 17 हजार की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय हो और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में बड़ी-बड़ी स्थानिक दूरियों को कम किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से विभिन्न खंडों में बैंक रहित स्थानों का पता लगाने के लिए कहा है। उड़ीसा में और अधिक शाखाएं खोलने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार से केन्द्रों की सूची प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। पहली जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 45 और कार्यालय खोले। अलबत्ता, चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। [हिन्दी]

हीरे के भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहन

3789. **श्री आर०एम० भोये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार गृह हीरे के व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बताया जाता है कि डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी अपरिष्कृत हीरों के खनन तथा विपणन के काफी भाग का नियंत्रण करती है। तराशे तथा पालिश किए गए हीरों के लिए ऐसी कोई व्यापारिक कम्पनी नहीं है।

(ख) से (घ) तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात को बराबर प्रोत्साहन दिया जाता है। ओ जी एल के अन्तर्गत अत्यावश्यक उपस्कर तथा औजारों के आयात की सुविधा, बहुत से अत्यावश्यक उपस्करों तथा औजारों पर आयात शुल्क में कमी तथा विदेशी बाजारों को प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित करना हीरों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कतिपय उपाय हैं।

[अनुवाद]

कमजोर और अतिसंवेदनशील वर्गों के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार की योजनाएं

3790. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त खाद्य भण्डार को ध्यान में रखते हुए समाज के कमजोर और अतिसंवेदशील वर्गों के व्यक्तियों का जीवन स्तर सुधारने के लिये तीन और योजनायें शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) ये योजनायें किन अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर, इन स्कीमों को व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाएगी अर्थात् कल्याण विभाग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में रहने वाले लोगों को इमदादी दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति से सम्बन्धित स्कीम की व्यवस्था करेगा; महिला कल्याण विभाग युवा बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्ताओं की वृद्धि करने से सम्बन्धित स्कीम की व्यवस्था करेगा; ग्रामीण विकास विभाग खाद्यान्नों के अभिवर्धित आबंटन के माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के विस्तार से सम्बन्धित स्कीम की व्यवस्था करेगा। क्षेत्रीय स्तर पर, ये स्कीमें राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।

नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में रिवाल्विंग टावर रेस्तरां

3791. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में रिवाल्विंग टावर रेस्तरां का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया था और इस परियोजना पर लगभग 15 लाख रुपये का व्यय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा किये जाने से अशोक होटल की बिक्री समर्थता और लाभ बढ़ जायेगा तथा अशोक ग्रुप की ख्याति में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1967-68 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अशोक होटल, नई दिल्ली में एक रिवा ल्विंग टावर रेस्तरां बनवाने की एक परियोजना पर 12.08 लाख रुपये का खर्च किया गया था। संसाधनों पर प्रतिबंध और पारस्परिक प्राथमिकताओं के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के लिए इस परियोजना का निर्माण पूरा करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अशोक होटल में मौजूदा फूड आउटलेट्स अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समुचित समझे जाते हैं।

काले धन के नियंत्रण के लिये भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के सुझाव

3792. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने काले धन के नियंत्रण और देश को स्वस्थ व्यापार संतुलन सुनिश्चित करने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संघ के सुझावों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें किसी सीमा तक स्वीकार किया गया है;

(घ) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार को विश्वास है कि सुझाये गये उपायों से देश में काले धन का बढ़ना रुक जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मंत्रालय को काले धन के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिंदी]

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमियों को ऋण

3793. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे उद्यमियों को शीघ्र और आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र मिं औरलें उनमें से विभिन्न बैंकों में अब तक ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनकी जांच की जा चुकी है और जिन पर ऋण दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के नाम समय समय पर ऐसे दिशा-निर्देश जारी करता रहता है जिससे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि लघु उद्योग एककों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अग्रिम जल्दी मंजूर किए जा सकें और आसानी से उपलब्ध कराए जा सकें। कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश ये हैं :—

(1) बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी लघु उद्योग ऋणकर्ताओं तथा छोटे उद्यमियों के लिए मानक किस्म के एक जैसे आवेदन पत्र और इन्टरव्यू एवं मूल्यांकन फार्मों का इस्तेमाल करें। ये फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएं; (2) ऋण सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां दी जाएं ताकि वे शाखा स्तर पर ही ऋण सम्बन्धी अधिकांश निर्णय ले सकें; (3) 25,000 रुपए तक की ऋण सीमाओं के सभी आवेदन पत्र एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25, 000 रुपए से अधिक ऋण सीमाओं वाले आवेदन-पत्र प्राप्ति की तारीख से 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए; (4) ऋण प्रस्तावों पर विचार करते समय बैंकों को परियोजना की अर्थक्षमता, आवेदक के कौशल/अनुभव/ ईमानदारी और काम अथवा कारोबार की व्यवस्था करने की योग्यता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और केवल उन मूर्त प्रतिभूतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि ऋणकर्ता उपलब्ध करा सकते हैं। सांपार्श्विक प्रतिभूत/गारंटी के अभाव में, किसी उपयोगी प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जिन मामलों में सांपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जाती है, उनमें प्रभार का निर्माण पंजीकृत बंधक के बजाय सामान्य पूर्ण बंधक द्वारा किया जाना चाहिए ताकि ऋणकर्ताओं को स्टाम्प/रजिस्ट्री का खर्च वहन न करना पड़े; (5) मार्जिन सम्बन्धी अपेक्षाओं के बारे में बैंकों को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मार्जिन राशि की शर्त आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में लागू की जाने देनी चाहिए और ऋण परिचालनों के प्रारम्भ में ही मार्जिन राशि प्रस्तुत किए जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न से जिस प्रकार के आंकड़े मांगे गए हैं, बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, वैसे आंकड़े प्राप्त नहीं होते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में चिराला में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

3794. **श्री सो० सम्बु :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण आदि जैसी हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में चिराला में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यालय कब खोला जायेगा; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आयकर विभाग, दिल्ली में आयकर के अनिर्णीत मामले

3795. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग, दिल्ली में 1 अप्रैल, 1985 को प्राप्त वास्तविक विवरणियों तथा एम० पी० आर० के अनुसार अनिर्णीत मामलों की रेंज-वार कुल संख्या कितनी थी;

(ख) आयकर विभाग, दिल्ली में 1 अप्रैल, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार रेंज-वार प्राप्त विवरणियों की संख्या कितनी है;

(ग) सहायक आयुक्त, आयकर अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा अलग-अलग अप्रैल से अक्तूबर, 1985 तक रेंज-वार उपरोक्त (क) और (ख) में से कितने मामलों में आयकर-निर्धारण का काम पूरा किया गया;

(घ) 1 नवम्बर, 1985 को रेंजवार वास्तव में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे; और

(ङ) क्या आयकर विभाग, दिल्ली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 125 (1) (ख) के अन्तर्गत सभी रेंजों के निरीक्षकों को अनिर्णीत मामलों में कर निर्धारण का काम समय पर पूरा करने के लिये अधिसूचित किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास को खनिज और धातु व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी बनाने का प्रस्ताव

3796. **श्री नारायण चौबे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** राष्ट्रीय खनिज विकास को खनिज और धातु व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी बनाने के प्रस्ताव के बारे में 26 अप्रैल, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने निर्णय से पीछे हट गई है और इस किस्म के विलयन या इसे नया रूप देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे संबंधित सभी पार्टियों को विश्वास में लिया गया और उनसे बातचीत की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जब कभी सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो सभी संबंधित पार्टियों के विचार जान लिए जाते हैं।

खनिज और धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के 40 सूत्री रोस्टर में संवर्ग-वार ब्यौरा

3797. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति में 40 सूत्री रोस्टर लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1982 से 1984 के वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार और संवर्ग-वार सामान्य उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नत किए गए कुल उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों की रिक्तियों का पिछला बकाया अभी भी है तथा 1982 से 1984 के दौरान प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1982 से 1984 के दौरान कार्यालय प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारी और उससे ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार का कोई पद समाप्त होने दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या पदों के अनारक्षण के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण

3798. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए अगस्त, 1983 में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1985 तक कितने लोगों को ऋण मंजूर किए गए थे और कितने लोगों को ऋण वितरित कर दिए गए हैं; और

(ख) मंजूर किए गए ऋणों की शेष धनराशि के वितरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):(क) और (ख) मार्च 1985 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 36851 मामले मंजूर किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश मामलों में 1983-84 के लिए स्वीकृत ऋणों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 1984-85 के लिए दिनांक 15 जुलाई, 1985 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने मंजूर किए गए 18065 मामलों में से 7249 मामलों में ऋणों की राशि का भुगतान कर दिया है। बैंकों से बाकी बचे मामलों में जल्दी भुगतान करने के लिए कह दिया गया है।

[अनुवाद]

हीराकुड में रि-रोलिंग मिल के लिए "बिलेट्स" की सप्लाई

3799. **श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, हीराकुड भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और "टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी" से "बिलेट्स" की अपनी पूरी आवश्यकता की सप्लाई प्राप्त करने में गंभीर समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में हीराकुड स्थिति औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध के अधीन अन्य उद्योग से "बिलेट्स" की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को 5,500 टन बिलेटों का आयात करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अप्रैल से अक्तूबर, 1985 के दौरान उन्हें आंतरिक स्रोतों से लगभग 3,300 टन पुनर्वेलन योग्य बिलेट, ब्लूम और स्लेब प्राप्त हुए हैं। हीराकुड में औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध के अधीन अन्य कोई उद्योग नहीं है जो इस पुनर्वेलन मिल को बिलेट सप्लाई कर सके।

भारत और चीन के बीच व्यापार समझौता

3800. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच हाल ही में किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीमा संबंधी मामले का हल पहली शर्त है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत गणराज्य तथा चीन जनवादी गणराज्य सरकारों ने 23 नवम्बर ,1985 को एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) संलेख में 1986 के दौरान लगभग 100-160 मिलियन अमरीकी डालर के कुल मूल्य की वस्तुओं के आदान प्रदान की व्यवस्था है। यह पहली जनवरी 1986 से प्रभावी होगा संलेख में सूचि बद्ध मदें तथा मात्राएं निदर्शी है।

(ग) संलेख केवल व्यापार मामलों से सम्बन्धित है।

जर्मन संघीय गणराज्य के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1985 के लिए नियत की गई धनराशि

3801. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष, 1985 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन परियोजनाओं को चुना गया है और उनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):(क) भारत जर्मन संघीय गणराज्य के बीच सम्पन्न द्विपार्शिक तकनीनिकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985 के लिए 300 लाख ड्यूशमार्क (लगभग 12 करोड़ रुपए) की राशि की व्यवस्था के लिए वचनबद्धता की गई है:—

(ख) इस राशि की वचनबद्धता निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए की गई है:—

परियोजनाएं	लाख ड्यूशमार्क
अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर और वाराणसी में टूल रूप आई० आई० टी० मद्रास में कम्प्यूटर सुविधा का आधुनिकीकरण	134
धातुकर्मक इंजीनियरी विभाग/आई० आई० टी० मद्रास में सामग्री परीक्षण सुविधाओं का विस्तार और उनको सुदृढ़ बनाना	55
नव विशेषज्ञ निधि (चरण–V)	33
विपणन अध्ययन सहित डोरानियर सौरतापीय वाटर पंप का परीक्षण	28
परियोजना मूल्यांकन	15
परियोजना विस्तार	10
टूल रूप प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	5
हाइड्रालिक खनन गोपालीचफ	20
जोड़	300

जापान के लिए व्यापार और उद्योग दल का गठन

3802. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के हाल ही के जापान के दौरे के दौरान उनके साथ व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 सदस्यों का दल गया था;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिनके प्रतिनिधि दल में शामिल थे;

(ग) क्या चीनी उद्योग के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। भारत जापान व्यापार सहकारी समिति की संयुक्त बैठक के लिए, जो प्रधान मन्त्री द्वारा सम्बोधित की गई थी, व्यापार तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला 34 सदस्यों का एक दल जापान में था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री के लिये विदेशी सामान की खरीद करने संबंधी नीति

3803. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या संसदीय और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने देश में अपनी विभिन्न कर/शुल्क मुक्त दुकानों पर बेचने के लिए विदेशी सामान की खरीद के बारे में क्रय नीति तैयार की है और मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख)

(1) ऐसे उत्पादों की बिक्री से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृतियों के मूल्यांकन के आधार पर निगम इन उत्पादों को सीधे उत्पादनकर्ताओं या उनके विपणन अभिकरणों/ प्राधिकृत वितरकों से हासिल करता है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क मुक्त दुकानों पर स्टाक समाप्त न हो जाए।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगम की निधियां अनावश्यक रूप से ब्लाक न हो जाएं।

(4) बढ़िया क्वालिटी, दरमियाने स्तर और सस्ती कीमत वाले उत्पादों के मिश्रण को शामिल करते हुए सर्वोत्तम माडल और तेजी से बिकने वाली मदों का चयन करना।

(5) उत्पादों, उनके स्वरूप, यात्राओं, डिलीवरी के शेड्यूल्ड, आदि के सभी मांगपत्र आई० पी०एस०प्रभाग द्वारा सामग्री रख-रखाव और विकास (एम एम एंड डी) प्रभाग को काफी समय पहले भिजवा दिए जाएंगे; और

(6) एम एम एंड डी प्रभाग यह सुनिश्चत करेगा कि सामान विशिष्टियों के मुताबिक और निर्धारित टाइम शेड्यूल के अंतर्गत प्राप्त हो जाए ।

भारत के पर्यटक मानचित्र में अजन्ता और एलोरा की गुफाओं को शामिल करना

3804. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अजन्ता और एलोरा की गुफाओं को भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक मानचित्र में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन से है; और

(घ) उस राज्य में अभिज्ञात पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के ०एल० भगत) : (क) और (ख) अजन्ता और एलौरा पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के पर्यटक मानचित्र "राइट प्लेस" में शामिल हैं ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में, राज्य सरकार के परामर्श से अभिनिर्धारित किए गए, महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र ये हैं :—बम्बई पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद (अजन्ता और एलौरा), नासिक, मुरूड/जंजीरा, गणपतिफुले, वेंगुर्ला, नागपुर, रामटेक, वर्धा (सेवाग्राम), चन्द्रपुर (तड़ोबा नेशनल पार्क) । इन केन्द्रों को राज्य, केन्द्र और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा विकसित किया जा रहा है । राज्य सरकार अभिनिर्धारित किए गए केन्द्रों के लिए परिवहन सुविधाएं, परिचालित दौरे, आवास सुविधाएं तथा अन्य पर्यटक आधार-संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर रही

है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने एलिफेंटा जैटी को सुदृढ़ करने और अजन्ता फुट-हिल्स के विकास के लिए धनराशियां मंजूर की हैं।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों के बीच निर्यात कोटा आवंटन सम्बंधी नीति की पुनरीक्षा

3805. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों के बीच कोटा आवंटन सम्बन्धी वर्तमान नीति से बंगलौर तथा देश के अन्य भागों में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातक परेशान हो गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान नीति मन्जूर शुदा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के विरुद्ध जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों के हित में अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद की सिफारिशों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही नीति तैयार की गई है। परिषद की कई सिफारिशों के आधार पर बाद में कुछ संशोधन भी दिए गए हैं।

विश्व बैंक ऋण

3806. **श्री राधाकांत डिगाल**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विश्व बैंक से चालू वित्त वर्ष के लिए कितनी राशि की मांग की है;

(ख) क्या विश्व बैंक सरकार द्वारा मांगी गई ऋण की राशि मन्जूर करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक से कितनी राशि का ऋण उपलब्ध होने की आशा है; और

(घ) विश्व बैंक से किस प्रयोजन के लिए ऋण की मांग की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विश्व बैंक का ऋण देने का कार्यक्रम उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजटों पर आधारित होता है और देशवार आवंटन बैंक के ऋण देने के मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। बैंक के राजकोषीय वर्ष, 1986 (पहली जुलाई, 1985 से 30 जून 1986 तक) के सम्बन्ध में भारत सहायता संघ (कंसार्शियम) की बैठक में बताई गई बैंक समूह सहायता की राशि 250 करोड़ अमेरिकी डालर है। सहायता की वास्तविक राशि बैंक समूह धनराशियों की उपलब्धता और परियोजना की तैयारी तथा उसकी प्रगति की स्थिति पर निर्भर करती है।

(घ) विश्व बैंक से ऋण कृषि, विद्युत, सिंचाई, नगर विकास और जलपूर्ति, उर्वरक कोयला, दूरसंचार, निर्यात विकास और सामाजिक क्षेत्रों की परियोजना के लिए मांगे जाते हैं।

इंडियन सोप एंड टायलेटीज मेकर्स से अभ्यावेदन

3807. **मोती लाल सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को टायलेट साबुन को आयकर अधिनियम, 1961 की 11व अनुसूची से निकालने के लिए इंडियन सोप एंड टायलेटीज मेकर्स एसोसिएशन, बम्बई से 3 दिसम्बर 1984 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या टायलेट साबुन को बहुत अधिक लोगों के उपभोग का तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला उत्पाद समझा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या "साबुन" को आयकर अधिनियम, 1961 की 11वीं अनुसूची के क्रमसंख्या 4 से निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इंडियन सोप एंड टाइलेट्रीज मेसर्स एसोसिएशन, बम्बई से दिनांक 3 दिसम्बर, 1984 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें "प्रसाधन साबुन" को आयकर अधिनियम, 1961 की ग्यारहवीं अनुसूची में से निकालने की बाबत निवेदन किया गया है।

(ख) अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं की सूची में से "प्रसाधन साबुन" को निकालना जाना चाहिए ताकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32-क तथा 80-झ के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों से प्रसाधन साबुन के निर्माताओं को वंचित न रखा जा सके। सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है।

(ग) उपभोक्ता की स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूकता होने के कारण प्रसाधन साबुन अनिवार्य उपभोक्ता उत्पाद माना जाता है, इसलिए प्रसाधन साबुन का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिंदी]

ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

3908. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तराखंड के चमोली तथा पौड़ी जिलों में अलकनंदा ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैंक की इन शाखाओं में नौकरियों में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में अब तक खोले गये ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं में नौकरियों में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में चल रहे भगीरथ ग्रामीण बैंक में श्रेणी–एक, श्रेणी–दो तथा श्रेणी–तीन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो सीतापुर जिले के निवासी नहीं हैं; और

(ङ) यदि अन्य जिलों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अलकनंदा ग्रामीण बैंक की स्थापना 31 अगस्त, 1985 को की गई थी और 11 दिसम्बर, 1985 तक ग्रामीण बैंक ने कोई शाखा नहीं खोली है।

(ख), (ग) और (घ) शुरू में अधिकारियों को छोड़कर जो राज्य के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं, के सभी कर्मचारी, इन बैंकों के कार्य क्षेत्र से नियुक्त किए जाने होते थे। बैंकों के कार्य क्षेत्र से उपयुक्त उम्मीदवार मिलने में बैंकों को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह कहा है कि सभी संवर्गों की भर्ती संबंधित राज्य के किसी भी भाग के उम्मीदवारों से कर ली जाए। अलबत्ता, जूनियर क्लर्क कम-कैशियर जैसे छोटे से छोटे पदों के लिए उस जिले की, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित हो, भाषा/बोली का अच्छा ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए।

(घ) बैंक द्वारा नियुक्त किए गए 716 कर्मचारियों में से 31 कर्मचारी सीतापुर के नहीं हैं। इन कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

शाखा प्रबन्धक	106
क्षेत्रीय पर्यवेक्षक	47
क्षेत्रीय सहायक	5
आशुलिपिक	1
जूनियर क्लर्क-कम-कैशियर	159

[अनुवाद]

उद्योगों को इस्पात की समय पर सप्लाई

3809. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात प्रयोक्ता उद्योगों ने अपने उद्योगों के लिए इस्पात की समय पर सप्लाई का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सप्लाई में विलम्ब के कारणों की जांच करने और उपचारी कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट के लिए पुनरावृत्ति न हो ?

इस्पात, खान और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, जिसमें सरकारी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, के उपभोक्ताओं को सामग्री की सुगम सप्लाई पर संयुक्त संयंत्र समिति और एक उच्च स्तरीय

समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। अन्य उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के आधार पर सामग्री का आवंटन किया जाता है। और जहां देशीय सप्लाई अपर्याप्त होती है, वहां आयात करने की अनुमति देकर उपचारी कदम उठाए जाते हैं।

दिल्ली में मूल्यों में वृद्धि

3810. **डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1984 और 1985 में दिवाली से दिवाली तक आम घरेलू वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ("इकानामिक टाइम्स", 18 नवम्बर, 1985); और

(ख) यदि हां, तो बहुत अच्छी फसल और आयात के बावजूद मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा बाजार मूल्यों के संबन्ध में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 25.10.1984 से 14.11.1985 के बीच गेहूं और चावल की नियंत्रित दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथापि चीनी की दर में 10 प्रतिशत की दर में वृद्धि हुई। चावल, चना, गुड़, चीनी, काजू और वनस्पति के थोक/खुदरा मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई जबकि गेहूं, उड़द, मूंग, सरसों का तेल, जिंजली का तेल और धुलाई के साबुन की कीमतों में कमी आई ।

सरकार मूल्य स्थिति पर सतर्कता पूर्वक नजर रखे हुए है और उसने पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, राजकोषीय अनुशासन को लागू करना और प्रणाली में कुल नकदी (लिक्विडिटी) को नियंत्रण में रखना शामिल हैं।

कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए रुई के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना

3811. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया**
श्री बाला साहेब विखे पाटिल } : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के आयात से उसके मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है; जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी कपास उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो देश के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रुई का आयात बंद करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रुई निगम को निदेश दिये गए हैं कि जहां कहीं कीमतें समर्थन कीमत से नीचे गिर जाती हैं वहां कीमत समर्थन कार्य करें। तथापि, निगम महाराष्ट्र में कार्य नहीं करती जहां रुई उपजकर्ताओं की देखरेख एकाधिकार वसूली योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। वर्तमान मौसम के दौरान सरकार ने रुई की पर्याप्त मात्रा निर्यात के लिए भी रिलीज की हैं।

(ग) चालू मौसम के दौरान रुई आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी०ए० बी०ओ०) लिमिटेड कलकता द्वारा खरीदे गए प्रदूषण रोगी उपकरणों का उपयोग करना

3812. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० वी० ए० वी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भारी संख्या में खरीदे गए प्रदूषण-रोधी उपकरण बेकार पड़े हैं और उन्हें विभिन्न एककों में अभी तक लगाया नहीं गया है;

(ख) क्या इन्हें सहायक तथा धारक कम्पनी दोनों के ही तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर खरीदा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस कम्पनी/संगठन का ब्यौरा क्या है जिसने इन उपकरणों को सप्लाई किया था; और

(घ) इन उपकरणों का शीघ्र उपयोग करने के लिए और आगे कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है और यदि कोई तकनीकी कमियां रह गई थीं तो सहायक तथा धारक कम्पनी दोनों के ही उन सभी विशेषज्ञों जिन्होंने इन उपकरणों को प्राप्त करने का सुझाव दिया था, के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) प्रदूषण-रोधी उपकरणों के खरीदे गए 3600 यूनिटों में से 609 यूनिट राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० वी० ए० वी० ओ०) लि० के अधीन मिलों में प्रस्थापित किए गए हैं। शेष यन्त्र उपयोग में नहीं लाए जा रहे।

(ख) ये खरीदारियां एन० टी० सी० (डब्ल्यू वी० ए० वी० ओ०) के बोर्ड आफ डाइरेक्टरर्स के अनुमोदन से की गई। नियन्त्रक कम्पनी का अनुमोदन नहीं लिया गया था।

(ग) वातावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एन० टी० सी० (डब्ल्यू० वी० ए० वी० ओ०) लि०, कलकत्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० से 91.18 लाख रुपये की लागत के 3600 ऐसे यन्त्र खरीदे थे।

(घ) अनुषंगी निगम यथासम्भव सीमा तक इन उपकरणों की मिलों में डीजल जनरेटिंग सेट रूमों, कैंटीन आदि में प्रयोग करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी कुछ यूनिटों को वापस लेने के लिए कहा गया है। अधिकारी जो उपरोक्त उपकरण की खरीद के समय निदेशक (तकनीकी) था, अब एन० टी० सी० में सेवारत नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कोटा भरने में गिरावट

3813. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कोटा भरने में गिरावट के बारे में 21 अगस्त, 1985 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री ऐच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संसदीय कार्य विभाग को पहले ही भिजवाई जा चुकी है। रिपोर्ट लोक सभा पटल पर 19.12.85 को रखी जाएगी।

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में विभिन्न राज्यों में कर राजस्व की वसूली

3814. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में विभिन्न राज्यों में उनके अपने साधनों से कर राजस्व के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण-सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(करोड़ रुपये)

	(1982-83 (लेखा)	1983-84 (संशोधित अनुमान)
1. आन्ध्र प्रदेश	808.39	1031.73
2. असम	108.35	123.69
4. बिहार	381.48	466.52
4. गुजरात	763.03	875.49
5. हरियाणा	366.68	403.04
6. हिमाचल प्रदेश	47.89	55.11
7. जम्मू-कश्मीर	61.89	71.44
8. कर्नाटक	674.10	798.09
9. केरल	438.35	504.34
10. मध्य प्रदेश	558.25	628.60
11. महाराष्ट्र	1647.98	1745.69
12. मणिपुर	4.11	5.20
13. मेघालय	7.37	7.30
14. नागालैंड	6.48	7.57
15. उड़ीसा	173.62	208.18
16. पंजाब	490.47	543.11
17. राजस्थान	389.47	430.02
18. सिक्किम	3.35	3.51
19. तमिलनाडु	1011.53	1131.37
20. त्रिपुरा	6.13	6.96
21. उत्तर प्रदेश	929.30	990.30
22. पश्चिम बंगाल	637.88	787.36
जोड़	9486.07	10824.52

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की बचत लेखा प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिकूल टिप्पणियां

3815. **श्री राज कुमार राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की बचत संबंधी लेखा प्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) क्या यह सच है कि पूंजी निवेशकों को धनराशि वापस नहीं दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो कर्मचारियों और निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक ने "महाराष्ट्र सेविंग्स" नामक मालिकाना हक वाली संस्था की, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई तथा प्रशासनिक कार्यालय नई दिल्ली में है, लेखा-प्रणाली पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय तीन-ग के उपबंधों के अनुसरण में, अनिगमित निकायों पर, कुछ निर्दिष्ट संख्या से अधिक जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक तन्त्र का निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक तन्त्र बनाने के लिये पहले ही कह दिया है।

कुछेक शिकायतें मिलने पर, जिनमें "महाराष्ट्र सेविंग्स" द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वे शिकायतें महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं। इसी बीच "महाराष्ट्र सेविंग्स" ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय तीन-ग की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

[अनुवाद]

डा० एस० आर० सेन समिति की रिपोर्ट

3816. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन के चेयरमैन डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने समिति की सिफारिशों को, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर नवम्बर 1983 में पूर्वी क्षेत्र में कृषि विकास की समस्याओं की जांच करने के लिए डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में कृषि विकास को तेज करने के लिए बड़ी संख्या में नलकूपों और पम्पसैटों की व्यवस्था, जल निकासी तथा जल प्रबन्ध तकनीकों में सुधार, उन्नत ऋण व्यवस्था, अनुसंधान और विस्तार, बिजली, विपणन और भण्डारण के लिए बेहतर व्यवस्था और ग्राम उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेज दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक ये प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

नेल्लौर जिले में स्टेट बैंक आफ इंडिया की पोडालाकुरु शाखा में धोखाधड़ी का मामला पकड़ा जाना

3817. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव**
श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि आंध्रप्रदेश के नेल्लौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पोडालाकुरु शाखा में 95.83 लाख रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) जिम्मेवार पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी पोडालाकुरु कृषि विकास शाखा ने 23 गांवों के किसानों को कुल मिलाकर 95.83 लाख रुपए के 753 ओवरड्राफ्टों की मंजूरी दी थी। प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि ये ओवरड्राफ्टों केवल उन किसानों को दिए गए थे जो अपनी उस जमीन/घरों के लिए मुआवजे के पात्र थे जिसके "तेलगू गंगा परियोजना" के अंतर्गत पानी में डूब जाने की संभावना है। यह भी पता चला है कि ये किसान अन्य स्थानों पर जायदाद खरीदकर और कीमतों के बड़ी तेजी से बढ़ने की प्रत्याशा में वैकल्पिक आर्थिक धंधे शुरू करके उस समय अपना पुनर्वास करना चाहते थे जब सरकार उन्हें उस इलाके में मुआवजे के रूप में एक समय में काफी रकम अदा कर दे। शाखा प्रबंधक ने उन्हें इस आश्वासन पर वित्तीय सहायता दी थी कि वे उन्हें दिए गए ओवरड्राफ्टों की रकम का समायोजन करने के बाद मुआवजे की रकम बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक ने इन ओवरड्राफ्टों की रकम वसूलने के उपाए किए हैं। इनमें से 4.78 लाख रुपए की राशि नकद वापस अदा की जा चुकी है। 230 खातों के संबंध में 23.08 लाख रुपए की कुल रकम बैंकों की सामान्य ऋण योजनाओं के अंतर्गत कृषि अग्रिमों के रूप में बदल दी गई है। फिलहाल, शेष ओवरड्राफ्ट खातों में 60.93 लाख रुपए की रकम बकाया है बैंक ने यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है और ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिम्मेदारी के पहलू पर विचार किया जाएगा।

भारतीय कम्पनियों में विदेशी शेयरधारिता

3818. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डनकन ग्रुप और युनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप जैसे प्रसिद्ध व्यापारिक कम्पनियों ने सी० ई० ए० टी० (सीट), डनलप और बेकलाइट हाईलम जैसी आदि भारतीय कम्पनियों में विदेशी शेयरधारिता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सौदा कनूनीतौर पर वैध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने सीएट टायर्स आफ इंडिया लिमिटेड के 100 रुपया प्रति शेयर मूल्य के 58776 शेयरों को सीएट इंटरनेशनल एस० ए० द्वारा, सर्व श्री हर्ष वर्धन गोयनका (29,888) तथा संजीव गोयनका (29,388) को 204 रुपये प्रतिशेयर के मूल्य पर बेचने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक को, सीएट, डनकन एण्ड बेकलाइट हाइलम लिमिटेड की विदेशी शेयरधारिता को डनकन एण्ड यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

3819. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के श्रमिकों को निगम के प्रबन्ध में भागीदारी देने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलों में श्रमिकों की भागीदारी योजना शुरू नहीं की गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में जहां भी श्रमिकों को भागीदारी दी गयी है, वहां प्रबन्धकों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही न की गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 123 वस्त्र मिलों (कार्यचालन में) में से 52 मिलों में प्रबन्ध समितियों ने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को सम्मिलित कर लिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय व्यापार दल की मलयेशिया की यात्रा

3820. **श्री टी० बालागौड़** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापार दल ने सितम्बर, 1985 में मलयेशिया की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान क्या बातचीत हुई; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(क) वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय व्यापार संवर्धन प्रतिनिधि मण्डल ने मलयेशियाई प्राधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किये जिनमें द्विपक्षीय व्यापार के विभिन्न पहलू शामिल थे। इन विचार विमर्शों के अन्तर्गत मलयेशिया के हक में, अब तक, व्यापार में असन्तुलन को ठीक करने के उद्देश्य से एक अधिक सन्तुलित ढंग से व्यापार के विस्तार के उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

(ग) मलयेशियाइयों को द्विपक्षीय व्यापार संबंधी हमारी परिस्थितियों की बेहतर जानकारी है और उन्होंने व्यापार में असन्तुलन को ठीक करने के लिए कारगर कदम उठाने की सहमति व्यक्त की।

"शिप स्कटलिंग फ्राड्स ऑन इन्क्वीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3821. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "स्टेट्समैन" के दिनांक 3 नवम्बर, 1985 के कलकत्ता संस्करण में "शिप्स स्कटलिंग फ्राडस ऑन इन्क्वीज" शीर्षक प्रकाशित हुये समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सरकारी सूत्रों से कोई रिपोर्ट मिली है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि जहाजों मालिकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों से मुआवजे लेने के लिये जहाजों को जानबूझ कर डुबाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान डूबे जहाजों के मालिकों से प्राप्त दावों का ब्यौरा क्या है और बीमा कम्पनियों ने ऐसे दावों को कैसे निपटाया है; और

(ङ) ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को सरकारी सूत्रों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों ने सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड और इंडोसियनिक शिपिंग कंपनी से संबंधित "जल मुरारी" और "मर्जान" नामक जहाजों के संबंध में दावों का निपटान किया है जिनकी राशि क्रमशः 2,91,20,692 रुपए और 1,60,00,000 रुपए है। ये जहाज केवल समुद्री जोखिमों के कारण डूबे थे न कि जानबूझ कर छेद करके डुबाए जाने के कारण।

(घ) हाल ही में, मेसर्स मैनी शिपिंग कंपनी के एम०वी० "नित्य राम" और एम०वी० "नित्य नानक" नामक दो जहाजों के लापता होने की सूचना मिली थी। इन दावों का अभी तक निपटान नहीं किया गया है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

(ङ) भारतीय साधारण बीमा निगम ने धोखाधड़ी के इन मामलों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) भारत से निर्यात माल लेकर भारतीय पत्तनों से रवाना होने वाले जहाजों की जांच पड़ताल की जाती है।

(ii) सुदूर-पूर्वी देशों से आयातों को लाने वाले जहाजों के चयन के संबंध में मार्ग-निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

(iii) जहाजों के चयन के मामले में भारतीय राज्य व्यापार निगम जैसे थोक आयातकों के लिए मार्ग-निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

वाणिज्यिक पोत अधिनियम, 1958 और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी धोखाधड़ियों के खिलाफ पहले ही पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।

[हिन्दी]

गोपालगंज, बिहार में बथना कुट्टी ग्रामीण बैंक में लेखाओं की लेखा परीक्षा

3822. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनता की शिकायतों के आधार पर बिहार के गोपालगंज जिले में बथना कुट्टी ग्रामीण बैंक के लेखाओं की लेखा परीक्षा कराई गई थी और उस लेखा परीक्षा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बैंक के प्रबन्धक ने अनियमितताएं की थीं;

(ख) क्या गोपालगंज के समाहर्ता को अनेकों गरीब एवं अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतें मिली हैं कि उन्हें डरा धमका कर उनसे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर उनके नाम पर वहां के अधिकारी वर्ग ऋण लेते रहे हैं और समाहर्ता ने मामले की जांच के उपरान्त उन्हें (बैंक प्रबन्धक) को निलम्बित कर दिया है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने उक्त बैंक प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की है अथवा ठोस कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने, जो गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजके बैंक है, सूचित किया है कि बथना कुट्टी शाखा की एक विशेष लेखा परीक्षा की गई थी जिससे यह पता चला कि शाखा प्रबन्धक ने, जिसे निलम्बित कर दिया गया है, कई अनियमितताएं की हैं और अब यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पटना को सौंप दिया गया है। सैन्ट्रल बैंक ने यह भी बताया है कि समाहर्ता, गोपालगंज को कुछ हरिजनों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने जांच के लिए जिला पुलिस को भेज दिया है। आगे की कार्रवाई, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और जिला पुलिस से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नियमों के अनुसार की जा सकती है।

[अनुवाद]

इलायची की खेती करने वालों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

3823. **श्री डी०के० भण्डारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम, जो देश में 70% इलायची का उत्पादन करता है, में इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिये इलायची बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इलायची की खेती करने वाले लोगों को इलायची तोड़ने, सुखाने और पैक करने के आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये सिक्किम में कोई संस्थान है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड का विचार सिक्किम में ऐसे संस्थान स्थापित करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इलायची बोर्ड गंगटोक, टाडोंग, डोग, काबी जोरथाग, ग्यालजिंग तथा मंगन में स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों द्वारा सिक्किम में इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसमें वित्रस्त परामर्शी सेवाएं, विभागीय तथा प्रमाणित नर्सरियों का रखरखाव, प्रदर्शन भूखण्ड शामिल है, इसके अतिरिक्त संसाधन गृहों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(ख) और (ग) इतनी अधिक मात्रा की इलायची के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। तथापि, गंगटोक के निकट पानथोंग अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की खेती के आधुनिक तरीकों संसाधन तथा विभागीय संसाधन गृहों के व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

तमिलनाडु में हथकरघा कपड़े का बिना बिका भण्डार

3824. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में हथकरघा कपड़े का विशाल भंडार बिना बिके पड़ा हुआ है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इन उत्पादों के लिए भारी छूट दी है; और

(ग) क्या हथकरघा उद्योग को दिया गया संरक्षण एक स्थाई, प्रवृत्ति बन गई है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हथकरघा वस्त्रों के भण्डार रखना आवश्यक है ताकि त्यौहार मौसम के दौरान, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांश खरीददारी की जाती हैं, भारी मांग को पूरा किया जा सके। तथापि 1985 में दीपावली के त्योहार की बिक्रियों के बाद तमिलनाडु में हथकरघा कपड़े के भण्डार काफी कम हो गए हैं।

(ख) भारत सरकार सभी राज्यों में, जिनमें तमिलनाडु शामिल है, सहकारी समितियों के द्वारा हथकरघा वस्त्रों के भण्डार बेचने के लिए 20% की दर से (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर दिए जाने वाली) विशेष छूट और 15% केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में 25:75 के अनुपात में दिये जाने वाली थोक छूट दे रही है। इसके अतिरिक्त राज्य अपेक्स समिति (कोपटेक्स) भी किलयरेन्स बिक्रियों के भाग के रूप में कई किस्मों पर 20% से 50 प्रतिशत तक छूट देती है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र को, रोजगार प्रधान होने के कारण संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनेक योजनाएं चला रही है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखी गई है।

रबड़ के आयात के लिए टायर निर्माताओं द्वारा ज्ञापन

3825. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के आयात के लिए टायर निर्माताओं द्वारा सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन से नवम्बर, 1985 में सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ कम से कम 10,000 मे. टन रबड़ का तत्काल आयात करने की मांग की गई थी। सरकार ने कीमत को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रबड़ का आयात करने का निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश में सेसी-ट्रैंक-आल टेरायन कनवर्जन यूनिट की स्थापना

3826. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की भांति सेसी-ट्रेंक-आल टेरायन कनवर्जन यूनिट की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस यूनिट की स्थापना कब की जायेगी;

(घ) इसकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में कोई निर्यात प्रोसेसिंग जोन नहीं है और इसलिए वहां पर एक एकक होने का प्रश्न नहीं उठता।

केरल हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा विदेशी मुद्रा संबन्धी नियमों का उल्लंघन

3827. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल हस्तशिल्प विकास निगम ने मध्य पूर्व के देशों को माल का निर्यात करते समय विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री में (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विकास प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बांड मार्किट से विदेशी मुद्रा में ऋण के लिए प्रस्ताव

3829. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशों के अपने दौरे के दौरान दिए गए उनके उपायों से भारत की छवि में वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्तमान अवसर का लाभ उठाने का है और विकास प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बांड मार्किट से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा ऋण लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऋण मिलने के सम्बन्ध में भारत की साख का प्रमाण इस बात से मिलता है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में उत्तरोत्तर बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त हो रहे हैं। ऋण परिशोधन सम्बन्धी देनदारियों को विवेकपूर्ण सीमाओं में रखने के उद्देश्य से, सभी विदेशी वाणिज्यिक ऋण अत्यन्त चयनात्मक आधार पर लिए जाते हैं। इन सीमाओं के अन्तर्गत, सरकार ऋण के सर्वाधिक आकर्षक स्रोतों की हमेशा खोज करती रहती है।

होम्योपैथिक औषधियों का आयात

3830. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वालों को विदेशों से औषधियों के आयात पर क्या रियायत दी जाती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) होमियोपैथी दवाइयों की खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनमें अलग व्यवसायी शामिल हैं, आयात की अनुमति है। इसके आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उत्पादन कार्य में लगी बहु-राष्ट्रिक कंपनियों के लिये लागत लेखा-परीक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव

3831. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा अन्तरण मूल्य-निर्धारण की व्यवस्था (मैकेनिज्म आफ ट्रांसफर प्राईसिंग) से राष्ट्रीय कोश को हो रहे नुकसान की समस्या से अवगत है ;

(ख) क्या इस संबंध में सम्बन्धित देशों द्वारा संयुक्त कराधान व्यावहारिक है;

(ग) क्या अन्तरण मूल्य-निर्धारण को उत्पादन-लागत से जोड़ा जाना चाहिए;

(घ) क्या उत्पादन में लगी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के लिए लागत लेखापरीक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को इन बात की जानकारी है कि कुछ बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों ने अपने अन्त: कम्पनी लेनदेनों और सहयोगी कम्पनी लेनदेनों में "अन्तरण-मूल्यांकन" पद्धति को अपनाया है। यद्यपि अन्तरण मूल्यांकन किसी भी कानून के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अपराध नहीं बनता, तथापि ऐसे प्रत्येक व्यवहार के प्रभाव को विभिन्न वित्तीय अधिनियमितियों के सन्दर्भ में देखना होगा और अब व्यवहार में करों का परिहार होगा, तो समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के व्यवहारों से बचने के लिए विभिन्न वित्तीय प्राधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी किए जा चुके हैं;

(ख) अन्तर्ग्रस्त देशों द्वारा संयुक्त कराधान व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) केवल उत्पादन-लागत को ध्यान में रख कर प्रश्न की जांच करना सम्भव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) बिना किसी पूर्व व्यवस्था के लेन-देनों में तुलनीय खुले बाजार भावों जैसे अन्य कारण, संसाधन वितरण, विज्ञापन आदि जैसी अन्य लागतें और संगत उद्योग में व्यवहार तथा कीमतों के बारे में सूचना भी महत्वपूर्ण कारण हैं। तथापि, जब भी सरकार देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार करती है तो ऐसे करारों में अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तरण मूल्यांकन के जारिए, कर परिहार से बचाने के लिए कर प्रशासनों के बीच सूचना की आपूर्ति और अन्य आवश्यक सहयोग के लिए व्यवस्था होती है।

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में वाणिज्यक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों को ऋण

3832. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिए किसानों को ऋण मंजूर करने हेतु विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को निदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को ऋण की कितनी राशि दी गई तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उन्हें ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए कहा गया है ।

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रत्येक राज्य में ऋणों के क्षेत्रवार उपयोग के बारे में बैंक-वार सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया कृषि अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

के अन्त को	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
दिसम्बर, 1982	263.02
दिसम्बर, 1983	307.51
दिसम्बर, 1984	382.27

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अलाय स्टील प्लान्ट द्वारा निर्मित ब्लूम की गुणवत्ता के सुधार

3833. **श्री के० राममूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को अलाय स्टील प्लांट बंगलौर में व्हील एण्ड एक्सल प्लांट द्वारा निर्मित ब्लूम की किस्म की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ नहीं रही है जिससे रेलवे को इसका आयात करने हेतु विवश होना पड़ा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि टैपर और अल्ट्रासोनिक के खराब होने के कारण अलाय स्टील प्लांट द्वारा सप्लाई किए गए ब्लूम अस्वीकार कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ब्लूम की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा बंगलौर में व्हील एण्ड एक्सल प्लांट की आवश्यकता पूरी करने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां । रेलवे ने बड़ी मात्रा के दो क्रयादेश दिए थे; एक क्रयादेश फरवरी 1984 में दिया गया था जो 8800 टन का था; दूसरा क्रयादेश जुलाई 1985 में दिया गया था जो 10,000 टन के लिए था । पहला क्रयादेश जून 1985 तक पूरा किया जाना था । मुख्यत: नए क्रयादेश से सम्बद्ध विकासात्मक समस्याओं के कारण पहले क्रयादेश की पूर्ति में विलम्ब हुआ है लेकिन यह क्रयादेश जुलाई 1985 में पूरा कर दिया गया था और प्रतिस्थापन की मात्राएं नवम्बर, 1985 तक सप्लाई कर दी गई थीं । निम्न-लिखित कारणों से दूसरे क्रयादेश को कार्यान्वित करने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :—

(i) जुलाई 1985 में ब्लूमिंग/बिलेट मिल और वैक्यूम डि-गैसिंग इकाई गम्भीर रूप से बन्द होना ।

(ii) अक्तूबर, 1985 के दौरान मालिक-मजदूर सम्बन्ध जिस प्रकार के रहे उससे उत्पादन के स्तर पर इसका प्रभाव ।

(ख) अल्ट्रासोनिक तथा मेग्नाफ्लक्स परीक्षण के आधार पर सप्लाई की गई 11090 टन की मात्रा में से क्वालिटी की समस्या के कारण रद्द माल मात्र 2.9 प्रतिशत था ।

जहां तक ब्लूमों के टेपर का सम्बन्ध है, रद्द माल 5.5 प्रतिशत तक रहा है। इस मात्रा की आपूर्ति मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा कर दी गई है।

(ग) मिश्र इस्पात कारखाना चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में सुपुर्दगी की मासिक दर में वृद्धि करके 1000 टन से अधिक करने की योजना बना रहा है। क्वालिटी में सुधार करने और सप्लाई में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. तीसरी चाप भट्टी 30-10-85 को चालू कर दी गई है।

2. ब्लूमिंग तथा बिलेट मिल में 30-10-85 से दो सिफ्टों में काम होना शुरू हो गया है।

3 अवपातन दर और मोल्ड कोटिंग पर नियंत्रण करने और ट्रेकटाइम में कमी करने के लिए तकनीकी फेरबदल किए जा रहे हैं।

4. वेक्यूम आर्क डि-गैसिंग यूनिट को चालू करने का काम किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जस्ते और सीसे का उत्पादन

3834. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जस्ते और सीसे का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान देश में जस्ते तथा सीसे का कितना उत्पादन हुआ ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। अल्प अवधि में वर्तमान क्षमता का उपयोग बढ़ाकर सीसा और जस्ता का उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में, रामपुरा-अगुचा (राजस्थान) निपेक्ष पर आधारित एक नए जस्ता-सीसा प्रद्रावक की स्थापना का प्रस्ताव विचार के अग्रिम चरण में है।

वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में जस्ता-सीसा का वास्तविक उत्पाद इस प्रकार रहा :—

(उत्पादन टनों में)

	जस्ता	सीसा
1983-84	6071	21745
1984-85	57633	22168

[अनुवाद]

बड़ी औद्योगिक यूनिटों द्वारा आयकर और उत्पादन शुल्क की चोरी

3835. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में औद्योगिक एकक सरकार को भुगतान किए जाने वाले आयकर और उत्पादन शुल्क की चोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बकाया कर की वसूली के लिए उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्रश्न की विषय वस्तु से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य बड़ी संख्या में एककों की ओर आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लंबित बकाया के बारे में सूचना चाहते हैं। उस मामले में ऐसे ब्यौरे देना सम्भव नहीं होगा क्योंकि ऐसे एककों की संख्या हजारों में हो सकती है। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष एकक के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के मामले में सूचना मांग रहे हों तो उल्लेखनीय है कि अपवचन के ऐसे मामले कुछ औद्योगिक एककों के विरुद्ध देखने में आते हैं। जब कभी ऐसे मामले जानकारी में आते हैं, मांगों की वसूली तथा दंड तथा जुर्माना लगाने की कार्यविधि के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय पर सांस्थानिक, प्रशासनिक तथा वैधानिक उपायों सहित सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

कपास की मांग में मंदी

3836. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव निर्मित और सिंथेटिक कपड़े पर उत्पाद शुल्क में कटौती किये जाने के परिणाम स्वरूप सूती कपड़े का चलन पिछड़ गया है और कृषकों द्वारा उगाई जाने वाली कपास की सूती कपड़ा मिलों द्वारा की जाने वाली मांग में भी भारी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी वर्तमान निर्यात नीति में परिवर्तन करने और कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए रुई का अधिक निर्यात करने की अनुमति देने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। नई वस्त्र नीति में बताया गया है कि वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में रुई की प्रमुख भूमिका को पहले की तरह बनाये रखा जायेगा।

(ख) देश में मांग और पूर्ति की स्थिति और मूल्य की प्रवृत्ति के आधार पर रुई के निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं। समय-समय पर कपास की स्थिति के बारे में समीक्षा की जाती है और हमारी घरेलू खपत के अतिरिक्त देशी रुई की किस्में/मात्रा निर्यात के लिए रिनीज की जाती हैं।

सामान्य बीमा निगम द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना

3837. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने बोनस शेयर जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो बोनस शेयर किस आधार पर जारी किये जायेंगे; और

(ग) इनसे क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख)जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम ने 1 : 2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का निर्णय किया है, अर्थात् प्रत्येक दो विद्यमान शेयरों के पीछे एक शेयर जारी किया जाएगा, और ऐसा नियंत्रक पूंजी निर्गम का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आरक्षित निधि का पूंजीकरण करके किया जाएगा।

(ग) बोनस शेयर जारी करने से हुई पूंजी वृद्धि के द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम की चुकता पूंजी निगम के कार्यचालन के विस्तार के अनुकूल हो जाएगी शेयर होल्डर होने के नाते सरकार को और अधिक लाभांश प्राप्त होगा, चाहे भारतीय साधारण बीमा निगम पिछले घोषित लाभांश की दर को बरकरार रखे।

[हिंदी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली

3838. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अब तक दिए गए ऋण में से कुल कितनी ऋण राशि अभी वसूल की जानी शेष है;

(ख) इस भारी धनराशि की प्रभावी ढंग से वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें बकाया ऋण की सर्वाधिक राशि की वसूली करनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राशि को वसूल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर 1984 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अग्रिमों की कुल बकाया राशि 40884 करोड़ रुपए, कुल अतिदेय अग्रिमों की राशि 5682 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार बकाया के मुकाबले अतिदेय राशियां 13 प्रतिशत बैठती हैं।

(ख) से (ङ) वसूली के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन पर बराबर नजर रखी जा रही है। जिन बैंकों की वसूली की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपनी अतिदेय राशियों की वसूली को तेज करने के लिए अपने तंत्र को सुदृढ़ बनाने के वास्ते कहा गया है। बैंकों से ऋणों का मूल्यांकन करने और उनके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के अपने तरीकों को और परिमार्जित करने के अपने प्रयास जारी रखने के लिए कहा गया है जिससे कि अग्रिमों की राशियों के अतिदेय होने को कम से कम किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिसम्बर, 1985 के अन्त में कुल अतिदेय राशि दिसम्बर, 1983 की अतिदेय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके पश्चात् उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में और कमी करनी चाहिए।

(ग) जहां तक अधिकतम अतिदेय राशियों का सम्बन्ध है, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निरपेक्ष रूप में, सबसे अधिक कुल अतिदेय राशियां भारतीय स्टेट बैंक की हैं जिनकी रकम 1250 करोड़ रुपए है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण का वितरण

3839. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण के वितरण के बारे में असंतोषजनक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए ऋण की व्यवस्था करके सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की भूमिका भी संतोषजनक नहीं पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऋण मंजूर किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है । एक ऐसी योजना में, जिसे इतने बड़े पैमाने पर सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, ऋण मंजूर करने में देरी होने, ऋण मंजूर न किए जाने, ऋणों के दोषपूर्ण वितरण और अपात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त किए जाने की कुछ शिकायतें हमेशा हो सकती हैं । जब कभी खास-खास शिकायतें प्राप्त होती हैं, उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उनकी जांच की जाती है ।

पश्चिम बंगाल से सक्रिय गिरोह द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना, आयातित माल के बारे में गलत जानकारी दिया जाना और गैर-कानूनी आयात किया जाना

3840. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से सक्रिय एक ऐसे संगठित दल (दलों) और गिरोह (गिरोहों) के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो बड़े पैमाने पर कम मूल्य के बीजक बनाने, आयातित माल की गलत जानकारी देने, जाली कागजात बनाने और अवैध आयात करने के कार्यों में संलग्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने कलकत्ता में बीजकों में न्यून राशि दर्शाने की आशंका वालों, जाली दस्तावेज तैयार करने वालों और माल के विवरण को गलत घोषणा करने में लगे कतिपय जालसाजों के विरुद्ध जांच-पड़ताल की गई है । जिन व्यक्तियों के बारे में ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि वे ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—(1) गोविन्द राम अग्रवाल (2) शंकरलाल सर्राफ (3) राधेश्याम तुलसियान (4) चन्द्रकान्त सेठ (5) श्याम सुन्दर शर्मा

(6) एस०एम० अग्रवाल (7) अनिल कुमार परुलिया (8) पवन कुमार सारस्वत। ये गतिविधियां सामान्यतया लोहे और इस्पात के माल के आयात के मामलों में जानकारी में आई हैं।

(ग) शंकर लाल सर्राफ, जी०आर० अग्रवाल और राधेश्याम तुलसियान को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नवम्बर, 1985 में नजरबन्द किया गया है। श्री पवन कुमार सारस्वत को, सीमाशुल्क अधिनियम, 62 के तहत नवम्बर, 85 में गिरफ्तार किया गया था। जांच-पड़ताल पूरी किए जाने पर अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क मुक्त केन्द्रों से आने वाले यात्रियों द्वारा बी०सी०आर० आदि की खरीद में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपाय

3841. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने शुल्क मुक्त केन्द्रों से आने वाले यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले बी०सी०आर० और अन्य फैंसी मदों, जो स्थानीय बाजार में काफी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती हैं, को जब्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार इन मदों पर काफी अधिक शुल्क लेती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क की राशि कितनी है; और

(घ) विदेशों में ऐसी मदों को खरीदने और उन्हें भारत में लाने से विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) असबाब के रूप में ग्रसित बी०सी०आर० और आग्नेय अस्त्रों और टेलीविजन सेटों से भिन्न वस्तुओं की बिक्री करना, उन्हें प्रदर्शित करना, उनका विज्ञापन देना अथवा उनकी बिक्री या उन्हें प्रदर्शित करने के लिए ऐसे माल को किसी दुकान में पेश करना तब तक अनुमत्य नहीं होना है जब तक ऐसा माल इतना पुराना न हो जाए कि उसकी मार्केट कीमत घटकर 50 प्रतिशत रह जाए। असबाब के रूप में निकासित आग्नेय अस्त्रों और टेलीविजन सेटों को बिक्री, प्रदर्शन, विज्ञापन अथवा उन्हें बिक्री अथवा प्रदर्शन, के लिए किसी दुकान में रखने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती यदि निकासी की तारीख से कम-से-कम 5 वर्ष की अवधि तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। यदि इन अपेक्षाओं का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा माल जब्त करने योग्य होता है।

(ख) वास्तविक व्यक्तिगत असबाब पर शुल्क-दरें इस प्रकार हैं :—

(i) 1250 रुपए तक—	निःशुल्क
(ii) अगले 2,000/- रुपए तक	मूल्यानुसार 170 प्रतिशत
(iii) इस रकम के अतिरिक्त	मूल्यानुसार 240 प्रतिशत

जिन मामलों में यह पाया जाता है कि यह वास्तविक व्यक्तिगत असबाब नहीं है, उसे जब्त करके उस पर जुर्माना/अर्थदण्ड लगाया जाता है।

(ग) यह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय हवाई हड्डों पर की गई मद-वार शुल्क-वसूली के शुल्क संबंधी आंकड़े नहीं रखता। तथापि, वर्ष 1984 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर असबाब से कुल 229 करोड़ रुपये की शुल्क की वसूली की गई है।

(घ) विदेश जाने वाले भारत के ऐसे निवासियों को विदेशी मुद्रा दी जाती है जो, अन्य कार्यों के साथ-साथ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होने, अध्ययन दौरे करने और निर्यात संवर्धन सहित व्यापारिक यात्रा करने के सिलसिले में वहां जाते हैं। बी० सी०आर० अथवा अन्य मनोहारी वस्तुओं को खरीदने सम्बन्धी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है। भारत से बाहर जाने वाले तथा भारत आने वाले यात्रियों की आवश्यक जांच की जाती है और सीमाशुल्क तथा अन्य संबद्ध अधिनियमों का उल्लंघन किए जाने पर उनके तहत दोषी यात्रियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

कपास उत्पादकों में व्याप्त असंतोष

3842. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास उत्पादकों द्वारा महाराष्ट्र में 200 स्थानों पर सिंथेटिक वस्त्रों की होली आन्दोलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कपास उत्पादकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) चालू रुई वर्ष के दौरान रुई की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति आई है। यह इसलिए कि गत रुई मौसम के दौरान फसल बहुत व अच्छी हुई और वर्तमान रुई मौसम के दौरान देश में रुई परिस्थितियों के सन्तोषजनक आसार हैं। रुई उपजकर्ताओं को अपने स्टाक के निपटान करने में मदद करने हेतु और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अपने उत्पाद की लाभकारी कीमतें मिलें, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) चालू रुई मौसम के दौरान कपास की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित कर दी गई हैं।

(2) भारतीय रुई निगम को निदेश दिये गए हैं कि जहां कहीं भी रुई की कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों से कम हो जाएं वहां वह न्यूनतम समर्थन कीमतों पर रुई खरीदे।

(3) घरेलू आवश्यकताओं से अधिक समझी गई रुई की मात्रा निर्यात के लिए रिलीज कर दी गई है।

लौह अयस्क का निर्यात

3843. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 में कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इस्पात लौह अयस्क (मात्रावार) का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या लौह अयस्क का निर्यात रोकने और अयस्क के बजाय इस्पात का निर्यात करने की कोई योजना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान भारत द्वारा 25,395 मे० टन (अनन्तिम) की कुल मात्रा निर्यात की गई। इन निर्यातों का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

1984—1985 के दौरान भारत से लौह अयस्क का देशवार निर्यात

(मात्रा - मे० टन में)

	मात्रा 1984-85 (अनन्तिम)
जापान	16.596
दक्षिण कोरिया	3.245
रूमानिया	2.845
हंगरी	0.030
चैकोस्लोवाकिया	0.086
जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	0.912
बुल्गारिया	0.100
इटली	0.760
इराक	0.126
ताइवान	0.162
आबू-धाबी	0.014
दुबई	0.082
मलेशिया	0.012
उ० कोरिया	0.165
पाकिस्तान	0.173
द० अरब	0.049
जार्डन	0.007
चीन	0.030
कुल योग	25.395

परियोजनाओं के लिये "जीरो बजेटिंग" प्रणाली अपनाना

3844 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परियोजनाओं के लिए "जीरो बजेटिंग" प्रणाली अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए प्रशासन में अब तक लागू वित्तीय नियमावलियों तथा प्रक्रियाओं को बदलना पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा शून्य-आधारित बजट-निर्माण की आवश्यकता सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए उद्देश्यों के निर्धारण और सुस्पष्ट सुनिश्चयत, निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विकल्पों की जाँच, लागत-लाभ विश्लेषण, उद्देश्यों और क्रियाकलापों की प्राथमिकताओं के निर्धारण, अनावश्यक क्रियाकलापों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने तथा फैसलों के पैकेज तैयार करने और उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। शून्य-आधारित बजट निर्माण की प्रणाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में लागू की जा चुकी है और बाद में इसे समुचित संशोधनों के साथ यथासमय अन्य वैज्ञानिक विभागों में भी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार में शून्य आधारित बजट-निर्माण की प्रणाली को 1986-87 से शुरू करने का प्रस्ताव है जो 1987-88 के बजट पर लागू होगी।

विद्युत-करघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी

3845. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति के अंतर्गत विद्युत-करघा क्षेत्र और मिल क्षेत्र में असमानता दूर करने से देश में अनेक विद्युत करघे बन्द हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत करघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डिजाइन के अभाव में निर्यात पर प्रभाव

3847. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के रास्ते में जो कमियाँ आई हैं उनमें से एक कमी डिजाइन का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में निर्यात कितना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्व बैंक की सहायता से इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3848. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजना के वित्त पोषण के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ख) क्या विश्व बैंक के एक दल ने कुछ इस्पात संयंत्रों का दौरा किया है और आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं की जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो इस्पात संयंत्रों के विस्तार के बारे में सरकार द्वारा क्या मूल्यांकन किया गया है;

(घ) विश्व बैंक अधिकारियों ने किन-किन इस्पात संयंत्रों का दौरा किया और आधुनिकीकरण के लिए कौन से इस्पात संयंत्रों को चुना गया है; और

(ङ) उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (ख) (घ)और(ङ) विश्व बैंक भारतीय इस्पात उद्योग का अध्ययन कर रहा है। अक्तूबर, 1985 में विश्व बैंक के एक दल ने दुर्गापुर, राउरकेला और इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का दौरा किया था। बैंक के वित्तपोषण के सम्बन्ध में अभी तक किसी भी इस्पात संयंत्र का औपचारिक रूप से फैसला नहीं किया गया है।

(ग) दुर्गापुर, राउरकेला या इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन तीन संयंत्रों को तकनीकी दृष्टि से उन्नत करने और उनके आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

[हिंदी]

बोनस की सीमा बढ़ाने से अतिरिक्त वित्तीय भार

3849. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस की सीमा 1600 रु० से बढ़ाकर 2500 रुपये कर देने से सरकार के ऊपर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है और इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे;

(ख) बोनस की सीमा बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) 2500 रु० से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को बोनस न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) लेखाकरण वर्ष 1984-85 से बोनस अदायगी के लिए परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 1600/-रु० से बढ़ाकर 2500/-रु० प्रति माह करने के सरकारी निर्णय से अनुमानत: दो लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। इस निर्णय से 1985-86 के दौरान 23.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की आशा है।

(ख) और (ग) हालांकि बोनस अदायगी अधिनियम यथा-रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जहां तक बोनस की गणना के लिए परिलब्धियों की अधिकतम सीमा के साथ अधिनियम के प्रावधानों का सम्बन्ध है उन्हें ध्यान में रखा जाता है। बोनस अदायगी अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी की अधिकतम सीमाओं में तदनुसार वृद्धि कर दी गई थी।

सरकार द्वारा बोनस अदायगी अधिनियम में संशोधन व्यक्तियों और कर्मचारी संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर और सभी अन्य संगत बातों पर विचार करते हुए किया गया था।

[अनुवाद]

वस्त्रकारी के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् गठित करना

3850. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दस्तकारी के लिए एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन दस्तकारी का समुचित विकास सुनिश्चित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या दस्तकारी के निर्यात को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना हस्तशिल्प के बेहतर विपणन तथा विकास को सुनिश्चित करेगी।

(ग) जी हां।

बिहार में बैंकों में जमा राशि

3851. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 से अब तक वर्षवार बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त जमा की कुल राशि कितनी है;

(ख) उस वर्ष से लेकर अब तक राज्य में परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या इन आंकड़ों से बिहार से अन्य राज्यों को निधियों के चले जाने का पता चलता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह इससे पहले से पिछड़े हुए राज्य में और दरिद्रता नहीं आएगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1982, 1983 और 1984 के अंत में जमा राशियों और अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	जमा	अग्रिम
1982	2241	891
1983	2592	1032
1984	3112	1199

(ग) से (ङ) यह नहीं कहा जा सकता है कि बिहार से धनराशियां अन्य राज्यों में जा रही हैं, क्योंकि बैंक भी राज्य सरकार और स्थानीय सांविधिक निकायों और संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों का उपयोग आर्थिक गतिविधियों के स्तर से प्रभावित होता है, जो आगे चलकर कई कारणों से प्रभावित होती हैं, जैसे परिवहन और बिजली, कच्चे माल के स्रोतों की निकटता, बाजार तक पहुंच, स्थानीय उद्यमवृत्ति आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता स्थानीय सरकारी तंत्र से सहयोग और वसूली की युक्तियुक्त प्रत्याशा। कमी वाले क्षेत्रों में पता लगाए

गए सभी उत्पादक और अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए बैंकों द्वारा ऋण सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न राज्यों के बीच ऋणों के उपयोग सम्बन्धी विषमताओं से बचा जाए और अर्थव्यवस्था के अभाव वाले क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाने के कारगर उपाय किए जाएं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए अलग से 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात बनाये रखें। वार्षिक कार्रवाई योजनाओं और जिला ऋण योजनाओं को अमल में लाने से वांछनीय क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण केन्द्रों में ऋणों के प्रवाह के बढ़ जाने की आशा है। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक ऋणों के अधिक उपयोग के लिए आवश्यक आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था करें। बैंकों और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बिहार राज्य में अधिक ऋणों की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाने की आशा है।

[हिंदी]

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूम खोलना

3852. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में अपने शो-रूम एवं विक्रय डिपू खोले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शो-रूमों एवं विक्रय डिपुओं ने पर्याप्त मुनाफा कमाया है;

(ग) यदि हां तो क्या इन जिलों के तहसील तथा खंड मुख्यालयों में निकट भविष्य में और अधिक विक्रय डिपू खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जून, 1985 में अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में एन०टी०सी० शोरूम सह बिक्री डिपू खोले गए थे।

(ख) इन दोनों शो रूमों ने अभी तक लाभ अर्जित नहीं किए हैं। तथापि, इन शो रूमों की लाभप्रदता का इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) तथा (घ) पर्वतीय क्षेत्रों में और शो-रूम खोलने पर मांग का मूल्यांकन तथा उपरोक्त दो शो रूमों के निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के सभी विकास ब्लाकों में शोरूम खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रामेश्वरम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3853. **डा०वी० राजेश्वरन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम का रामेश्वरम के प्राकृतिक समुद्रतट का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का विचार है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में रामेश्वरम के समुद्र-तट को एक पर्यटक बिहार के रूप में विकसित करने के लिए किसी स्कीम की अभिकल्पना नहीं की गई है।

वाणिज्यिक बैंकों में संसाधनों का अभाव

3854. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वाणिज्यिक बैंकों को संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की नकदी सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजर रखता है। कुछ वाणिज्यिक बैंकों को साधनों और धनराशियों के उपयोग में असंतुलन हो जाने के कारण संसाधनों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संसाधानों और धनराशि के उपयोग के बीच अस्थाई असंतुलन होने की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के लिए गुण-दोषों के आधार पर पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे अपने ऋण-कार्यों के वित्त-पोषण के मामले में मुख्य रूप से अपने साधनों पर निर्भर रहने की नीति का अनुसरण करें और अस्थाई असन्तुलन के लिए पुनर्वित्त के उपयोग को सीमित करें।

अलग-अलग बैंकों की नकदी सम्बन्धी स्थिति में हर रोज परिवर्तन होते रहते हैं और प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार अलग-अलग बैंकों की नकदी सम्बन्धी बैंकवार दैनिक स्थिति लोक-हित में प्रकट नहीं की जा सकती।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अक्तूबर, 1985 को बैंकों की नकदी सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के उपायों में कुछ परिवर्तन करने की घोषणा की थी। इन परिवर्तनों की मुख्य बातें ये हैं : –

(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, 14 जनवरी, 1977 के और 31 अक्तूबर, 1980 के बीच प्रोद्भूत होने वाली अतिरिक्त मांग और सावधि देयताओं के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त नकद प्रारक्षित नकदी रखनी होती है। अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 में इन राशियों के 1/5 भाग के जारी किए जाने को छोड़कर, ये राशियां अवरुद्ध रही हैं। इन अवरुद्ध नकद राशियों का एक तिहाई भाग 26 अक्तूबर, 1985 को जारी किया गया था। चूंकि अवरुद्ध नकद राशियां 1487 करोड़ रुपए की थीं, इसलिए लगभग 495 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई।

(2) 26 अक्तूबर, 1985 से अनिवासी बाह्य रुपया खातों के लिए सांविधिक नकदी अनुपात 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया और इस प्रकार यह अनुपात विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर लागू अनुपात के बराबर हो गया। इससे बैंकों की सांविधिक नकदी आवश्यकताएं लगभग 360 करोड़ रुपए कम हो जाएंगी।

(3) बैंकों के लिए 230 करोड़ रुपए से कुछ अधिक की अल्पावधिक विवेकाधीन पुन-र्वित्त व्यवस्था की गई है और उन्हें 25 अक्तूबर, 1985 को विवेकाधीन पुनर्वित्त की बकाया राशि तत्काल वापस चुकानी थी और सांविधिक नकदी अनुपात को बनाए रखने में आने वाली किसी कमी को पूरा करना था।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद राशि पर 26 अक्तूबर, 1985 से प्रभावी ब्याज दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दी गई है। (तीन प्रतिशत सांविधिक न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के अधीन नकद राशियां कानून के अनुसार ब्याज की पात्र नहीं है।) ब्याज दर में इस वृद्धि से बैंकों की आमदनी में प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी और बैंकों को धन-राशियों की लागत को पूरा करने और अपनी प्रारक्षित निधियों में वृद्धि करने में काफी मदद मिलेगी।

कर्नाटक में तम्बाकू के मूल्य में गिरावट

3855. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवम्बर, 1985 के "डक्कन हैरल्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कर्नाटक में तम्बाकू का मूल्य अचानक गिर गया है;

(ख) क्या उन्हें इस राज्य में तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मुख्य रूप से खराब फसल, व्यापार आदि द्वारा प्राप्त कम निर्यात आदेशों के कारण इस वर्ष कर्नाटक में नीलामियों में आफर की गई अनिर्मित तम्बाकू की कीमतों में गिरावट आई है। तथापि स्थिति में हाल ही में सुधार आ गया है।

(ख) और (ग) जी हां। अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि वित्त की उपलब्धता, निर्यात आदेशों आदि की कमी जैसी समस्याएं थी। यह भी बताया गया कि राज्य व्यापार निगम से किसानों से तम्बाकू की खरीद करने को कहा जाए। वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार के पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए देय तारीख को बढ़ा दिया है और इस प्रकार अधिक क्रेताओं की नीलामियों में भाग लेने के योग्य बनाया है। वाणिज्य मंत्रालय तथा तम्बाकू बोर्ड ने व्यापार तथा उपजकर्ताओं की समस्याओं को दूर करने तथा सुचारू रूप से नीलामियों को चलाना सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार बैठकें कीं। तम्बाकू बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत पर नीलामी मंच पर खरीदारियां की जाएं। परिस्थिति की बराबर पुनरीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकना

3856. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन व्यक्तियों की अविलंब आयकर जांच करने का है जिन्होंने दिल्ली में कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटियों द्वारा आवंटित प्लाटों को बेच दिया जाता है; और

(ख) दिल्ली में भूमि के इस अवैध खरीद-फरोख्त को पूर्णतया रोकने के लिए उनका विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अचल संपत्तियों के अंतरण से अर्जित आय को कर के दायरे में लाने के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा सभी मामलों में उपयुक्त जांच-पड़ताल की जाती है। इसलिए इस संबंध में किसी विशेष जांच किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सहकारी आवास से सम्बन्धित कानून, समिति तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की मंजूरी से केवल खून के रिश्ते में ही सदस्यता के अन्तरण की इजाजत देता है। इस सम्बन्ध में कानून में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

त्रिचूर में गुरूवयूर में "यात्रिका" का निर्माण

3857. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिचूर जिले में गुरूवयूर टैम्पर टाउन में "यात्रिका" के निर्माण के लिए भूमि दी है;

(ख) निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केरल सरकार के पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि गुरूवयूर में एक यात्रिका के निर्माण के लिए उनके द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन किया जा रहा है। यात्रिका के निर्माण के वास्ते सहायता हेतु औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिंदी]

नालन्दा, राजगीर, कोकालत, तपोवन और बोध गया में विदेशी पर्यटक

3858. **श्री कुंवर राम** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नालन्दा, राजगीर, कोकालत, तपोवन और बोध गया में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये दर्शनीय और रमणीक स्थानों की संख्या देश के किसी अन्य भाग से कहीं अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद बहुत कम पर्यटक इन स्थानों की यात्रा करते हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत में नालन्दा, राजगीर और बोध गया सहित पर्यटक अभिरुचि के बहुत सारे सुन्दर स्थान हैं जो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

(ख) चूंकि पर्यटन विभाग के पास देश के भीतर स्वदेशी पर्यटकों के आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है, इस बात की पुष्टि कर पाना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त

स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों से कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटन विभाग ने विदेश स्थित अपने कार्यालयों और विशेष रूप से टोकियो, बैंकाक, सिंगापुर तथा कुआला लामपुर स्थित कार्यालयों के जरिए देश में बोध धर्म से संबद्ध स्थानों के लिए यातायात को आकर्षित करने के लिए अपने संवर्धनात्मक कार्यकलापों को गति प्रदान की है। ये कार्यालय बौद्ध प्रदर्शनियों में सक्रिय भाग लेते हैं, बौद्ध के बारे में फिल्में/श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम दिखाते हैं, बौद्ध पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों पर जापानी, थाई, कोरियाई, आदि भाषाओं के ब्रोशरों का संवितरण करते हैं। यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों तथा साथ ही मीडिया के लोगों को अब भारत की अधिक परिचायक यात्राएं भी कराई जाती हैं, इसके अलावा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के परामर्श से बौद्ध से संबद्ध पावन स्थलों पर आधार-संरचना में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में तस्करी

3859. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में सम्पूर्ण 1040 कि० मी० पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ख) सरकार ने उसे नियंत्रित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा अभिगृहीत किए गए माल की तस्करी के तौर-तरीकों से पता चलता है कि राजस्थान की संपूर्ण भारत-पाक सीमा के साथ लगने वाला क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 1985 (अक्तूबर तक) के दौरान उक्त क्षेत्र से अभिगृहीत किए गए निषिद्ध माल, जिसमें 366 किलोग्राम हीरोइन भी शामिल है, का मूल्य 19.5 करोड़ रुपये (अनन्तिम) है।

(ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके इस क्षेत्र में तस्करी-निवारण अभियान तेज कर दिया है। सीमाशुल्क विभाग का तस्करी निवारक तथा गुप्तचर्या तन्त्र इस क्षेत्र में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के विरुद्ध सतर्क रहता है; तस्करी के तौर-तरीकों तथा इस क्षेत्र से पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि उचित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

तस्करी की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर तथा न्यायालयों में मुकदमे दायर करके कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। माल को जब्त किये जाने के साथ-साथ उपयुक्त मामलों में व्यक्तिगत जुर्माने लगाए जाने के अलावा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जाता है।

विशाखापत्तनम पत्तन में ढुलाई सुविधाओं के ठप्प होने के कारण जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात पर प्रभाव

3860. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में ढुलाई सुविधाओं के निरंतर ठप्प होने और लौह अयस्क की अस्थाई तथा अनुचित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़े खरीदार देश जापान को यह धमकी मिलने कि वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ दस वर्ष का ठेका करने के कारण जापान और दक्षिण कोरिया को होने वाले लौह अयस्क के निर्यात को भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो जापान और दक्षिण कोरिया को आज तक पिछला कितना लदान बकाया है और ढुलाई सुविधाओं के निरंतर ठप्प होने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विशेष रूप से जापान को होने वाले लौह अयस्क के निर्यातों को विजाक पर ढुलाई सुविधाओं के निरन्तर ठप्प होने के कारण धक्का पहुंचा है। जापानी इस्पात मिलों ने इस वर्ष के दौरान विजाक पत्तन से लौह अयस्क के निर्यातों के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया है।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 34.57 लाख मे० टन लौह अयस्क निर्यात किया गया है जिसमें गत वर्ष की संविदा से सम्बन्धित 3.39 मे० टन मात्रा शामिल है। इसके अतिरिक्त अनुपात आधार पर अधिकांशत: जापान को लगभग 16 लाख मे० टन की कमी आई है। कमी मुख्य रूप से पत्तन पर बेगन टिपलर्स और कन्वेयर बैल्ट जैसे पुराने उपकरणों के घिस जा। और हिन्द टिपलर के काम न करने के कारण हुई है।

(ग) निर्यातों में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। दो पुराने टिपलरों को बदला जा रहा है जिसके न बदले जाने तक, अनिवार्य मरम्मत की गई है और अब इन दोनों टिपलर्स के कार्य-चालन में सुधार हो रहा है। कन्वेयर बैल्ट के एक भाग को भी बदला गया है। परिणामस्वरूप नवम्बर, 1985 में पत्तन के निष्पादन में कुछ सुधार दिखाई दिया है।

जनता कपड़े की किस्म में सुधार के लिए कदम

3861. **श्री आनन्द प्रसाद सेठी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार ने हाल ही में हथकरघा के लिए 1985-86 के दौरान कुछ राशि (राहत) मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उचित दामों पर जनता को स्वीकार्य किस्म का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए, नई कपड़ा नीति के संदर्भ में जनता कपड़े की किस्मों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां।

केंद्रीय सरकार जनता कपड़े के उत्पादन पर 1976 में योजना के आरंभ से ही उपदान प्रदान कर रही है। 1985-86 के लिए बजट प्राक्कलनों में योजना के लिए 71.33 करोड़ रु० की व्यवस्था है। 1-10-1984 से उपदान की दर 2 रु० प्रति वर्गमीटर है।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्थानीय वरीयताओं और साथ ही लागत को ध्यान में रखते हुए जनता कपड़े की विद्यमान किस्मों में सुधार करें। उनसे यह भी कहा

गया है कि वे उपभोक्ताओं के लिए जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत सेल्फ डिजाइन तथा छपे हुए कपड़े की उपलब्धता को बढ़ाएं। बुनकर सेवा केंद्रों को इस संबंध में राज्य हथकरघा संगठनों को तकनीकी मार्गदर्शन कराने के निदेश दिये गये।

कपास का विक्रय मूल्य

3862. **श्री प्रकाश बो० पाटिल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कपास की खेती बहुत अच्छी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदा गया है ताकि किसानों को न्यूनतम दर पर बिक्री करने पर मजबूर न होना पड़े;

(ग) गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कपास किस दाम पर खरीदी गई; और

(घ) सितम्बर और अक्तूबर 1985 के दौरान बड़े वसूली केंद्रों में कपास का विक्रय मूल्य क्या था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्तमान अनुमानों के अनुसार चालू सीजन में रुई की फसल सन्तोषजनक होने की आशा है।

(ख) भारतीय रुई निगम का चालू रुई सीजन के दौरान 15.00 लाख गांठों का अनन्तिम अधिप्राप्ति कार्यक्रम है। निगम ने चालू रुई सीजन के दौरान 10-12-85 तक 2,21,792 गांठों की खरीद की है जो कि गत सीजन की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान की गई खरीदारियों से लगभग 74% अधिक है।

(ग) और (घ) भारतीय रुई निगम रुई की खरीद प्रचलित बाजार कीमतों पर और साथ ही जहां कहीं कपास की बाजार कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे हों, वहां न्यूनतम समर्थन कीमतों पर करता है। परंतु भारतीय रुई निगम को कतिपय परिधियों के आधार पर क्वालिटी भिन्नता के कारण समुचित कटौतियां करनी होती हैं क्योंकि न्यूनतम समर्थन कीमतें कपास की सामान्य औसत क्वालिटी के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। भारतीय रुई निगम द्वारा सितम्बर तथा अक्तूबर, 85 और सितम्बर-अक्तूबर 84 के दौरान रुई की विभिन्न किस्मों की खरीद पर अदा की गई कीमतें क्रमश: 420/- रु० तथा 600/- प्रति क्विंटल के बीच और 544/-रु० तथा 719/-रु० के प्रति क्विंटल के बीच रहीं।

कृत्रिम रेशम उद्योग के उत्पादन में कमी

3863. **श्री रेणू पद दास :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृत्रिम रेशम उद्योग, जिसमें लगभग 5 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं; को भण्डार जमा होने और उत्पादन में कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग तथा इसमें कार्यरत 5 लाख कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की रोजी रोटी बचाने के लिए क्या योजना है;

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : शायद माननीय सदस्य कृत्रिम रेशम उद्योग के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। तदनुसार, अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(ख) और (ग) पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के प्रयोक्ताओं ने इसकी ऊंची कीमतों के कारण कुछ समय के लिए उसको नहीं उठाया। इसलिए फिलामेंट यार्न के विनिर्माताओं को लगभग पहली नवम्बर, 1985 को कीमत में तेजी से कमी करनी पड़ी। कीमत में इस गिरावट से स्थिति के शीघ्र सामान्य हो जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता। नई नीति के अंतर्गत रेशे के प्रयोग की लोचशीलता की अनुमति दी गई है।

गुजरात में अलंग में शिप ब्रेकर्स में हड़ताल

3864. **श्रीमती पटेल रमाबेन**
रामजी भाई मावणि } : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अलंग में शिप ब्रेकर्स में 2-9-1985 से जहाज तोड़ना बन्द कर दिया है;

(ख) इस हड़ताल के क्या कारण हैं और इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और राजस्व की अनुमानित कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या तोड़ने के प्रयोजन के लिए आयातित जहाजों पर मूल्यानुसार शुल्क की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई विवाद है;

(घ) क्या जहाज तोड़ने के निर्माण के रूप में व्याख्या की गई है और इसलिए उस पर आयातित जहाज की लागत का 98 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता है;

(ङ) क्या जहाज तोड़ने से प्राप्त स्क्रैप आयातित स्क्रैप से सस्ती पड़ती है; और

(च) पिछले तीन वर्ष के दौरान जहाज तोड़ने वालों से कितना राजस्व प्रस्ताव हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) गुजरात में अलंग के स्थान पर जहाज तोड़ने वाली इकाइयों में केंद्रीय आबकारी और नमक नियम के अंतर्गत जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता के बारे में केंद्रीय आबकारी की सूचना (नोटिस) के विरोध में 5 से 7 सितम्बर, 1985 तक तथा पुन: 16 सितम्बर, 1985 से अनिश्चित अवधि के लिए काम बन्द हो गया। परन्तु जहाज तोड़ने वाली इकाइयों ने अहमदाबाद उच्च न्यायालय से आदेश ले लिए हैं कि उनके मामलों की सुनवाई होने तक उन्हें 25 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने पर अपने माल को छुड़वाने के लिए मंजूरी दी जाए। माल इस शर्त पर छुड़वाया जाएगा कि वे शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करके केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के सम्बन्धित प्राधिकारी के सामने निजी बन्ध-पत्र भरेंगे। अहमदाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का पहला आदेश 29 नवम्बर, 1985 को निकाला गया था। अलंग के स्थान पर जहाज तोड़ने के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की सीधी भर्ती की गई है। इससे सरकार को राजस्व में कोई सीधी हानि नहीं हुई है।

(ग) प्रति उत्पाद-शुल्क के व्याख्या के कारण हुए विवादों के परिणामस्वरूप न्यायालय में कई मामले दायर हुए हैं।

(घ) जी, हां। सरकार ने जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के रूप में मान्यता प्रदान की है। पुनर्बेलन योग्य इस्पात के स्क्रैप पर 365/- रुपए प्रति टन के हिसाब से तथा अलौह धातुओं पर 3300/- रुपए प्रति टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क की प्राप्ति हुई है।

(ङ) जहाज तोड़ने से प्राप्त स्क्रैप का बाजार मूल्य आयात किए गए स्क्रैप से कम नहीं है।

(च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में "कोल्ड फोर्मड सेक्शन" रूम प्रोजेक्ट

3865 **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कोल्ड फोर्मड सेक्शन और वैल्डेड रूम प्रोजेक्ट की स्थापना में कितनी प्रगति हुए है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) इस्पात विभाग के सातवीं योजना के आवंटन में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिए वर्तमान योजना के दौरान इस परियोजना का काम शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में संश्लिष्ट कपड़े का उत्पादन

3866. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत मिलों में कम मूल्य के मिश्रित संश्लिष्ट कपड़े का उत्पादन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, इस प्रकार की योजना से विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा तैयार किए गए संश्लिष्ट की मांग पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में इस प्रकार की कम मूल्य की करमुक्त संश्लिष्ट कपड़ा तैयार करने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मार्फत शुल्क-छूट रेशे से कम कीमत के पोलियस्टर ब्लैन्डेड वस्त्र का उत्पादन करने की एक योजना का अनुमोदन किया है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क की सहायता वास्तव में पूरी तरह से उपभोक्ता तक पहुंचे, कार्यक्रम मूलरूप से, संगठित मिल क्षेत्र तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बिजली करघों, दोनों के द्वारा उत्पादित न्यूनतम पोलियस्टर ब्लैन्डेड वस्त्रों के बाजार में कीमत अनुशासन को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) सरकार ने विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में शुल्क-मुक्त रेशे से पोलियस्टर ब्लैन्डेड वस्त्र का उत्पादन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिंदी]

छोटे सिक्कों का आयात

3867. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे सिक्कों का आयात कब तक शुरू होने की संभावना है तथा कितनी राशि के छोटे सिक्कों का आयात किया जाना है और उन पर कितना व्यय किया जायेगा;

(ख) सरकार द्वारा छोटे सिक्कों के जमाखोरों के विरुद्ध स्थान-वार कितने छापे मारे गए और उनसे कितनी राशि के छोटे सिक्के बरामद हुए; और

(ग) यदि अभी तक कोई छापा नहीं मारा गया तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 10,000 लाख अदद एक रुपए के सिक्कों, 7,500 लाख अदद 50 पैसे के सिक्कों और 2,500 लाख अदद 25 पैसे के सिक्कों का आयात करने के लिए आदेश दिए गए हैं। अब तक 2769.70 लाख अदद एक रुपये के सिक्के और 1658 लाख अदद 50 पैसे के सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। सभी सिक्कों के आयात पर लगभग 64.96 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा भारत की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा

3868. **श्री आनन्द सिंह**
श्री महेन्द्र सिंह } : **क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इस वर्ष अक्टूबर में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सियोल में हुई चालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक के उद्घाटन भाषण के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारत की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर और किस संदर्भ में प्रशंसा की गई थी;

(ग) क्या इस बैठक में नीतियों में सुधार किए जाने के कोई सुझाव दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए थे और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की विश्व बैंक ऋण के संदर्भ में विश्व बैंक के अध्यक्ष के अभिभाषण में भारत के तेल उत्पादन में काफी वृद्धि करने और साथ ही "हरित क्रान्ति" के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निरर्भता प्राप्त करने के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की गई है।

(ग) और (घ) इस बैठक को कोई ऐसा उपयुक्त मंच नहीं कहा जा सकता जिसमें अलग-अलग देशों की नीतियों पर टिप्पणी की जाए, इसलिए इस बैठक में इस संबंध में कोई सुझाव नहीं रखे गए।

भारत के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन

3869. **डा० सुधीर राय** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंपिंग क्षेत्रों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है; और

(ग) पर्यटन विकास के लिए पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रों सहित भारत में पर्यटक केन्द्रों का संवर्धन और प्रचार एक सतत् प्रक्रिया है तथा पर्यटन विभाग के कार्य-कलापों का एक हिस्सा हैं। इसमें मुद्रित पर्यटक साहित्य, फिल्मों, श्रव्य-दृश्यों के जरिए सूचना का प्रसार करना, यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों द्वारा परिचायक दौरों का आयोजन करना तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिमपोंग क्षेत्र विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 द्वारा नियन्त्रित होते हैं। तथापि, दार्जिलिंग के लिए परमिट आवेदन करने या बागडोगरा हवाई-अड्डे पर पहुंचने पर, उदारतापूर्वक प्रदान किए जाते हैं। प्रतिबंधों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उनमें सम्यकस्म से छूट दी जाती है।

(ग) पर्यटन के विकास के लिए धनराशियों की व्यवस्था राज्य-वार या क्षेत्र-वार आधार पर नहीं की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सेंट्रल सैक्टर में पर्यटन (पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम और होटल प्रबन्ध एवं कैटरिंग तकनालॉजी यूनिट) के लिए आवंटन 138.68 करोड़ रुपए है। सातवीं योजना के दौरान, राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटक अभिरुचि के केंद्रों पर आधार-संरचना के विकास, स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन, समुद्र तट-विहारों के विकास, हिमालयन ट्रैकिंग तथा जल-क्रीड़ाओं के लिए सुविधाओं में सुधार, राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों में संरक्षण, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, बौद्ध पर्यटन के विकास, बजट-आवास उपलब्ध कराने हेतु यात्री-निवासों के निर्माण, तीर्थ-स्थानों पर यात्रिकाओं/धर्मशालाओं के निर्माण, मरुस्थल परिवहन सुविधाओं की क्वालिटी में सुधार, वन्य-जीव पर्यटन के विकास, पर्यटन यात्रा उद्योग में सेवा के व्यावसायीकरण, क्वालिटी प्रचार सामग्री के प्रकाशन तथा विदेशों में बढ़े हुए संवर्धनात्मक प्रयासों और प्रचार के लिए एक चयनात्मक दृष्टि अपनाने का प्रस्ताव है।

जालसाजी के कारण हानि

3870. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालसाजी के परिणाम स्वरूप देश को प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ रुपए की हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जालसाजी और धोखाधड़ी के कारण वर्ष 1983, 1984 और 1985 (30-9-85 तक) के दौरान हुई हानि निम्न प्रकार है :

1983	1984	1985
(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
1,08,37,373	28,04,233	7,27,970

(वर्ष 1984 और 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, पुलिस अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बैंकों की शाखाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सभी मूल्य वर्ग के आंकड़ों को समेकित करता है और इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी नासिक, त्रैमासिक और वार्षिक समीक्षा भी तैयार की जाती है और इसे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। केंद्रीय-अन्वेषण ब्यूरो के बुलेटिन में प्रकाशित सामग्री तथा आवधिक समीक्षाओं को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया जाता है जिससे उन्हें सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की धोखाधडी का पता लगाने में सहायता मिलती है।

समुद्री बीमा में धोखाधड़ी

3871. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इण्डियन शिपिंग कौंसिल और इन्टरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो, लन्दन द्वारा समुद्री परिवहन पर संयुक्त रूप से आयोजित विचार गोष्ठी में यह माना गया था कि समुद्री बीमा में धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले तीसरी दुनिया के देशों में हुए थे;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि धोखाधड़ी बीजकों, लदान पत्रों, ऋण-पत्रों तथा बीमा पालिसियों जैसे दस्तावेजों की जालसाजी करके किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के कारण न केवल बीमाकृत व्यक्तियों बल्कि देश को भी नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो इन आपराधिक गतिविधियों जिनमें लाखों रुपए का व्यय घाटा शामिल है, को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि आल इण्डिया शिपर्स काउंसिल और इन्टरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो, लन्दन द्वारा मार्च, 1985 में बम्बई में नौवहन (मैरीटाइम) और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के विषय पर संयुक्त रूप से एक गोष्ठी आयोजित की गई थी और यह भी मालूम है कि नौवहन संबंधी धोखाधड़ी के मामलों का सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों को भेजे गए माल पर पड़ता है।

(ख) नौवहन संबंधी धोखाधड़ी के मामले कई प्रकार के होते हैं और इनमें से एक है कागजात में की जाने वाली हेराफेरी जिसमें बिक्री के बीजकों, लदान-पत्रों, साख-पत्रों आदि

जैसे कागजात में जालसाजी करके धोखाधड़ी की जाती है, किन्तु बीमा पालिसियों में कोई धोखाधड़ी नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) कागजात संबंधी धोखाधड़ी के मामलों पर निगरानी रखने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सतर्क कर दिया है और उसने इस दिशा में बैंकों द्वारा एहतियाती तौर पर किए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में उन्हें अनुदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आयातकों द्वारा मूलभूत विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमनों का पालन किए जाने की अनिवार्यता और उन सीमाशुल्क पत्रों के इन्दराजों की प्रतियों को, जिनमें आयातों के संबंध में की गई अदायगियों की दोहरी जांच के रूप में भारत में किए गए माल के वास्तविक आयात का प्रमाण दिया गया हो, दर्ज करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में वाणिज्य परिमंडलों और विभिन्न अन्य व्यापारिक संस्थाओं की भी अनुदेश जारी कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय साधारण बीमा निगम ने इन धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए बहुत से उपाय निकाले हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) भारत से निर्यात माल भरकर भारतीय पत्तनों से रवाना होने वाले जहाजों की जांच-पड़ताल की जाती है।

(ii) सुदूर-पूर्वी दशों से आयातों को लाने वाले जहाजों के चयन के संबंध में मार्ग-निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

(iii) जहाजों के चयन के मामले में भारतीय राज्य व्यापार निगम जैसे थोक आयातकों के लिए मार्ग-निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

केरल सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिये मांगी गई सहायता

3872. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने केंद्रीय सरकार से वर्ष 1984-85 के दौरान (पहली छमाही तक) हथकरघा क्षेत्र के लिये कितनी सहायता मांगी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 की पहली छमाही के दौरान केरल सरकार से जनता कपड़े के उपदान के लिए 7.37 लाख रु० की राशि रिलीज करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों में से 5.25 लाख रु० की राशि केरल राज्य को 30 सितम्बर, 1985 तक रिलीज कर दी गई थी।

काफी उत्पादकों की कठिनाइयां

3873. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी उत्पादक किन-किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का काफी बोर्ड में काफी उत्पादकों का वर्तमान प्रतिनिधित्व 10 से अधिक करने का विचार है; और

(ग) अधिक उत्पादन और बाह्य बाजारों में कड़ी प्रतियोगिता के कारण काफी उत्पादकों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के समाधान हेतु सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ख़ुर्शीद आलम खां) : (क) काफी उपजकर्ताओं को किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वर्षों से उन्हें अच्छी तथा लाभप्रद प्राप्तियां हो रही हैं। काफी बोर्ड समय-समय पर उठने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाता रहा है।

(ख) तथा (ग) गत दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान निर्यात काफी अधिक होने की आशा है। अधिक निर्यात कोटे की सम्भाव्यता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का रुख रहा है। बोर्ड के पिछले गठन के दौरान काफी उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त काफी के अनुसंधान/विपणन/प्रबंध में प्रमुख व्यक्तित्व की श्रेणी के अंतर्गत एक अन्य काफी उपजकर्ता आ रहा है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिये वित्तीय संस्थान की स्थापना

3874. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य समुदाय के समन्वित विकास संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पद्धति पर मत्स्य क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय मत्स्य विकास बैंक नाम की एक वित्तीय संस्थान स्थापित की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नवम्बर, 1985 में राष्ट्रीय मछुआरा संघ द्वारा "मछुआरा समाज का समन्वित विकास" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संघ ने संगोष्ठी में की गई सिफारिशें अभी तक नहीं भेजी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान में झींगा मछली के निर्यातकों से आगे बढ़ना

3875. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में ताइवान ब्लैक टाइगर झींगा मछली बाजार में भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यातकों से आगे बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो जापान को होने वाले भारतीय झींगा मछली के निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस दौड़ में भारत बंगलादेश से भी पिछड़ गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार दूसरे बाजारों का पता लगाने और निर्यातकों के गिरते मनोबल को उठाने और उन्हें ताइवान के साथ प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने हेतु घटते बढ़ते मूल्यों के लिए कुछ नकद मुआवजा समर्थन के रूप में देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ख़ुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) 1984 की उसी अवधि की तुलना में 1985 में प्रथम कुछ महीनों के दौरान जापान को ब्लैक-टाइगर झींगा मछली के हमारे निर्यातों में गिरावट आई। यह गिरावट कलकत्ता क्षेत्र में टाइगर झींगा के कम उतराई

के कारण हुई। तथापि, इस अवधि के दौरान ताइवान तथा बंगलादेश अपनी विकसित उतराई तथा जापान में झींगा मछली की अधिक मांग को पूरा करने में सफल हो गए। इसके बावजूद, गत तीन वर्षों की तुलना में जापान को भारतीय टाइगर झींगा मछली के निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जापान को हमारे कुल निर्यात में सीमान्त वृद्धि हुई है।

(ड़) सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे : बाजार सर्वेक्षण, विदेशों में अध्ययन दल तथा प्रतिनिधि मंडल तथा विशेषीकृत मेलों में भागीदारी, अन्य बाजारों में प्रवेश। डिब्बाबंद झींगा मछली तथा आई०क्यू०एफ० जमी हुई झींगा मछली पर नगद प्रतिपूर्ति सहायता पहले ही उपलब्ध है।

अनिवार्य स्टाक विकल्प योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम

3876. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों और मजदूरों के लिये पिछले वर्ष अगस्त महीने के पहले सप्ताह में घोषित अनिवार्य स्टाक विकल्प योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) किन-किन कम्पनियों पर यह योजना लागू की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) संसद में घोषित दो योजनाओं एक अनिवार्य और दूसरी स्वेच्छिक के लिये जारी किये गये मार्ग निर्देशों को वास्तव में किस प्रकार लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लोक-सभा में पहली अगस्त, 1985 को वित्त मंत्री द्वारा कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए शेयर (स्टाक) भागीदारी विकल्प योजना की घोषणा किए जाने के बाद से, पूंजी निर्गम नियंत्रक ने, 139 कम्पनियों को अपने कर्मचारियों को, शेयर पूंजी जारी करने के उनके प्रस्तावों के आधार पर शेयर जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की थी। उन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अनिवार्य योजना को कम्पनियों द्वारा नई पूंजी जारी करने के लिए आवेदन करने पर जारी किए जाने वाले अभिस्वीकृति आदेशों में एक शर्त का समावेश करके लागू किया जा रहा है। चूंकि अन्य योजनाएं स्वैच्छिक हैं इसलिए कम्पनियों को अपने कर्मचारियों के हित में योजना को अपनाने के मामले में विकल्प प्राप्त है।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम, जिनको पूंजी निर्गम नियंत्रक ने, शेयर पूंजी जारी करने के उनके प्रस्तावों आधार पर अपने कर्मचारियों के नाम शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की है

1. इण्डियन शेविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2. इस्पात एलायज लि०
3. बलवल स्पिनिंग मिल्स लि०

4. गुजरात विनिल केमिकल्स लि०
5. कालवेल कैन्स (इंडिया) लि०
6. जे० के० लीजिंग कं० लि०
7. भारत इनवेस्टमेंट ग्रोथ लि०
8. रीको आटो इंडस्ट्रीज लि०
9. प्रियदर्शिनी थेड लि०
10. सिप्त कोटेड स्टील्स लि०
11. गिफको फाइनेंस लि०
12. जी०बी०के० होटल्स लि०
13. यूनीप्रोडक्ट्स (इंडिया) लि०
14. प्लेजेंट होटल्स लि०
15. पोलीफिल लि०
16. ईस्टर इंडिया लि०
17. कृष्ण सिरेमिक्स लि०
18. पोलीप्लेक्स कारपोरेशन लि०
19. गुजरात अम्बुज सीमेंटेस लि०
20. एम०आई०सी० आटो एंसीलरीज लि०
21. इंडिया इक्विपमेंट लीजिंग लि०
22. यूटिलिटी इन्जीनियर (इंडिया) लि०
23. फैरो कंकरीट कम्पनी (इंडिया) लि०
24. ग्रोवर लीजिंग लि०
25. टर्बो एनर्जी लि०
26. रासी लीजिंग लि०
27. एशिया स्टील एंड एलायज लि०
28. ग्लोरिया लीजिंग लि०
29. आई०एस०पी०एल० इंडस्ट्रीज
30 हरियाणा पेट्रोकेमिकल्स लि०
31. वार्न इंडस्ट्रीज लि०
32. हरियाणा मेलिएबल एण्ड एलाय कास्टिंग्स लि०
33. प्रीमियर एक्स्ट्रेक्शन्स लि०
34. फोटोफोन इंडस्ट्रीज इंडिया लि०
35. माहेश्वरी प्रोटीन्ज लि०
36. सिद्ध विनायक इन्वेस्टमेंट लि०
37. ग्वालियर स्ट्रिप्स लि०
38. न्यूज पेपर लि०
39. इलेक्ट्रोनिक्स लि०

40. संसार फाइनेंशियल सर्विसेज लि०
41 एसोटेक्स इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि०
42. कोचर आयल मिल्स लि०
43. जी०एस० आटो इंटरनेशनल लि०
44. मोदी जौरेक्स लि०
45. फूड स्पेशियेलिटीज लि०
46. हिम कंटेनर्ज लि०
47. आर०एन० विडसर (इंडिया) लि०
48. स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया लि०
49. हीरो फाइवर्स लि०
50. सराफ सिंथेटिक्स (राजस्थान) लि०
51 जे०बी० केमिकल्स एंड फार्मास्यूटि कल्स लि०
52. गोल्डन प्रोटीन्स लि०
53. सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०
54. हिन्दुस्तान टाइम्स लि०
55. एन०जी० एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज लि०
56. अनाग्राम फाइनेंस लि०
57. रेनवैक्सी लेबोरेट्रीज लि०
58 फर्स्ट लीजिंग कम्पनी आफ इंडिया लि०
59. बी०डी० स्टील कास्टिंग्स लि०
60. इंटीग्रेटेड फाइनेंस कम्पनी लि०
61. खैतान इलेक्ट्रिकल्स लि०
62. प्रीमियर मिल्स लि०
63. चेतक कंस्ट्रक्शन्स लि०
64. सियाराम सिल्क मिल्स लि०
65. बम्बई एक्सट्रेक्शन्स लि०
66. एस०आर०एफ० निपेंडस लि०
67. मोदी सीमेंट लि०
68. इंडो स्विंग लि०
69. मेग्ना हार्डटेम्प लि०
70. प्रीमियर एक्सट्रेक्शन्स लि०
71. बाइमेटालिक स्टील एंड एलायज लि०
72. यू०बी०एम०ई०सी० बैटरीज लि०
73. टाटा टी० लि०
74. पार्थसारथी सीमेंट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०
75. शावैलेस गैलेटीन लि०

76. फुलर के०सी०पी० लि०
77. ओम सिंघ्यारी होटल्स लि०
78. मुरूगप्पा इलेक्ट्रोनिक्स लि०
79. न्यूमेक एम्पालेज लि०
80. बाइफ्रा वाच कम्पनी लि०
81. माजदा लीजिंग लि०
82. वेस्ट एण्ड क्रोम्पटन इन्जीनियरिंग लि०
83. इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चर्स लि०
84. अशोक प्रोटीन्स लि०
85. विनायक सिंथेटिक्स लि०
86. हायसाला ब्लो मोल्डर्स (इण्डिया) लि०
87. अंसल हाऊसिंग एण्ड फार्नेस एण्ड लीजिंग कं० लि०
88. उषा रेक्टीफायर कारपोरेशन (इण्डिया) लि०
89. विजय कमर्शियल क्रेडिट लि०
90. तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लि०
91. पावरफलो लि०
92. कोलम्बिया इलेक्ट्रोनिक्स लि०
93. मगध स्पन पाइप लि०
94. मेग्नेटिक्स (इंडिया) लि०
95. उड़ीसा सिंथेटिक्स लि०
96. भोपाल उद्योग लि०
97. प्रीमियर वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि०
98. सुदर्शन सीमेंट्स लि०
99. रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल्स कं० लि०
100. क्वालिटी स्टील ट्यूब्स लि०
101. अपकोम केबुल्स लि०
102. त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स लि०
103. ओनेक्स आटोज लि०
104. एस०आर० फोर्जिन्स लि०
105 शिवालिक फर्टिलाइजर्स लि०
106. हिमाचल फाइबर्स लि०
107. इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ इंडिया लि०
108. फार्दरन इंटरप्राइजेज लि०
109. माजूली टी० कम्पनी इण्डिया लि०
110. प्रशान्त प्रोटीन्ज लि०
111. स्वदेशी एलायज लि०

112. गांधी स्पेशल 07 ट्यूब्स लि०
113. ईस्टर्न सर्किट्स लि०
114. ग्रेट एटंबुड लि०
115. श्री विष्णु सीमेंट लि०
116. यूटिलिटी बिल्डर्स एण्ड लीजिंग (इण्डिया) लि०
117. किर्लोस्कर लीजिंग एण्ड फाइनेंस लि०
118. अतास लीजिंग एंड फाइनेंस लि०
119. ए०के० स्ट्रक्युरल फोम लि०
120. स्टालियन शाक्स लि०
121. सुरेन्दु ओवरसीज लि०
122. मलावार बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि०
123. एप्पल लीजिंग एंड कम्प्यूटर्स लि०
124. टी०टी०के० फार्मा० लि०
125. पी०एल० फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लि०
126. फोरबेस फोरबेस कैम्पवैल एंड कम्पनी लि०
127. हमीमराम जयचन्द फोजिंग्स प्रा०लि०
128. इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
129. डब्ल्यू० एस० एन्सुलेटर्स आफ इंडिया लि०
130. पंजाब ट्रेक्टर्स लि०
131. सतिया पेपर मिल्स लि०
132. एनफील्ड इंडिया लि०
133. मानक केमिकल्स लि०
134. वाटलीवाई एंड कम्पनी लि०
135. उषा माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल्स लि०
136. बंगलौर लीजिंग लि०
137. परसराम फूडिया सिंथेटिक्स लि०
138. रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि०
139. मैक-शैवक्स (इंडिया) लि०

अग्रिम नि:शुल्क लाइसेंस प्राप्त निर्यातकों द्वारा निर्यात दायित्व का उल्लंघन

3877. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम नि:शुल्क लाइसेंस प्राप्त निर्यातकों ने निर्यात दायित्व का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका नाम और पता, निर्यात उत्पाद कच्चे माल की मात्रा/मूल्य आदि को दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार अपवंचित भारी सीमा शुल्क की वसूली करने के लिए तथा ऐसे अनाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या ऐसे निर्यातकों को दंड दिया जायेगा और उन्हें जैसे निर्यात पुरस्कार, राष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी की सहायता आदि जैसी अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :(क) जी हां, निर्यात दायित्व में चूक के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) ऐसे ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं ये एकत्र किए जाएंगे और यथा समय भेज दिए जाएंगे।

(ग) सीमा शुल्क वसूली के लिए ऐसे प्रत्येक मामले में कार्यवाही की जाती है।

अग्रिम लाइसेंस देने की योजना की सतत समीक्षा की जाती है और प्राप्त तजुर्बे को देखते हुए योजना के दुरुपयोग की गुंजाइश को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) आयात व्यापार नियंत्रण उपबन्धों का उल्लंघन के स्वरूप और सीमा को ध्यान में रखते हुए एक निर्यातक पर अभियोग चलाने का निर्णय लिया जाता है।

वारित फर्मों को निर्यात पुरस्कार तथा एम डी ए सहायता जैसे संरक्षण नहीं दिए जाते हैं।

हांगकांग के कच्चे हाथीदांत का आयात

3878. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क मुक्त अग्रिम आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात की तुलना में "ओपन जनरल लाइसेंसों" के अंतर्गत बम्बई मद्रास और कलकत्ता पत्तनों से 90 अमरीकी डालर प्रति किलोग्रम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से आधी कीमत पर कच्चे हाथीदांत का हांगकांग से आयात किया जा रहा है और सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे आयात की अनुमति दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप देश को सीमा शुल्क की भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार गत चार वर्षों के दौरान ओपन जनरल लाइसेंसों के अंतर्गत किये गये आयात की विशेष लेखा परीक्षा कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये जा रहे दिशानिर्देशकों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस प्रकार की कोई अनियमितताएं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) तथा (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालय के पास नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बवंडर से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण

3879. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में बवंडर से प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य ब्याज और आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अगस्त, 1984 को सूखा, बाढ़, बवंडर आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले राहत संबंधी उपायों के बारे में संशोधित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि विद्यमान दिशा निर्देश उन क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर भी लागू होते हैं, अत: ये राज्य अपने आप इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

इन दिशा निर्देशों में विद्यमान ऋणों के परिशोधन कार्यक्रम का पुन: निर्धारण अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सुविधाओं का प्रावधान, मार्जिन में कटौती या माफी, जमानत के मापदण्डों में ढील, उपभोग ऋणों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार रियायती ब्याज दर की परिकल्पना की गई है।

नारियल के तेल और नारियल के आयात पर प्रतिबन्ध

3880. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में नारियल और नारियल के तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त आयात के कारण देश में नारियल के उत्पादक भारी संकट में पड़ गए हैं और उन्हें उनके उत्पादों का लाभ मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नारियल उत्पादकों को बर्बादी से बचाने के लिये नारियल और नारियल के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने, जोकि सरणीकरण अभिकरण है, गत तीन वर्षों के दौरान निम्नोक्त प्रकार आयात किए:—

	1982-83	1983-84	1984-85
1. खोपरा (कोकोनट)	शून्य	शून्य	शून्य*
2. खोपरे का तेल	शून्य	शून्य	लगभग 9000 एम टन

इसके अतिरिक्त निर्यात उत्पादन के लिए एक सीमित सीमा तक भी खोपरे के तेल के आयात की अनुमति है, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सन ड्राई खोपरा के 1060 मे० टन के आयात के लिए एक लाइसेंस मे० इण्डिया कोकोनट आयात इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता को 13.3.1985 को जारी किया गया।

(ख) खोपरे के तेल का लगभग 9000 एम टन आयात का 1982 में सूखे के परिणाम स्वरूप मूल्यों पर दबाव को कम करने के लिए अप्रैल 1984 में एक समय संचालन के रूप में किया गया।

(ग) खोपरा तथा खोपरे के तेल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा विनियमित होता है। प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिये निर्यातकों द्वारा आयात हकदारी को देखते हुए तथा घरेलू कीमतों पर कम प्रभाव को देखते हुए नगण्य हैं।

[हिन्दी]

पर्यटक आवास आदि के निर्माण के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति का कार्यक्रम

3881. **श्री जितेन्द्र सिंह :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यात्री आवास विकास समिति का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक पर्यटक आवास धर्मशालाएं और सरायों के निर्माण के लिए कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या अयोध्या वैशाखी, कुशीनगर, राजअली को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यह समिति पर्यटक गृहों का निर्माण नहीं करती, परन्तु तीर्थ-स्थानों पर उन्नत प्रकार की धर्मशालाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें "यात्रिका" कहकर पुकारते हैं।

(ख) भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने यह बताया है कि उन्होंने अयोध्या कुशी नगर और राजगढ़ को सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान यात्रिकाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थानों की विस्तृत सूची में शामिल किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि

3882. **श्री जितेन्द्र सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों के आयात में वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में 26.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार को सन्तुलन को देश अनुकूल बनाने के हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है जिससे आयात बन्द किया जा सके ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहनों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रत्येक राज्य का प्रति व्यक्ति घाटा

3883. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को प्रत्येक राज्य का प्रति व्यक्ति घाटा कितना था और इस घाटे

को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के घाटे में कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है तथा कितना सुधार हुआ है; और

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग से केन्द्र राज्य संबंधों के इस पहलू पर विचार करने के लिए कहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, की स्थिति के अनुसार राज्यों का प्रति व्यक्ति घाटा दर्शाने वाला विवरण—1 सभा पटल पर रखा जाता है। भारत सरकार ने 28.1.1985 को भार भारतीय रिजर्व बैंक में राज्यों के ओवरड्राफ्ट की 90 प्रतिशत राशि को मध्यावधि ऋण में बदलने का निर्णय किया था। इस निर्णय के अनुसरण में 1 अक्तूबर 1985 को राज्यों को 1628.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों का घाटा दर्शाने वाला विवरण—2 सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) केंद्र-राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण तंत्र की जांच करने वाला आयोग अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सम्बन्धों की भी जांच करेगा।

विवरण—1

प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति घाटे के बारे में 13.12.1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3883 के भाग (ख) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखा गया 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार राज्यों का प्रति व्यक्ति घाटा दर्शाने वाला विवरण—पत्र

राज्य	31.3.1985 की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति घाटा
	(रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	43.40
2. असम	86.15
3. बिहार	11.12
4. गुजरात	14.36
5. हरियाणा	84.94
6. हिमाचल प्रदेश	76.07
7. जम्मू तथा कश्मीर	70.75
8. कर्णाटक	68.92
9. केरल	80.69
10. मध्य प्रदेश	34.44
11. महाराष्ट्र	4.33

1 2	3
12. मणिपुर	223.01
13. नागालैंड	539.84
14. उड़ीसा	32.17
15. पंजाब	66.10
16. राजस्थान	3.61
17. सिक्किम	235.13
18. तमिलनाडु	17.73
19. उत्तर प्रदेश	42.79
20. पश्चिम बंगाल	33.88

विवरण-2

प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति घाटे के बारे में 12.12.1985 को पूछे गए अंतारांकित प्रश्न सं० 3883 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखा गया पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों के अधिशेष/घाटे को दर्शाने वाला विवरण—पत्र

(करोड़ रुपये)

राज्य	31.3.1982 को समायोजित अधिशेष (+)/घाट(-)	31.3.1983 को समायोजित अधिशेष (+)/घाटा(-)	31.3.1984 को समायोजित अधिशेष (+)/घाटा(-)
1. आन्ध्र प्रदेश	-18.95	+9.19	-72.81
2. असम	-127.43	-30.87	-81.86
3. बिहार	-197.39	-235.36	-143.35
4. गुजरात	-74.60	+42.15	-10.55
5. हरियाणा	-75.79	-66.87	-30.63
6. हिमाचल प्रदेश	-36.91	-11.36	-22.76
7. जम्मू कश्मीर	+2.00	+0.85	- 2.35
8. कर्णाटक	+1.37	-45.54	-77.73
9. केरल	-93.93	- 1.48	-75.24
10. मध्य प्रदेश	-154.88	-64.45	-79.50
11. महाराष्ट्र	-81.40	+23.58	- 6.73
12. मणिपुर	-66.29	-17.58	-18.71
13. मेघालय	-16.41	- 4.55	- 6.99
14. नागालैण्ड	-21.96	-18.94	-37.59
15. उड़ीसा	-24.43	-55.96	+51.91

1 2			3
16. पंजाब	−97.35	+25.60	−83.19
17. राजस्थान	−283.46	−26.07	+ 8.66
18. सिक्किम	एन० ए०	− 0.01	− 2.64
19. तमिलनाडू	+20.05	−20.45	−42.43
20. त्रिपुरा	−30.72	− 5.13	− 8.57
21. उत्तर प्रदेश	− 0.85	−86.00	−138.61
22. पश्चिम बंगाल	−340.71	−82.51	−106.73
जोड़ :	−1720.04	−671.76	−995.40

एन० ए० : उपलब्ध नहीं है ।

बिलासपुर में श्री नैना देवी में यात्री विश्रामालय (सराय) का निर्माण

3884. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी में एक यात्री निवास (सराय) का निर्माण आरम्भकिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति की तारीख, अनुमानित लागत, और निर्माण कार्य आरम्भ होने की तारीख क्या है;

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है, और कार्य पूरा होने के समय अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत):(क) से (घ) भारतीय यात्री विकास समिति ने नैना देवी में एक यात्रिका के निर्माण की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा यात्रिका के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का अभिनिर्धारण और आबंटन नहीं किया गया है ।

रुई के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

3885. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रुई पाकिस्तान से आयात बन्द करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध पर कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले पर विचार करते समय आयात की वर्तमान परम्परा तथा इस पर प्रतिबन्ध लगाने के अनुरोध को ध्यान में रखा गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम०शेर आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) रुई के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय देश में मांग व पूर्ति की स्थिति तथा कीमत प्रवृतियों को ध्यान में रखकर लिये जाते हैं। सरकार ने गत रुई मौसम के दौरान मध्यम स्टेपल रुई की 1.00 लाख गांठों की मात्रा आयात करने का निर्णय लिया था। तथापि देश में रुई की स्थिति में परिवर्तन को देखते हुए, निर्णय लिया गया था कि केवल 75,000 गांठों का ही आयात किया जाए।

इलायची, नारियल तथा काफी के मूल्यों में कमी

3886. **श्री तम्पन थामस :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची, नारियल और काफी के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) क्या केरल में इलायची की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नारियल के उत्पादकों से नारियल की कीमत में कमी आने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या कफी के समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) ब्राजील में फसल खराब होने की रिपोर्ट मिलने के कारण काफी की कीमतों में तेजी के वृद्धि की प्रवृति दिखाई दे रही हैं। काफी की कीमतें घरेलू बाजार के लिए एकत्रीकरण प्रक्रिया द्वारा और निर्यातों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार द्वारा विनियमित होती हैं।

नारियल तथा इलायची की कीमतों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कमी के कारण विगत में इन वस्तुओं की कीमतों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है परन्तु अब ये गिर कर पहले की चालू कीमत के तुलनात्मक स्तर पर आ गई हैं।

इलायची बोर्ड इलायची की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ताकि लागत कम हो और फसल अधिक लाभकारी हो।

उड़ीसा में चूना-पत्थर फायर क्ले तथा चीनी मिट्टी के संसाधनों का उपयोग

3887. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में उपलब्ध चूना-पत्थर फायरक्ले तथा चीनी मिट्टी के संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जाने वाली हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं के बदले पाकिस्तान से कपास का आयात

3888. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं के बदले पाकिस्तान से कपास का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से करती आ रही है और अब तक पाकिस्तान कपास की कितनी गांठे आयात की जा चुकी हैं;

(ग) इस बारे में पाकिस्तान के साथ किये गये करार का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) 1981-82 रुई मौसम से अब तक पाकिस्तान से 1.25 लाख गांठों की कुल मात्रा (50,000 गाठें 1981-82 मौसम और 75,000 गाठें 1984-85 में) आयात की गई जो कि सीधे भुगतान के आधार पर थी न कि गेहूं के बदले में।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन संवर्द्धन

3889. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन का संवर्द्धन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप-समूहों के लिए इन कुछ द्वीपों की पर्यटक संभाव्यता और परिस्थिति व पर्यावरण संबंधी पहलुओं जैसी दोनों बातों का ध्यान रखते हुए सरकार चयनात्मक आधार पर पर्यटन का संवर्धन करने का प्रस्ताव रखती है। आधार-संरचना संबंधी अपेक्षाओं का अभिनिर्धारण करने के लिए, पर्यटन मन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने अक्तूबर 1985 में अण्डमान की यात्रा की थी। इस दल के सुझाव विचाराधीन हैं।

पूर्वी पाकिस्तान में शत्रु संपति के लिये मुआवजे के लम्बित पड़े मामले

3890. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में शत्रु संपति के लिये मुआवजे के कितते मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन दावों के कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) बंगलादेश बनने से पूर्व शत्रु सम्पति अभिरक्षक, बम्बई के पास अनुग्रह पूर्वक भुगतान के लिए मूल रूप से 3944 दावे पंजीकृत किए गए थे। इसमें से 41 दावे निपटान के लिए लम्बित हैं। बंगलादेश बनने के बाद 53,549 दावे किए गए जिनमें मे 14,560 लम्बित हैं। ऐसी आशा है कि तीन वर्षों की अवधि में सभी लम्बित दावों का निपटान हो जाएगा।

ग्रुप आफ 77 द्वारा टेरिफ कम किया जाना

3891. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संबंधी प्राथमिकताओं की विश्वव्यापी प्रणाली के अन्तर्गत ग्रुप आफ

77 से संबंधित लगभग 40 विकासशील देश आपसी हित की मदों पर टैरिफ कम करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह कमी करने का सुझाव दिया है;

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत कौन-कौन सी मदें शामिल होंगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में समझौते के कब तक अन्तिम रूप से तैयार होने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां):(क) और (ख) अक्तूबर, 1982 में न्यूयार्क में "77" के समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक में पारित घोषणा के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की एक विश्वव्यापी प्रणाली (जी० ए० टी० पी०) की स्थापना के लिए वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया गया। घोषणा के अन्तर्गत टैरिफ, गैर-टैरिफ अवरोधों और दीर्घकालिक संविदाओं सहित प्रत्यक्ष व्यापार उपायों के क्षेत्र में वार्ताओं की व्यवस्था है। जुलाई, 1985 में "77" के समूह ने विकासशील सदस्य देशों की एक मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई 1985 में नई दिल्ली में व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली संबंधी वार्ताओं की सतत प्रक्रिया को राजनीतिक बल देने और व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली के लिए बुनियादी नियमों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया को अग्रनीत करने के लिए की गई।

इस बैठक में प्रारित घोषणा में यह सहमति व्यक्त की गई कि जी० एस० टी० पी० संबंधी वार्ताकारी समिति को परम्परागत उत्पाद-प्रतिउत्पाद दृष्टिकोण के अलावा जी० एस० टी० पी० वार्ताओं के लिए प्रथम दौर के लिए तकनीकी तथा रूपात्मकताओं के विस्तार के लिए कतिपय अनुपूरक बातों पर विचार करना चाहिए । ये अनुपूरक बाते हैं: (i) 10 प्रतिशत तक एक अधिमान मार्जिन के जरिए जहाज अन्तरण टैरिफ कटौती: (ii) गैर-टैरिफ तथा पैरा-टैरिफ उपायों का समाप्त किया जाना अथवा उनमें कमी, जिनमें उस उत्पाद के सम्बन्ध में जिस पर टैरिफ रियातों के बारे में वार्ता की गई है, नये गैर-टैरिफ अवरोध न लगाने अथवा मौजूदा अवरोधों को गहन न बनाने के लिए सहभागी देशों द्वारा एक वचनबद्धता शामिल है, (iii) सहभागी देशों के लिए उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक महत्व के क्षेत्रों जैसे कि गैर-टैक्सटाइल हस्तशिल्प, साधित ट्रापिकल उत्पाद, वस्त्र तथा कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान और (iv) विकासशील देशों के बीच, संसाधन, वितरण तथा विपणन के अपेक्षाकृत अधिक बड़े स्तर के जरिए व्यापार तथा विकास के संवर्धन के लिए उत्पाद परामर्शों का आयोजन।

अब तक 77 के समूह के 57 विकासशील देशों और दो आर्थिक समूहों ने जी० एस० टी० पी० की स्थापना के लिए वार्ता में भाग लेने के अपने आशय के बारे में अंकटाड सचिवालय को सूचित किया है। इन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिये हैं। इनमें से 20 देशों और कैरिबियाई समुदाय ने रियायतें प्राप्त करने के लिए अपने निर्यात उत्पादों की सूचियां अंकटाड सचिवालय को भेज दी है।

जी० एस० टी० पी० की स्थापना से व्यापार अवरोधों में कमी करने और अन्य उपायों के जरिये विकासशील देशों के बीच व्यापार विनिमय के विस्तार की संभावना है। इससे भारत और साथ ही अन्य विकासशील देशों को लाभ होगा।

(ग) वार्ताओं में सभी उत्पाद, जिनमें भाग लेने वाले देश रुचि रखते हैं, कवर किए जाने की आशा है।

(घ) नई दिल्ली में मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनाई गई घोषणा में विचार विमर्श के लिए सहमत समय-तालिका के अनुसार जी० एस० टी० पी० सम्बन्धी बातचीत का पहला दौर 1 मई, 1986 के बाद आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए और 1 मई, 1987 से पूर्व समाप्त किया जाना चाहिए।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्होंने जी० एस० टी० पी० की स्थापना के लिए वार्ताओं में भाग लेने के अपने आशय की सूचना अंकटाड सचिवालय को दी है।

1. अल्जीरिया
2. अर्जेन्टीना
3. बहरिन
4. बंगलादेश
5. बोलिविया
6. ब्रेजिल
7. सी० ए० आर०
8. चिली
9. कोलम्बिया
10. कांगो
11. कोस्टारिका
12. क्यूबा
13. साईप्रस
14. डेमोक्रेटिक यमन
15. इक्वेदार
16. इम्यूपत
17. ईएल साल्वेदर
18. घाना
19. गोतेमाला
20. होंडुरास
21. भारत
22. इण्डोनेशिया
23. ईरान
24. इराक
25. इवोरी कोस्ट
26. जामिका
27. कुवैत
28. मदगास्कर
29. मलेशिया
30. मेक्सिको
31. मौरक्को
32. निकरगुआ
33. निगेरिया
34. ओमन
35. पाकिस्तान
36. पी० एल० ओ०
37. पेरु
38. फिलीपन्स
39. कतर
40. रिपब्लिक आफ कोरिया
41. रोमानिया
42. सऊदी अरब
43. सिंगापुर
44. सोमालिया
45. श्रीलंका
46. सुडान
47. सीरिया अरब रिपब्लिक
48. थाईलैण्ड
49. टुनिशिया
50. युनाइटिड पब्लिक आफ तंजानिया
51. उरुगे
52. वेनुजुआ
53. वियतनाम
54. यमन अरब रिपब्लिक
55. युगोस्लाविया
56. जैरे
57. जीम्बाबिया
58. कैरिकोम (अर्थात् अंटीगुआ, बहमास, बारबडोस, बेलिजे, डोमिनिक गांडा, गुयाना, एसटी, किट्स, एस०टी० लुकुआ, एस० टी० विनसेंट, त्रिनदाद और तोबागो, मोंटसेरात),
59. जुनाम, लिमा

आल इण्डिया रिजर्व बैंक स्टाफ आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन:

3892. **श्री महेन्द्र सिंह**
श्री आनन्द सिंह } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रिजर्व बैंक स्टाफ आफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में 11 अक्तूबर, 1985 को संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थिति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भवन के बाहर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये मांगे रिटायर होने की आयु बढ़ाने, महंगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन करने तथा संशोधित वेतनमानों को 1-7-1983 की पहले की तारीख से लागू करने के सम्बन्ध में थीं सरकार ने रिटायर होने की आयु को बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू महंगाई भत्ते का फार्मूला अपनाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की भांति वेतन संशोधन भी 1.2.1984 से लागू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

"करोड़ों रुपयों का धन मिला" शीर्षक समाचार

3893. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "करोड़ों रुपयों का काला धन मिला" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी नकदी, सोना तथा आभूषण बरामद हुए ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे उपर्युक्त चीजें बरामद हुईं;

(घ) उनमें प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनकी धनराशि लौटानी पड़ी; और

(च) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध इस समय जांच चल रही है तथा जांच कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) प्रश्न में उल्लिखित समाचार दिल्ली, बम्बई और गाजियाबाद के टिन प्लेट व्यापारियों तथा जयपुर के स्थावर सम्पदा के व्यापारियों के मामलों में ली गई तलाशियों के बार में है। टिन प्लेट के व्यापारियों के मामलों में ली गई तलाशियों में लगभग 29.51 लाख रुपये की नकदी, लगभग 47.44 लाख रुपये के जेवर-जवाहरात तथा 16.85 लाख रुपये मूल्य के प्रनोट पकड़े गये। स्थावर संपदा के व्यापारियों के मामलों में ली गई तलाशियों में 6 लाख रुपये की नकदी, 4.25 लाख के जेवर-जवाहरात तथा 5.16 लाख रुपये मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र आदि अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी

गईं । जिन व्यक्तियों के समूहों की तलाशी ली गई उनके नाम इस प्रकार हैं :—

जिन टिन प्लेट व्यापारियों के मामलों में तलाशियां ली गईं	जिन स्थावर सम्पदा व्यापारियों के मामलों में तलाशियां ली गईं
1. मामचन्द समूह	1. धर्म चन्द जैन तथा परिवार
2. राधेश्याम समूह	2. जगदीश प्रसाद शर्मा तथा अन्य
3. ए० सी० बत्रा समूह	3. दामोदर प्रसाद हल्दिया तथा परिवार
4. भगवानदास चमन लाल समूह	4. सतेन्द्र कुमार चौधरी तथा अन्य
5. चुन्नी सिंह समूह	5. विजय कुमार सदरंगनानी
6. मैसर्स आर्यन ट्रेडिंग कं०	6. सांवरमल लोहिया
7. सी० एल० अमरनाथ एण्ड सन्स समूह	7. विद्या सागर जैन
8. परमानन्द विजय कुमार समूह	8. न्यू पिंक पिटी गृह निर्माण सहकारी समिति
9. शांतिलाल समूह	9. नव जीवन गृह निर्माणसहकारी समिति
10. विविध समूह (टिन प्रिंटर)	

आयकर अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद अघोषित आय का अनुमान लगाते हुए आदेश पारित कर दिये गये हैं । जयपुर में ली गई तलाशियों के सम्बन्ध में इन आदेशों के परिणामत: लगभग 60,000/-रु० मूल्य के 280 ग्राम वजन के स्वर्ण आभूषण तथा जेवर-जवाहरात श्री अरविन्द चौधरी तथा श्रीमती सुमन चौधरी को दे दिये गये हैं । टिन प्लेट व्यापारियों के मामलों में वापसी योग्य कुछ भी नहीं पाया गया था । ऊपर उल्लिखित सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक जांच-पड़ताल चल रही है जिसकी एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा विज्ञापनों और उपहारों पर खर्च की गयी धनराशि

3894. **श्री राजकुमार राय** : क्या वस्त्र मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लालइमली धारीवाल के विज्ञापन शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) लाल इमली द्वारा ज्योतिषी सम्मेलन के दौरान वितरित किए गए उपहारों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 के दौरान विज्ञापनों पर दि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर द्वारा 42.66 लाख रु० की राशि खर्च की गई ।

(ख) ज्योतिष सम्मेलन के दौरान कानपुर वूलन मिल्स कानपुर (व्यापारिक नाम लाल इमली) द्वारा कोई उपहार वितरत नहीं किये गए ।

[अनुवाद]

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

3896. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने सुझाव दिया है कि पटसन मिलों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यबल को युक्तियुक्त बनाने के कार्य से सम्बद्ध किया जाये;

(ख) यदि हां, तो संघ के सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पटसन मिल संघ का पश्चिम बंगाल में कार्यबल के सम्बन्ध में अनुमान क्या है जिसे आगामी कुछ वर्षों में युक्तियुक्त बनाना पड़ेगा ;

(घ) इस मामले में मजदूर संघों का रवैया क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन से अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना

3899. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजलैंड ने संयुक्त उद्यमों की स्थापना में भारतीय उद्योगपतियों की सहायता करने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के साथ कोई करार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन करारों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) तीनों देशों द्वारा संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 के दौरान क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) हाल ही के महीनों में आस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में, जिनमें संयुक्त उद्यम शामिल हैं, सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाने में रुचि दर्शायी है। अभी तक न्यूजीलैंड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय तथा आस्ट्रेलिया सरकार के बीच और साथ ही निजी क्षेत्र के स्तर पर विचार विमर्श जारी हैं।

सूती कपड़े पर मूल्य अंकित करने संबंधी योजना

3900. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े पर मूल्य अंकित करने संबंधी योजना को कृत्रिम रेशम और ऊनी वस्त्रों सहित गैर-सूती वस्त्रों पर भी लागू करने का विचार है;

(ख) क्या कपड़े पर उच्च मूल्य और उत्पादन शुल्क अंकित करके निर्माता मूल्य अंकित करने संबंधी प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं और कपड़े को कम मूल्य पर बेच रहे हैं, इस प्रकार वे उपभोक्ता और सरकार दोनों को गुमराह कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी मिलों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को सूती कपड़े पर मूल्य अंकित करने सम्बन्धी विद्यमान योजना को गैरसूती वस्त्रों पर लागू करने के लिए संशोधित वस्त्र नियंत्रण आदेश प्राप्त हो गया है। नियंत्रण आदेश को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान मूल्य अंकन प्रणाली में कदाचारों की गुंजाइश है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों को संगत कानूनों के अन्तर्गत इन कदाचारों पर कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है।

ट्रकों और बैनों का सभी प्रदेशों में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर

3901. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन" ने एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया है जो परम्परागत ट्रकों और बैनों को सभी प्रदेशों में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों में बदल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रयोग कब तक किया जाएगा;

(ग) इससे देश में सशस्त्र सेना के ट्रकों और वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या इस ट्रांसफार्मर के निर्यात करने का कोई विचार है और यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश में वाहनों का उत्पादन कितना बढ़ेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) हाल ही में अनुमोदन बोर्ड ने मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र में ट्रक कन्वर्सन यूनिटों का विनिर्माण करने के लिए एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए एक उद्यमी को अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया था। परियोजना के सम्बन्धित ब्यौरों की अनुपस्थिति में, अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। निर्यात संसाधन क्षेत्र केवल उन्हीं औद्योगिक एककों को, जो निर्यात के लिए विनिर्माण करते हैं, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

केरल में रबड़ पर आधारित उद्योगों के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश

3902. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय पूंजीनिवेश हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) रबड़ अथवा रबड़ आधारित उद्योगों से प्राथमिक रूप से सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंबई में भिवण्डी के पावरलूमों में कार्य करने वाले अनाथों की स्थिति

3903. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में भिवण्डी के पावर लूमों में कार्य करने वाले अनाथों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) असंगठित श्रमिकों के हथकरघा तथा विद्युत करघा क्षेत्र में सेवारत कामगारों की कार्य दशाओं को सुधारने के लिए, सरकार ने, एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल बनाया है।

[अनुवाद]

सिक्किम के अनदेखे क्षेत्र में पर्यटन का विकास

3904. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिक्किम में आन्तरिक तथा विदेशी दोनों तरह के पर्यटन के लिए अनदेखे और विशाल क्षेत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यटक संभावना का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल०भगत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग राज्य सरकार के परामर्श से सिक्किम राज्य में पर्यटक महत्व के 25 स्थानों का अभिनिर्धारिणा किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग ने नामची में एक यूथ होस्टल के निर्माण पर 7.00 लाख रु० खर्च किए थे जिसे अब खेल और युवा कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु अनुरोध किया गया है। उनसे अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लौह-अयस्क सामग्री विशाखापत्तनम पत्तन न भेजना

3905. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गहरे किये गये विशाखापत्तनम पत्तन को हैदराबाद में स्तावित अन्तरस्थलीय कन्टेनर डिपों के साथ जोड़ कर इसे पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लौह अयस्क सामग्री (जो इस पत्तन द्वारा भेजे जाने वाले पोतभर का लगभग आधा है) किसी और पत्तन से भेज रहा है; और

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन को सभी 21 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया रकम का भुगतान किया जाना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जहां तक अन्त: बन्दरगाह का सम्बन्ध है, विशाखापत्तनम की सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जा रहा है। बाह्य बन्दरगाह में सामान्य कारगो कम बल्क बर्थ का जोकि हाल में बनाया गया है, आंशिक प्रयोग किया जा रहा है। इस बर्थ में कन्टेनरों को हेन्डल करने के लिए सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट से 1977-78 से 1979-80 की अवधि में 21·13 करोड़ रु० की बकाया राशि का दावा किया है।

जमा राशि प्राप्त करने और ऋण देने के कारोबार में लगी गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियां

3906. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाराशि प्राप्त करने और ऋण देने के कारोबार में लगी बड़ी संख्या में गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी कम्पनियों का विशेषकर इन कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों के सम्बन्ध में, ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इन कम्पनियों के क्रियाकलाप असंतोषजनक पाए जाते हैं, तो इन गैर-सरकारी कम्पनियों पर सरकार के क्या मार्गनिर्देश लागू होते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार नियंत्रण रखा जाता है। इन निदेशों में ऐसी कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किए जाने के कार्यों का विनियमय करने के लिये जमाराशियों की मात्रा और अवधि, ब्याज दर, जमाराशियों पर देय दलाली कुछ प्रकार की वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में नकद परिसंपत्तियां बनाये रख आदि पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। अलबत्ता, ये निदेश इन कम्पनियों की ऋण दरों को नियन्त्रण नहीं करते हैं।

जहां तक अनिगमित निकायों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में ऐसे निकायों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगायी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को कानून के उपबंधों को लागू करने के लिये आवश्यक तंत्र बना। के वास्ते कहा गया है। कुछ राज्य सरकारों के साहूकारी अधिनियम हैं जिनके अनुसार अन्य बातों के साथ साथ ऋण के ब्याज की दर का विनिमयन किया जाता है।

इंडाल और हिन्डालको एल्यूमिनियम संयंत्र

3907. **श्री पी० मानिक रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दो एल्यूमिनियम संयंत्रों इंडाल और हिंडालको ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितनी बिक्री की है तथा उन्होंने कुल कितना सकल लाभ अर्जित किया है;

(ख) इस अवधि में दोनों कम्पनियों ने बिक्री एजेन्टों का वर्ष-वार कितना बिक्री कमीशन दिया है;

(ग) क्या उक्त दो कम्पनियों में से किसी कम्पनी पर अल्यूमिनियम विनियमन लेखे के उत्पादन शुल्क बकाया है;

(घ) यदि हां, तो कितना और यह कब से बकाया है;

(ङ) क्या इसकी वसूली के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इन्डाल तथा इन्डालकों की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कुल बिक्री तथा कुल लाभ इस प्रकार था :—

(लाख रुपयों में)

	इन्डाल		हिन्डालको	
	कुल बिक्री	कुल लाभ (+)/हानि (—)	कुल बिक्री	कुल लाभ (+)/हानि(—)
1982	21256 (+)	831	19519 (+)	679
1983	15989 (—)	620	20960 (+)	968
1984	22696 (+)	758	28558 (+)	1651

(ख) हिन्डालको ने आड़त (बिक्री कमीशन) के रूप में 1982 में 102.46 लाख रु०, 1983 में 134.02 लाख रु० तथा 1984 में 167.58 लाख रुपये अदा किए। इंडाल का कोई बिक्री एजेन्ट नहीं है, लेकिन कुछ उत्पादों की भारत में बिक्री के लिए उनके वितरक अवश्य हैं। वितरण कमीशन तथा निर्यात आदेश प्राप्ति के लिए बिक्री एजेंट कमीशन के रूप में वर्ष 1982 में 24.90 लाख रु०, 1983 में 34.91 लाख रु० तथा 1984 में 51.57 लाख रुपए दिए गए।

(ग) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में 1986-87 में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3908. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनको 1986-87 में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस कार्य के लिए प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी-कितनी निधि आबंटित की गई है

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) राज्य सरकार के पास आंध्र प्रदेश यात्रा और पर्यटन विकास निगम के माध्यम से 1986-87 के दौरान पर्यटन आधार संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव हैं :—

(लाख रुपयों में)

स्थान	राशि
1. गोलकोंडा	40.00
2. विशाखापत्तनम्-भीमूनीपत्तनम्	20.00
3. नागार्जुनसागर	10.00
4. वारांगल-रामप्पा	15.00
5. तिरुपति	2.00
6. मोटलों का निर्माण	10.00

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास निम्नलिखित स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं का सृजन करने के प्रस्ताव हैं: —

स्थान	(लाख रुपयों में)
	राशि
1. कांडीमालायापॉल्ली	2.00
2. काकीनदा	1.00
3. कैलासनाथ कोना	1.00
4. थिमामा भारी मानु	1.00
5. लिपाक्षी	1.00
6. तिरुपति	1.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन विभाग से हैदराबाद में एक यात्री निवास, नागार्जुनसागर पर कैफेटेरिया, हुसैनसागर, रामप्पा और पक्खल झीलों पर नौकायन सुविधाओं, विशाखापत्तनम्-भीमूनीपत्तनम् में समुद्र-तट कुटीरों और इथुनगरम्, पक्खल और माहरी हरिना वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए मिनि बसों के वास्ते अनुरोध किया है। तथापि, विस्तृत परियोजना के अनुमान और ब्ल्यू प्रिन्ट्स राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

उच्चतम न्यायालय में केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी अनिर्णीत मामले

3909. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) इन मामलों में कुल कितनी राशि रुकी पड़ी है; और

(ग) इन मामलों पर शीघ्र निर्णय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 30.9.1985 की स्थिति के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मामलों की संख्या लगभग 2100 थी।

(ख) अधिकांश मामले शुल्क-दर और मूल्यांकन के मुद्दों से संबंधित हैं और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कुछेक मामले उत्पादों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने से सम्बंधित हैं। अलग-अलग मामलों में अदालती फैसलों के प्राप्त होने पर ही उनमें अंतर्ग्रस्त राजस्व की मात्रा का पता लगा पाना संभव हो सकेगा।

(ग) मामलों पर शीघ्र सुनवाई के लिए, उन्हें सूची में लगाये जाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा विधि मंत्रालय से यह भी कहा गया है कि वे इन मामलों की सुनवाई किए जाने और उनका निपटान किए जाने हेतु उच्चतम न्यायालय को एक विशेष पीठ की स्थापना करने के लिए कहें। भारत के महान्यायवादी ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए एक ही किस्म के मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया है। एक ही किस्म के मामलों को उच्चतम न्यायालय द्वारा उन पर सुनवाई और निर्णय किए जाने के लिए, जनवरी, 1986 के आरम्भ में सूची में लगाए जाने की आशा है।

अन्डमान और निकोबार को मुक्त बन्दरगाह बनाने विषयक समिति के निष्कर्ष

3910. **श्री शरद दिघे**
श्री मनोरंजन भक्त
श्री सुभाष यादव
श्री यशवंत राय गडाख पाटिल
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री जय प्रकाश अग्रवाल

} क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हांगकांग की भांति अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को मुक्त बन्दरगाह बनाने की योजना पर विचार कर रही है और प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल सचिव इस प्रस्ताव की पेचीदगियों के अध्ययन करने सम्बंधी समिति का अध्यक्ष बनने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार का अंतिम निर्णय क्या है ?

वस्त्र मंत्रालयके राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मुक्त बन्दरगाह के विकास के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार की परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन वास्तविक अवस्थापन सम्बंधी सुविधाओं के सम्बंध में करना होता है जिन्हें कानूनी तथा संविधान सम्बंधी दृष्टिकोण से भी देखना होता है। अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

[हिन्दी]

पर्यटन सलाहकार समिति

3911. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था और उसकी पहली बैठक फरवरी, 1984 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985 में इस समिति की कोई बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन जुलाई, 1983 में किया गया था और इसकी पहली बैठक फरवरी, 1984 में आयोजित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न हीं नही उठता।

(घ) एक, पर्यटन सलाहकार बोर्ड का होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

चिल्का झील की वृहद योजना का पूरा होना

9312. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिल्का झील की वृहद योजना पूरी कर ली है और क्या चिल्लिका झील के विकास के बारे में छठी योजना के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में पर्यटन विकास के सम्बन्ध में बुनियादी कमियों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटनमन्त्री (श्री एच० के० एल०भगत) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की ओर से नगर व ग्राम आयोजना संगठन ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वित्तीय वर्षों (1984-85) के दौरान चिल्का झील क्षेत्र के एकीकृत विकास की मास्टर प्लान तैयार करने का जो कार्य शुरू किया था वह प्रगति पर है ।

(ख) और (ग) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है । पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रों का चयन उनकी यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनकी संभाव्याता और परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है । पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रों का राज्य सरकार से परामर्श करके पहले ही अभिनिर्धारण कर लिया है जिनका केन्द्र राज्य तथा प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों को एकत्र करते हुए अवस्था व विकास किया जाएगा ।

उत्पादन-शुल्क और आय कर की वसूली में वृद्धि

3913. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क और आयकर की वसूली में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका सीधा सम्बन्ध इस वर्ष के बजट में उपर्युक्त करों में दी गई रियायतों से है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, इस वर्ष के दौरान उत्पादन शुल्क और आयकर की वसूली में काफी वृद्धि हुई है ।

(ख) इस वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन शुल्क और आयकर की वसूली के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	अप्रैल—अक्तूबर 1985 के दौरान वसूली (करोड़ रुपये में)	अप्रैल—अक्तूबर 1984 के दौरान वसूली (करोड़ रुपए में)
केंद्रीय उत्पादन शुल्क	7030.70	6101.91
आयकर (निगम कर सहित)	2100.35	1674.45

(ग) और (घ) उत्पादन शुल्क के मामले में इसमें वृद्धि का सीधा सम्बन्ध कर की दरों नें रियायतों से नहीं है। इसके अलावा, कर वसूली में भिन्नताएं केवल दरों पर ही नहीं बल्कि विभिन्न कारणों पर निर्भर करती हैं। आयकर के मामले में इस आशय की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है कि इसमें वृद्धि सीधे रियायतों से सम्बन्धित है?

केरल के इदुक्की जिले में पर्यटक क्षमता का पता लगाना

3914. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में इदुक्की जिले में पर्यटन की काफी अधिक सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या इन सभी सम्भावनाओं का पता नहीं लगया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस जिले की पर्यटन सम्भावना का केन्द्रीय सहायता से पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां, इदुक्की जिले में थेकड़ी और मुन्नेर पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार की थेकड़ी वन्य जीव विहार-स्थल के जंगलों में दृश्यावलोक-टावरों का निर्माण करने की एक स्कीम है। केंद्रीय पर्यटन विभाग के पास थेकड़ी और तमिलनाडु सीमा में मंगलादेवी मन्दिर को मिलाते हुए एक ट्रेकिंग रूट का प्रस्ताव है। थेकड़ी झील में पयटकों के लिए और अधिक नौकायन सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव

3915. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पारम्परिक निर्यात उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केरल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल्यों में गिरावट के कारण नुकसान उठाने वाले इलायची उत्पादकों की सहायता:

3916 **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलायची के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण केरल में इस के उत्पादकों को हुए नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या मूल्यों में गिरावट को रोकने हेतु इस समय कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) मूल्यों में गिरावट के कारण घाटा उठाने वाले इलायची उत्पादकों की सहायता हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) समिति घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए इलायची की कीमतें मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाई और मांग की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। कीमतें जिनमें सूखे के परिणामस्वरूप कम सप्लाई होने की वजह से पिछले दो वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई, वे अब उन्ही के समान स्तरों पर लौट आई है जो कि सामान्य स्तर का उत्पादन होने पर रहती है और इन्हें अलाभकारी नहीं कहा जा सकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा छोटे खनिज पदार्थों वाले क्षेत्र का उपयोग

3917. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे खनिज पदार्थों वाले क्षेत्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उपयोग करने के लिए खोल देने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिजधारी क्षेत्रों को आरक्षण मुक्त करने के सवाल पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची "क" में सूचीबद्ध खनिजों के छोटे निक्षेपों के बारे में भी विचार करेगी तथा इन छोटे निक्षेपों के तेजी से विदोहन के बारे में सुझाव देगी। समिति द्वारा अभी भी विचार विमर्श जारी है।

विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा को भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा पाकिस्तान ले जाया जाना और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में लाया जाना

3918. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय राष्ट्रिकों ने विदेश यात्रा योजना सुविधा का लाभ उठाते हुए वर्ष 1984-85 के दौरान पाकिस्तान की यात्रा की;

(ख) विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई;

(ग) इस योजना के दौरान वर्ष 1984-85 के दौरान पाकिस्तान में कितनी विदेशी मुद्रा गई; और

(घ) विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत 1984-85 के दौरान भारत की यात्रा पर आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा लाई गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दो कैलेण्डर वर्षों में एक बार प्रति व्यक्ति 500 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर अथवा इसके समतुल्य राशि दी जाती है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जारी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारत की यात्रा करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित आंकड़े देश-वार नहीं रखे जाते।

लोगों को परमाणु युद्ध के विनासकारी प्रभावों की जानकारी देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

3919. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व बैंक को शैक्षिक कार्यक्रमों में मूल भूत परिवर्तन करने का अनुरोध किया है जिससे लोगों को परमाणु युद्ध के विनाशकारी प्रभावों की जानकारी मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इसी सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इछलकारन्जी, जयसिंहपुर और सांगली में वस्त्र निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन

3920. **श्री एस० एम० भट्टम** : **क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केंद्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी पुणे द्वारा इछलकारन्जी, जयसिंह पुर और सांगली क्षेत्रों में कुछ सूती वस्त्र निर्माताओं द्वारा गत पांच वर्ष के दौरान 73 करोड़ रुपये के कर अववंचन का मामला पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यह किस प्रकार सम्भव हो पाया है; और

(ग) क्या जांच करने पर यह पाया गया कि एक ही कारखाने में कुछ विद्युत चालित और कुछ गैर विद्युतचालित मशीनें साथ-साथ विद्यमान हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पुणे-समाहर्तालय के केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप ऐसा मामला पकड़ा गया कि महाराष्ट्र के इचलकरंजी, जयसिंहपुर तथा सांगली क्षेत्रों के कुछ सूती फैब्रिक प्रसंस्कारों ने पिछले पांच वर्षों में 73 करोड़ रुपये की रकम के केंद्रीय उत्पादन शुल्क की तथाकथित छूट का गलत रूप से लाभ उठाया है।

(ख) ऐसे प्रसंस्कारों को इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किए गये हैं कि क्यों न लगभग 73 करोड़ रुपये की कुल रकम उनसे वसूल कर ली जाए। इस प्रकार के जारी किए गये नोटिसों पर अभी अर्धन्यायिक कार्यवाही चल रही है, इसलिए इस पर और टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) जांच से यह पता चला है कि कुछ ऐसे विद्युत-चालित तथा गैर विद्युत-चालित एकक एक साथ काम कर रहे हैं। जिनके बारे में आरोप है कि वे एक ही कारखाने के हैं।

सोवियत संघ से उच्च उत्पादकता करघे

9321. **श्री एस० एम० भट्टम** : **क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वर्ष 1985 में हुए एक करार के अनुसरण में सोवियत संघ से अनेक उच्च उत्पादकता करघे प्राप्त होने वाले है;

(ख) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य ऊंची उत्पादकता वाले करघों का जिक्र कर रहे हैं। न कि अधिक उत्पादकता ऋणों का तद्नुसार जानकारी नीचे दी जाती है :—

(क) और (ख) जबकि सोवियत संघ से राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 8 स्वचालित करघे आयात किए गए है; ऊंची उत्पादकता वाले करघों की बड़ी संख्या में आयात के लिए कोई करार नहीं किया गया है।

घटिया किस्म की कपास निर्यात

3922. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपास निगम के माध्यम से निर्यात की गई कपास का ब्यौरा क्या है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम के अतिरिक्त देश में अन्य एजेन्सियों को भी कपास निर्यात करने की अनुमति है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में घटिया किस्म की कपास निर्यात किए जाने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

वर्ष	गांठों में प्रत्येक गाँठ 170 कि० ग्रा० की	मूल्य लाख रुपये	निर्यात आय का विदेशी मुद्रा संघ टक लाख अमरीकी डालर में
1982-83	2.68,274	6312.06	641.34
1983-84	1,14,183	3857.25	288.15
1984-85	81, 377	3115.98	91.09

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में "टंगस्टन" अयस्क का पाया जाना

3923. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जिले में "टंगस्टन" अयस्क के विशाल भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यहां इस अयस्क का खनन कब तक प्रारम्भ हो जाएगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस भूमि के अधिवासियों को, जहां "टंगस्टन" अयस्क पाया गया है, वैकल्पि भूमि/मुआवजा देने का है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और महाराष्ट्र राज्य खनन एवं भूतत्व निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, अब तक, नागपुर जिले के कुही-खोबना अगर गांव क्षेत्रों में, 0.04 से 0.325% धातु वाले 8.65 मिलियन टन टंगस्टन अयस्क भंडार होने का अनुमान है, जो 17,306.60 टन टंगस्टन ट्राइआक्साइड के बराबर है ।

(ग) क्षेत्र में गवेषण कार्य जारी है और इसके बाद विस्तृत गवेषण एवं परीक्षणी खनन कार्य किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में टंगस्टन की मात्रा और किस्म का पूरी तरह आकलन करने में कुछ समय लगेगा । अगर गांव में 25.06 एकड़ क्षेत्र का खनन पट्टा मैंगनीज और इण्डिया लि० को मंजूर किया गया है । तथापि, उपर्युक्त कार्य पूरा होने पर ही, इस क्षेत्र में खनन करना सम्भव होगा ।

(घ) जब कभी खनिज धारी क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाता है, तो भू-खंड स्वामियों को सामान्य प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है ।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में डोलोमिटिक मार्बल

3924. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर जिले के मानसाड, कांडरी, चारगांव, चुरवाही, जुनेवानी, कारड़ी, दाहोदा, और दयोलापार क्षेत्रों में काफी मात्रा में डोलोमिटिक मार्बल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में डोलोमिटिक मार्बल के खनन कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कुछ प्रायवेट पार्टियां तथा महाराष्ट्र राज्य खनन निगम नामक राज्य सरकार का उपक्रम इन क्षेत्रों में पहले से खनन कर रहे हैं । उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम	1984 में उत्पादन (टनों में)
1. बड़े गांव	2291.99
2. कान्दरी	3013.50
3. पटगावड़ी	14184.20
	19489.69

महाराष्ट्र में नागपुर और गढ़चारोली जिलों में तांबे के भंडार

3925. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर और गढ़चारोली जिलों में तांबे के भारी भण्डारों का पता लगा है ;

(ख) इन जिलों में सरकार का खनन का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लि० तथा राज्य खनन एवं भूतत्व निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, महाराष्ट्र के नागपुर तथा गढ़चारौली जिलों में तांबा अयस्क के केवल लघु निक्षेपों का ही पता चला है। निक्षेपों के छोटे स्वरूप को देखते हुए फिलहाल इस क्षेत्र के निक्षेपों के खनन का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1985-86 के दौरान निगमित कर, आयकर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में बजट प्राप्तियां

3926. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान (एक) निगमित कर (दो) आयकर (तीन) सीमा शुल्क और (चार) उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में बजट प्राप्तियां क्या हैं और संशोधित वित्त नीति के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक मद के अन्तर्गत कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) उपर्युक्त मदों के सम्बन्ध में चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान वास्तव में कितनी राशि एकत्रित की गई; और

(ग) ये आंकड़े पिछले वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के आंकड़ों की तुलना में किस प्रकार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-86 में (i) निगम कर (ii) आयकर (iii) सीमा शुल्क एवं (iv) उत्पादन शुल्क के रूप में बजट प्राप्तियां निम्नलिखित हैं :—

निगम कर	:	3052.00 करोड़
आयकर	:	1764.00 करोड़
सीमा शुल्क	:	8165·95 करोड़
उत्पादन शुल्क	:	12226.69 करोड़

तथापि, उस अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाना सम्भव है जिसकी संशोधित आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में वसूल किये जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग) चालू वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों में वसूल की गई राशियां तथा पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान वसूल की गई राशियां नीचे दी गई हैं :—

	अप्रैल—जुलाई 1985 के दौरान की गई वसूलियां	अप्रैल—जुलाई 1984 के दौरान की गई वसूलियां
	(करोड़ रुपयों में)	
निगम कर	277.27	293.32
आयकर	451.75	357.06
सीमा शुल्क	2782.60	2030.25
उत्पादन शुल्क	3934.70	3405.56

प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण

3927. श्री आर० प्रभु
श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितना विदेशी ऋण बकाया था;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में अलग-अलग कितना विदेशी ऋण बकाया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितना विदेशी ऋण बकाया रहने की सम्भावना है;

(ग) 31 मार्च, 1985 को प्रति व्यक्ति कितना ऋण बकाया था;

(घ) सामान्य रूप से अन्य विकासशील देशों और विशेष रूप से दक्षिण अमरीकी देशों के प्रति व्यक्ति ऋण की तुलना में ये आंकड़े कितने हैं; और

(ङ) केंद्रीय सरकार इस ऋण पर प्रतिवर्ष ब्याज की कितनी राशि भुगतान करती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त में सरकारी खाते के सम्बन्ध में विदेशी ऋण की बकाया राशि 24004 करोड़ रुपए बैठती है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई है जहां तक सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के अंत में बकाया ऋण की राशि का सम्बन्ध है, यह सातवीं योजना के दौरान संविदा किए गए ऋणों पर निर्भर करेगी, इसलिए इस समय उसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) 1984 की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 1985 को प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण की बकाया राशि लगभग 325 रुपए बैठती है ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण 2 में दी गई है ।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण 3 में दी गई है ।

विवरण-1

प्रत्येक पंचवर्षीय आयोजना के अन्त में विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में भारत सरकार की बकाया देनदारी को दर्शाने वाला विवरण

भाग (क) और (ख) :	(करोड़ रुपए में)
1. पहली पंचवर्षीय आयोजना	111.07
2. दूसरी पंचवर्षीय आयोजना	1242.19
3. तीसरी पंचवर्षीय आयोजना	3709.19
4. चौथी पंचवर्षीय आयोजना	6684.37
5. पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना	11657.38
6. छठी पंचवर्षीय आयोजना	24004.39

चौथी, पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त में देशवार बकाया देनदारी नीचे दर्शायी गई है :—

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	देश का नाम	चौथी पंचवर्षीय आयोजना	पांचवी पंचवर्षीय आयोजना	छठी पंचवर्षीय आयोजना
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	17.05	31.69	32.53
2.	बेल्जियम	14.96	55.21	76.20
3.	कनाडा	280.97	386.15	605.77
4.	डेनमार्क	11.63	23.59	76.82
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	546.82	1290·09	1635.71
6.	फ्रांस	125.09	308.52	424.16
7.	इटली	15.74	27.63	13.89
8.	जापान	372.78	922.15	1410.83
9.	नीदरलैंड	81.59	306.00	596.71
10.	नार्वे	—	—	—
11.	स्वीडन	27.97	98.71	—
12.	स्विटजरलैंड	18.83	50.97	15.23
13.	यू० के०	885.90	841.21	502.59
14.	संयुक्त राज्य अमरीका	2421.99	2800.23	3738.38
15.	कुवैत	—	33.26	207.90
16.	बहरीन	1.42	—	—
17.	कत्तार	4.69	0.83	—
18.	ईरान	19.13	765.81	676.99
19.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	—	—	90.57
20.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	226.7	253.97	1931.11
21.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	1252.40	2890.70	10509.29
22.	चेकोस्लोवाकिया	39.35	37.27	11.47
23.	पोलैण्ड	16.38	10.21	0·19
24.	हंगरी	—	11.21	4.55
25.	सोवियत रूस	281.72	275.75	410.16
26.	युगोस्लाविया	8.16	0.97	—
27.	आबू धाबी	—	15.83	18.45
28.	तेल उत्पादक और निर्यातक देश	—	18.55	117.63
29.	इराक	13.93	152.20	13.37

1	2	3	4	5
30.	संयुक्त अरब अमीरात	—	59.57	63.79
31.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (दक्षिण एशियाई देश)	—	—	66.28
32.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	—	—	660.20
33.	सउदी निधि	—	—	89.69
34.	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन	—	—	4.93
	कुल	6684.47	11657.38	24004.39

टिप्पणी :(1) चौथी पंचवर्षीय आयोजना से पूर्व बकाया देनदारियों के (देश-वार) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उन्हें नहीं दिया जा रहा है। 1966-67 से पहले की बकाया देनदारियां केवल करीब करीब ठीक हैं क्योंकि उनके बारे में पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं है।

इसके अलावा ये आंकड़े सरकारी खाते, गैर-सरकारी खाते और सम्भरक ऋणों के मिले-जुले आंकड़े थे।

(2) 6-6-66 से पूर्व विदेश मुद्राओं को पूर्व अवमूल्यन दर पर और 6-6-66 से 31-3-74 तक अवमूल्यन उपरांत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समता दर पर परिवर्तित किया गया था। 1-4-77 से विभिन्न मुद्राओं की विनिमय को वर्तमान दर को अपनाया गया है।

विवरण–2

कुछ देशों का प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण

देश	1983 में बकाया और संवितरित विदेशी सरकारी ऋण (करोड़ डालर में)	1983 के मध्य में जनसंख्या (करोड़ में)	1983 में प्रति व्यक्ति ऋण (डालर)
भारत	2127.7	73.32	29.0
बंगला देश	418.5	9.55	43.8
श्रीलंका	220.5	1.54	143.2
पाकिस्तान	975.5	8.97	108.8
मिश्र	1522.9	4.52	336.9
फिलीपीन्स	1038.5	5.21	199.3
नाइजीरिया	1175.7	9.36	125.6
कोलम्बिया	689.9	2.75	250.9
चिली	682.7	1.17	583.5
ब्राजील	5806.8	12.97	447.7
कोरिया गणराज्य	2147.2	4.00	536.8

1	2	3	4
अर्जन्टीना	2459.3	2.96	830.8
मैक्सिको	66732.2	7.50	839.8
युगोस्लाविया	907.7	2.28	398.1
वेन्जुला	1291.1	1.73	746.3

स्रोत : विश्व विकास रिपोर्ट, 1985

विवरण-3

1951-52 से 1984-85 के दौरान सरकारी खाते के ऋणों पर दिए गए ब्याज को दर्शाने वाला विवरण

	(करोड़ रुपए)
1951-52 से 1955-56 (पहली पंचवर्षीय आयोजना)	13.30
1956-57 से 1960-61 (दूसरी पंचवर्षीय आयोजना)	64.20
1961-62 से 1965-66 (तीसरी पंचवर्षीय आयोजना)	294.54
1966-67	118.58
1967-68	153-47
1968-69	127.65
1969-70	157.94
1970-71	155.10
1971-72	186.00
2972-73	184.53
1973-74	196.91
1974-75	170.02
1975-76	184.21
1976-77	204.09
1977-78	218.26
1978-79	245.65
1979-80	267.98
1980-81	252.24
1981-82	276.14
1982-83	319.85
1983-84	368.65
1984-85	478.09
कुल	4629.40

टिप्पणी : (1) पहली दो आयोजना अवधियों के बारे में सरकारी, गैर-सरकारी और सम्भरक ऋणों के अलग-अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतएव यह आंकड़े इन तीन मदों के समे-

कित आंकड़े हैं। गैर-सरकारी ऋणों और सम्भरक ऋणों पर अदा की गई ब्याज की राशि अधिक नहीं है।

(2) 1961-62 से 1973-74 के आंकड़ों में पी० एल० 480 ऋणों (वस्तु सहायता) और संयुक्त राज्य अमरीका से लिए गए पी० एल० 480 ऋणों से भिन्न ऋणों पर ब्याज की राशि शमिल है।

(3) यह आंकड़े ब्याज के भुगतान के समय लागू विनिमय दरों के अनुसार हैं।

आयात सम्बंधी उदार नीति के प्रभाव के बारे में अध्ययन

3928. **श्री आर० प्रभु : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने (एक) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (दो) तैयार माल के निर्यात और (तीन) विदेशी मुद्रा भण्डार के संबंध में वर्ष 1985 के दौरान घोषित आयात संबंधी उदार नीति के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या उक्त अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में सरकार की विचार नीति पर पुनर्विचार करने और उसमें आवश्यक संशोधन करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कोई विशेष अध्ययन आरंभ नहीं किया गया है। तथापि, आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर इसमें आवश्यक संशोधन किये जाते हैं।

अनाज का उत्पादन

3929. **श्री आर० प्रभु : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फालतू अनाज वाले देश में उभर रहा है;

(ख) क्या चावल और गेहूं के निर्यात के लिए सरकार ने कोई दीर्घकालीन नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बासमती चावल के निर्यात की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है। सरकार से सरकार को के आधार पर गेहूं का निर्यात भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। सीमा तथा न्यूनतम निर्यात कीमत जैसी कई शर्तों के अध्याधीन गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की निजी व्यापारियों द्वारा भी निर्यात की अनुमति है।

स्क्रैप टिन के लदान और माल की किस्म की जांच करने की प्रक्रिया

3930. **श्री अनादि चरण दास : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अगस्त, 1978 से पूर्वी कोल्ड रोलिंग मिल में राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों द्वारा स्क्रैप टिन के लदान और माल की किस्म की जांच करने के लिए तथा प्रयोगशाला परीक्षण की कोई निश्चित क्रिया निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल्ड रोलिंग मिल में लदान करने वाले श्रमिकों (शिप्पर) को यह काम सौंपने से पहले लदान प्रक्रिया का उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो कोल्ड रोलिंग मिल (आर० एस० पी०) में लदान करने वाले कितने श्रमिकों (शिप्परों) को अगस्त 1978 में आरोप-पत्र दिए गए थे और बाद में प्रशिक्षण, प्रयोगशाला जांच परीक्षण तथा निर्धारित प्रक्रिया न होने के कारण उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल में लदान करने वाले श्रमिकों (शिप्परों) का उत्तरदायित्व क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने की ठंडी बेलन मिल में स्क्रेप टिन का लदान नहीं किया जाता है और इसलिए प्रयोगशाला में उनका परीक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता। 26 अगस्त, 1978 से पहले इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट स्क्रेप के लदान की प्रक्रिया लागू थी। इलेक्ट्रोनिक टिन प्लेट स्क्रेप के लिए प्रयोगशाला में कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। कारखाने के क्वालिटी एसुरेंस सेक्शन और परिचालन कार्यों पर लगे कर्मचारी निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार दृश्य-निरीक्षण द्वारा इन्हें स्क्रेप घोषित किया जाता है।

(ख) कारखाने की ठंडी बेलन मिल में लदान करने वाले श्रमिकों को इस काम के बारे में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वे अनुभवी हैं और उन्हें काम सौंपने से पहले उनके काम तथा लदान की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है।

(ग) अगस्त, 1978 में राउरकेला इस्पात कारखाने की ठंडी बेलन मिल में लदान करने वाले किसी भी श्रमिक को आरोप-पत्र नहीं दिया गया था।

(घ) लदान करने वाले श्रमिक शिफ्ट में प्रेषण-कार्य करने और "हैड शिप्पर" को माल को अन्तरित करने, भण्डारण, पैकिंग और लदान में सहायता देने, केन्द्रीय कार्यालय में भिन्न-भिन्न रिकार्डों को रखने, वैगनों के लिए मांग-पत्र भेजने और शिकायतों तथा पूछताछ का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे "नौवहन विभाग" में आवश्यक उपभोज्य सामग्री के निरीक्षण और उनके रिकार्ड के लिए भी जिम्मेदार हैं।

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण

3931. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और उनके द्वारा किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को अब तक ऋण की कितनी राशि दी गई है; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मध्य प्रदेश में कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के 40 जिलों में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1353 शाखाएं काम कर रही थीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यत: समाज के कमजोर वर्गों जैसे कृषि क्षेत्र में छोटे सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों और कृषि भिन्न क्षेत्र में ग्रामीण कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों,

छोटे व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों को ऋण देते हैं जिनकी निवेशपूर्व वार्षिक आय 6500 रुपए से अधिक नहीं होती। वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में अलग सूचना प्राप्त नहीं होती।

जून, 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 4,12,934 लाभार्थियों के नाम 89 करोड़ रुपए की राशि के ऋण बकाया थे।

बिहार में अभ्रक की खान का बन्द होना

3932. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक जिले में अभ्रक की कितनी खानें बंद पड़ी हैं; और

(ख) इन खानों को पुन: चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त एवं खान विभाग में सुलभ नवीनतम जानकारी के अनुसार, बिहार के हजारीबाग, गिरडीह, नवादा, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में बन्द अभ्रक खानों की संख्या क्रमश: 143, 36, 9, 2 तथा 1 है।

(ख) केंद्र सरकार ने अभ्रक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को तेजी से लागू करने के लिए खान विभाग ने एक सशक्त समिति गठित की है। भारतीय खान ब्यूरो नियमित निरीक्षण तथा अध्ययन करता है और खानों के और अधिक गवेषण एवं क्रमबद्ध विकास के बारे में खान स्वामियों को सलाह देता है।

[अनुवाद]

आगरा आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

3933. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में कितने विदेशी पर्यटकों ने आगरे का दौरा किया;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी का कारण वहां सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि इस शहर को साफ नहीं रखा जाता है और पर्यटकों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस शहर को सुन्दर बनाने हेतु कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल०भगत) : (क) और (ख) देश के विभिन्न गंतव्य-स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते। तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार, भारत की यात्रा पर आए कुल विदेशी पर्यटकों में से 17.01% ने कम से कम एक रात आगरा में बिताई।

(ग) पर्यटक जिन मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करते हैं वे कुल मिला कर आगरा में उपलब्ध हैं परन्तु अभी हाल ही में शहर में अस्वच्छता के बारे में प्रेस में कुछ रिपोर्टें छपी हैं।

(घ) नगर में सुख-सुविधाओं का सृजन करना और नगर का सौन्दर्यकरण प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का दायित्व है और इसके प्रयोजनार्थ वह अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इनमें शामिल हैं—सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, पीने के पानी की सुविधाओं में वृद्धि, आदि। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पहले से ही आगरा-किले पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने की एक स्कीम के लिए सहायता प्रदान की है।

लेबल लगी बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाना

3934. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क लेबल लगी बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाने से कामगारों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) उन लघु और वर्तमान बीड़ी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो कामगारों को बोनस सहित सांविधिक लाभ न देकर लेवी का लाभ उठा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस आशय की कोई अधिप्रमाणित रिपोर्ट नहीं मिली है कि लेबल लगी अथवा ब्रांड शुदा बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने से बीड़ियों के कामगारों को भारी नुकसान हुआ है।

(ख) कानूनी लाभ न पहुंचाए जाने, जिसमें कामगारों को बोनस दिया जाना भी शामिल है, के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है। ऐसे मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्य सरकारें ही उचित प्राधिकरण होंगी।

व्यापार संतुलन घाटे में कमी

3935. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विदेश व्यापार स्थिति में, विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में 1984-85 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार स्थिति में कितना सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन घाटे में कितनी कमी हुई है;

(घ) इस सुधार के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(क) से (घ) नवीनतम उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान भारत के समग्र निर्यात 11493.72 करोड़ रुपए के रहे जो पूर्ववर्ती वर्ष 1983-84 में अद्यतन तत्सम्बन्धी 9729.91 करोड़ रु० के आंकड़ों से 18% अधिक थे। साथ ही, 1984-85 के दौरान आयात 16812.93 करोड़ रु० के स्तर पर पहुंच गए जो पिछले वर्ष में 15587.77 करोड़ रुपए के आयातों के स्तर से 7.9 प्रतिशत अधिक रहे। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा शेष में कमी आई है जो 1983-84 में 5857.86 करोड़ रु० से घटकर 1984-85 में 5319.21 करोड़ रु० हो गया है। भारत की विदेश व्यापार स्थिति में विशेषत: निर्यातों के क्षेत्र में 1984-85 के दौरान सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा शेष में गिरावट आई है।

(ङ) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए नीति उपाय निरन्तर किये जा रहे हैं। इनमें उत्पादन में वृद्धि तथा विविधीकरण करने, हमारे निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, हमारे उत्पादों के के लिए नये बाजारों का पता लगाने और उच्चतर मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं के संसाधन के उपाय शामिल हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान इन उपायों को कारगर बनाने के प्रयास किये जाएंगे।

सरकार ने व्यापारिक नीतियों, औद्योगिक नीतियों तथा वित्तीय नीतियों के क्षेत्र में अनेक नीति संबधी कार्यवाहियां की हैं। चालू आयात-निर्यात नीति, जो 1985-88 की तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी, को विदेश व्यापार आयोजना में सततता तथा स्थिरता का वातावरण बनाने के अनुरूप बनाया गया है। इसका लक्ष्य घरेलू खपत तथा निर्यातों दोनों के लिए अधिक उत्पादन और कार्यकुशल आयात प्रतिस्थापन के संबंध में प्रमुख आधार प्रदान करना है। सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए उन क्षेत्रों का भी पता लगाया है जो मध्यम अवधि में निर्यातों में वृद्धि में पर्याप्त योगदान कर सकते हैं। निर्यात प्रयासों में अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता के लिए सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों का सहयोग लिया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषत: बल्क आयातों के क्षेत्र में आयात योग्य सामान के हमारे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी साथ-साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

दस्तकारी के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करना

3936. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दस्तकारी के लिए निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दस्तकारी का समुचित विकास सुनिश्चित करने हेतु उक्त निर्णय लिया गया था ताकि अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ग) क्या दस्तकारी के निर्यात को बढ़ाने की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो दस्तकारी के लिये निर्यात परिषद का गठन कितना सहायक होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) परिषद हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए हस्तशिल्प के निर्यात बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हस्तशिल्प के निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन उपाय तैयार करने तथा उन्हें लागू किए जाने की आशा है। परिषद के सदस्यों के रूप में निर्यातक निर्यात संवर्धन प्रयासों में बेहतर रूप से भाग ले सकेंगे।

रुग्ण सूती कपड़ा और पटसन मिलों को चलाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

3937. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बंद पड़ी 12 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के 65 करोड़ रुपये के अनुदान/ऋण की सहायता से अपने हाथ में ले रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अन्य राज्य सरकारें भी रुग्ण सूती कपड़ा या पटसन मिलों को चलाना चाहती हैं तो क्या उन्हें भी उपयुक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुजरात सरकार को अहमदाबाद में बंद पड़ी 12 वस्त्र मिलों के राष्ट्रीयकरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए योजनागत सहायता की 65 करोड़ रु० की अग्रिम राशि दी जाएगी जिसे सातवीं योजना अवधि के भीतर समायोजित कर दिया जाएगा। इस योजना में इन मिलों को कार्यक्षम एकक बनाने के लिए इनका पुनर्गठन करना तथा इन्हें पुनः संगठित करना शामिल है।

(ख) और (ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

1983, 1984 तथा 1985 में भारतीय वस्त्र निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई रुग्ण मिलों में लाभ/घाटा

3938. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान भारतीय वस्त्र निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई रुग्ण मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी मिलों में लाभ हो रहा है और कब से और कितना लाभ हो रहा है;

(ग) कितनी मिलें अभी भी घाटे में चल रही हैं तथा उनका प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने की तारीख से कितना घाटा हो रहा है तथा उनके ऐसे कार्य करण के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में (क) उपरोक्त अवधि के लिए प्रतिवर्ष आंकड़े (दो) हो रहे घाटे की राशि और (तीन) उपयोग न करने के कारण बताते हुए वहां फालतू श्रमिकों की संख्या क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीयकरण होने तक केन्द्रीय सरकार ने 1983 में बम्बई की 13 वस्त्र उपक्रमों के प्रबंध का अधिग्रहण कर लिया था और राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अधिरक्षक नियुक्त किया गया था।

(ख) तथा (ग) अक्टूबर 1983 मार्च, 1984, 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक) की अवधि के दौरान इन 13 बम्बई की मिलों के मामले में निवल लाभ हानि की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

इन मिलों की हानि के मुख्य कारण निम्नोक्त प्रकार हैं।

1. पुरानी तथा घिसी पिटी मशीनरी।
2. 1984-85 के दौरान रुई की कीमतों में असामान्य वृद्धि।
3. बिजली, कोयला, रसायन पदार्थों एवं रसायन भंडारण एवं फालतू पुर्जों की लागत में वृद्धि।
4. मजदूरी, वेतन में वृद्धि।

(घ) हाल में मजदूरों का लगाना वर्तमान क्षमताओं के उपयोग के अनुरूप है।

विवरण

13 बम्बई की मिलों के संबंध में लाभ/हानि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रु० में)

	अक्तूबर, 1983 से मार्च, 1984	1985-86	1985-86 (अप्रैल सितम्बर 1985
1. एलफिन्सटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	(—) 132.14	(—) 175.02	(—) 31.94
2. पिनले मिल्स	(—) 82.05	(—) 35.75	(—) 41.99
3. गोल्ड मोहर मिल्स	(—) 10.00	(—) 120.82	(—) 100.92
4. जैम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	(—) 83.00	( ) 166.44	(—) 78.58
5. कोहिनूर मिल्स नं० 1 6. कोहिनूर मिल्स नं० 2 7. कोहिनूर मिल्स नं० 3	(—) 60.00	(—) 162.94	(—) 98.20
8. श्री मधुसूदन मिल्स	(—) 93.40	(—) 149.71	(—) 6.84
9. न्यू सिटी आफ बम्बई मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	(—) 76.49	(—) 166.20	(—) 7.25
10. पोद्दार मिल्स	(—) 58.73	(—) 106.02	(+) 9.91
11. पोद्दार (संसाधन)	(+) 3.50	(+) 23.96	(+) 16.38
12. श्री सीताराम मिल्स	(—) 10.00	(—) 149.13	(—) 60.71
13. टाटा मिल्स	(—) 90.47	(—) 78.51	(+) 0.62

गत तीन वर्षों के दौरान किये गये ठेके

3939. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने ठेके किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने ठेके सन्तोषपूर्ण पूरे हो गए हैं ?

(ग) कितनों में विवाद उत्पन्न हुए हैं; और

(ग) ऐसी सभी प्रकार की श्रेणियों के मामलों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किये गए ठेकों, जिनमें दर ठेके और चालू ठेके भी शामिल हैं, की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ठेके की संख्या
1982-83	7,903
1983-84	7,924
1984-85	8,512

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3940. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुल कितना निवेश है;

(ख) इन होटलों की (होटल-वार) वार्षिक आय क्या है;

(ग) इनमें से कौन-कौन से होटल घाटे में चल रहे हैं और कब से तथा प्रत्येक के मामलों में पिछले पांच वर्षों में कितना वार्षिक घाटा हुआ;

(घ) घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन घाटों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(च) प्रत्येक होटल में नियमित आधार पर कितने कमरे आरक्षित रखे जाते हैं और प्रत्येक मामले में मासिक आय कितनी है;

(छ) कितनी पार्टियां नियमित आधार पर आरक्षण प्राप्त करती हैं और आरक्षण के क्या कारण हैं; और

(ज) घाटे में चल रहे होटलों को निरन्तर चलाते रहने का क्या औचित्य है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ज) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के सम्बन्ध में कुल पूंजी निवेश (लगाई गई पूंजी), पिछले पांच वर्षों की वार्षिक आय (लाभ और हानि), हानि के कारण, नियमित आधार पर आरक्षित कमरे, मासिक आय और होटलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला विवरण।

होटल का नाम	31.3.85 को लगाई गई पूंजी (लाख रुपयों में)	(+) लाभ और हानि (—) (लाख रुपयों में)					नियमित आधार पर किराए पर दिए गए कमरों की संख्या	मासिक किराया (लाख रु० में)
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85		
अशोक	830.83	(+) 171.02	(+) 189.84	(+) 124.90	(+) 3.10	(+) 7.68	102	10.26
जनपथ	37.96	(+) 30.15	(+) 14.70	(+) 41.09	(+) 68.00	(+) 58.62	20	1.85
अकबर	122.06	(+) 50.33	(+) 89.12	(+) 109.28	(—) 18.01	(—) 58.39	140	10.49
कुतुब	67.98	(—) 17.45	(+) 0.11	(+) 10.75	(—) 2.15	(+) 8.45	36	2.75
सम्राट	1483.43	—	—	(—) 70.89	(—) 206.67	(—) 128.05	102	10.70
कनिष्क	901.31	—	—	(—) 24.11	(+) 51.10	(+) 42.94	6	0.97
लोधी	20.18	(+) 16.20	(+) 14.51	(+) 27.87	(+) 23.16	(+) 29.23	6	0.52
रणजीत	(—) 28.89	(—) 0.67	(+) 5.99	(+) 7.42	(—) 8.62	(—) 0 33	49	3.46
अशोक यात्री निवास	506.82	—	—	(—) 26.71	(—) 14.18	(+) 17.28	10	0.31

1. हानि के प्रमुख कारण

—दिल्ली में तीन नए होटलों की स्थापना जो अभी जेस्टेशन पीरीयड में हैं और अत्यधिक ब्याज और मूल्य ह्रास की वजह से इन्हें वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है।

—दिल्ली में फालतू होटल आवास।

2. भारत पर्यटन विकास निगम ने उपलब्ध क्षमता के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त होटलों में नियमित आधार पर 82 पार्टियों को आरक्षण प्रदान किया है।

3. भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों के लाभप्रदता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

—विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के बारे में विपणन और आरक्षण सम्बन्धी टाई-अप्स करना ताकि विदेशी पर्यटकों द्वारा इनका सतत प्रयोग किया जा सके।

—भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी ट्रेवल एजेंसी की स्थापना।

—स्थानीय कम्पनियों, ट्रेवल एजेंटों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि को अतिरिक्त डिस्काउंट देना।

—ट्रेवल ट्रेड फोरम्स में भागीदारी द्वारा विदेशी मार्केट में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों का संवर्धन।

—स्वदेशी ग्राहकों के लिए सस्ती एक मुश्त यात्राएं प्रारंभ करना।

—उत्पाद में सुधार, आदि।

नागालैण्ड और मणिपुर में धात्वीय अयस्कों की खोज

3941. **श्री अजय बिश्वास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड और मणिपुर के अगम्य क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण धात्वीय अयस्कों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसाधनों का उपयोग करने का है; और

(ग) धात्वीय अयस्कों का कितना भण्डार होने का अनुमान है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां, मणिपुर में छितरे हुए/इकट्ठे ढेरों के रूप में क्रोमाइट पाया जाता है। नागालैण्ड में, औफिलाइट पट्टी में मैग्नेटाइट से छिटपुट मात्रा संयुक्त क्रोमाइट धारी चट्टानों के निश्चित स्थलों का अभी तक पता नहीं चला है।

मणिपुर में क्रोमाइट का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। तथापि, खनिज स्थलों की अर्थ वत्ता की पुष्टि के लिए इस क्षेत्र में और अधिक मानचित्रण का प्रस्ताव है।

(ग) मणिपुर में कुल 320 टन क्रोमाइट तथा नागालैण्ड में 10 मिलियन टन मैग्नेटाइट होने का अनुमान है।

कर सुधार

3942. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्म पाल मलिक } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर कर व्यवस्था में सुधार करने और करदाताओं को और राहत पहुंचाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले सम्भावित सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुधारों से कितना लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने तथा उनको युक्तिसंगत बनाने का सुझाव देने के लिए 16 आयकर आयुक्तों की एक समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

दीर्घावधि वित्तीय नीति के सन्दर्भ में, जिसकी सरकार द्वारा घोषणा की जाने वाली है, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर संरचना की समीक्षा करने के लिए कार्यवाहियां की गई हैं। संसद द्वारा अनुमोदित वैधानिक उपायों के माध्यम से ठोस उपाय किये जाएंगे।

चाय की खुदरा कीमत कम करने के लिए उठाए गए कदम

3943. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीलामी में बेची जाने वाली तथा खुदरा मूल्य पर बेची जाने वाली चाय कीमतों में भारी अन्तर के बारे में जानकारी है;

(ख) यह अन्तर कितना है तथा अन्तर को दर्शाने वाले विस्तृत आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या चाय की खुदरा कीमत कम करने का सरकार का कोई विचार है अथवा कोई उपाय किए गए हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) निलामियों तथा फुटकर कीमतों में बेची जाने वाली चाय की कीमतों में भिन्नता बहुत से कारणों की वजह से होती है जैसे कि परिवहन तथा ढुलाई खर्चे, बीमा, भंडारण प्रभार, डाक व्यय, पैकिंग लागत, ब्याज, बिक्रीकर, चुंगी तथा थोक बिक्रेताओं और फुटकर बिक्रेताओं के लाभ। कीमत भिन्नता में घटबढ़ आफर की गई चाय की मात्रा पर निर्भर होती है। तथापि फुटकर कीमतों के अपेक्षित स्तर तक कम करने के लिए असंगठित चाय व्यापारियों और पैकरों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गई हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रमुख पैकरों तथा असंगठित चाय व्यापारियों ने अपनी कीमतें कम की हैं। औसत नीलाम कीमतों तथा फुटकर कीमतों के बीच भिन्नता अब 1983 में चल रही भिन्नता तथा 10 रु० से 15 रु० के बीच घट बढ़ से तुलनीय है जो कि क्वालिटी पर निर्भर करती है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों की स्थापना

3944. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र सिंधुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों में पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण आदर्श स्थल है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोंकण के पिछड़े क्षेत्र में ऐसे पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से अपनी अनुमोदित स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायतार्थ उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों को भेजने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से कोंकण क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने हेतु अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"जीरो बेस बजट व्यवस्था" आरम्भ करना

3945. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 से सरकार में "बेस बजट व्यवस्था" आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 से जीरो बेस बजट व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम और नीतियां तैयार की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा शून्य आधारित बजट-निर्माण की आवश्यकता सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए उद्देश्यों के निर्धारण और सुस्पष्ट सुनिश्चयन, निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच, लागत-लाभ विश्लेषण, उद्देश्यों और क्रियाकलापों की प्राथमिकताओं के निर्धारण, अनावश्यक क्रियाकलापों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने तथा फैसलों के पैकेज तैयार करने और उनकी प्रथमिकताएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। शून्य

आधारित बजट निर्माण की प्रणाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में लागू की जा चुकी है और बाद में इसे समुचित संसाधनों के साथ यथा समय अन्य वैज्ञानिक विभागों में भी लागू कर दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार में शून्य आधारित बजट-निर्माण की प्रणाली को 1986-87 से शुरू करने का प्रस्ताव है जो 1986-87 से शुरू करने का प्रस्ताव है जो 1987-88 के बजट पर लागू होगी।

भारत चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार

3946. **श्री पी० एम० सईद:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, 1985 के दौरान व्यापार मेले के आयोजन के परिणामस्वरूप भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार में तेजी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो चेकोस्लोवाकिया भारत से किन मुख्य मदों की खरीद करना चाहता है;

(ग) क्या मारुति कारों के लिए मांग प्राप्त करने हेतु कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में नवम्बर, 1985 में हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार की वृद्धि में मदद मिलेगी। चेकोस्लोवाकिया इस समय भारत से बहुत सी वस्तुएं आयात कर रहा है जिसमें कृषि, खनिज पदार्थ, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल, वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, इंजीनियरी आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) तथा (घ) चेकोस्लोवाकिया ने भारत से मारुति कारें खरीदने में रुचि दर्शाई है। प्रस्ताव अभी मारुति उद्योग लि० तथा सम्बन्धित पोलिश विदेश व्यापार संगठन के बीच बातचीत की अवस्था में है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की किस्मों में हेरफेर किया जाना

3947. **श्री अनिल बसु :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद के समय कच्चे पटसन के ग्रेडों में हेरफेर किये जाने के आरोपों की जानकारी है;

(ख) भारतीय पटसन निगम ने कितनी मात्रा की खरीद की है;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा की गई खरीद कच्चे पटसन की खरीद के लिए दिये गये विस्तृत दिशानिदेशों और समर्थन मूल्य के अनुसार है; और

(घ) क्या पटसन मिलों ने केन्द्र के उस निदेश का अनुपालन किया है जिसमें 30 सितम्बर 1985 तक छः सप्ताहों की खपत के बराबर और अक्तूबर, 1985 के अन्त तक 10 सप्ताहों की आवश्यकता के बराबर का कच्चा पटसन भण्डार में रखने को कहा गया था ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) खेप के ग्रेड स्वरूप का निर्धारण 'हाथ तथा आंख' पद्धति द्वारा किया जाता है और इस प्रकार निर्धारित ग्रेड परिणाम विक्रेताओं को जे० सी० आई० द्वारा जारी किये गये खरीद मीमों में उल्लिखित कर दिया जाता

है । यद्यपि छल कपट की कुछ गुंजाइश है। अतः ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के हेतु निरन्तर जांच पड़ताल करने के लिए प्रभावी उपाय आरम्भ कर दिए गए हैं;

(ख) 4-12-1985 तक की स्थिति के अनुसार, सहकारी संस्थाओं के सहयोग से जे० सी० आई० ने कच्चे पटसन की 19.13 लाख गांठें खरीदी हैं। और अधिक खरीदारियों की प्रक्रिया चल रही है ।

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा की गई खरीदारियां विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के एवं वर्तमान प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध राज्य सरकारों के साथ किये गये अन्य प्रशासनिक प्रबंधों के अनुरूप हैं ।

(घ) उन 54 पटसन मिलों में से, जिनको पटसन आयुक्त द्वारा निदेश दिए गए थे, 28 मिलों ने 30-9-1985 की स्थिति के अनुसार 6 सप्ताह के उपभागस्तर के तथा इससे भी अधिक के बराबर स्टाक बनाकर निदेशों का अनुपालन किया। 31.10.1985 तक 34 मिलों ने 10 सप्ताह और इससे अधिक उपभाग स्तर के स्टाक तैयार किये। कच्चे पटसन का 10 सप्ताह का स्टाक स्तर बनाने के लिए समयावधि 31.10.1985 से 15.11.1985 तक बढ़ा दी गई है। 6.9.1985 के उनके निदेशों का अनुपालन करते हुए जिन पटसन मिलों ने 31.10.1985 तक 10 सप्ताह का स्टाक स्तर पहले ही बना लिया था, उन्हें निदेश दिया गया कि वे नवम्बर, 1985 के दौरान किसी भी समय ऐसे स्टाक को इस स्तर से कम न होने दें । दिनांक 29.11.1985 के दूसरे आदेश द्वारा पटसन मिलों को कहा गया है कि वे 31.12.1985 तक 10 सप्ताह का स्टाक स्तर बनाए रखें उससे कम का नहीं ।

चूककर्त्ता मिलों को, नवम्बर, 1985 के महीने में बी टिवल कोटा आबंटन से वंचित करते हुए पटसन आयुक्त द्वारा उन के विरुद्ध प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और चूककर्त्ता के मिलों द्वारा स्टाक बनाने के प्रयासों में हाल ही में ठोस सुधार हुआ है।

निर्यात में भारी सफलता

3948. **श्री अनिल बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह आशा करने के क्या कारण हैं कि हमारा निर्यात पश्चिम के विकसित देशों द्वारा लगाए गए मात्रा सम्बन्धी तथा अन्य प्रतिबन्धों को तोड़ने में सफल होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की आयात की उदार नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) विकसित देशों द्वारा लगाए गए मात्रा संबंधी एवं अन्य प्रतिबन्धों के अवरोध होने के बावजूद भी इन देशों को भारत के निर्यात समय से बढ़ रहे हैं। तथापि, हमारे द्वारा हमारे निर्यातों में आने वाली रुकावटों को दूर करने/कम करने के लिए तथा बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर तथा हमारे व्यापार भागीदारें के साथ द्विपक्षीय रूप में प्रयास किये जा रहे हैं। भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए नीति उपाय भी बराबर किये जा रहे हैं। इनमें उत्पादन बढ़ाने तथा उसका विविधी-

करण करने, अपने निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाने, अपने, उत्पादों के लिये नये बाजार खोजने तथा अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति जो तीन वर्ष की अवधि, 1985-88 के लिए होगी, विदेश व्यापार योजना में क्रम बद्धता तथा स्थिरता का वातावरण बनाने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू खपत तथा निर्यात दोनों के लिए बढ़े हुए उत्पादन की मांग को पूरा करना है। सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाया है जो मध्यम अवधि में हमारे निर्यातों में वृद्धि के लिए पर्याप्त योगदान कर सकते हैं।

घरेलू औद्योगिक एककों पर उदार आयात नीति का प्रभाव

3949. **श्री अनिल बसु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की आयात उदारवादी नीति घरेलू औद्योगिक एककों की व्यावहार्यता के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बचाव सुनिश्चित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) उदारीकृत आयात नीति तैयार करते समय, स्वदेशी उद्योग के न्याय संगत हितों की रक्षा करने का समुचित ध्यान रखा जाता है।

कच्चे पटसन की विवश बिक्री को रोकने के उपाय

3950. **श्री अतीश चंद्र सिंह :** क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टेटसमैन" के 8 नवम्बर, 1985 के कलकत्ता संस्करण में "वार्निंग जूट इन डिस्ट्रेस" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पश्चिम बंगाल के पटसन क्रय केन्द्रों पर दलालों और बिचोलियों के नियंत्रण करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) उत्पादकों द्वारा कच्चे पटसन की विवश बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) समाचार में उल्लिखित अनुसार एक किसान द्वारा पटसन के उगाए जाने के बारे में सरकार को कोई पुख्ता सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटसन की अधिप्राप्ति भारतीय पटसन निगम के 17 क्रय केन्द्रों और सहकारी समितियां के 14 क्रय केंद्रों के माध्यम से की जाती है। नादिया जिले में कुल अधिप्राप्ति 7.11.85 को यथास्थिति 3,17,627 क्विंटल रही।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय पटसन निगम राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए पटसन कार्ड धारक उपजकर्ताओं, बिचौलियों को छोड़कर, से ही अथवा विकल्प के तौर पर जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बी० डी० ओ०/पंचायतों द्वारा दी गई उपजकर्ताओं की सूची के आधार पर कच्चे पटसन की खरीद की प्रणाली अपना रहा है।

(घ) कच्चे पटसन की आपाती बिक्रियों को रोकने और पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वस्त्र विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) भारतीय पटसन निगम को यह निदेश दिया गया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत पर कच्चे पटसन की बड़े पैमाने पर खरीद करें।

(2) भारतीय पटसन निगम को कीमत समर्थन कार्य करने के लिए पर्याप्त ऋण दिया गया है।

(3) पटसन आयुक्त ने निजी क्षेत्र में कार्य कर रही सभी पटसन मिलों को विशेषीकृत स्तरों तक कच्चे पटसन के स्टाक बनाने के लिए 6-9-85 को एक निदेश जारी किया है ताकि मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद बढ़ायी जा सके।

(4) भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की सीमित मात्रा निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(5) भारतीय पटसन निगम किसानों को यह सलाह देने के लिए कि वे बेईमान व्यापारियों को सांविधिक न्यूनतम से नीचे कीमतों पर आपाती बिक्री न करने और अपना उत्पादन भारतीय पटसन निगम सहकारी क्रय केंद्रों पर लाएं, जनसम्पर्क साधनों का प्रयोग कर रहा है।

[हिंदी]

परिसीमा अधिनियम 1963 में संशोधन

3951. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालीन बैंक ऋण योजनाओं और बैंक ऋणों की असंतोषजनक वसूली को ध्यान में रखते हुये धनराशि जारी करने के लिये कार्यवाही आरम्भ करने हेतु अवधि बढ़ाने के लिये परिसीमा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह का कोई संशोधन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऋण वसूली के लिए इस समय की तीन वर्ष की सामान्य अवधि के स्थान पर कितनी अवधि निर्धारित की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली परिसीमा अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि तीन/वर्ष की वर्तमान परिसीमा अवधि को बरकरार रखा जाय।

[अनुवाद]

"फारेस्ट एक्ट मे लीड टु माइन्स क्लोजर इन राजस्थान" शीर्षक से समाचार

3952. **श्री विष्णु मोदी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त 1985 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में फारेस्ट एक्ट में लीड टु माइन्स क्लोजर इन राजस्थान से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खान विभाग द्वारा नवीकरण के आवेदन पत्रों को वन विभाग को भेजने की प्रक्रिया मूल रूप से गलत और अवांछित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा खनन कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और खानों को विनाश से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जहां कहीं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है, वहां खनन पट्टा नवीकरण आवेदन पत्रों को राज्य सरकारें सीधे पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी मन्त्रालय को भेजती हैं। केन्द्र सरकार के खान विभाग ने इस मामले में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है।

(ग) वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में एक सुसंगत प्रक्रिया निर्धारित है। प्रस्तावों की तत्काल संमीक्षा की जाती है तथा उन्हें विचारार्थ सलाहकार समिति को पेश किया जाता है। इस समिति की प्रत्येक सप्ताह-बैठक होती है तथा इसकी सिफारिशों में विलम्ब नहीं होता। उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार शीघ्र निर्णय करती है। समिति विचार-विमर्श के समय आर्थिक लाभों की तुलना में पर्यावरण हानि का जायजा लेती है। सारांश यह है कि भली-भांति प्रस्तुत प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय होता है।

उड़ीसा में करों की वसूली

3953. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान उड़ीसा में वर्ष-वार वसूल किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों का ब्यौरा क्या है और कुल वसूली में राज्य सरकार का भाग कितना है; और

(ख) केन्द्रीय कर एकत्र करने की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने और राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों की वसूली तथा कुल वसूली में राज्य सरकार के हिस्से का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	वसूली (उड़ीसा में)			राज्य सरकार का हिस्सा (उड़ीसा)		
	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
	(करोड़ रुपयों में)			(करोड़ रुपयों में)		
प्रत्यक्ष कर	16.84	21.98	24.45	42.43	43.93	45.77
अप्रत्यक्ष कर	118.12	126.41	141.38	154.83	178.83	197.40

उड़ीसा राज्य का हिस्सा राज्य में वसूल किए गए करों की राशि से काफी अधिक है।

(ख) सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बजट वसूली पर विशेष बल दिया है और सलाह दी है कि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वसूली करने के लिए हर-सम्भव प्रयास किए

जाएं । इसके अलावा, कार्यविधि तथा राजस्व वसूली तंत्र की समीक्षा करने का कार्य सभी विभागों में निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसको युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं । लेकिन, केन्द्र तथा राज्यों के बीच केन्द्रीय करों और शुल्कों के हिस्से को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है ।

दिल्ली में वी० सी० आर० और दूसरे सामान की काला बाजारी

3954. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बेईमान दुकानदारों द्वारा अनेक लोगों को वी० सी० आर० और अन्य फैंसी सामान जिस पर भारत में विशेष रूप से दिल्ली में काले बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है, जैसा माल मंगाने के लिये विदेश भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और;

(ग) सरकार सिंगापुर, हांगकांग और बैंकाक में की जाने वाली खरीद के माध्यम से तेजी से धन कमाने वाले दिल्ली के उन बेईमान दुकानदारों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) असबाब नियमों के अन्तर्गत 1250 रु० तक के सामान को नि:शुल्क लाये जाने की व्यवस्था है । इससे अधिक मूल्य के सामान पर 2000 रु० तक के अतिरिक्त मूल्य वाली वस्तुओं पर 170 प्रतिशत की दर से तथा बाकी के मूल्य पर 240 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है । शुल्क की इन दरों को साथ-साथ अपेक्षाकृत उच्च विमान किराये के परिणामस्वरूप बिक्री के प्रयोजनार्थ किये जाने वाले ऐसे आयात पर लाभ नहीं मिल सकेगा । तथापि, श्रीलंका और मालदीप से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में नि:शुल्क सामान लाये जाने की सुविधा को कम कर दिया गया है ताकि असबाब सम्बन्धी रियायतों के दुरूपयोग को निरुत्साहित किया जा सके । नेपाल से आने वाले यात्रियों को भी नि:शुल्क सामान लाये जाने की कोई सुविधा नहीं है ।

सामान को नि:शुल्क लाये जाने तथा शुल्क की दरों में रियायत केवल वास्तविक व्यक्तिगत असबाब पर ही उपलब्ध है । यदि कोई माल वास्तविक असबाब नहीं समझा जाता है तो उस माल को अभिगृहीत किए जाने के साथ-साथ जुर्माना और अर्थदण्ड भी लगाया जाता है । इस मामले में हवाई अड्डों, बन्दरगाहों, और दिल्ली सहित शहरों में स्थित सीमा शुल्क अधिकारी सतर्क रहते हैं तथा वे ऐसे मामलों में दुकानों और बाजारों में थोड़े-थोड़े अन्तराल पर छापे मारते रहते हैं और उपयुक्त कार्रवाई करते हैं ।

जम्मू और कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू स्किइंग इंस्टीच्यूट की स्थापना

3956. **श्री कमल नाथ** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में जवाहर लाल नेहरू स्किइंग इंस्टीच्यूट की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में पर्यटकों के हित की अन्य कौनसी परियोजनायें शुरू की गई हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां । 1969 में स्थापित हिम-भारती (इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ स्कीइंग एण्ड माउन्टेनियरिंग) गुलमर्ग को जवाहर लाल नेहरू स्कीइंग इंस्टीच्यूट का नया नाम दिया जा रहा है ।

(ख) यह इंस्टीच्यूट व्यावसायिक स्की प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और सर्दी के दौरान गुलमर्ग की यात्रा पर आए स्की-धावकों के मनोविनोद के लिए प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देश की सुविधा मुहैया करता है/ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन जम्मू और काश्मीर के साथ-साथ नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) और औली-जोशीमठ (उत्तर प्रदेश) में भी किया जाता है। यह इंस्टीच्यूट गर्मी के महीनों के दौरान जल-स्कीइंग, पर्वतारोहण, चट्टान आरगेहणट्रेकिंग, ऊंचे स्थानों पर शिविर लगाने, आदि के बारे में पाठ्यक्रमों का आयोजन भी करता है ।

(ग) इस वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने गुलमर्ग में केन्द्रीय रूप से तापित एक होटल का निर्माण शुरू किया है ।

डी० एम० टी०/पी० टी० ए० पर आयात शुल्क

3957. **डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घोषित नीति दुर्लभ कच्चे माल के आयात को उदार बनाने की है;

(ख) क्या सरकार चाहती है कि स्वदेशी उद्योग विदेशी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(ग) यदि हां, डी० एम० टी०/पी० टी० ए० को औपन जनरल लाइसेंस का दर्जा न देने के और स्वदेशी उत्पादकों को अधिक संरक्षण देते हुए उन पर आयात शुल्क बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आयात लाइसेन्स जारी करने के बारे में सरकार की नीति, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है: जिन निविष्टियों (इनपुट) के आयात किए जाने की आवश्यकता होती है उन्हें आसानी से तथा शीघ्रता से सुलभ करवाने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाना, आयात में सभी संभव प्रकार की बचतें करना, स्वदेशी उत्पादन की सहायता करना तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर इस्तेमाल की जा सकने वाली प्रभावी वस्तुओं को बढ़ावा देना ।

(ग) संश्लिष्ट फिलामैंट सूत इत्यादि के निर्माण के मामले में डी० एम० टी० और पी० टी० ए० वैकल्पिक कच्ची सामग्रियां हैं । डी० एम० टी० का उत्पादन देश में शुरू हो चुका है । और चूंकि पी० टी० ए० को भी एबजी कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए डी० एम० टी० और पी० टी० ए० को निर्बाध सामान्य लाइसेंस सूची में रखने की जरूरत नहीं समझी गयी थी । डी० एम० टी० और पी० टी० ए० के संबंध में आयात शुल्क की दर में इस उद्देश्य से संशोधन किया गया था कि स्वदेश में निर्मित डी० एम० टी० की प्रतियोगी स्थिति कायम रखी जा सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए भारत में इस्पात का मूल्य कम करना

3658. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस्पात के उत्पादन की प्रति टन लागत क्या है;

(ख) क्या भारत में इस्पात का मूल्य जापान और दक्षिण कोरिया में निर्मित इस्पात के मूल्य की तुलना में काफी अधिक है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) क्या इस्पात के मूल्य में कमी करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पूंजी से सम्बन्धित लागतों, कार्य के माहौल, भिन्न-भिन्न प्राडक्ट-मिक्स और कच्चे माल की लागतों में अन्तर होने के कारण प्रत्येक कारखाने में उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न है। इसलिए भारत में इस्पात के उत्पादन की लागत बताना मुश्किल होगा।

(ख) और (ग) "वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स-स्टील स्ट्रेटजिस्ट सितम्बर 1985" में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा हाल में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, भारत में इस्पात का मूल्य जापान के देशीय मूल्यों की तुलना में अधिक है। दक्षिण कोरिया में इस्पात के देशीय मूल्यों से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) मूल्य आदानों की लागत, मजूरी और वेतन, रेल-भाड़े शुल्कों और करों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अधिक उत्पादन और उत्पादिता क्षमताओं के बेहतर उपयोग, बेहतर प्रौद्योगिकीय मानदण्डों, ऊर्जा उपयोग में बचत और श्रम लागतों पर काबू पाकर उत्पादन की लागत पर काबू पाने के प्रयास किए गए हैं। इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को 'अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिमूर्ति योजना' के अन्तर्गत निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर की जाती है।

खान मालिकों से प्राप्त रायल्टी में से खनन के लिये मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना

3959. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूना पत्थर, बाइरेट, शक फास्फेट जैसे खनिजों और अन्य खनिजों के, जो कि सीमेंट, कागज, टाइल्स आदि उद्योगों के लिए अत्यावश्यक हैं, खनन के लिए कोई प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को खान मालिकों से वसूल की गई रायल्टी में से खनन क्षेत्रों में सड़कें बनाने, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

बम्बई में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए भूमि का अधिग्रहण/स्थान चयन

3960. **श्री टी० बशीर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने किसी एक कारण या अन्य कारणों से बम्बई में अपनी होटल परियोजना/ सम्पत्ति के लिए अभी तक भूमि का उपयुक्त प्लाट/स्थान/अधिग्रहण स्थान चयन नहीं किया है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग गत पांच वर्षों के दौरान बहुत से अधिकारियों ने बम्बई में होटल स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के बहाने वहां का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बम्बई में उपयुक्त प्लाट का अधिग्रहण करने और होटल स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा बम्बई में एक होटल के लिए भूमि के अधिग्रहण/अवस्थिति के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ पत्राचार के माध्यम से अथवा जहां आवश्यक हो, व्यक्तिगत विचार-विमर्श हेतु अधिकारियों को दौरों पर भेज कर उपाय किए गए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम समुचित व्यवहार्यता और वित्तीय क्षमता आदि पर निर्भर करते हुए बम्बई में एक होटल की स्थापना के लिए एक समुचित स्थल प्राप्त करने के लिए अभी खोज कर रहा है।

उड़ीसा में ट्रेवल सर्किटों का पता लगाना

3961. **श्री निरंजन मिश्र** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा कितने ट्रेवल सर्किटों का पता लगाया गया है;

(ख) इन ट्रेवल सर्किटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ट्रेवल सर्किटों का विकास करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित किया है:— 1. भुवनेश्वरपुरी-कोणार्क-धौली-रत्नगिरी-ललितगिरी-उदयगिरी-भद्रक-चांदीपुर-खिचिंग-जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापस।

2. भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर समुद्रतट-तप्तपानी-कोरापुट–बोलनगीर–झरसुगुदा अंगुल-टिकरपाड़ा-तलचेर भुवनेश्वर। राज्य पर्यटन आधार-संरचना का विकास केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले संसाधनों के जरिए एक अवस्था-बद्ध ढंग से किया जाता है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों के लिए सहायता प्रदान की है:—

1. ललितगिरि-उदयगिरि-रत्नगिरि की मास्टर योजनाएं तैयार करना
2. सिमलीपाल में वन–गृह
3. लायन सफारी पार्क, नन्दन कानन
4. चिल्का झील के लिए नौकाओं की खरीद
5. चिल्का झील की मास्टर योजना
6. कोणार्क में सूर्य मन्दिर के निकट प्रसाधन-ब्लाक का निर्माण
7. खण्डगिरि और उदयगिरि की प्रकाश-पुंज व्यवस्था।
8. चिल्का नौका दौड़ के लिए मेलों और त्योहारों के अन्तर्गत सहायता
9. भुवनेश्वर में भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोलना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी निम्नलिखित सुविधाएं उत्पन्न की।

1. भुवनेश्वर, कोणार्क, बालीचन्द्रपुर (रत्नगिरि-उदयगिरि-ललितगिरि के निकट), चांदीपुर बस्कुल और चिल्का झील व तप्तपानी पर रांम्भा में से प्रत्येक में एक पंथ-निवास तथा पुरी में दो पंथ-निवास

2. भुवनेश्वर, पुरी, कटक और बरहामपुर में रेलवे स्टेशनों पर तथा भुवनेश्वर हवाई-अड्डे पर पर्यटक काउंटर खोलना।

उड़ीसा में पर्यटन क्षमता

3962. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन लेखकों ने, जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा की यात्रा की थी, यह मत व्यक्त किया है कि राज्य में पर्यटन की असीमित क्षमता है और इसे सर्वोत्तम कहा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पर्यटन के संवर्धन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उड़ीसा में पर्यटन संभाव्यता को पहचानते हुए चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान उड़ीसा में अभिरुचि के स्थानों की यात्रा करने के लिए 2 टेलीविजन टीमों सहित 15 मीडिया प्रतिनिधियों को विभाग के अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया था।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को निम्नलिखित

स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की है:—

स्कीमें	रिलीज की गई राशि (लाख रुपए में)
1. ललितगिरि, उदयगिरि, रत्नगिरि की बृहत योजनाएं तैयार करना	3.20
2. चिल्का झील की बृहत योजना तैयार करना	2.00
3. कोणार्क में सूर्य मन्दिर के निकट प्रसाधन ब्लाक का निर्माण	2.61
4. चिल्का झील के लिए नौकाओं की खरीद	1·80
5. सिमलीपाल में वन-गृह	10.80
6. लायन सफारी नंदन कानन	19.23
7. खंडगिरि और उदयगिरि में प्रकाश पुंज व्यवस्था	7.29
8. मेले और त्यौहार-चिल्का नौका दौड़	2.14
9. भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा पुरी में यात्रिका का निर्माण	13.50

(ग) विभाग ने चिल्का झील के लिए एक परिभ्रमण नौका की खरीद के लिए एक स्कीम मंजूर की है। सतपदा, चिल्का में यात्री निवास के निर्माण के प्रस्ताव पर विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमों को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई और प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के पर्यटक आकर्षण के स्थानों पर काफी बड़ी संख्या में ब्रोशर्स, फोल्डर्स और पोस्टर्स प्रकाशित किए गए हैं

[हिन्दी]

प्रगति मैदान में अप्पू घर के लिए प्रवेश शुल्क

3963. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्पू घर में बच्चों के लिए मनोरंजन का प्रवेश शुल्क कम वेतन वाले साधारण लोगों की सीमा से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस बाल दिवस, महिला दिवस आदि जैसे अवसरों पर कम आय ग्रुप के बच्चों के लिए अप्पू घर को बहुत कम शुल्क अथवा नि.शुल्क खोलने का है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) मनोरंजन की एक विशेष मद के लिए प्रति व्यक्ति दरें एक रु० से 3 रु० जमा मनोरंजन के बीच हैं। सामान्य

दर्शकों और शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थाओं से आए संगठित समूहों के लिए घटी दरों पर एक मुस्त टिकटों की भी व्यवस्था है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अशक्त तथा मंद बुद्धि वाले बालकों, तथा अन्धे बच्चों के लिए जब कभी उन्हें उनके स्कूलों अथवा समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा भेजा जाता है, मुफ्त आनन्द दायक सवारी कराई जाती है। बाल दिवस (14 नवम्बर) अप्पू घर की वर्षगांठ (19 नवम्बर) गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस पर विभिन्न स्कूलों तथा समाज कल्याण संस्थाओं से संगठित समूहों में बच्चों को आमंत्रित किया जाता है और मुफ्त आनन्ददायक सवारी तथा मनोरंजन कराया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

3964. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय कपास निगम ने प्रत्येक कपास-उत्पादक राज्य से कितनी-कितनी मात्रा में कपास खरीदी;

(ख) क्या इस वर्ष कपास का भारी भण्डार उत्पादकों के पास जमा पड़ा हुआ है;

(ग) इस वर्ष भारतीय कपास निगम द्वारा प्रत्येक कपास का उत्पादक राज्य विशेषकर गुजरात से कितनी खरीद किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कपास का निर्यात कोटा जारी करने का है, ताकि उत्पादकों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल सकें ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय रूई निगम द्वारा रूई वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान, महाराष्ट्र के अलावा, जहां निगम कार्य नहीं करता, विभिन्न रूई उपजाने वाले राज्यों से रूई की खरीद निम्नोक्त प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा (आकड़े प्रत्येक 170-कि० ग्रा० की लाख गाठों में)
1982-83	9.71
1983-84	5.24
1984-85	6.68

(ख) उपजकर्ताओं द्वारा भारी मात्रा में स्टाक जमा करने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) भारतीय रूई निगम का चालू रूई मौसम के दौरान गुजरात से 3.75 लाख गाठों सहित विभिन्न रूई उपजाने वाले राज्यों से रूई की लगभग 15 लाख गाठें खरीदने का अन्तिम कार्यक्रम है।

(घ) भारत सरकार से चालू रूई मौसम के दौरान निर्यात के लिए लम्बे तथा अति लम्बे रेसे वाली रूई की दो लाख गाठों, बंगाल देशी की 27,000 गाठों तक एल्ये पिकिंग्स की 25,000 गाठों की मात्रा पहले ही रिलीज कर दी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी संवर्ग में वृद्धि और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी

3965. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 और 1984 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितने अधिकारी क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत थे; और

(ख) अधिकारी संवर्ग में वृद्धि और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संवर्ग में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1978 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों में 1,01,042 अधिकारी, 2,44,509 लिपिक और 1,08,109 अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत थे और दिसम्बर, 1984 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में 1, 84,075 अधिकारी,33,99,495 लिपिक और 1,55,342 अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी थे।

(ख) वास्तव में वृद्धि अधिकारी संवर्ग के साथ-साथ अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष) में भी हुई है।

वर्ष 1982-85 के दौरान आयात किए गए माल की मात्रा और मूल्य

3966. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-82 से 31-7-85 तक की अवधि के दौरान कितना कितना चावल, चीनी, सीमेंट, इस्पात और बोरियों का आयात किया गया और उनका मूल्य कितना है;

(ख) उन देशों के नाम क्या है जहां से इनका आयात किया गया; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) विदेशी व्यापार आंकड़े मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया के वित्तीय वर्ष के आधार पर अभिलिखित तथा प्रकाशित किये जाते हैं। 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (फरवरी 1983 तक) के दौरान चावल, चीनी, सीमेंट, लोहा तथा इस्पात व पटसन व हैसियन वेगस तथा पैकिंग और टाट के आयात (मात्रा मूल्य तथा प्रमुख देश) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। फरवरी, 1983 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1980-81 से 1982-83 के दौरान (फरवरी, 1983 तक) चीनी (सीरा तथा प्राकृतिक शहद को छोड़ कर) चावल, सीमेंट लोहा तथा इस्पात पटसन तथा हेसियन बोरियों तथा शेक के आयात दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	मद का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83 (फरवरी 83 तक)		प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किया गया
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. (क)	चीनी, चुकन्दर व गन्ना कच्चा ठोस	—	—	—	—	—	—	—
(ख)	शुद्ध चीनी व चुकन्दर के अन्य उत्पाद और गन्ने की चीनी ठोस	3134.58	8623.37	119242	4636.28		—	ब्राजील, फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन, अमरीका
(ग)	ठोस आकार में अन्य चीनी : चीनी की सिरप जिसमें वर्धित फ्लेवर या रंग न हो कृत्रिम शहद जिसमें प्राकृतिक शहद दग्धशर्करा मिली हो या न मिली हो	2672	209.61	17087	1128.89	132.19	184.13	फ्रांस, जर्मन, नीदरलैण्ड न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन, जापान, नेपाल, अमरिका, बेल्जीयम, स्वीडन स्विटजरलैंड यूगोस्लाविया
	योग	2161.30	8832.96	1363.29	5825.17	132.19	184.13	
2.	चावल							
(क)	भूसी सहित या भूसी रहित चावल लेकिन अन्य रूप से तैयार न हो	151.93	389.11	514.50	1196.90	161.71	324.23	नेपाल, ब्रिटेन, सिंगापुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) चावल, अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित जो पालिस किया हुआ या न हो (अर्ध उबला) या टूटे चावल सहित)	3115	60.00	13489	271.91	3072	60.58	नेपाल, जापान
	योग	18308	369.11	64939	1468 90	19243	384.81	
3.	वोटलैंड सीमेंट फाण्डु, स्लेग सीमेंट, सुपर सल्फेट, सीमेंट और इसी तरह की हैड्रलिक सीमेंट जो रंगी हुई या किल्कर के रूप में हो या न हो	1713005	9758.89	1121112	7303.94	953934	6219.61	कनाडा, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया डम्पीआर पी, स्विजटजरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम डी आर पी, वियतनाम गण-राज्य, आस्ट्रीया, चीन गणराज्य, फ्रांस ।
4.	लोहा तथा इस्पात	2038649	85212.39	3165219	120354.19	2605584	107615.32	आस्ट्रीया, ब्राजील, चीन गणराज्य, चीन पी आर पी, हांगकांग, ब्रिटेन, अमेरीका, बेल्जीयम, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, जर्मन पी आर पी, नीदरलैंड, इटली, जापान ।
5.	(क) कच्ची रूई हेतु जूट बेकिंग	—	—	562	4004	—	—	नेपाल
	(ख) जूट कनि सैक्स	—	—	—	—	—	—	
	(ग) जूट हेसियन बंग	101	4.86	4166	42.70	5973	162.28	नेपाल, जर्मन एफ आर पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(घ)	जूट सेगिंग बैग	—	—	—	—	3185	30.98	स० रा० अमरीका
(ङ)	जूट ऊन सैक्स	—	—	—	—	—	—	
(च)	प्लास्टिक लगा हुआ या कागज सह पोलिथिन अस्तर वाला जूट बेग व सैक्स	400	9.07	75	3.89	47	1.13	डेनमार्क, हांगकांग, इटली, जापान, नेपाल, अमरीका
(छ)	कागज का परतदार हेसियनबैग	—	—	—	—	—	—	
(ज)	अन्य प्रकार से काट किया हुआ या अन्य रूप से तैयार जूट बैग व बौयरे सफर के सामान के अलावा	314	6.06	64.58	18768	10	0.27	नेपाल
		815	19·99	11231	27331	9215	194 66	

स्रोत : 1980-81 और 1981-82 के लिए वाणिज्यक जानकारी एवं अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार संबन्धी मंथली स्टेटिस्टक भाग—2 (आयात)

स्रोत 2:—1982-83 (फरवरी 83 तक) के लिए : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता द्वारा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक कम्पनियों को एक करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मंजूर करना :

3967. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी स्थापना के बाद से अनेक औद्योगिक कम्पनियों को एक करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें एक करोड़ से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं; और

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपनी स्थापना से लेकर दिनांक 30 जून, 1985 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1151 औद्योगिक कम्पनियों को एक-एक करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं (विश्वस्तता और गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त अलग-अलग ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अत: प्रश्न में जिन अलग-अलग एककों के बारे में ब्यौरा मांगा गया है, वह नहीं दिया जा सकता।

देश में ग्रामीण पर्यटन का विकास

3968. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण पर्यटन का विकास करने सम्बन्धी सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1985-86 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा पर्यटक अभिरूचियों के स्थानों की यात्रा को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। यह सरकार की स्वदेशी पर्यटन की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की समग्र योजना का भाग बनेगी। विभाग ने युवाओं, अध्यापकों, आदि के लिए सस्ती विशिष्ट एक-मुश्त यात्राएं शुरू करने की संभावना पर भी राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटक अभिरूचि के स्थानों का भी विकास किया जाएगा। इसके प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारों से स्कीमें भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया है और गुणवत्ता के आधार पर इसकी जांच की जाएगी। पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर यात्री निवासों जैसे सस्ते और मितव्ययी आवास और यात्रिकाओं (धर्मशालाओं, मुसाफिरखानों सरायों,) के निर्माण की व्यवस्था से भी ग्रामीण पर्यटन का संवर्धन होगा।

(ग) मात्र ग्रामीण पर्यटन का विकास करने के लिए अलग से आबंटन नहीं किया गया है।

वित्त राज्य मन्त्री के साथ बैंक अधिकारियों की बैठक

3969. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में वित्त राज्य मंत्री के साथ बैंक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में ग्राहक सेवाओं के संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(ग) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने और कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ये बैठकें सभी स्तरों पर बैंक अधिकारियों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने की किस्म की थी ताकि ग्राहक सेवा की क्वालिटी में सुधार लाने, गरीबी हटाने के कार्यक्रम पर बेहतर अमल को सुनिश्चित करने और बैंकिंग सेवाओं की कार्यशकुलता बढ़ाने के संबंध में उन्हें सरकार की उत्सुकता से परिचित करवाया जा सके । इन बैठकों में अलग से ऐसे कोई निर्णय नहीं लिये गये थे ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

3970. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र उत्पादन शुरू करने के समय से ही संकट में रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संयंत्र को वर्षवार कितना लाभ हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) जी, नहीं । 1972-73 से 1980-81 के शुरू के वर्षों में (1976-77 के वर्ष में हुए कुछ लाभ को छोड़कर) संयंत्र को घाटा हुआ । फिर भी वर्ष 1981-82 से संयंत्र को लाभ हो रहा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	करोड़ रुपये
1981-82	6.54
1982-83	18.09
1983-84	0.55
1984-85	11.47

जेस्टेशन अवधि के अन्तर्गत होने तथा संयंत्र की उत्पादन की लागत (इसके भारी पूंजी से सम्बन्धित शुल्क शामिल है) की इस्पात के मूल्यों के स्तर से पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण संयंत्र के शुरू के वर्षों में घाटा हुआ था ।

कुद्रेमुख में बने लौह अयस्क पैलट्स के लिए बाजार

3971. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुद्रेमुख में बने लौह अयस्क पैलट्स के लिए खरीददार खोजने में सफलता मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को मंगलौर स्थित अपने पैलेट बनाने के संयंत्र में उत्पादित पैलेटों की बिक्री के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया से एक आशय-पत्र/समझौता ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1985-86 की अन्तिम तिमाही में मलेशिया तथा इन्डोनेशिया प्रत्येक को परीक्षण के तौर पर 10,000-10,000 टन पैलेटों का पोतलदान करने की सम्भावना है । यदि परीक्षण परि-

णाम संतोषजनक हुए तो खरीददार वर्ष 1986 में लगभग 2-2 लाख टन पैलेटों की खरीद पर विचार करेंगे।

दूसरे देशों को पैलेट निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

तिरुपति का राष्ट्रीय तीर्थ और पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3972. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति में पूरे वर्ष देश से तीर्थ यात्री आते हैं; और

(ख) क्या सरकार की तिरूपति को एक राष्ट्रीय तीर्थ और मान्यता प्राप्त पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकास करने की कोई योजना है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) तिरूपति एक राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र के रूप में विकसित है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग को तिरूपति के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क के निर्यात में कमी

3973. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उन कतिपय पत्तनों से जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है पिछले कुछ वर्षों से निर्यात में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उन पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने नियति में कमी आने के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और निर्यात में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारणों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान लौह अयस्क के निर्यातों की तुलना में 1983-84 में पारादीप तथा विशाखापट्टनम के पत्तनों से निर्यातों में कुछ कमी आई है, परन्तु 1984-85 के दौरान निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

(ग) तथा (घ) 1983-84 में निर्यातों में कमी के बेलाडिला, विजाग क्षेत्र में भूमि के सरकने के कारण अक्तूबर-नवम्बर 1983 के एक महीने के लिए रेल द्वारा लौह-अयस्क के संचलन के रुक जाने तथा 15 मार्च, 1984 से अप्रैल, 1984 तक अखिल भारतीय पत्तन हड़ताल की वजह से आई।

सेबों के निर्यात के लिए उठाए गए कदम

3974. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाले फलों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ऐसे फलों का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या उनका मंत्रालय सेबों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी हां । शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उगने वाले फलों में सेब निर्यात किए जा रहे हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सेब की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

	मात्रा	मूल्य
	(मे०टन)	(लाख रु० में)
1982-83	2,185	59
1983-84	2,771	97
1984-85	2,237	85

(स्रोत: साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) और (घ) सेब के निर्यात पर अन्य ताजे फलों पर 14 प्रतिशत की तुलना में नकद मुआवजा सहायता बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है । इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति और डिब्बों पर शुल्क वापसी भी उपलब्ध है ।

चीन से तिब्बती ऊन का आयात

3975. **श्री हरीश रावत** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती ऊन का आयात करने के लिए चीन से कुछ व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय द्वारा तिब्बती ऊन के प्रयोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जा रहे वैकल्पिक प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तिब्बती ऊन का प्रयोग उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र के शिल्पियों द्वारा किया जाता था । खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग ने उत्तराखण्ड क्षेत्र में शिल्पियों को उचित किस्म की भारतीय ऊन की तत्काल सप्लाई करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

विश्व के पर्यटक मानचित्र में शामिल किए गए उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल और सर्किट हाऊस

3976. **श्री हरीश रावत** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन पर्यटक स्थलों और सर्किट हाऊस के नाम क्या हैं जिन्हें विश्व के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया है; और

(ख) इन पर्यटक स्थलों और सर्किट हाऊस के विकास संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटन विभाग विश्व का कोई पर्यटक मानचित्र तैयार नहीं करता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को लघु उद्योगों के ऋण के लिए आवेदन पत्रों की संयुक्त जांच करने के अनुदेश

3977: **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को लघु उद्योगों के ऋण के लिए आवेदन-पत्रों की, कार्य-पूंजी और दीर्घावधि निर्धारित अवधि के ऋणों के संबंध में राज्य वित्तीय निगम के साथ संयुक्त रूप से जांच करने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है, और वे कब जारी किये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बैंकों की अनिच्छा के कारण इस तरह की संयुक्त जांच नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप कार्य-पूंजी की स्वीकृति और यूनिटों को पर्याप्त कार्य-पूंजी मंजूर करने में विलम्ब होता है ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई, 1978 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के साथ संयुक्त मूल्यांकन करने के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये थे । इन अनुदेशों की मुख्य बातें संक्षिप्त में नीचे दी गयी हैं:—

(1) परियोजना को बेहतर तरीके से समझने के लिए और पर्याप्त कार्यशील पूंजी सीमाओं की मंजूरी देने के लिए सावधि ऋणों का राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए । (2) यदि निगमों और बैंकों के बीच मार्जिन राशि या कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता के बारे में कोई मतभेद हो, तो उसे दोनों संस्थाओं के सम्बद्ध अधिकारियों की संयुक्त बैठक में सुलझा लिया जाना चाहिए । (3) राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों, दोनों द्वारा सावधि ऋण लेने वाले लघु उद्योगों के मामले में एक ही निर्धारित फार्म अपनाया जाना चाहिए । (4) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी निर्धारित शर्तें राज्य वित्तीय निगमों की शर्तों से टकराती न हों । (5) पारस्परिक आधार पर बैंक राज्य वित्तीय निगमों के पक्ष में प्लवमान परिसम्पत्तियों (फ्लोटिंग एसेट्स) पर दूसरे प्रभार के लिये सहमत हो सकती है बशर्ते कि कार्यशील पूंजी के लिए प्लवमान परिसम्पत्तियों पर निगम का स्थान बैंक के वर्तमान और भावी प्रभाकर के बाद हो ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि उसे कार्यशील पूंजी के मंजूर करने में देरी तथा एककों की अपर्याप्त कार्यशील पूंजी मंजूर किये जाने की कुछ आम शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम फरवरी, 1982 और जुलाई, 1984 में उपर्युक्त अनुदेशों को फिर से दोहराया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बैंकों तथा

राज्य वित्तीय निगमों के बीच के समन्वय के बारे में भिडे समिति की सिफारिशों का पालन करने के लिए भी कहा है। संस्थाओं के बीच समन्वय संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मंच स्थापित किए हैं।

हस्त शिल्प वस्तुओं के विक्रय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज सहायता

3978. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं के विक्रय पर कोई राज सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि ऐसी राज सहायता हथकरघा और खादी के लिए उपलब्ध है; और

(ख) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं के विक्रय पर भी ऐसी राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम नामक केन्द्रीय निगमों को उनके एम्पोरियमों की मार्फत हस्तशिल्पों की बिक्री पर छूट के रूप में 5 प्रतिशत उपदान देती है।

फिलामेंट यार्न पर वित्तीय राहत देने के लिए अध्ययन

3979. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलामेंट यार्न पर कोई वित्तीय राहत न देने का सरकार का हाल ही का निर्णय इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि फिलामेंट यार्न फैब्रिक्स का प्रयोग समाज के धनी वर्ग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण का आधार क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न बाजार अध्ययनों के परिणाम क्या हैं; और

(घ) इस मुद्दे पर वस्त्र समिति द्वारा किए गए एक या दो बाजार अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वस्त्र समिति ने अनुमान लगाया है कि पोलियस्टर वस्त्र के कुल उत्पादन में से लगभग 41% की खपत 10,000 रु. प्रति वर्ष से कम आय वाले व्यक्तियों में और लगभग 68% खपत 20,000 रु. प्रति वर्ष से कम आय वाले व्यक्तियों में होती है। फिलामेंट वस्त्र के सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पर्यटक केन्द्र

3980. **श्री राजकुमार राय** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटक केन्द्र नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार आजमगढ़ जिले में लालगंज तहसील के अंतर्गत जमुवाबा ग्राम सभा में एक पर्यटक केन्द्र का विकास करने के लिए 989 बीघा झील का सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :(क) आजमगढ़, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित किए 24 महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में शामिल नहीं है ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक एककों के पास बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं की धनराशि

3981. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थान की पर्याप्त धनराशि रुग्ण औद्योगिक एककों के पास रुकी पड़ी है ।

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1980 की तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कुल कितना ऋण दिया था और रुग्ण एककों पर अभी इस ऋण की कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के राज्य-वार आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) दिसम्बर, 1984 के अन्त में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पता लगाए गए रुग्ण औद्योगिक एककों की कुल संख्या 93,282 (अनन्तिम) थी, जबकि दिसम्बर 1980 के अन्त में यह संख्या 24,550 थी । दिसम्बर 1984 के अन्त में रुग्ण एककों के नाम कुल बैंक ऋणों की 3638.39 करोड़ रुपए की ऋण राशि बकाया थी जबकि इसकी तुलना में दिसम्बर 1980 के अन्त में यह राशि 1808.66 करोड़ रुपए थी । राज्यवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को छोड़कर, अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की संख्या 1984 के अन्त में 447 थी जबकि 1980 के अन्त में यह संख्या 205 थी । इन संस्थाओं की इन एककों के नाम दिसम्बर 1984 के अन्त में 822.25 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी, जबकि दिसम्बर 1980 के अन्त में यह राशि 300.66 करोड़ रुपए थी । विवरण–1 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को छोड़कर, वित्तीय संस्थाओं की राज्य-वार संख्या और उनमें लगी धनराशियों का दिसम्बर 1980 और दिसम्बर 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार ब्यौरा दिया गया है । जहां तक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का सम्बन्ध है, सितम्बर 1985 के अन्त में बैंक से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की संख्या 151 थी, जबकि दिसम्बर 1980 के अन्त में ऐसे एककों की संख्या 55 थी । दिसम्बर 1980 के अन्त में इन एककों के नाम 22.04 करोड़ रुपए की बकाया रकम की तुलना में सितम्बर 1985 के अन्त में 77.78 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी । विवरण-II में इसका राज्यवार ब्यौरा दिया गया है । रुग्ण

औद्योगिक एककों के नाम बैंकों के अग्रिमों का हिस्सा कुल बैंक अग्रिमों की तुलना में दिसम्बर 1984 में 7.8 प्रतिशत और दिसम्बर 1980 में 7.7 प्रतिशत था।

दिसम्बर 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार, 447 रुग्ण एककों के नाम, वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशियां, ऐसे एककों के नाम कुल बकाया रकमों का 39.6 प्रतिशत बैठती है।

विवरण I

वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में रुग्ण एककों और उनमें अन्तर्ग्रस्त ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

	केवल आई डी बी आई, आई एफ सी आई आई सी आई सी आई के लिये दिसम्बर, 1980 के अन्त तक		लाख रुपए केवल आई एफ सी आई, आई डी बी आई, आईसी आई सी आई, एल आई सी, जी आई सी, यू टी आई के लिये दिसम्बर, 1984 के अन्त तक	
राज्य	एककों की सं०	ऋण की राशि	एककों की संख्या	ऋण की राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	13	1664.85	47	7398.20
असम	6	3870.31	5	4257.92
बिहार	8	1182.56	13	4115.16
गुजरात	9	740.09	26	7877.57
हरियाणा	12	2372.96	15	3098.82
हिमाचल प्रदेश	4	199.96	4	410.72
जम्मू और कश्मीर	—	—	1	22.09
कर्नाटक	10	1373.73	37	7697.30
केरल	16	4147.78	27	5131.20
मध्य प्रदेश	8	1456.10	11	2018.04
महाराष्ट्र	42	5495.50	81	12661.14
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	1	503.32	1	694.90
नागालैण्ड	1	68.50	1	42.50
उड़ीसा	4	744.60	8	1996.42
पंजाब	4	401.14	11	1943.91
राजस्थान	6	451.77	14	1418.31

1	2	3	4	5
सिक्किम	—	—	—	—
तमिल नाडू	10	1020.67	32	4201.23
त्रिपुरा	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	22	2333.43	57	9543.83
पश्चिमी बंगाल	27	1872.03	48	6374.34
संघ राज्य क्षेत्र	2	166.83	8	1321.49
	205	30066.13	447	82225.09

विवरण-II

आई० आर० बी० आई० के पोर्टफोलियो में ऋण एककों और उनमें अन्तर्ग्रस्त ऋण का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

राज्य	दिसम्बर 1980 के अंत तक		सितम्बर, 1985 के अंत तक	
	एककों की सं०	अन्तर्ग्रस्त राशि	एककों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
आंध्र प्रदेश	1	0.12	9	3.38
असम	1	0.02	1	0.02
बिहार	—	—	4	1.26
दिल्ली	—	—	4	0.43
गुजरात	—	—	9	7.63
हिमाचल प्रदेश	—	—	1	0.50
कर्नाटक	1	0.17	3	2.46
केरल	3	1.31	7	4.16
मध्य प्रदेश	—	—	2	1.60
महाराष्ट्र	2	1.78	14	10.32
उड़ीसा	—	—	1	0.45
पांडिचेरी	—	—	1	0.37
पंजाब	—	—	1	0.20
राजस्थान	—	—	5	2.05
तमिल नाडु	2	0.63	12	4.60
उत्तर प्रदेश	—	—	8	2.88
पश्चिमी बंगाल	45	18.01	69	35.47
	55	22.04	151	77.78

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा नामनिर्देशित निर्देशकों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत

3982. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक एककों के बोर्डों विशेषकर रुग्ण तथा रुग्णप्राय औद्योगिक एककों के बोर्डों, में सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता सीमा शुल्क कलक्टरी में नकली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

3983. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मन्त्री** कलकत्ता सीमा शुल्क के नकली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की जांच के बारे में 17 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7073 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी कर ली गई है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) कलकत्ता सीमा शुल्क कलक्टरी में नकली अनुसूचित जाति के ऐसे अधिकारियों के बारे में प्रथम आरोप किस तारीख को प्राप्त हुआ;

(ग) पहले ही सेवा निवृत्त हो गए ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा आरोप लगाये जाने के बाद से कितने अधिकारियों को अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है;

(घ) क्या सभी आरोपों की जांच शीघ्र पूरी होगी तथा दोषी पाए गए सभी अधिकारियों चाहे वे सेवा निवृत्त हो गए हैं अथवा पदोन्नत कर दिए गए हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी; और

(ङ) सभी मामलों की, उचित और शीघ्र जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों की पूंजी में वृद्धि करना

3984. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों ने अपने पूंजी आधार में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कुछ बैंकों को इस योजना को कार्यान्वित करने की विधि तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ग) किन बैंकों द्वारा ये प्रस्ताव आए हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के पूंजी आधार में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार के अंशदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 200 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंकों की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने का निर्णय भी ले लिया गया है।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3985. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुद्रास्फीति की दर में गिरावट का पूर्वाभास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण मूल्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से वृद्धि हुई है, विशेषकर ऐसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में जो समाज के उन कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक हैं जिनके अपने रोज़गार हैं अथवा जो नैमित्तिक श्रमिक हैं और इसलिए उन्हें मूल्यों में वृद्धि की प्रतिपूर्तियां इससे संरक्षण नहीं दिया जाता; और

(घ) क्या इस श्रेणी को संरक्षण प्रदान करने की कोई योजना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) थोक कीमत सूचक अंक के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, 6 अप्रैल, 1985 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 23 नवंबर, 1985 को 4.9 प्रतिशत हो गई।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में (23 नवम्बर, 1985 तक) यद्यपि कुछ कीमतें (अर्थात् चावल, गेहूं, ज्वार, चना, अरहर, दूध, चीनी, गुड़, वनस्पति और मूंगफली के तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तथापि अन्यों की कीमतों में (अर्थात् मूंग, उड़द, मछली, मिर्चें, चाय, आटा, सरसों का तेल, नमक और साबुन की कीमतों) में कमी दिखाई दी है। घटबढ़ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	वस्तुएं 1	थोक कीमत सूचक अंक में प्रतिशत घटबढ़ 2
		(30-3-1985 और 23-11-1985 के बीच)
	समस्त वस्तुएं	+ 2.9
वृद्धि	(चुनी हुई मदें)	
	चावल	+ 6.0
	गेहूं	+ 7.8
	ज्वार	+ 2.4

1	2
	चना +23.1
	अरहर +12.9
	दूध + 6.9
	चीनी +14.1
	गुड़ +14.0
	वनस्पति + 9.5
	मूंगफली का तेल + 1.2
कमी	(चुनी हुई मदें)
	मूंग —15.7
	उड़द — 3.1
	मछली — 6.7
	मिर्चें — 7.9
	चाय —19.1
	आटा — 2.4
	सरसों का तेल — 0.3
	नमक — 0.5
	साबुन — 4.5

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के अलावा कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें स्वीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण करना, पोषाहार कार्यक्रम के क्षेत्र का विस्तार करना, ग्रामीण भूमिहीनों के रोजगार की गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत और ब्राजील के बीच व्यापार विस्तार

2986. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने को उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए ब्राजील ने कोई नए सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ब्राजील के साथ और अधिक व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए पता लगाए गए प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) ब्राजील भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसके वर्तमान ऋण संकट के कारण यह भारत से आयात करने की अपेक्षा भारत को निर्यात करने में अधिक रुचि रखता है। इस सम्बन्ध में ब्राजील ने कोई नए सुझाव नहीं दिए हैं।

भारत और इथ्योपिया के बीच व्यापार समझौता

3987. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथ्योपिया ने भारत से गेहूं खाद्य उत्पादों आदि का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। इथोपिया ने रियायती ऋणों पर खाद्य उत्पाद आदि, जिनमें गेहूं शामिल है। आयात करने में रुचि दर्शायी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए आधुनिकीकरण योजना

3988. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि व्यय किए जाने का विचार है; और

(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र के उपर्युक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजनावधि में इस योजना के लिए 360 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) इस योजना में इस बात की परिकल्पना की गई है कि लागत की दृष्टि से उपयुक्त मितव्ययी प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर इस कारखाने की निर्धारित क्षमता को पुनः प्राप्त किया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नेपाल में होटलों का निर्माण

3989. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेपाल में कुछ होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नेपाल में कितने होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उन होटलों के निर्माण में नेपाल सरकार सहायता दे रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में नेपाल में होटलों का निर्माण करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने मैसर्स होटल जया इंटर नेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत निगम काठमांडू में उनकी होटल परियोजना के निर्माण के दौरान परस्पर स्वीकृत शर्तों के आधार पर तकनीकी परामर्श देगा।

तवा आयकट विकास परियोजना के लिए जर्मन संघीय गणराज्य से अनुदान और ऋण

3990. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य ने मध्य प्रदेश में तवा आयकट विकास परियोजना के लिए कितनी धनराशि का अनुदान और ऋण दिया है;

(ख) ऋण और अनुदान करारों पर कब हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) इन धनराशियों के उपयोग की आखिरी तारीख क्या है;

(घ) क्या भारत अब तक इस सहायता का पूरा उपयोग कर सका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की "तवा" कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 3 करोड़ ड्यूशमार्क के अनुदान और 4 करोड़ 50 लाख ड्यूशमार्क के ऋण की व्यवस्था करने की वचनबद्धता की है। जुलाई, 1985 के अन्त तक जर्मन संघीय गणराज्य ने अनुदान के रूप में 293 लाख ड्यूशमार्क (लगभग 12 करोड़ रुपए) और ऋण के रूप में 108 लाख ड्यूशमार्क (लगभग 4.32 करोड़ रुपए) की रकम जारी की है।

(ख) अनुदान तथा ऋण करारों पर 25-10-1977 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) इन राशियों के उपयोग की अंतिम तारीख 31-12-1981 थी। परन्तु परियोजना की अवधि को 1986 के मध्य तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) 3 करोड़ ड्यूशमार्क के अनुदान में से लगभग सारी-रकम की प्रतिपूर्ति (293 लाख ड्यूशमार्क) हमें की जा चुकी है। 4 करोड़ 50 लाख ड्यूशमार्क के ऋण में से हमें 108 लाख ड्यूशमार्क की प्रतिपूर्ति की गई है।

(ङ) जहां तक ऋण के भाग का सम्बन्ध है, अदायगियां मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम द्वारा की जाती हैं और प्रतिपूर्ति "नाबार्ड" अंके माध्यम से की जाती है। यह जारी रहने वाली प्रक्रिया है और आशा की जाती है कि ऋण सहायता का उपयोग 1986 के मध्य तक कर लिया जाएगा, जो कि परियोजना पूर्ति की अंतिम तारीख है।

तमिलनाडु में पावरलूमों का बंद होना

3991. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि तमिलनाडु में 12 नवम्बर, 1985 से पावरलूमों में बुनाई का कार्य अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एक लाख बुनकर और कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में आल इण्डिया पावरलूम फेडरेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो आल इण्डिया पावरलूम फेडरेशन की मांगें क्या हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुनाई कार्य केवल कुछ दिन के लिए रुका था और इसलिए एक लाख बुनकर और कामगार बेरोजगार नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय बिजली करघा संघ से प्राप्त अभ्यावेदन में अन्य बातों के अलावा केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए कई प्रकार के वस्त्रों के आरक्षण की छूट, विकेंद्रीकृत बिजली करघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए कई किस्मों के आरक्षण, बिजली करघों के पंजीकरण के लिए एक विस्तृत अधिसूचना, बिजली करघों की बहुरेशा लोचशीलता व्यवस्था, संगठित मिल क्षेत्र की तुलना में बिजली करघों के लिए उत्पादन शुल्क अवकलन का बहाल किया जाना, बिजली करघा कपड़े के विपणन तथा विन्यास संवर्धन के लिए नियमों के गठन और विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग की गई है।

(घ) सरकार का हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा वस्तुओं के अनन्य उत्पादन के आरक्षण द्वारा हथकरघों को संरक्षण प्रदान करने की नीति में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं है। वस्त्र नीति में सभी बिजली करघों के अनिवार्य पंजीकरण और रेशा लोचशीलता की पहले ही घोषणा कर दी गई है। विद्यमान नीति में यह व्यवस्था है कि संगठित मिल क्षेत्र में बिजली करघों और असंगठित बिजली करघा क्षेत्र के बीच समानता के संदर्भ में बिजली करघा क्षेत्र का स्वस्थ विकास होना चाहिये।

(ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात

3992. **श्री कुंवर राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कुटीर और कृषि उद्योगों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) प्रति वर्ष किन-किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है और किन-किन वस्तुओं का निर्यात घट रहा है; और

(ग) जिन वस्तुओं का निर्यात घट रहा है उनके निर्यात में वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) राज्य-वार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किए जाते। निर्यात संवर्धन उपाय उत्पाद-वार पूरे देश के लिए तैयार किए जाते हैं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में पूंजी निवेश

3993. **श्री कुंवर राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) कुल पूंजी निवेश में सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया है; और

(ग) क्या सरकार टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का प्रबन्धग्रहण करने और इस कंपनी को औद्योगिक नीति, 1956 के अन्तर्गत और एकाधिकार नियंत्रण से मुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) 5 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार "टिस्को" में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के 100-100 रुपए अंकित मूल्य के 3526713 शेयर हैं। यह राशि चुकता पूंजी का 43.38% है।

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास इस प्रकार के 18,343 शेयर हैं जो चुकता पूंजी का 0.22 प्रतिशत हैं।

जनता के पास इसी प्रकार के 4585070 शेयर हैं, जो चुकता पूंजी का 56.40 प्रतिशत हैं।

(ग) जी, नहीं।

बिहार में सम्पदा शुल्क के मामलों की संख्या

3994. **श्री कुंवर राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सम्पदा शुल्क के कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) उनके परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि वसूल की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अक्तूबर, 1985 की स्थिति के अनुसार, बिहार में सम्पदा-शुल्क के 799 मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित मामलों के पूरा होने पर वसूली-योग्य सम्पदा-शुल्क की अनुमानित रकम 27 लाख रुपये होगी।

[अनुवाद]

दक्षिण भारतीय चाय का निर्यात मूल्य

3995. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारतीय चाय का वर्तमान न्यूनतम निर्यात मूल्य कितना है;

(ख) क्या वर्तमान न्यूनतम निर्यात मूल्य पूर्ववर्ती मूल्य से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को इस संबंध में दक्षिण भारतीय चाय उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय चाय के निर्यात के सम्बन्ध में कोई न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

यूनाइटेड ब्रेवरीज और डनलप इण्डिया के उच्च अधिकारियों के कार्यालयों/घरों पर छापा

3996. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड ब्रेवरीज और डनलप इंडिया लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के कार्यालयों और घरों पर छापे मारे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अनिवासी भारतीय विनियमों का उल्लंघन करने के लिए इन कंपनियों का प्रबन्ध अपने हाथों में लेने के प्रयास की चेष्टा करने सम्बन्धी कोई सामग्री बरामद की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारियों के कार्यालयों तथा परिसरों की 9 जुलाई 1985 को तलाशी ली गई थी। जिन परिसरों की तलाशी ली गई थी, उनमें डनलप इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एम०आर० छाबरिया का परिसर भी था।

(ख) जी, हां।

आर्थिक सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता

3997. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिए सरकार ने सोवियत संघ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों ने सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ग) कितना आयात और निर्यात किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वर्ष 2000 एडी तक आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के मुख्य निर्देशों सम्बन्धी एक करार पर मई, 1985 में भारत के प्रधानमन्त्री और सोवियत नेता मि० एम० एस० गोर्बाचोव द्वारा हस्ताक्षर किये गये। करार के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि दोनों पक्ष विशेषत: निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने का प्रयास करेंगे, पावर तेल तथा गैस उद्योग, कोयला उद्योग, लौह तथा अलौह धातु कर्म, मशीन निर्माण उत्पादन सहयोग और सोवियत संघ में सिविल तथा औद्योगिक परियोजनाओं में भारतीय संगठनों द्वारा भाग लेना।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों ने परस्पर व्यापार के आगे गत्यात्मक तथा नियमित विकास के लिए उपाय करने के लिए सहमति व्यक्त की। आशा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच समग्र व्यापार 1986 से 1990 की अवधि के दौरान 1981-1985 के बीच कुल व्यापार व्यवसाय की तुलना में 1.5 से 2 गुना बढ़ेगा। 1986-90 के लिए दीर्घकालिक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए जल्दी ही मंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

काजू के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा

3998. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान भारत से काजू के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ख) कौन सा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्यात किये जाने वाली किस्म के काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है और उस राज्य का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 के दौरान भारत से काजू के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा काजूगिरी के सम्बन्ध में 180.38 करोड़ रु० और काजूछिलका द्रव के सम्बन्ध में 1.63 करोड़ रु० है।

(स्रोत : काजू निर्यात संवर्धन परिषद् से प्राप्त आंकड़े)।

(ख) केरल राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है जो राष्ट्र के कुल उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत का उत्पादन करता है।

जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता

3999. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य से वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए कितनी सहायता मिली है;

(ख) परियोजना सहायता, पूंजीगत माल, वस्तुगत ऋण के लिए और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय पूंजी निवेश निगम तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों को अलग-अलग कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितनी सहायता राशि वितरित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार द्वारा आवंटित, सरकार की तरफ से सरकार को दी गई सहायता की मात्रा इस प्रकार है:—

लाख ड्यूशमार्क

	1984	1985
वित्तीय सहयोग	3600	3600
तकनीकी सहयोग	300	300

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार कलेंडर वर्ष के अनुसार आवंटन करने की पद्धति को अपनाती है। वर्ष 1986 के लिए जो आवंटन किया जाने वाला है, उसको 1986-87 की पहली तिमाही में सम्पन्न होने वाली वार्षिक वित्तीय बातचीत के जरिये अभी औपचारिक रूप से तय किया जाना शेष है।

(ख) प्रत्येक दोनों वर्षों के सम्बन्ध में वित्तीय सहयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :

लाख ड्यूशमार्क

	1984
परियोजना सहायता	2100
पूंजीगत वस्तुएं	600
सामान्य वस्तु सहायता	400
औद्योगिक विकास बैंक (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम प्रत्येक के लिए 250-250 लाख ड्यूशमार्क)	500
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	शून्य

	लाख ड्यूशमार्क
	1985
परियोजना सहायता	2100
पूंजीगत वस्तुएं	600
सामान्य वस्तु सहायता	400
औद्योगिक विकास बैंक	500
(भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, प्रत्येक के लिए 250-250 ड्यूशमार्क)	
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	शून्य

(ग) अक्टूबर, 1985 के अंत तक संवितरित राशि 1203.72 लाख ड्यूशमार्क थी।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जबलपुर और भोपाल में स्टील स्टाक यार्डों की स्थापना

4000. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कुछ समय पूर्व जबलपुर और भोपाल में स्टील स्टाक यार्ड स्थापित करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने पहले केवल जबलपुर में इस्पात का एक स्टाकयार्ड खोलने का निर्णय किया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने जबलपुर में एक "शाखा बिक्री कार्यालय" खोला और उन्होंने स्टाकयार्ड के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अर्जित भूमि का कब्जा भी ले लिया, लेकिन संसाधनों की अड़चनों को देखते हुए "सेल" ने बाद में केवल उन स्थानों पर स्टाकयार्ड खोलने का निर्णय किया, जहां इस्पात की अपक्रय/मांग एक महीने में 5,000 टन से अधिक हो। चूंकि जबलपुर क्षेत्र में इस्पात के अपक्रय और मांग की सम्भावना प्रतिमाह 5,000 टन से कम पाई गई थी अत: "सेल" ने फिलहाल वहां एक "प्रेषण अभिकरण" खोला है।

[अनुवाद]

धोखाधड़ी और कर अपवंचन में अन्तर्ग्रस्त कंपनियों और व्यक्तियों के नाम काली सूची में डालने का प्रस्ताव

4001. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से यह निश्चय किया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी के मामलों और कर अपवंचन में अंतर्ग्रस्त कंपनियों और व्यक्तियों के नाम काली सूची में डाल देने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति की मुख्य रूप रेखा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उन व्यक्तिय कम्पनियों को काली सूची में रखा जा रहा है, जिन्हें अदालतों ने सजा दे दी है या जिन प जुर्माना किया गया है और यह जुर्माना बैंक धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण अन्तिम फैसल है ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से और ऋण सुविधाएं प्राप्त न कर सकें। उन कम्पनियों/व्यक्तियो को जिन पर बैंक धोखाधड़ी या करों की चोरी के मामले में अन्तर्ग्रस्तता का संदेह है, काली सूची में रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

फ्रांस के बाजार में भारतीय चाय की मांग

4002. **श्री सोमनाथ रथ : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांस के बाजार में भारतीय चाय की बढ़ती हुई मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो फ्रांस को चाय का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पिछले कई वर्षों में फ्रांसीसी चाय आयात/खपत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तथापि चाय बोर्ड, भंडार श्रृंखलाओं में शैल्फ स्थान प्राप्त करने तथा समय-समय पर विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों की मदद करता है।

गोवा फेनी की तस्करी

4003. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल तट के सीमावर्ती गहरे समुद्र क्षेत्र में गोवा फेनी (काजू से निर्मित देशी शराब) की तस्करी के किसी मामले का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई अवैध शराब के मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का संकेत हाल ही में गोआ तथा होनावर के बीच तट-रक्षक अधिकारियों द्वारा एक "फिशिंग ट्रालर" को रोककर उसमें से पकड़ी गई गोआ की फैनी की ओर है। इस सम्बन्ध में तथ्य निम्नोक्त हैं :—

दिनांक 20-11-1985 को सीमाशुल्क सग्राहर्तालय, कोचीन, को भारतीय नौसेना से इस आशय की एक सूचना मिली कि तट-रक्षक जलयान "विजय" ने एक "कंट्री क्राफ्ट" को गोआ तथा होनोबर के बीच रोका जिसमें गोआ की फैनी ले जाई जा रही थी। दिनांक 21-11-1985 को तट-रक्षक अधिकारियों ने भारतीय लिकर (फैनी के 142 थैलों, एक फिशिंग ट्रालर और कर्मी दल के पांच सदस्यों को सीमाशुल्क अधिकारियों के हवाले किया था। जांच किए जाने पर निम्न-लिखित माल बरामद हुआ था :—

(1) वेलेंट फैनी—3189 पिंट बोतलें;

(2) ब्ल्यू स्टार पाम फैनी—2872 पिंट बोतलें; और

(3) ओल्ड बैरल ऐक्स्ट्रा स्पेशल फैनी—127 पूरी बोतलें।

क्राफ्ट सहित इस माल का अनुमानित मूल्य 1.63 लाख रुपए है।

चूंकि गोआ की फैनी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाना राज्य आबकारी कानूनों का उल्लंघन है, इसलिए उक्त माल और कर्मी-दल के पांच सदस्यों सहित फिशिंग

क्राफ्ट को आगे की आवश्यक कार्यवाही के सिलसिले में केरल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को सौंप दिया गया था।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत की मिलों में कपड़ा कामगारों की अधिक बोनस की मांग

4004. श्री अमर राय प्रधान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कोयम्बतूर तथा पेरियार जिलों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन लगभग 80 मिलों के लगभग 85,000 कपड़ा कामगारों ने बोनस संदाय अधिनियम में उपबन्धित राशि ऐसे अधिक बोनस दिए जाने के लिए 9 नवम्बर, 1985 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कामगारों की मांगों पर सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत कोयम्बतूर स्थित 10 मिलों के लगभग 10500 वस्त्र कामगार बोनस अदायगी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य न्यूनतम बोनस से अधिक बोनस की मांग को लेकर 9-11-85 से अनिश्चित हड़ताल पर थे। पैरीयर जिलों में कोई राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिल नहीं है।

कामगारों को बोनस, बोनस अदायगी अधिनियम के अनुसार दिया जाएगा। राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा व्यापार संघ प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान, यह माना गया कि, सभी कामगार तत्काल काम पर लौट आएंगे, कि योग्य कामगारों को 9 दिन के वेतन के बराबर वसूली योग्य अग्रिम राशि दी जाएगी। तथा उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना फरवरी, 1986 तक तैयार की जाएगी जो कि भारत सरकार के अनुमोदन करने के बाद लागू होगी।

माल भाड़ा प्रणाली में परिवर्तन से गुजरात राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव

4005. **श्रीमती पटेल रमाबेन**
श्री रामजी भाई मवाणि } क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है कि लौह और इस्पात की ढुलाई के लिए वर्ष 1956 से आरंभ की गई सामान्य माल भाड़ा प्रणाली में अब बी०डी० पांडे समिति की सिफारिश के आधार पर परिवर्तन किया जाये;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस प्रस्तावित परिवर्तन से गुजरात जैसे राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अनुमानों के अनुसार इस्पात का मूल्य प्रति टन 400 रुपये और अलौह का मूल्य प्रति टन 300 रुपये बढ़ जायेगा;

(घ) क्या इससे गुजरात के 5000 इन्जीनियरिंग और फाउण्ड्री यूनिटों की स्थिति डावां-डोल हो जायेगी;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय को किसी संगठन से अथवा गुजरात सरकार से इस प्रस्तावित परिवर्तन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समीकरण योजना को वापस लेने के विरोध में गुजरात सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनके विचार में इस प्रकार के परिवर्तन से गुजरात में लगभग 5,000 इन्जीनियरी तथा ढुलाई इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे लोहे तथा इस्पात के मूल्य 300 रुपए से 600 रुपए प्रतिटन के बीच कहीं तक बढ़ जायेंगे।

(च) लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समीकरण योजना को वापस लेने की प्रक्रिया तथा समय का निर्धारण करने का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से लिया जा रहा है। इन्हें अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है।

आयकर के अपवंचक के बारे में दिनांक 9 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2884 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और विलम्ब के कारणों का विवरण

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 9 अगस्त, 1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2884 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :—

क्रम सं० 5 पर श्री एस०एन० मरान के संबंध में आयकर की बकाया मांग 732.40 लाख रुपए दिखाई गई थी। वस्तुत: इस कर-निर्धारिती से प्राप्य राशि केवल 7.32 लाख रुपए थी न कि 732.40 लाख रुपए जैसा कि उक्त उत्तर में बताया गया था।

2. यह चूक अनजाने में दशमलव बिन्दु के स्थान में परिवर्तन होने और हजार रुपयों में प्राप्य राशि को लाख रुपयों में प्राप्य राशि के रूप में लिए जाने के कारण हुई। अत: श्री एस० एन० मरान का नाम हटा दिया जाए और इनके स्थान पर उक्त उत्तर के साथ संलग्न विवरण-पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए :—

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम	बकाया मांग (लाख रुपयों में)	मांग बकाया रहने के कारण
1	2	3	4
1.	श्री कादर अहमद भट्टी	रु० 3358.17	रकम अदायगी योग्य नहीं बनी है।
3.	गलती के लिए खेद है।		

4. उपर्युक्त प्रश्न संख्या 2884 में हुई गलती के बारे में सूचना आयकर आयुक्त (सेंट्रल I) मद्रास ने संसद के वर्षाकालीन सत्र की समाप्ति के समय दी थी। उसके बाद उस उत्तर की दोबारा जांच की गई और सत्यापित किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगे गये। उनके स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वे संसद प्रश्नों तथा वैसे ही संवेदनशील मामलों की सूचना प्रस्तुत करते समय भविष्य में अधिक सावधान रहें। इस बीच संसद का सत्र नहीं था इसलिए संशोधित विवरण पत्र इस सत्र में रखा जा रहा है।

11.52 म०पू०

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। मैं एक-एक करके आपको बुलाऊंगा। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने आपको एक पत्र लिखा था। प्रधानमन्त्री जी ने असम में एक चुनाव-सभा में कहा था···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस पत्र को पढ़ा है। अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने आपको एक पत्र लिखा है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ही भेज चुका हूं ताकि पता लगाया जा सके कि यह सही है या नहीं। मैं इस तरह के आरोप की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे भेज चुका हूं। मैं बाद में आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले··· (व्यवधान)···मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले पंजाब में···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया लिखित में दीजिए।

श्री सुरेश कुरुप।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : पिछले तीन दिनों से मैं सदन में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की हड़ताल का मामला उठा रहा हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में हमें सूचना मिल रही है।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन सिंह।

11.53 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना, भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम सीमित, बम्बई के वर्ष, 1984 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :—

(एक) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1985, जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5394 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1985 जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5395 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1606/85**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम सीमित, बंबई, के वर्ष 1984 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम सीमित, बंबई, का वर्ष 1984 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1607/85**]

(3) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1608/85**]

(4) (एक) परिसाधित चर्म तथा चर्मविनिर्मित निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) परिसाधित चर्म तथा चर्म विनिर्मित निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1609/85**]

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैंने आपको बताया है कि जांच करके मैं आपको बताऊंगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कब, महोदय ? सोमवार को ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको बताऊंगा ।

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मुझे अवसर नहीं दिया गया है । कल ही हम 500 किसान प्रतिनिधियों को लाए थे···

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य चर्चा कर चुके हैं ।

श्री सी० अंगा रेड्डी : मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री सी० अंगा रेड्डी : महोदय, एक बात और है । मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस (इ) अपने सरकारी तंत्र का किस तरह उपयोग कर रही है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुर्शीद आलम खां ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम 1985, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम सीमित नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के तथा वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1043 में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1985 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1610/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1611/85]

(3) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1612/85]

(4) (एक) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) मैन मेड टैक्साइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 1613/85]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1985, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 व सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 तथा तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति, समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1985 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 23 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1083 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1614/85]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : —

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) योजना, 1985, जो 9 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 883(क) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) (दूसरा संशोधन) योजना, 1985, जो 9 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 884(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1615/85]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 893(अ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 6 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विदेशी समाचार एजेंसियों तथा समाचार पत्रों के प्रत्यायित संवाददाताओं और

विदेशी प्रसारण तथा दूरदर्शन संगठनों द्वारा आयातित कतिपय विनिर्दिष्ट उपकरणों को, उन पर उदग्रहणीय मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1616/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०का०नि० 882(अ), जो 4 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 59/85 – के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि कांच की चूड़ियों और कांच के मनकों को अब तक उपलब्ध उत्पादशुल्क से पूर्ण छूट का लाभ कांच के चटनों को भी प्राप्त हो सके।

(दो) सा०का०नि० 883(अ), जो 4 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 47/84—के० उ० शु० तथा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 175/85—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1617/85]

(5) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 के अन्तर्गत तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (जब्त की गई सम्पत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन नियम, 1985 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 28 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4575 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका एक शुद्धि पत्र, जो 28 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5512 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1618/85]

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1618/85]

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1985 की स्थिति संबंधी 15वें मूल्यांकन के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1619/85]

भारत अल्मोनियम कम्पनी सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) भारत अल्मोनियम कम्पनी सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत अल्मोनियम कम्पनी सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1620/85]

11.55 ब०पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1985, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 दिसम्बर, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, एतद् द्वारा लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 16 दिसम्बर, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—
   (क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985
   (ख) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1985
   (ग) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक, 1985
2. आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार
3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1985
4. सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा
5. दीर्घकालीन आर्थिक नीति पर चर्चा

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यह परिपत्र डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैंने एक पत्र लिखा था, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरणिंदर सिंह (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यह आपके प्रामिस की बात है। आपने प्रामिस किया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें; मैं उसे देखूंगा। अनुमति नहीं है। सारी बात समाप्त हो गई है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह चुका हूं कि मैं देखूंगा। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप लिखित रूप में दीजिये। इसके बाद ही मैं देखूंगा। बोलने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक बोल रहे हैं। व्यवहार का यह तरीका नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह चुका हूं कि मैं उसे देखूंगा। वह समाप्त नहीं करेंगे, इसका तो कोई अन्त नहीं है। मैं इसके लिये क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

डा० बी० वेंकटेश (कोलार) हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सभा में क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा। यदि वह बोलते रहे तो, क्या कोई हल निकल सकता है? मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसे वह नहीं समझ रहे हैं। मैं उनसे कह चुका हूं कि वह लिखकर दें; मैं उस पर विचार करूंगा। इतनी सी बात है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

11.57 म०पू०

सभा का कार्य

[—जारी]

[अनुवाद]

श्रीमती बसवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : सोमवार, 16 दिसम्बर, 1985 से आरम्भ होने वाली चर्चा के लिए निम्नलिखित मद को शामिल कर लिया जाये :—

इस सप्ताह की कार्यवाही के दौरान लिया जाये बेल्लारी जिले में जिन सड़कों से अयस्क की ढुलाई की गई, उनके सम्बन्ध में। उन लारियों ने, जो 20 से 21 टन तक लौह अयस्क ले जाती हैं, जो वजन न्यूनतम वजन से 10 टन अधिक होता है; बेल्लारी जिले की लोक निर्माण विभाग की सड़कें बर्बाद कर दी हैं; और वे सड़कें मोटर वाहन चलाने योग्य नहीं रह गई हैं। मुझे बताया गया है कि जिन सड़कों पर अयस्क की ढुलाई की जाती है; उसके लिये अनुदान देने के लिये सरकार के पास बहुत राशि है। बेल्लारी की जिन सड़कों से अयस्क की ढुलाई की जाती है उनके रख रखाव के लिये उसी अनुदान राशि से राज्य सरकार को अनुदान दिया जाये। यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह में चर्चा के लिये निम्नलिखित विषयों को शामिल कर लिया जाये :—

हमारे देश में 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में वर्षा के पानी से सिंचाई होती है। आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र के विशाल क्षेत्र में मूंगफली की फसल बोयी जाती है। मूंगफली का तेल अधिकांश रूप से खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद शुष्क भूमि की खेती के बारे में अनुसंधान तथा विकास के लिये बहुत कार्य किया गया है। सूखे के कारण मूंगफली के बीज भली-भांति विकसित नहीं हो पाते हैं। शुष्क भूमि में मूंगफली पैदा करने वाले किसानों को बहुत कम प्रोत्साहन दिया जाता है। खाद्य तेलों पर 1300 करोड़ रुपये खर्च करने की बजाय यदि यह राशि निम्नलिखित उपायों पर खर्च की जाये, तो मूंगफली की पैदावार काफी बढ़ जायेगी :—

(1) मूंगफली का समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए और मूंगफली की फसल के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाए।

(2) सूखा सहन करने वाले बीज विकसित किए जाएं। बीज ऐसा होना चाहिए जो उसे 4 सप्ताह तक के सूखे वातावरण को सहन कर सके।

(3) मूंगफली की शुष्क खेती के उन्नत उपकरणों का आविष्कार किया जाए और उन्हें किसानों को सुलभ कराया जाए।

(4) शुष्क भूमि में मूंगफली पैदा करने वाले किसानों के लिए निःशुल्क बीज परीक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उर्वरक निःशुल्क दिए जाएं।

(5) 550/- रुपए समर्थन मूल्य रखने से खाद्य तेल का मूल्य बढ़ेगा। इसकी पूर्ति उस 1300 करोड़ रुपए में से, जो हर वर्ष खाद्य तेल के आयात पर व्यय किया जाता है, किसानों को राज सहायता देकर की जा सकती है।

[हिंदी]

श्री कमोदीलाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के चालू सत्र के आगामी सप्ताह में मैं निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करूंगा।

मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग में इस समय गांधी सागर से निकलने वाली नहर से चम्बल सम्भाग के किसानों को सिंचाई का पानी बहुत कम मिल रहा है। इसी तरह से प्राइवेट किसानों के ट्यूबवेल हैं उनके ज्यादातर ट्रांसफार्मर फुके हुए पड़े हैं। मैंने विद्युत अधिकारियों से कई बार कहा है। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। इस परेशानी से किसानों की लाखों एकड़ जमीन बिना सिंचाई के रह जाती है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि गांधी सागर से ज्यादातर पानी छोड़ा जाए तथा चम्बल सम्भाग के विद्युत के ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगाए जाएं ताकि किसान अपनी जमीन में सिंचाई कर सके।

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं चाहता हूं कि अगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय शामिल कर लिये जायें :—

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग कम शक्ति वाले सौर ऊर्जा तापीय यन्त्र यथा सौर ऊर्जा जल तापक, सौर वायु तापक, सौरकिन, सौर कुकर आदि लगाने के लिये राज सहायता प्रदान करता है। तथापि, उसके लिये 1985-86 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 3.3 करोड़ रुपये की अन्य राशि का प्रावधान किया गया है। सौर तापीय यन्त्रों से विभिन्न प्रकार की जीवाश्म ईंधन और बिजली की बचत होती है। सौर ऊर्जा चूंकि देश भर में उपलब्ध है; इसलिये इस पर लागत बिल्कुल नहीं आती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता वास्तव में एक प्रकार से निवेश राशि है; न कि राजसहायता। इन यन्त्रों से आगे चलकर राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन और विद्युत की बचत होगी। इसलिये, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार को इस कार्यक्रम के लिये अधिक मात्रा में धन और राजसहायता उपलब्ध करानी चाहिये।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की मंजूरी प्रदान करें :

राजस्थान का चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिला भयंकर अकाल से ग्रसित है, जहां लोगों को पीने के पानी की भी कठिनाई हो रही है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की क्रयशक्ति घट गई है। राहत कार्यों की व्यवस्था नहीं हो पाई, इससे लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि अविलम्ब इस पर कार्यवाही करवाई जाए तथा राहत कार्य मन्जूर कराए जायें।

पीने के पानी के लिए समस्यापूर्ण गांवों का सर्वेक्षण पुनः करवाकर विशेष धनराशि मंजूर करवाकर अधिक से अधिक हैण्डपम्प की स्वीकृति प्रदान कराई जाए।

पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराई जाए। इससे यहां के गरीब व्यक्तियों को भयंकर अकाल के प्रकोप से बचाया जाए।

श्री भानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले हफ्ते की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें।

मध्यप्रदेश के बस्तर जिला में विद्युत की प्रगति बहुत धीमी है। प्रदेश में जिलेवार जो बिजली की लाइन है, उसमें बस्तर जिला एक दम पीछे है। शासन के निर्णय अनुसार प्रत्येक गांव को बिजली पहुंचाई जावेगी। उस अभियान में काफी समय लगेगा, क्योंकि जिले में गांवों की संख्या 3388 है और अभी तक कुछ मेनरोड के गांवों को ही बिजली दे पाए हैं। सुदूर का अंचल कब बिजली लाइन से जुड़ पाएगा, उसका भविष्य कल्पना से परे है। कुछ जगहों में ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा लाइन खींचा गया है, पर झाड़ काटने की अनुमति नहीं मिलने से, दो-दो साल तक सिर्फ खम्बा खड़ा किया गया है। जिसमें तार की लाइन नहीं डाल पाए हैं।

इसलिए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर जिले की ग्राम संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को विशेष निर्देश देवेंगे ताकि लाइन में जो झाड़ आते हैं, उन्हें काटने का शीघ्र कार्यवाही कर अनुमति प्राप्त करें, जिससे स्वीकृत बजट प्रावधान को लैप्स होने से बचाया जा सके और बस्तर के हर गांव को शासन के घोषणानुसार निश्चित सीमा अवधि में कार्य पूर्ण कर सकें।

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किए जायें :

इस साल हम मुल्क में कांग्रेस का सदसाला जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर हम मुल्क के उन सभी सपूतों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने किसी भी शक्ल में मुल्क की जंगे आजादी में हिस्सा लिया है।

मुल्क की आजादी के लिए मुतादिद लोगों ने बेरून मुमालिक में रहकर जिलावतनी की जिंदगी गुजारी और जद्दोजहद की। ऐसी ही अजीम शखसियतों में मौलाना बरकतउल्ला मरहूम भी हैं, जिन्होंने कई मुल्कों जैसे अमरीका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान ईरान तुर्की बगैरह में हिन्दुस्तान की आजादी के लिए दुनिया की राय आम्मा बनाने का जबरदस्त काम अंजाम दिया।

उन्होंने मास्को में 1919 में इत्तेहाद बराय आजादिए एशिया और अजरबायजान में 1920 में कांग्रेस आफ टुआयलर्स आफ दि इस्ट को कांग्रेस में हिंदुस्तान की नुमाइन्दगी की थी।

काबुल में बनी पहली प्रावीजनल गवर्नमेंट आफ इण्डिया के वह प्रधान मन्त्री थे, जिसके प्रेजीडट राजा महेंद्र प्रताप थे।

मौलाना बरकतउल्ला भोपाली ने अहद किया था कि वह आजाद हिंदुस्तान में ही वापस लौटेंगे और ताजिंदगी बाहर रहकर मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। जो उन्होंने की और 27 सितम्बर, 1927 को सेनफ्रांसिस्को में इन्तकाल फरमा गए। उनके जिम्स फानी को मेरजवेल ले जाकर एक ताबूत में रखकर दफनाया गया था। उनकी आखिरी वसीयत थी कि मुल्क के आजाद हो जाने के बाद मेरी खाक को मेरे मुल्क की सरजमीन में दफनाया जाए।

आज मुल्क को आजाद हुए 38 साल गुजर चुके हैं। कांग्रेस की सदसाला सालगिरह के मौके पर हिन्दुस्तान की हुकूमत अगर मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के ताबूत को मंगवाकर भोपाल में जो उनकी जाये पैदाइश है, दफनाये जाने का इन्तजाम कर दे तो यह अवाम के जजबात का एहतराम होगा।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित मद शामिल कर ली जाये :—

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (के० सी० एफ०) के श्रमिकों के वेतन मानों में संशोधन।

गत वर्ष हुए समझौते के अनुसार स्वर्ण खानों के इन श्रमिकों का वेतन मान बढ़ाया जाना चाहिये। ये स्वर्ण खानें विश्व में सबसे अधिक गहरी हैं इन गहरी खानों में काम करने वाले श्रमिकों का जीवन खतरे में रहता है और उनकी जीवन-यापन स्थिति बहुत ही खराब है। वे लोग छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। इसके बावजूद उनका वेतन बहुत कम है तथा उनके वेतनमानों में तत्काल संशोधन किया जाये और इसके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाली मूल सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि की जाये।

बहुत समय से कोलार जिला सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस पूरे जिले से होकर ऐसी कोई नदी नहीं बहती है, जिसमें सदा पानी बहता हो। यहां ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। खेती योग्य भूमि वीरान हो गई है। इस जिले में भूतल जल बहुत गहराई पर मिलता है। कोलार का विख्यात स्वर्ण क्षेत्र भी बन्द होने की स्थिति में है। इसके कारण के० सी० एफ० नगर में रहने वाले लगभग 1,50,000 दलित व्यक्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।

के० जी० एफ० में स्थित बी० ई० एम० एल० कारखाना इस समय पिछड़े जिलों के लिये वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने में सहायक नहीं है। इसलिये, कोलार जिले में सहायक कारखाने के रूप में बी० ई० एम० एल० का विकास कर एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

श्री सी० गंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगली कार्यसूची में शामिल कर लिया जाये :—

1. आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जो आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है, के बाद ही वारांगल शहर है। अनेक बड़े-बड़े उद्योग केवल हैदराबाद में ही स्थित हैं। आजादी के बाद से वारांगल में कोई भी प्रमुख उद्योग नहीं स्थापित किया गया है। बेरोजगारी के कारण युवक निराश हो रहे हैं और कानून और व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जिस कोच कारखाने को स्थापित करने का प्रस्ताव था उसे राष्ट्रीय एकता के हित में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि यहां एक आयुध कारखाना स्थापित किया जाये जिससे सातवीं योजना में आंध्र प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। सभी प्रकार की मूल भूत सुविधायें यथा पानी, भूमि, बिजली और अन्य वस्तुयें आंध्र प्रदेश सरकार सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

2. यह पता चला था कि खाना पकाने की गैस भरने का एक एकक सातवीं योजना के दौरान वारांगल में स्थापित किया जायगा। इसलिये, इसे तत्काल आरम्भ किया जाये और कार्य बहुत जल्दी आरम्भ किया जाये जिससे कि हैदराबाद में व्याप्त प्रदूषण कम से कम हो।

श्री अब्दुल रशीद काबूली (श्री नगर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मद शामिल कर लिया जाये।

सरदी की ऋतु के आरम्भ होते ही कश्मीर की घाटी में यातायात सेवायें (सड़क और विमान) तथा अन्य संचार साधन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और यह घाटी देश के अन्य भागों से कट-सी जाती है। देश के इस उत्तरी भाग में विमान सेवा और सड़क सेवा छिन्न-भिन्न हो जाने से व्यापार ठप्प हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का तेल, कोयला, सब्जी, तेल मांस आदि आवश्यक वस्तुएं सुलभ नहीं हो पाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सरदी की ऋतु में यहां के लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और इसके अलावा लोगों की आय कम हो जाती है और जीवन स्तर गिर जाता है। राज्य के कार्य-कलापों में जमाखोरों और असामाजिक तत्वों की चांदी हो जाती है। इस समय राज्य सरकार के पास लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिये सुमुचित व्यवस्था नहीं होती है। केन्द्र के पास यातायात के व्यापक साधन होते हैं, तथा वस्तुओं का भण्डार और पर्याप्त संसाधन होते हैं, अत: केन्द्र को उच्च स्तर पर इस समस्या का समाधान करना चाहिये तथा विशेषकर सरदी की ऋतु में प्रत्येक वर्ष जम्मू और काश्मीर में विशेषकर इन समस्याओं से निपटने के लिये परिवहन और आपूर्ति मन्त्रालय का कक्ष (सेल) गठित करना चाहिये। संचार, परिवहन (विमान और सड़क) तथा अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर राज्य की सहायता करने के लिये, यह कक्ष हर वर्ष पर्याप्त संसाधनों के द्वारा कमी वाले महीनों (सरदी की ऋतु) में उपाय तलाश कर सकता है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाईं मैंने उन्हें सुना। मैं उन्हें कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। किंतु मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो मुद्दे उठाये गए हैं उन के अतिरिक्त निम्नलिखित विधेयक विचार-विमर्श तथा पारित करने के लिए अगले सप्ताहों में लाने का विचार है :

(क) कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985;

(ख) कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास उपकर विधेयक, 1985।

विधेयक

12.09 म० प०

एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के टैरिफ का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के टैरिफ का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*दिनांक 13-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

12.10 म०प०

(दो) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

12.10½ म० प०

(तीन) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

12.11 म०प०

फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, और अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल)

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 12 और 13 पर एक साथ चर्चा करेंगे। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी और 15 सदस्यों को चर्चा में भाग लेना बाकी है। माननीय मन्त्री 2 बजे चर्चा का उत्तर देंगे। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें। मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए तीन मिनट दूंगा।

---

*दिनांक 13-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री अलम दत्त (डायमंड हार्बर) : रेलवे पर चर्चा तेजी गति से होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां यह शीघ्र होना चाहिए। अतः मैं माननीय सददयों से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे सहयोग दें। नई रेल लाइनों आदि के निर्माण के लिए आप ये बातें माननीय मन्त्री को लिख कर दे सकते हैं अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वह संक्षेप में अपनी बातें कहें। अब श्री धारीवाल बोलें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुपूरक मागों का समर्थन करता हूं। जो 433 करोड़ रुपये मांगे गये हैं उनसे विकास होगा परन्तु सरधार के लिए और विकास के लिए ज्यादा रकम मांगा जाना भी अनुचित न होगा।

राजस्थान रेलवे की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। वहां 16 परसेंट रेलवे लाईन बिछी है जबकि डब्ल्यु० वी० 42 परसेंट है। रेलवे आम जनता के जीवन का एक भाग बन गया है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तथा समुचित विकास के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

मैं जहां से आता हूं, कोटा और उसके आसपास के जिले चम्बल के इलाके हैं तथा डकैती के एरियाज हैं। वहां आदिवासियों की भरमार है। कोटा एक औद्योगिक शहर है तथा वह अनाज उत्पादन का भी एक केन्द्र है।

मैं कोटा में रेलों की स्थिति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो ट्रेन इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, बीना, ग्वालियर, दिल्ली के बीच चलती है उससे कोटा, गुना, नागदा, रतलाम वगैरह का सारा क्षेत्र यातायात की बड़ी भारी कमी महसूस कर रहा है। अतः इस ट्रेन को नागदा, कोटा, गुना, वीणा हो कर निकाला जाना चाहिए। वहां थरमल पावर प्लांट के लिए जो कोल आता है, कोटा में इसके कारण उसकी डिलीवरी में काफी डिले हो रही है। ट्रेफिक प्वाइंट की दृष्टि से भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

इन दिक्कतों से बचने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कोटा व गुना के बीच में तीन नये क्रासिंग स्टेशंस होने चाहिएं जो क्रास डाऊन कर रखे हैं विजौरा, छजावर, झूलने उसी प्रकार गुना और वीणा के बीच तीन क्रासिंग स्टेशंस पहले से ही मंजूर हैं। उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। उनके लिए कांट्रेक्ट दिये जा चुके हैं परन्तु काम की गति नहीं है। इस प्रकार भी ट्रेफिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कोटा-वीणा रूट पर एक फास्ट ट्रेन चलनी चाहिए। वहां अलार्म चैन पुलिंग बहुत होती है इसलिए डी० आर० एम० को चैन रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

169-170 इन्दौर-दिल्ली ट्रेन वाया भोपाल सप्ताह में दो बार चलती है। वह पूरे सप्ताह चलाई जाए, ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। इन्दौर के देहरादून एक्सप्रेस में नागदा से 6 डिब्बे जुड़ते हैं तथा कोटा से हरिद्वार व देहरादून के लिए 4 कोचेज जुड़ते हैं इस प्रकार 6 जमा 4 दस कोचेज के साथ चार और कोचेज जोड़ कर एक नई ट्रेन रतलाम से देहरादून के लिए चलायी जा सकती है।

शौपुर और वारा ये दोनों इलाके ऐसे हैं जो कि रेलवे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। इन दोनों को मीटर गेज रेलवे लाईन से जोड़ा जाना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

कोटा एक इंडस्ट्रियल टाऊन है और राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। वहां पांच लाख की आबादी है। वहां पर डकमिया तलाब नाम का स्टेशन बनाने के लिए प्रपोजल रेलवे मंत्रालय के पास विचाराधीन है। कोटा स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए यह प्रपीजल मंजूर किया जाना चाहिए। जो 76 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना वह सरकार को मंजूर करना चाहिए।

दिल्ली-बंबई राजधानी कोटा में नहीं रुकती। गंगानगर में इसकी बुकिंग नहीं है, सिर्फ ड्राइवर चेंज होता है और मेंटीनेंस का काम होता है। यह काम कोटा में 5 मिनट रुककर भी हो सकता है और इसके साथ-साथ बुकिंग भी काफी हो सकती है। यह गाड़ी दिल्ली से चलकर सीधी रतलाम रुकती है जबकि उससे बड़ा शहर कोटा है। राजधानी एक्सप्रेस को कोटा में रुकना चाहिए। अगर दो–चार मिनट का स्टाप भी दे दिया जाए तो वहां की जनता को काफी फायदा होगा। गंगानगर में इसकी बुकिंग नहीं है और कोटा में इसकी काफी बुकिंग होगी गगानगर से कम से कम 10 गुना बड़ा शहर कोटा है।

दिल्ली-बंबई डबल लाइन हो रही है, परन्तु कोटा स्टेशन के बिल्कुल पास में ही चंबल नदी है, उस पर एक ब्रिज है। इसलिए जो डबल लाइन हो रही है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा जब तक इस नदी पर दूसरा ब्रिज नहीं बन जाता या प्रजेंट ब्रिज को चौड़ा करके दूसरी लाइन नहीं बिछाई जाती।

अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि फ्रंटियर मेल के लिए रतलाम से 50 सेकण्ड स्लीपर का कोटा दिया गया है, लेकिन इंदौर-बंबई गाड़ी वाया रतलाम नई ट्रेन चलाई गई है, इसको रेगुलर कर देने से इंदौर, उज्जैन, नागदा,रतलाम वालों को पूरी ट्रेन बबई के लिए मिलती है इसलिए यह 50 सेकण्ड स्लीपर का कोटा रतलाम के बजाए कोटा शहर के लिए दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर रलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलते हुए मैं अर्ज करता हूं कि रेलवे के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी और जो आशाएं इस देश के लोगों को हैं, उन आशाओं के लिए रेलवेज को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, उसके मुताबिक रेलवेज पूरी नहीं उतर रही है। हर रोज देश के लोगों में रेलवेज के लिए शिकायतें आती हैं, रेलवे में टिकट बुकिंग के मामले में करप्शन के इल्जामात हैं, पक्षपात के इल्जामात हैं। इसी तरह सारे देश में रेलवेज पर लोगों का बोझ, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मगर रेलवेज में जो प्रबंध तेजी से होना चाहिए, जिस तरह से आबादी का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से देश में रेलवेज की डिमांड बढ़ रही है, उसके मुकाबले हमारी सरकार पंचसाला योजनाओं में इस ओर उतना ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और देश में "अन मैन रेलवे क्रासिंग" कितने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा इनकी तादाद है कि हर रोज बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वहां भी कुछ प्रबंध करना चाहिए।

पंजाब से फूड कारपोरेशन की जो डिलीवरी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब 65 परसेंट फूड ग्रेंस कंट्रीब्यूट करता है केन्द्र के अन्न भण्डार में। यह 65 परसेंट जो फूडग्रेन्स वहां से आना है उसके लिए ट्रेक डबल करने चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है, ढुलाई के मामले में तेजी लानी चाहिए, वह नहीं लाई जा रही।

अभी कुछ दिन पहले ही हमने चैक किया कि पंजाब में जो व्हीट है, चावल और पैडी है उसको तीन-तीन साल से लिफ्ट नहीं किया गया, रेलवेज उसको उठा नहीं रहा, वहां पर स्टोरेज के लिए गोडाउन की प्राब्लम बढ़ रही है पंजाब में। जब उनको उठाने के लिए कहा जाता है, जब फूड कारपोरेशन फूड मिनिस्ट्री, पंजाब की फूड मिनिस्ट्री से कहते हैं और वो जब रेलवेज को कहते है तो कहा जाता है कि जितनी हमें स्पेशल सुविधा मिलती है उतना हम ले जा रहे हैं, इसमें और तेजी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि रेलवे ट्रैक की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पंजाब-हरियाणा में से बहुत ज्यादा अनाज देश के दूसरे भागों में जाता है, इसलिए वहां पर और रेलवे ट्रैक होना चाहिए। कल ही एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया कि स्टेटिसटिक्स के आधार पर पहले ही पंजाब में पापुलेशन के लिहाज से रेलवे ट्रैक की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। हम आकड़ों में नहीं पड़ना चाहते। वहां पर जरूरत बहुत ज्यादा है इसलिए वहां कुछ और करना चाहिए। रेलवेज पर जो ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, उसके लिए भी कुछ और रेलवे वैगन्स और रेल गाड़ियों का प्रबन्ध करना चाहिए। हमने मंत्री जी से मीटिंग की और पूछा कि रेलवे ट्रैक्स देने के लिए आप क्या कर रहे हैं तो यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवेज की ट्रैक की बढ़ोत्तरी के लिए शायद एक पैसा भी नहीं रखा गया है। अगर यह सच है तो इससे देश में बहुत मायूसी बढ़ेगी। रेलवेज के बारे में देश के लोगों का कैसे विश्वास बढ़ा सकेंगे। हर साल रेलवे के किराए में वृद्धि की जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो सहूलियतें हैं, वह इतनी कम हैं जिनको देखकर बहुत ही दुख होता है। मेरे ख्याल में मंत्री जी कभी रेलवे में सफर ही नहीं करते। अगर करते होंगे तो इसके लिए स्पेशल व्यवस्था हो जाती है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सैलून लगाते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : स्पेशल सैलून लगाते हैं। अगर खुद नहीं तो अपने किसी सेक्रेटरी को भेजकर देखें कि यहां से हावड़ा तक कैसे लोग पशुओं की तरह रेलवे वैगन्स में जाते हैं।... **(व्यवधान)**

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : रेलवे कोचेज में जाते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ठीक है, रेलवे कोचेज में ही पशुओं की तरह जाते हैं। एक-एक डिब्बे में जहां पर चालीस आदमियों के बैठने की जगह होती है, वहां पर 120 आदमी, स्त्री और बच्चे बैठे हुए होते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इससे सर्दी कम लगती है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सर्दी के लिए तो अच्छा है, लेकिन गर्मी में क्या करेंगे। इसी तरह फूड-ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहना चाहूंगा। आपने इंक्वायरी की होगी और पार्लियामेंट की जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट भी देखी होगी कि कितना पिलफरेज होता है। अगर एक लाख बोरी किसी स्टेशन से जानी है तो दोबारा मेजरमेंट कराकर देखें तो दो-दो, तीन-तीन किलो की शार्टेज हरेक बोरी में स्टेशन पर ही हो जाती है। इसको कौन ले जाता है और किसकी पेट्रोनेज है, यह भी आपको मालूम करना चाहिए। हम अपोजीशन में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि

हर बात में नुक्ताचीनी ही करते जाएं। हमेशा नुक्ताचीनी में हमारा यकीन नहीं है। हमारा और आपका देश के लोगों के प्रति फर्ज है। हम इस हाऊस में एक प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। हमारा और आपका कामन फर्ज है, वह फर्ज है, देश के लोगों को सहूलियतें देना और उनकी मुश्किलात दूर करना। यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवेज के बारे में आप उनको कहें कि और पैसे दिए जाएं। जो मेरे सुझाव हैं, उनको फिर आपको बता देना चाहता हूं। पंजाब मे जो फूड ग्रेन्स लिफ्ट करने की प्राब्लम है उसके लिए डबल ट्रैक्स की व्यवस्था की जाए। स्टेशनों पर गोडाउन्स में अनाज ही अनाज पड़ा है। कोचेज की जो प्राबलम है, पैसेंजर्स के लिए, उसकी भी व्यवस्था करें। रिजर्वेशन के बारे में जो करप्शन चल रहा है, उसको भी सुधारने का प्रयत्न करें। जो पिलफरेज होता है, उसको भी ठीक करने का प्रत्यन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने रेलवेज की सप्लीमैंटरी डिमाण्ड फार ग्रान्ट प्रस्तुत हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे रेल राज्य मन्त्री, श्री माधवराज सिंधिया जी, बम्बई की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं इसलिए मैं यहां बम्बई की उप-नगरीय रेल-सेवा की समस्याएं बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं। जब पिछले बजट में दरों में बढ़ोत्तरी की गई थी उस समय मैं बन्सीलाल जी से मिला था। रेल मंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा था कि अगर आप को सब सुविधाएं चाहिए, आपको 6 कोरिडोर्स चाहिए, आपको ओवरब्रिजेज चाहिए, अथवा उप-नगरीय रेल-सेवा में अन्य फैसिलिटीज चाहिए तो आपको ज्यादा दर देनी पड़ेगी। उनके कहने के अनुसार, हमने वहां जाकर लोगों को फेस किया और उन्हें सन्तुष्ट कराया लेकिन बाद में, मुझे लगता है कि बम्बई की उप-नगरीय रेल सेवा के सुधार के बारे में कुछ खास नहीं हुआ। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात पर केन्द्रित कराना चाहता हूं कि जब हमें जरूरत है तो हम दिल्ली में यात्री भवन बना रहे हैं लेकिन बम्बई महाराष्ट्र की कैपिटल होने के साथ-साथ पूरे भारत देश की इण्डस्ट्रियल कैपिटल भी है और उसकी इण्डस्ट्रीज को जिंदा रखने के लिए, इण्डस्ट्रियल वर्कर्स की सुविधा के लिए, बम्बई में रेल-सेवाओं में सुधार किया जाना बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री जी के विचारार्थ दो-तीन प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

आज बम्बई की उप-नगरीय रेल में 9 डिब्बे होते हैं, वहां 9 कैरेजेज की गाड़ी चल रही है। यदि उसके स्थान पर 12 डिब्बों की गाड़ी चालू कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। इसके लिए आपको प्लेटफार्म को बढ़ाना पड़ेगा और नये डिब्बे देने पड़ेंगे।

उसके साथ-साथ आज बम्बई की उप-नगरीय रेल-सेवा में बहुत से रेलवे-क्रासिंग आते हैं और इन क्रासिंग्स पर गाड़ियां अक्सर रुक जाया करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन क्रासिंग्स को बन्द करके वहां फ्लाईओवर-ब्रिज बनाने चाहिए ताकि सभी को सुविधा हो सके।

जैसा आप जानते हैं जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें मेरी जानकारी के अनुसार, चलती हुई गाड़ियों के लिए जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है, उससे 10 गुनी इलैक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम होती है। इस तरह इलैक्ट्रिसिटी का भी लौस होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उप-

नगरीय रेल-सेवा में आपके पास जो 5 ओवर-ब्रिजेज बनाने का प्रपोजल है, उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए।

मैं समझता हूं कि रेलवेज के पास फाइनेन्शियल रिसोर्सेज की कमी है और इसी कारण आप हमारी कई समस्याएं हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि रेलवे बोर्ड और आपका मन्त्रालय साथ मिल कर विचार करे, क्योंकि बम्बई की जनता रेल-सेवा में सुधार चाहती है, यदि रेलवे-बोर्ड की ओर से स्पेशल बौंड्स निकाले जाएं तो मैं समझता हूं कि आपको जितना पैसा चाहिए, जिससे बम्बई की रेल-सेवा में सुधार किया जा सके, उतना पैसा बम्बई की जनता आपको बौंड्स के जरिए देने में समर्थ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सुझाव पर गौर करें और यदि सम्भव हो तो रेलवे बोर्ड को स्पेशल बौंड्स इश्यू करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए। बम्बई की जनता आपको अपेक्षित धन देने के लिए तैयार है लेकिन शर्त यही है कि उस पैसे का इस्तेमाल, बौंड्स इश्यू करने के बाद, सिर्फ बम्बई की उप-नगरीय रेल-सेवा में सुधार के लिए ही होना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार हो जाएं तो हमारी कई तकलीफें दूर हो सकती हैं और बम्बई रेल-सेवा के सुधार के लिए जितने ओवर-ब्रिजेज की आवश्यकता है, ज्यादा ट्रेक्स की आवश्यकता है, उसे भी आप देने की स्थिति में हो जाएंगे।

मैंने आपके सामने दो मुख्य सुझाव रखे हैं : पहला तो यह कि आजकल बम्बई में जो 9 डिब्बों की ट्रेन चल रही है, उसको 12 डिब्बों की बनाया जाए और दूसरे हमारे रेलवे-क्रासिंग्स पर जो गाड़ियां रुकती हैं, उस समस्या को ओवर-ब्रिजेज बनाकर दूर किया जाए। अन्त में, एक और सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हम पिछले बहुत समय से वैस्टर्न रेलवेज की मैनेजमेंट के साथ लड़ते आ रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ लड़ते आ रहे हैं कि हमारे इण्डस्ट्रियल वर्कर्स : दे आर स्टेइंग बिटवीन अंधेरी एण्ड बीरार : उनके लिए अन्धेरी और बीरार के बीच में एक शटल चलाई जाए।

दो-तीन साल से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में बात उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस बात को रेलवे अथॉरटीज को भेजिए ताकि वे इस बारे में गौर से विचार करें। महोदय, मेरा निवेदन है कि अंधेरी और बिरार के बीच में एक शटल सेवा शुरू कर दें। इसके लिए आपके पास ट्रेक्स भी पड़ी हैं।

अन्त में, महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बम्बई उपनगरीय रेलवे सेवा के बारे में दो-तीन बातें भेजी हैं, आप कृपया इनको रेलवे अथारटीज को भेजने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के लिए रेल की अनुदान की अनुपूरक मांगों का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माधवराव जी सिंधिया, राज्य मन्त्री, रेल बधाई के पात्र हैं क्योंकि जब से इन्होंने रेलवे विभाग का कार्यभार सम्भाला है तब से कुछ न कुछ तरक्की देश में कहीं न कहीं हुई है। मगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मान्यवर वह क्षेत्र ऐसा है जिसके कारण हम दया के पात्र हैं। माननीय रेल मन्त्री जी के कमरे में एक

नक्शा लगा हुआ है, वे उसे देखलें, उसमें देश में जहां-जहां रेलें चलती हैं, उनका विवरण दिया हुआ है अगर-वे उसे देख लेंगे तो मुझे यहां कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जबलपुर में पिछले 50 साल में सिर्फ तीन रेल ज्यादा चलनी शुरू हुई हैं। जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है, जब हमारे पिताजी की पढ़ाई शुरू हुई थी तब भी वैसा ही था और अब हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है, तब भी वैसा ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने वर्षों में स्टेशन तक में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मान्यवर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बारे में फेज लिफ्ट की बात की गई है, मैं तो यह चाहता हूं कि आज ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अगर हमारे जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी कर दिया जाए, तो मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई दूंगा, बल्कि अग्रिम बधाई देने को भी तैयार हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से ग्वालियर की स्कीमें हैं, उसी प्रकार से कुछ स्कीमें मालदा की थीं, कुछ स्कीमें कर्नाटक की थीं। अभी हमारे भूतपूर्व रेलवे मन्त्री जी कह रहे थे "आन-गोइंग" की क्या परिभाषा है, अगर हमारे माननीय राज्य मन्त्री जी का प्रमोशन हो जाता है, तो जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं, उनमें और दस-पन्द्रह स्कीमें जुड़ जाएंगी, जो दस-पन्द्रह साल तक ऑन गोइंग रहेंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बगैर कोई डिब्बा जोड़े, बगैर कोई बहुत बड़ा खर्च किए, अगर थोड़े से और मामूली से खर्च से हम जैसे गरीब क्षेत्र के लोगों को आप खुश कर सकते हैं, रेल्वे की सुविधा लोगों को दे सकते हैं, तो यह काम आपको जरूर सब से पहले करना चाहिए। इस बारे में मान्यवर मैं केवल आपके समक्ष दो मामले रखना चाहता हूं। जबलपुर में 30 वर्ष पहले यह वायदा किया गया था कि जबलपुर-गोंदिया लाइन को जो छोटी लाइन है, इसका नवीनीकरण किया जाएगा या बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा, किंतु वह वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दो साल पहले इसी लाइन पर एक भयंकर दुर्घटना भी हुई जिसमें 250-300 लोग मरे। गनीखान चौधरी साहब के साथ मौके पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि इस लाइन को अभी से हम परिवर्तित करने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसको परिवर्तित करने का काम शुरू करना तो दूर उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए महोदय, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसके नवीनीकरण करने अथवा इसको छोटी से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम अगले वर्ष के बजट में जरूर जोड़ा जाए और परिवर्तित करने का काम तेजी से हाथ में लिया जाए।

मान्यवर, जहां तक जबलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं माननीय राज्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जबलपुर में भी कुछ फेज लिफ्ट दिया जाएगा जिसमें बहुत महंगा कास्मेटिक्स न सही, थोड़ा-थोड़ा कर के पाउडर ही लगा दीजिए। ग्वालियर में तो आप महंगा कास्मेटिक्स और क्रीम लगा रहे हैं, उसके अनुपात में हमारे चेहरे पर आप कम पाउडर ही लगा दीजिए।

हमारे यहां से एक गाड़ी गंगा कावेरी एक्सप्रेस चलती है। हमारे क्षेत्र में करीब 50-60 हजार लोग केरल के रहने वाले बसते हैं। उनको त्रिवेन्द्रम जाने में बहुत असुविधा होती है। मुझे

प्रसन्नता है कि राज्य मन्त्री जी ने मेरे कहने पर यह आश्वासन दिया है कि उसमें एक डिब्बा जोड़ने का भरसक प्रयास किया जायेगा। यदि उसमें डिब्बा नहीं जोड़ा जा सकता है कि उन लोगों को त्रिवेन्द्रम सीधा भेजने की व्यवस्था करवायें। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा था, जिस के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा था कि :

[अनुवाद]

एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ने की गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि उसमें एक डिब्बा त्रिवेन्द्रम जाने के लिये अवश्य जोड़ा जाये।

एक कुतुब एक्सप्रेस चलती है जो कि निजामुद्दीन से जबलपुर तक जाती है। वह जाती जबलपुर है, लेकिन नाम कुतुब एक्सप्रेस है। मेरा निवेदन है कि उसका नाम जबलपुर एक्सप्रेस या नर्मदा एक्सप्रेस रखा जाये। उस गाड़ी में जो डिब्बे हैं वह कम से कम 20 वीं सदी के होने चाहियें। जो डिब्बे दूसरी जगह से रिजेक्टीड होते हैं, उनको कम से कम कुतुब एक्सप्रेस में लगा दें। इसी प्रकार से जो गाड़ी इन्दौर बिलासपुर जाती है, उन गाड़ियों के डिब्बों की हालत भी काफी खराब होती है। इसके लिये मैं आपको आमन्त्रित करता हूं कि आप एक बार आकर देखें कि उन डिब्बों की क्या हालत है। आप अभी युवक हैं, एक बार आकर देखें, आपके शरीर को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा। उन डिब्बों की हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि इन ट्रेनों में वह ही डिब्बे लगा दिये जायें जो कि दूसरी जगह से रिजेक्टीड होकर आयें। ऐसा होने से हमें सुख का अनुभव होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्होंने कहा है कि वह विचार करेंगे।

[हिंदी]

श्री अजय मुशरान : मैं आपके सामने 2-3 प्वाइन्टस और रखना चाहता हूं। जबलपुर में एक दफा वायदा किया था कि उस लाइन का इलेक्ट्रिकफिकेशन कर दिया जायेगा। अभी जो प्लान बना है उसमें इलेक्ट्रिकफिकेशन को शामिल नहीं किया गया है। जबलपुर से इटारसी तक वाया भोपाल की जो लाइन है, उसका इलेक्ट्रिकफिकेशन कर दिया जाये। मेरा निवेदन है कि यदि हम लोगों को कहने पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेल मंत्रालय को ज्यादा पैसा मिला है तो जबलपुर लाइन का इलेक्ट्रिकफिकेशन करने की कृपा करें।

जबलपुर में रेलवे ने यह फैसला लिया था कि वहां पर जोनल हैड क्वार्टर खुल जायेगा और वहां जनरल मैनेजर के कार्यालय की स्थापना की जायेगी। यह सब 10-12 साल पुराने फैसले हैं। इसके बारे में यदि माननीय राज्य मन्त्री जी अपने वक्तव्य में कुछ प्रकाश डालेंगे तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जबलपुर दमोह लाइन जिस की बहुत दिनों से मांग चल रही है, उस लाइन पर भी कुछ न कुछ ध्यान दिया जायेगा।

जिन-जिन बातों की तरफ मैंने माननीय राज्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है, आशा है उन प्वाइन्ट्स को आप अपने भाषण में स्वीकृत करेंगे। मुझे मालूम है कि पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी इन सब बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल रशीद काबुली।

श्री मुशरान कृपा करके अब बैठ जाइए। आपके ह्विप सचेतक ने कहा है कि केवल तीन मिनट दिए जाएं और आपने आठ मिनट लिए।

श्री काबुली।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर सर, मुझे पहली बार रेलवे पर बोलने का मौका मिला है जब हमारे नए नौजवान रेलवे मिनिस्टर श्री सिंधिया जी जो यहां बैठे हैं। पिछले दिनों में इन्होंने रेलवे के सम्बन्ध में जो कहा, उससे हमें एहसास हुआ कि वह इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्य आवश्य करेंगे। आशा है वह राहतें देने के सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

आप वराहेकरम हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को भी रेलवे के नक्शे में लाइये। बड़ी मुश्किल से सौ किलोमीटर का फासला इस वक्त तक रेलवे में आ सका है। यानी पठानकोट से जम्मू तक लेकिन उसके बाद यह रेलवे लाइन अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। ऊधमपुर के बारे में आपने हमें विश्वास दिलाया था कि वह काम पूरा करेंगे लेकिन तीन-चार साल से वह काम चल रहा है रेलवे ट्रैक बनाने का लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं डिप्टी-स्पीकर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कश्मीर के बारे में पहले भी आपकी सरकार ने मोहम्मद शफी कुरेशी जब वे रेलवे मिनिस्टर थे, कश्मीर घाटी में चाहा था कि वहां पर एक छोटी स्माल गेज की रेलवे लाइन बनाई जाए। उसका सर्वे भी करवाया गया और बहुत कुछ उसके बारे में कहा भी गया लेकिन अभी तक वहां स्माल गेज की रेलवे लाइन के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। हमको अभीतक उससे महरूम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी रियासत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर घाटी में रहता है जोकि रेलवे के फायदे से महरूम है। इस सरकार ने बारहा हमारे इस मतालबे पर यकीन दिलाया था इस चैलेंज को कबूल करेंगे कि दिल्ली बराहरास्त श्रीनगर तक रेलवे लाइन आप पहुंचायेंगे। हमारा यह जो मतालबा इसलिए भी जरूरी है कि हमारी रियासत की तरक्की का इन्हिसार टूरिज्म पर है और फ्रूट इण्डस्ट्री पर है।

जहां तक फ्रूट इण्डस्ट्री का ताल्लुक है, हमारे करोड़ों रुपए के फ्रूट पूरे मुल्क में सिर्फ: इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है जो कि होनी चाहिए। हर साल सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में जब फ्रूट तैयार होता है तब करोड़ों रुपए की मालियत का फ्रूट तबाह हो जाता है क्योंकि ट्रक्स हमें बहुत कम तादाद में दस्तयाब नहीं हो पाते हैं। ट्रक्स के जरिए से ही हम फ्रूटस को पूरे मुल्क में भेजते हैं। रास्ते में बहुत सा फ्रूट तबाह हो जाता है। इसका आप एक ही इलाज कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से जम्मू में बड़े पैमाने पर फ्रूट के स्टोरेज बनाए जायें ताकि कश्मीर का सारा फ्रूट वहां पर जमा हो सके और बाद में वहां से वह प्रायर्टी बेसिस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों— बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, दिल्ली को भेजा जाए। इस तरह से आप स्टेट को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं वरना हम यही कहेंगे कि रेलवे से हमारी स्टेट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां न तो इण्डस्ट्रीज ही डेवलप हो सकती हैं और न जरात (कृषि) में तरक्की ही कर सकते हैं और न ही फारेस्ट प्रोड्यूस से ही कोई फायदा मिल सकता है जबतक कि वहां पर रेलवे लाइन नहीं बिछ पाती। इसलिए मैं आपकी मार्फत मुकर्जी सरकार से कहना चाहता हूं कि रेलवे की जो सुविधायें हैं जोकि पूरे मुल्क को मिल रही हैं उसका

कोई फायदा हमको नहीं मिल रहा है इसीलिए हमारे यहां सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो भी सप्लाई लाइन है वह हर साल फनासर होती है और चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। खास-तौर से सर्दियों में तो 6 महीने मार्किट का नक्शा ही बदल जाता है। चीजें इतनी कीमती हो जाती हैं कि आम लोगों की कमर ही टूट जाती है। आम आदमी इसको बरदाश्त ही नहीं कर सकते हैं। चूंकि हमारे यहां रेलवे नहीं है इसलिए केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज बनता है कि जब रेलवे का फायदा पूरे मुल्क को मिल रहा है और हम को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कम्पेन्सेट करें। जम्मू कश्मीर में आपको सब्सीडी देनी पड़ेगी। भाड़े की वजह से हमारे यहां पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो प्राइस राइज हो रही है उसके लिए जम्मू कश्मीर को स्पेशली सब्सीडी मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

मैं दो-तीन बातें कहकर खत्म करूंगा। आपने हिल स्टेशंस के लिए रेलवे में खास कंसेशंस दी थीं। इस बुनियाद पर बाम्बे, कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों से कन्सेशनल रेट्स पर बोगीज कश्मीर के लिए बुक की जाती थीं, जम्मू तक बुकिंग की जाती थी लेकिन पिछले दो चार सालों से उसकी इस कदर कीमत बढ़ा दी गई है कि ज्यादा टूरिस्ट बुकिंग नहीं कर रहा जिससे कश्मीर को जो एक बड़ा लाभ मिलता था वह बन्द हो गया है और वह बोगियां खाली जा रही हैं। यह टूरिस्टस के लिए सुविधा थी ताकि कम पैसे में वे कश्मीर देख सकें लेकिन बोगीज की कीमत बढ़ जाने से बड़ी मुश्किल हो गई है। आपने जो कन्सेशन दिया है वह खाली नाम के लिए है। मेरी आपसे दरख्वास है कि आप बोगीज की सस्ते निर्खों पर वह सुविधा फिर से शुरू करें।

एक बात श्रीनगर में रेलवे रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं। श्रीनगर में रेलवे रिजर्वेशन का आफिस एक प्राइवेट कन्सर्न के हाथों में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? वह शख्स जो आफिस चला रहा है, वह वहां बड़ा जबरदस्त करप्शन कर रहा है और लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। वहां के बीजनैसमैन, शाल-मर्चेन्ट्स, फ्रूट-ग्रोअर्स- सब उसकी ज्यादतियों की लपेट में आगए हैं। मैंने जब इस बारे में इन्क्वायरी की, तो पता लगा कि उसने हाईकोर्ट में रिट-पैटीशन दायर कर रखी है और वे आपको आफिस खोलने को इजाजत नहीं देते हैं। मेरी सिंधिया जी से गुजारिश है कि आप वहां का रेलवे रिजर्वेशन का आफिस अपने हाथ में ले लें और प्राइवेट एजेंसी को बेदखल कर दें, जिससे वहां की आम जनता को फायदा हो।

आखिर में, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सर्दियों में हमारे यहां से काफी लोग तिजारत के लिए कलकत्ता जाते हैं। हिमगिरी एक्सप्रैस गाड़ी जो कलकत्ता के लिए वहां से रवाना होती है, वह कलकत्ता काफी देर रात को पहुंचती है। इस वजह से वहां के चोर उचक्के उन लोगों को लूट लेते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे शाल-मर्चेन्ट्स का कत्ल भी कर दिया गया है। रात को वहां पहुंचने पर न उनको तांगा मिलता है, न टैक्सी और न कोई सिक्योरिटी मिलती है, जिससे वे अपने स्थानों पर पहुंच सकें। गुण्डे लोग उनके माल को लूट लेते हैं और कत्ल भी कर देते हैं।

मैं आपको बहुत से नाम बता सकता हूं, जो कलकत्ता नहीं पहुंचे और उनका कत्ल कर दिया गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हिमगिर, एक्सप्रैस का कलकत्ता पहुंचने का समय सही नहीं है, इस को कृपया बदल दिया जाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर फरमा कर उन्हें हल करेंगे।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : ڈپٹی اسپیکر سر۔ مجھے پہلی بار ریلوے پر بولنے کا موقع ملا ہے۔ جب ہمارے نئے نوجوان ریلوے منسٹر شری سندھیا جی یہاں سے بیٹھے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے ریلوے کے سمبندھ میں جو کچھ کہا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ اس سمبندھ میں کچھ نہ کچھ کاریہ ادیشے کریں گے۔ آشا ہے کہ وہ سہولتیں دینے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔

آپ براہِ کرم ہماری ریاست جموں کشمیر کو بھی ریلوے کے نقشے میں لائیے۔ بڑی مشکل سے سو کلومیٹر کا فاصلہ اس وقت تک طے میں آسکا ہے۔ پٹھان کوٹ سے جموں تک۔ لیکن اس کے بعد یہ ریلوے لائن ابھی تک آگے نہیں بڑھی ہے۔ اودھم پور کے بارے میں آپ نے ہمیں وشواس دلایا تھا کہ وہ کام پورا کریں گے۔ لیکن تین چار سال سے وہ کام چل رہا ہے۔ ریلوے ٹریک بنانے کا لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ میں ڈپٹی اسپیکر کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کی سرکار نے محمد شفیع قریشی جب وہ ریلوے منسٹر تھے کشمیر گھاٹی میں چاہا تھا کہ وہاں پر ایک چھوٹی اسمال گیج کی ریلوے لائن بنائی جائے۔ اس کا سروے بھی کرایا گیا اور بہت کچھ اس کے بارے میں کہا بھی گیا لیکن ابھی تک وہاں اسمال گیج کی ریلوے لائن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ہم کو ابھی تک اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری ریاست کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کشمیر گھاٹی میں رہتا ہے جو کہ ریلوے کے فائدے سے محروم ہے۔ اس سرکار نے بارہا ہمارے اس مطالبے پر یقین دلایا تھا۔ اس چیلنج کو قبول کریں گے کہ دلی سے براہ راست سری نگر تک ریلوے لائن آپ پہنچائیں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہماری ریاست کی ترقی کا انحصار ٹورزم پر ہے اور فروٹ انڈسٹری پر ہے۔

جہاں تک فروٹ انڈسٹری کا تعلق ہے ہمارے کروڑوں روپئے کے فروٹ پورے ملک میں صرف اس لئے نہیں پہنچ پاتے کیوں کہ ٹرانسپورٹ کی کوئی سوویدھا نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیئے۔ ہر سال ستمبر اکتوبر اور نومبر میں جب فروٹ تیار ہوتا ہے تب کروڑوں روپئے کا فروٹ تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹرکس ہمیں زیادہ تعداد میں دستیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ٹرکس کے ذریعے سے ہی ہم فروٹ کو پورے ملک میں بھیجتے ہیں۔ راستے بہت سا فروٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ ایک ہی علاج کر سکتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جموں میں بڑے پیمانے پر فروٹ کے اسٹوریج بنائے جائیں تاکہ کشمیر کا سارا فروٹ وہاں محفوظ ہو سکے اور بعد میں وہاں سے وہ پرائیویٹ ہیں پر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں بمبئی، کلکتہ، مدراس بنگلور، دلی کو بھیجا جائے۔ اس طرح سے آپ اسٹیٹ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ ریلوے سے ہماری اسٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ تو انڈسٹریز ہی ڈولپ ہو سکتی ہے اور نہ زراعت (کرشی) میں ترقی ہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی فارسٹ پروڈیوس سے ہی کوئی فائدہ مل سکتا ہے جب تک کہ وہاں پر ریلوے لائن نہیں بچھ جاتی۔ اس لئے میں آپ کی معرفت مرکزی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کی جو سوویدھائیں ہیں جو کہ پورے ملک کو مل رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے اس لئے ہمارے یہاں بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جو بھی سپلائی لائن ہے وہ ہر سال متاثر ہوتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں خاص طور سے سردیوں میں تو حالات مہینے مارکیٹ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ چیزیں اتنی قیمتی ہو جاتی ہیں کہ عام لوگوں کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ عام آدمی اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں ریلوے نہیں ہے۔ اس لئے کیندریہ سرکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ریلوے کا فائدہ پورے ملک کو مل رہا ہے اور ہم کو نہیں مل رہا ہے تو اس کے لئے کمپنسیٹ کرے۔ جموں کشمیر میں آپ کو سب سڈی دینی پڑے گی۔ بھاڑے کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو پرائس رائز ہو رہی ہیں اس کے لئے جموں کشمیر کو اسپیشلی سب سڈی ملنی چاہیئے۔ (انٹرپشنز)

میں دو تین باتیں کہہ کر ختم کروں گا۔ آپ نے ہل اسٹیشنوں کے لئے ریلوے میں خاص کنسیشن دی تھیں۔ اس بنیاد پر بامبے، کلکتہ اور دوسرے بڑے شہروں سے کنسیشنل ریٹس پر بوگیز کشمیر کے لئے بک کی جاتی تھیں۔ جموں تک بک کی جاتی تھیں۔ لیکن پچھلے دو چار سالوں سے اس کی اس قدر قیمت بڑھا دی گئی ہے کہ زیادتی ٹورسٹ بکنگ نہیں کر رہے جس سے کشمیر کو جو ایک بڑا لابھ ملتا تھا وہ بند ہو گیا ہے اور وہ خالی جا رہی ہیں۔ یہ ٹورسٹس کے لئے یہ سوویدھا تھی تاکہ کم پیسے میں وہ کشمیر دیکھ سکیں لیکن بوگیز کی قیمت بڑھ جانے سے مشکل ہو گئی ہے۔ آپ نے جو کنسیشن دیا ہے وہ خالی نام کے لئے ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بوگیز کی سستے نرخوں پر وہ سوویدھا پھر سے شروع کریں۔

ایک بات سری نگر میں ریلوے رزرویشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ سری نگر میں ریلوے رزرویشن کا آفس ایک پرائیوٹ کنسرن کے ہاتھوں میں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ شخص جو آفس چلا رہا ہے وہ وہاں بڑا زبردست کرپشن کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہاں کے بزنس مین، شال مرچنٹس، فروٹ گرووَرس سب اس کی زیادتیوں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ میں نے جب اس بارے میں انکوائری کی تو پتہ لگا کہ اس نے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے اور وہ آپ کو آفس کھولنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ میری سندھیا جی سے گذارش ہے کہ آپ وہاں کا ریلوے رزرویشن کا آفس اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پرائیویٹ ایجنسی کو بے دخل کر دیں جس سے وہاں کی عام جنتا کو فائدہ ہو۔

آخر میں میں ایک فویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سردیوں میں ہمارے یہاں سے کافی لوگ تجارت کے لئے کلکتہ جاتے ہیں ہیم گیری ایکسپریس گاڑی جو کلکتے کے لئے وہاں سے روانہ ہوتی ہے وہ کلکتہ کافی دیر رات کو پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے چور اچکے ان لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں بہت سارے شال مرچنٹس کا قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ رات کو وہاں پہنچنے پر ان کو تانگہ ملتا ہے نہ ٹیکسی اور نہ کوئی سیکورٹی ملتی ہے جس سے وہ اپنے استھانوں پر پہنچ سکے۔ غنڈے لوگ ان کے مال کو لوٹ لیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بیت سے نام بتا سکتا ہوں جو کلکتہ نہیں پہنچے اور ان کا قتل کر دیا گیا۔ میری آپ سے گذارش ہے کہ ہیم گیری ایکسپریس کا کلکتہ پہنچنے کا سمے صحیح نہیں ہے۔ اس کو کرپا بدل دیا جائے تاکہ سمیا کا سمادھان ہو سکے۔

ان چند شبدوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ مانئے منتری جی میرے ذوارا اٹھائے گئے مدوں پر غور فرما کر انہیں حل کریں گے۔

[हिंदी]

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे को अनुदान की अनुपूरक मांग और फतुआ इस्लामपुर लाइट रेल लाइन के उपक्रमों के लोकहित में अर्जन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, रेलवे बजट के समय में भी सदन में मैंने तथा कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। सबसे पहली मांग तो यह है कि रेलवे विभाग को प्लानिंग कमीशन से मांगों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिलता है, इसलिए रेलवे विभाग के मंत्री को प्लानिंग कमीशन में सदस्य के रूप में रखा जाए या फिर प्लानिंग कमीशन रेलवे विभाग को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, ताकि समस्याओं का समाधान हो।

हमारे रेलवे विभाग के राज्य मन्त्री जी द्वारा रेलवे विभाग सम्भालने के बाद रेलवे में काफी तरक्की हुई है। हमें उम्मीद है कि रेलवे विभाग के अन्दर जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, उनको पूरा करने की ओर वे अवश्य ध्यान देंगे। मैं रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में रेल मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भोसावल, नागपुर और दुर्ग = इस लाइन को छठी योजना में प्रायोरिटी में लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसाकि मुश्रान जी ने भी कहा है, कि जहां से जो मन्त्री आते हैं, वे सारी योजनायें उधर ले जाते हैं। उसी तरह से वे भोसावल-नागपुर-दुर्ग की प्रायोरिटी को बदल कर इटारसी-खण्डवा-भोसावल की ओर ले गए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दृष्टि से ध्यान दें। हावड़ा और बम्बई की लाइन को जोड़ने के लिए इलैक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। भुसावल-नागपुर-दुर्ग का काम बाकी है इसलिए भोसावल-नागपुर को जो प्रायोरिटी दी गई थी, उसको प्रायोरिटी

देकर काम को पूरा किया जाए। रेलवे के इलैक्ट्रिफिकेशन के काम के लिए नागपुर के अन्दर 15 हजार रुपए का मकान किराए पर लिया गया है, रेलवे का आफिस खोला गया है, उसके बावजूद भी प्रायोरिटी को बदल कर आफिस इलाहाबाद और दूसरी जगह ले गए हैं। इस वजह से वहां काम करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें जिससे कि इलैक्ट्रिफिकेशन का काम सुचारू रूप से हो सके। उस के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम होने के कारण मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला निवेदन तो मैं यह करना चाहता हूं कि तरोड़ी से तुन्सर रोड़ तक जो पैसेन्जर ट्रेन चलती है, उसको भंडारा टाउन तक चलाया जाए। इसमें रेल विभाग का कोई खर्च नहीं होगा क्योंकि जो डिब्बे और इंजन तुन्सर रोड़ पर दिन भर खड़े रहते हैं, उनको वहां रखने की बजाए भण्डारा टाउन ले जाया जाए। इसमें एक तरफ तो आप की इन्कम बढ़ेगी और दूसरी तरफ लोगों को आने जाने में सुविधा होगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से बम्बई तक चलती है। काफी दिनों से हमारी यह मांग रही है कि इसका स्टोपेज गोंडिया में दिया जाए। यह कहा जाता है कि यह सुपरफास्ट ट्रेन है और 300 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर यह खड़ी नहीं होगी और बड़े-बड़े स्टेशनों पर ही इसके स्टोपेज दिये हैं लेकिन आप यह देखिये कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग का कितना डिस्टेंस है। दुर्ग और रायपुर के बीच में, मैं समझता हूं, 40किलोमीटर का डिस्टेंस होगा लेकिन यह गाड़ी दुर्ग में भी खड़ी होती है बिलासपुर में भी खड़ी होती है और रायपुर में भी खड़ी होती है। गोंडिया एक बड़ा औद्योगिक शहर है और आजू-बाजू में काफी आदिवासी क्षेत्र लगा हुआ है। मैंने इसके बारे में रेलवे के जनरल मैनेजर से भी चर्चा की थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि गोंडिया में इसका स्टोपेज दिया जाए। काफी दिनों से इसके लिये मांग चली आ रही है।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो नागपुर से चलती है, उसको गोंडिया से चलाने के बारे में मांग की थी। अगर इसमें कोई अड़चन है, तो जो लोकल ट्रेन गोंडिया से नागपुर तक चलती है, उस में एक डिब्बा महाराष्ट्र एक्सप्रेस के वास्ते जोड़ा जाए जोकि नागपुर में आकर महाराष्ट्र एक्सप्रेस में जुड़ जाएगा। सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग से वाराणसी तक चलती है। उसको नागपुर से चलाने के बारे में मांग की थी। मैं समझता हूं कि नागपुर से चलाने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां इससे लोगों को सुविधा होगी, वहां रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। गोंडिया जबलपुर नेरो-गेज लाइन को ब्रोडगेज लाइन करने के लिए काफी दिनमांग की जा रही है।100 साल पुरानी यह लाइन है और इसके इंजन और डिब्बे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। पुलिया भी टूटी हुई है। दो साल पहले इसी लाइन पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 300 से ऊपर लोग मरे थे। उस समय के रेल मन्त्री श्री अब्दुल गनी खान चौधरी साहब स्पाट पर आए थे और उन्होंने यह एनाउन्स किया था कि इस लाइन को सातवीं योजना में ब्रोडगेज करेंगे। आदिवासी एरिया में यह लाइन जाती है और मैं समझता हूं कि अगले बजट में इस पर आप अवश्य ध्यान

देंगे और उसके लिए आप पैसा प्रोवाइड करेंगे।

मेरा कहना यह भी है कि गीतांजलि और अहमदाबाद एक्सप्रेस हफ्ते में सातों दिन चले। गीतांजलि एक्सप्रेस, जो हावड़ा से बम्बई चलती है और अहमदाबाद एक्सप्रेस हावड़ा से अहमदाबाद चलती है, इस लाइन पर भिलाई और राउरकेला जैसे लोहे के कारखाने हैं और कई औद्योगिक शहर हैं। ये दोनों ट्रेनें हफ्ता में सातों दिन चलें, इसकी मांग काफी दिनों से चली आ रही है। बताया जाता है कि रेक्स की कमी है और डिब्बों की कमी है। इनकी पूर्ति करके इन दोनों ट्रेनों को सातों दिन चलाया जाए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को सुपरफास्ट ट्रेन बनाने की बात चल रही थी। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है, अगर सुपरफास्ट ट्रेन छत्तीसगढ़ बनानी ही है, तो नागपुर से दिल्ली के बीच इस को बनाया जाए और नागपुर बिलासपुर के बीच अभी जो स्टोपेज हैं, उनको जैसे के तैसे रखे जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1985-86 के लिए रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेल विकास देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का आधार है। मैं इस बात की मांग करता हूं कि देश के पिछड़े क्षेत्र में रेल लाइनों के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए क्योंकि केवल ऐसा करने से ही जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी।

1981 में रेल बोर्ड ने तमिलनाडु में करूर डिंडीगुल बड़ी लाइन की अनुमति दे दी थी। लेकिन अभी तक इस परियोजना पर 9 करोड़ रुपये के लगभग राशि खर्च की गई है जो बहुत थोड़ी है। इस रेल परियोजना के पूरा होने से तमिलनाडु के इन भागों में से चिरकालीन पिछड़ापन दूर हो जाएगा। दुर्भाग्यवश कम राशि के कारण कार्यान्वयन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं यह सुझाव देता हूं कि करूर-डिंडीगुल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए।

कोयम्बटूर भारत का मैनचस्टर कहलाता है जहां सैकड़ों कपड़ा कारखाने और ढलाई कारखाने हैं। उत्तर कोयम्बटूर में ओवरब्रिज की चिरकालीन मांग रही है। इस औद्योगिक शहर के लोगों को ओवरब्रिज के अभाव के कारण बहुत कष्ट हो रहा है। मैं माननीय रेल राज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि उत्तर कोयम्बटूर में जितनी जल्दी हो सके यह ओवरब्रिज बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोयम्टूर में रेल माल-गोदाम का विस्तार करने की आवश्यकता है, यदि यातायात रुकावटों को दूर करना है। मैं यह सुझाव देता हूं कि रेलवे बोर्ड इस काम को भी आरम्भ करें। ओंडीपुडूर में हवाई यात्रियों के आने जाने के लिए ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है क्योंकि सुलूर हवाई अड्डा रेलवे लाइन के दूसरी ओर है। कुरीची में भी रेलवे विभाग को एक ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए ताकि वहां बने हुए औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी आदिवासी लोगों की आर्थिक उन्नति के प्रति वचनबद्ध हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेत्तुपलयम-उदगमंडलम रेल लाइन का नवीकरण किया जाना चाहिए और इस पर्वत स्थल को अधिक रेलगाड़िया जानी चाहिएं । वास्तव में, मैं मेत्तुपलयम से उदगमंडलम तक ट्राली ट्रेन चलाने का भी सुझाव दूंगा ।

कोयम्बटूर में यात्री-निवास होना चाहिए, जैसा कि नई दिल्ली में उत्तरी रेलवे द्वारा योजना बनाई जा रही है । कोयम्बटूर का वर्तमान विश्राम-गृह अपर्याप्त है । मैं यह मांग करता हूं कि कोयम्बटूर में दक्षिण रेलवे द्वारा 100 कमरों वाले विश्राम-गृह का निर्माण किया जाना चाहिए ।

मंगलोर मेल पोडानूर से होते हुए मद्रास जाती है । इस से कोयम्बटूर से मद्रास जाने वाले अनेक यात्रियों को अवसर नहीं मिलता है । मगलोर मेल कोयम्बटूर से होते हुए मद्रास जानी चाहिए ।

इसी प्रकार कोयम्बटूर से पलानी जाने वाले रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए ताकि विद्युत रेल-गाड़ियां कोयम्बटूर से पलानी चलाई जा सकें । लाखों श्रद्धालु कोयम्बटूर से पलानी जाते हैं और विद्युत रेल गाड़ियों से यात्री यातायात निर्बाध चल सकेगा ।

अब मैं तिरुपपुर जंकशन की बात करता हूं । तिरुपपुर विश्व भर में हौजरी सामान के लिए प्रसिद्ध है । तिरुपपुर में 1500 से अधिक हौजरी कारखाने हैं । हम अनेक विदेशों को हौजरी का सामान निर्यात करते हैं । जब तिरुपपुर की जनसंख्या 30 हजार थी उस समय तिरुपपुर स्टेशन के ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था । अब इसकी हालत खराब है । तिरुपपुर की जनसंख्या भी 3 लाख हो गई है । मैं चाहता हूं कि तिरुपपुर ओवरब्रिज का शीघ्रता से पुनः निर्माण किया जाए । जयंती-जनता और केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस रेल गाड़ियां दिल्ली जाते हुए तिरुपपुर पर नहीं रुकती हैं । मेरी इच्छा है कि तिरुपपुर में यह रेलगाड़ियां कम से कम दो मिनट के लिए रुकें । इससे उन हौजरी सामान उत्पादकों को बहुत सहायता मिलेगी जो व्यापार के उद्देश्य से दिल्ली जाते हैं ।

इसी प्रकार मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि तिरुपपुर और कोयम्बटूर के बीच विद्युतीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए और तमिलनाडु के इन दो औद्योगिक केन्द्रों के बीच विद्युत रेलगाड़ियां चलनी चाहिए । तिरुपपुर और कोयम्बटूर दोनों स्थानों के व्यापारियों को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नहीं मिलते हैं । माल डिब्बों के आबंटन में विलम्ब के कारण भी हानि होती है और वह भी जब अपर्याप्त संख्या में मिलते हैं । मैं चाहता हूं कि तिरुपपुर और कोयम्बटूर में व्यापार तथा उद्योग के लिए माल डिब्बों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ माननीय सदस्यों को बोलना है । माननीय मंत्री जी 2 बजे विवाद का उत्तर देंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज हम मध्याह्न भोजन अवकाश छोड़ते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि सदन इस सुझाव से सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकृत किया गया है । आज हम मध्याह्न भोजन अवकाश छोड़ते हैं। अब श्री सुन्दरराजन ।

श्री एन. सुदरराजन (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल की अनुपूरक मांगों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुझे जो यह अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

कुछ चल रही परियोजनाओं और चालू वर्ष के दौरान तीन नई परियोजनाओं को भी शुरू करने पर जो धनराशि खर्च करनी पड़ेगी उसके लिए ये अनुपूरक मांगें हैं ।

1.00 म०प०

अनुपूरक मांगें 433 करोड़ रुपए की हैं। इस 433 करोड़ रुपए में से रेल मन्त्रालय ने दक्षिण मध्य रेलवे को 20.85 करोड़ रुपए, पश्चिमी रेलवे को 60.63 करोड़ रुपए, पूर्वी रेलवे को 22.29 करोड़ रुपए, मध्य रेलवे को 23.6 करोड़ रुपए और दक्षिण पूर्वी रेलवे को 23.90 करोड़ रुपए तथा उत्तर रेलवे को 27.46 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। लेकिन दक्षिण रेलवे को केवल 12.29 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। केवल यही नहीं 1984 तक रेल मार्ग का कुल क्षेत्र 61,460 किलोमीटर है। इसमें से तमिलनाडु में केवल 3,894 किलोमीटर रेल मार्ग है। इससे साफ पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के स्थान पर यह क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा रहा है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रही परियोजनाओं की प्राथमिकता को निर्धारित करते समय रेल मन्त्रालय किसी मानक का पालन करता है। यदि हां, तो वे क्या हैं ? मैं यह माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं।

महोदय, मद्रास शहर भारत में चार महानगरीय शहरों में से एक है। वहां लगभग 60 लाख लोग रहते हैं, लगभग 10 लाख लोग मद्रास में रोज आते जाते हैं। मद्रास शहर में त्वरित गति वाली परिवहन व्यवस्था का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 53 करोड़ रुपए है। परन्तु रेलवे के सामान्य बजट में केवल 5 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, किन्तु अनुपूरक मांगों में कुछ भी आबंटित नहीं किया गया है। अत: मैं रेलवे मन्त्री जी से इस तेजी से बढ़ते हुए परिवहन की प्रणाली को अधिक धन आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। मनमदुराई-रामेश्वरम् पुल का काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पुल इस द्वीप को शेष भारत से जोड़ता है। भारत में रामेश्वरम् एक धार्मिक स्थान है। उत्तर से बहुत से पर्यटक दक्षिण में भगवान् राम की पूजा के लिए रामेश्वरम् आते हैं। इस पुल की मरम्मत की लागत 50.50 लाख रुपए है। रेल के सामान्य बजट में केवल एक लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री से इस पुल की शीघ्र मरम्मत के लिए पूरी धन राशि देने के लिए अनुरोध करता हूं। केवल वही हीं नहीं तम्बारम और चिंगलापट्टू के बीच की लाइन के दोहरी करने की कुल अनुमानित लागत 16.9 करोड़ रुपए है। रेलवे बजट में इसके लिए केवल एक लाख रुपया और अनुपूरक मागों में 20 लाख रुपया आबंटित किया गया है। यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। अत: मैं माननीय मन्त्री से इस परियोजना के लिए कुछ और अधिक धन आबंटन करने का अनुरोध करता हूं। जोलारपट्टाई-सलेम क्षेत्र में दोहरी लाइन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। अत: इन दोनों लम्बे खण्ड क्षेत्रों के बीच दो मध्य ब्लाक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए कुल अनुमानित लागत 62.8 लाख रुपए है। रेलवे बजट में केवल एक लाख रुपया आबंटित किया गया है लेकिन अनुपूरक बजट में कुछ भी आबंटित नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से इसके लिए अधिक धनराशि का आबंटन करने का अनुरोध करता हूं।

मद्रास के उपनगरीय क्षेत्र में कुछ विद्युतीकरण कार्य चल रहे हैं। तिरूवल्लूर-अरकोनम, मद्रास-अरकोनम, अरकोनम-रेनीगुंटा, अरकोनम-जोलारपेट, विल्लीवक्कम-पाटाभिराम कुछ छोटे विद्युतीकरण कार्य हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं।

आयुक्त, रेल सुरक्षा, बंगलौर ने सुपरफास्ट वेगाई एक्सप्रेस पर कुछ प्रचालन प्रतिबन्ध लगाए हैं। चूंकि दूरस्थ और होम सिगनल के बीच 545 मीटर की मौजूदा दूरी आपातकालीन ब्रेक की दूरी से कम है इसलिए एक किलोमीटर दूरी के सिगनल को स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50.60 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत है। मैं माननीय मंत्री से इसके लिए धनराशि आबंटन करने का अनुरोध करता हूं।

मद्रास के एगमोर रेलवे स्टेशन से दो सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलती हैं। पहली वेगाई एक्सप्रेस और दूसरी पल्लवन एक्सप्रेस है। इन दोनों सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ए सी चेयर कार नहीं है। ए सी चेयर कार सुविधा की पुरानी मांग है। अतः मैं माननीय मंत्री से इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों में दो ए सी चेयर कार लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।

[हिंदी]

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने का अवसर दिया। माननीय रेलवे राज्य मन्त्री जी ने जो रेलवे पर अनुपूरक मांगे पेश की हैं, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं कि ये जब से इस पद पर आए हैं तब से लगातार रेलवे में सुधार हो रहा है। साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव और अपने क्षेत्र की कुछ कमियां आपके सामने रखना चाहता हूं।

1.05 म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल छोटी लाइन में चल रहा है और काफी अरसे से लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का विकास तभी होगा जब वाराणसी से छपरा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल गाजीपुर, बलिया में कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को फैक्टरी लगाने के लिए हर प्रकार की सुविधा देना चाहती है, किंतु बड़ी लाइन न होने के कारण कोई उद्योगपति वहां कारखाना लगाने को तैयार नहीं है। मैंने एक प्रश्न किया था, जिसके संबंध में उत्तर आया है कि वित्तीय दृष्टिकोण से लाभकारी न पाकर बड़ी लाइन को बनाना सम्भव नहीं है। सन् 80 में इसका सर्वे हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जब आप बड़ी लाइन बनायेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि लाभकारी है या अलाभकारी है। पूर्वांचल के लाभ के लिए आपको कुछ घाटा बर्दाश्त करना होगा। जब तक आप वाराणसी से छपरा

और औड़िहार तक बड़ी लाइन नहीं करते तब तक कोई उद्योग-धंधा वहां नहीं लग पायेगा। वहां पर पढ़े-लिखे नौजवान मारे-मारे फिर रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी का कोई हल भी नहीं निकल सकेगा। ऐसी स्थिति में आपसे पुनः अपील करूंगा कि लाभ और हानि को दृष्टिकोण से हटाकर पूर्वांचल के विकास के लिए, वहां के लाखों गरीबों के कल्याण के लिए जिनकी एक ही मांग है कि बनारस से औड़िहार और छपरा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। इसके लिए कई बार माननीय रेल मंत्री जी से और माननीय प्रधान मन्त्री जी से अपील की है और पुनः अपील करता हूं कि गम्भीरता से विचार करें और लाभ-हानि के प्रश्न को न देखें. बड़ी कृपा होगी।

वाराणसी से भटनी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए कार्य प्रारम्भ हो गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, सन् 85 में यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन, लापरवाही के कारण या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, वह कार्य पूरा नहीं हो सका और पता नहीं कब तक पूरा होगा। मैं चाहूंगा कि इसे अविलम्ब पूरा कराने की कृपा करें। वाराणसी से छपरा तक छोटी लाइन चलती है। किंतु उन गाड़ियों का कोई निश्चित समय नहीं है। कब गाड़ी छूटेगी और कब पहुंचेगी, इस पर कड़ी पाबन्दी की व्यवस्था होनी चाहिए। बनारस से बलिया तक जो ट्रेन है, उसमें सफाई और बिजली की व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं और कभी नहीं होते हैं। उसी गाड़ी से हम लोगों को बलिया आना-जाना होता है। मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वाराणसी के मडुआडीह में रेल के डीजल इन्जिन बनाने के कारखाने में उत्पादन बढ़ने की बजाय दिनों दिन घटता चला जा रहा है ऐसा लगता है कि किसी दिन वह कारखाना बन्द हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि आप उस पर कड़ी नजर रखें जिससे उसका उत्पादन घटने की बजाय बढ़ सके। समय कम होने के कारण माननीय रेल मन्त्री जी से अपील करूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं खासतौर से वाराणसी, औड़िहार और छपरा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन से बदलने का, इसे अवश्य ही स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कमोदीलाल जाटव (मुरैना) : माननीय सभापति जी, माननीय रेल मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो रेलवे विभाग में सुधार हुआ है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। कई रेलवे लाइनों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन ग्वालियर से श्योपुर तक चलने वाली लाइन के लिए इस बजट में एक पैसा भी नहीं दिया है। हमारे यहां इस लाइन पर जो गाड़ी चलती है, उसको खच्चर गाड़ी कहते हैं। लोग कहते हैं कि खच्चर गाड़ी आ रही है। इस खच्चर गाड़ी के सम्बन्ध में मैंने सिंधिया जी से कई बार निवेदन किया है। खच्चर गाड़ी उसे क्यों कहा जाता है क्योंकि जब लोगों की इच्छा होती है, लोग बैठ जाते हैं और जहां इच्छा होती है, उतर जाते हैं। कोई स्टेशन ही नहीं है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए।

इसके अलावा जैसा हमारे धारीवाल जी ने भी मांग की थी, श्योपुर से बारा तक के 80 किलोमीटर को और बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे, इस लाइन पर जितने स्टेशन्स पड़ते हैं, उन पर न तो पानी उपलब्ध है और न वहां विद्युत की व्यवस्था है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन स्टेशनों के सुधार पर भी समुचित ध्यान दिया जाए और जो गाड़ी अभी श्योपुर तक जाती

है, उसे बारा तक बढ़ाया जाए। साथ ही श्योपुर की जनसंख्या लगभग एक लाख है, उसको देखते हुए रेलवे-स्टेशन का विस्तार भी किया जाना आवश्यक है।

इसके साथ-साथ दिल्ली से ग्वालियर जाते हुए एक बानमोर स्टेशन पड़ता है जो औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हो चुका है परन्तु वहां पर अभी तक कोई ओवर-ब्रिज नहीं बना है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां पर एक ओवर-ब्रिज बनाने की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

हमारे मुरैना से एक गाड़ी में केवल एक व्यक्ति के लिए आरक्षण-कोटा उपलब्ध है। आप बताइये कि उस स्थान से यदि कोई पति-पत्नी कहीं जाना चाहें तो उनमें से एक ही यात्रा कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुरैना से आरक्षण-कोटे को बढ़ाया जाए और इतना किया जाए जिससे कि पति-पत्नी के अलावा उनका कोई अटैन्डेंट भी साथ में जा सके। इसके साथ मेरा एक निवेदन और है।

हमारे चम्बल सम्भाग में लाखों एकड़ जमीन बेहड़ की पड़ी हुई है। सरकार ने कई स्थानों पर रेलवे के कोचेज बनाने के लिए किसानों की जमीनें एक्वायर की हैं और इस तरह उसे करोड़ों रुपया कम्पेन्सेशन का देना पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चंबल संभाग की जमीन का उपयोग रेलवे के कोचेज बनाने के लिए करें, जहां लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और उसके लिए आपको विशेष खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ वहां की जनता को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा, लोगों को फायदा होगा तथा डाकू की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

अंत में मेरा एक निवेदन यह है कि अम्बाह से धौलपुर, सरमथुरा, करौली, केलादेवी और सवाई माधोपुर तक एक नई रेलवे लाइन डाली जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

[अनुवाद]

*श्री बी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) सभापति महोदय, 1985-86 के बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मुझे विशेष हर्ष है।

भारतीय रेल ने दक्षिण भारत में जो कार्य किए हैं वे बहुत कम हैं। उत्तरी भारत में नई लाइनों को बिछाया गया है और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का काम शुरू किया गया है। नई लाइनों को बिछाने, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा उनके विद्युतीकरण करने का जहां तक सम्बन्ध है, भारतीय रेल के मानचित्र में दक्षिण भारत का कोई स्थान नहीं है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच इस असमानता को माननीय रेल मन्त्री द्वारा कम किया जाना चाहिए।

जिस भोजन की व्यवस्था की जाती है वह बहुत घटिया किस्म का होता है। विशेषरूप से ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों में भोजन की किस्म बहुत बदतर हो गई है। भोजन के प्रत्येक प्लेट की कीमत कर के अलावा 6 रुपए है लेकिन न तो खाने की गुणवत्ता और न ही मात्रा को सुधारा गया है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दैनिक मजदूरी पर हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। उनके कार्य करने की दशा को सुधारना होगा। रेलवे विभाग को उन्हें निर्धारित अवधि की सेवा के बाद स्थायी कर्मचारियों के रूप में खपाना चाहिए। इस समय उनकी दशा दयनीय है और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें शीघ्र नियमित कर्मचारी बनाया जाना चाहिए।

दिल्ली और बंगलौर के बीच कर्नाटक एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो बार चलती है। यह बहुत घनत्व वाली लाइन है और कर्नाटक के लोगों की यह पुरानी मांग है कि इसे दैनिक ट्रेन बना दिया जाए। इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा मन्त्री श्री माधवराव सिंधिया कर्नाटक एक्सप्रेस को एक दैनिक ट्रेन बनाएंगे। यह गाड़ी गोरीबिदानूर स्टेशन पर नहीं रुकती है जोकि एक बड़ा शहर तथा तलुक मुख्यालय है। यह व्यापार का केन्द्र है और यदि यह रेलगाड़ी यहां रुके तो इससे हजारों लोगों को लाभ होगा। अतः मैं माननीय मन्त्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि यह रेलगाड़ी गोरीबिदानूर स्टेशन पर रुके।

बंगलौर और बंगारपेट के बीच एक छोटी रेलगाड़ी दो डिब्बों के साथ चलती है। बंगलौर भारत के उद्यानों का शहर है और बंगारपेट का बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यह बहुत बड़ा रेलवे जंकशन भी है। इसलिए इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके स्थान पर इस ट्रेन को स्थायी रूप से रद्द करने का प्रस्ताव है। इस ट्रेन को डिब्बों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ निरन्तर चलाया जाना चाहिए। यह ट्रेन जिला कोलार के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। वस्तुतः पूरे जिले में यही एक रेल लाइन है। कोलार में आलू का बहुत उत्पादन होता है। इस जिले मे कोलार गोल्ड फील्ड और भारत अथमूवर्स लिमिटेड स्थित हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह जिला पिछड़ा हुआ है। इसलिए, किसी ट्रेन को रद्द करने से पहले बंगलौर और बंगारपेट के बीच कुछ नई ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए तथा उन्हें मारीकुप्पम तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करना चाहिए और तिरूपति तक बढ़ाया जाना चाहिए।

जोलारपेट और कुप्पम तथा बंगलौर और कृष्णाराजापुरम के बीच दोहरी रेलवे लाइन है। लेकिन कृष्णाराजापुरम और कुप्पम के बीच दोहरी रेलवे लाइन नहीं है। दोहरी लाइन को बिछाने का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए।

सुबह लगभग 6 बजे एक ट्रेन गुंटाकल के लिए बंगलौर से चलती है। यह ट्रेन उन लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है जो मन्त्रालय अडवानी, गुंटाकुट आदि जाना चाहते हैं। इन स्थानों के यात्री रात को बंगलौर से जाना चाहते हैं। मन्त्रालय को जाने के लिए सैकड़ों यात्री रात को 9 बजे बंगलौर बस स्टैंड पर बेकार में प्रतीक्षा करते हैं। अतः इस ट्रेन के समय में परिवर्तन करना चाहिए। इसे रात को लगभग 9 बजे बंगलौर से चलना चाहिए।

बंगलौर में येलहांका में एक एक्सल फैक्ट्री स्थापित की गई है। यहां रोजगार के मामले में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मैसूर और बंगलौर के बीच बड़ी लाइन को बिछाने का कार्य बहुत धीमा चल रहा है। माननीय मन्त्री को इस तथ्य की जानकारी है कि इन दोनों शहरों को बड़ी लाइन की तुरन्त आवश्यकता है। यह भी बहुत अधिक घनत्व वाला मार्ग है। मैं सरकार से तुरन्त बड़ी लाइन में इसे

परिवर्तन करने के कार्य को पूरा करने के लिए आग्रह करता हूं। महोदय, मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपके दल को दिया गया सारा समय पहले ही लिया जा चुका है, अत: आपके पास आपके दल का समय नहीं है। कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल 10 मिनट।

सभापति महोदय : नहीं, अधिकतम 4 मिनट।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे लाइन के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र के लोगों की यह दीर्घकाल से चली आ रही मांग थी। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि वह यह आश्वासन दें कि इस लाइन के राष्ट्रीयकरण के बाद उन सभी कर्मचारियों और कामगारों की जो इस लाइन में कार्यरत हैं, उन्हें रेलवे कार्मचारी माना जाये तथा उनके हितों की सुरक्षा की जाये, की पिछली सेवा को गिना जाये, और वे उन सारी सुविधाओं को पा सकेंगे जो कि अन्य रेल कर्मचारियों को मिलती हैं।

इस सम्बध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक लाइन है बांकुरा-दामोदर-नदी रेलवे लाइन (बी० डी० आर० लाइन)। इस लाइन का प्रबन्ध बहुत पहले ही सरकार द्वारा ले लिया गया था। यह लाइन बंगाल के ग्रामीण भाग से गुजरती है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस को देखें और मैं आशा करता हूं कि अगली बार, बहुत संभव है कि बजट सत्र में, बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे लाइन के राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक लायेंगे।

इस लाइन का प्रबंध भारत सरकार द्वारा बहुत पहले ही अपने हाथ में ले लिया गया था,।

श्रीमान्, इस सदन के बहुत से वर्गों ने यह कहा है कि रेलवे के लिये और अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि हमारे देश में रेलवे ही सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। लेकिन तथ्य यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में धन की व्यवस्था में कमी की जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी रेलवे के लिये धन की व्यवस्था में कमी की जा रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना में, यह प्रतिशत 11.05 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह 15.43 था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह 15.45% रहा। फिर 1968-69 की वार्षिक योजना में यह 7.69 प्रतिशत था। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह प्रतिशत 5.92 था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह 5.97 था, छठी पंचवर्षीय योजना में यह 5.23 था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह मेरे विचार से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अभी प्रारम्भ ही किया है।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य, यहां तक कि सत्तारूढ़ दल का सदस्य भी, केवल दो या तीन मिनट ही ले रहा है; केवल आप ही नहीं ऐसा कर रहे।

श्री बसुदेव आचार्य : छठी पंचवर्षीय योजना को पुनर्वास योजना कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब यह योजना शुरू की गयी तो 14000 किमी० की रेलवे लाइन पुरानी पड़ चुकी थी, 4000 किमी० लम्बी रेलवे लाइन में दरारें थीं। अतः छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुराने पड़ गये रेलवे की लाइनों तथा अन्य उपकरणों को बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी गयी। लेकिन जब छठी पंचवर्षीय योजना पूरी करली गयी तो अब स्थिति क्या है? पुरानी पड़ चुकी रेलवे लाइन की लम्बाई 14000 किमी० से बढ़कर 22000 किमी० हो चुकी है। तथा दरार वाली लाइनों की लम्बाई 4000 किमी० से बढ़कर 8000 किमी० हो चुकी है।

कुछ एक को छोड़ कर लगभग सभी भाप के इन्जन पुराने पड़ चुके हैं, अन्तिम भाप का इन्जिन वर्ष 1972 में चितरन्जन इन्जन कारखाने से बन कर बाहर आया था, भारत सरकार के रेलवे मन्त्रालय ने कर्षण नीति में परिवर्तन करके उस भाप इन्जिन का विद्युतीकरण कर दिया है, लेकिन विद्युतीकरण की स्थिति क्या है? 61000 किमी० की रेलवे में से केवल 6000 किमी० और वह भी बड़ी लाइन का, तथा मीटर गेज में केवल 1 प्रतिशत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ, सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 3600 किमी० का विद्युतीकरण किया जाना है, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने सुझाव दिया है कि कम से कम 1000 किमी० रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : फिर क्या होगा? 2000 ई० के बाद जब सारे भाप चालित इन्जनों को धीरे-धीरे काम से बाहर कर दिया जायेगा—डीजल से गाड़ी खींचना मेंहगा बैठता है तथा विद्युत से गाड़ी चलाना सस्ता पड़ता है—तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन भाप-इंजिनों के उपयोग के समाप्त किये जाने के बाद की मानव-शक्ति योजना क्या है? रेलवे सुधार समिति द्वारा किये गये एक आकलन के अनुसार करीब 2 लाख रेलवे कर्मचारी और कामगार फालतू हो जायेंगे। क्या कोई योजना है? उन 22000 कामगारों का क्या होगा जो कि कोयला और राख के काम में लगे हैं? वे ठेके के श्रमिक जरूर हो सकते हैं पर वे बिल्कुल एक सा कार्य पिछले 20 वर्ष से करते आ रहे हैं। वे हमारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय से सम्बन्धित हैं। जब भाप-इन्जनों के उपयोग को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जायेगा तो वे बिना रोजगार के हो जायेंगे।

महोदय दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि मैं समझता हूं जो किसी भी सदस्य ने नहीं उठायी, वह यह है कि रेलवे में संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नीति।

दो संघ हैं : एन० एफ० आई० आर० तथा ए० आई० आर० एफ०। पहले केवल एक ही संघ था—ए० आई० आर० एफ०, फिर एक दूसरा संघ, एफ चमचा संघ रेलवे द्वारा, भारत सरकार द्वारा बना दिया गया।

ये दो संघ रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये वास्तव में रेलवे के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं'। अतः, जरूरत इस बात की है कि रेलवे में संघों को मान्यता देने की नीति में परिवर्तन किया जाये। गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने की नीति अपनायी जानी चाहिये। संघों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : सभापति महोदय, माधवराव जी सिंधिया, रेल राज्य मन्त्री ने जो अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन के सामने प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से प्लानिंग कमीशन से प्रार्थना करूंगा कि रेलवे के लिए जो धनराशि दी गई है वह बहुत कम हैं, और अधिक धनराशि इसको दी जानी चाहिए। देश में जो रेल विभाग है वह देश की एक बड़ी इण्डस्ट्री है। इसके अन्तर्गत नए डिब्बे बनते हैं, नए इंजन बनते हैं, नयी रेल लाइनें बनती हैं तथा अन्य नयी नयी चीजें बनाई जाती हैं लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में जो सूरत-भुसावल की लाइन है वह आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरती है परन्तु वहां के लोगों को नए डिब्बे और नई चीजों की कोई जानकारी नहीं है। वही पुराने डिब्बे चलाए जा रहे हैं। आजादी से पहले वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध थीं आज भी वही चली आ रही हैं। इन सुविधाओं में सुधार होना चाहिए—मैं इसके लिए मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं।

रेलवे में लाखों मजदूर काम करते हैं। कर्मचारी और अधिकारी भी बड़ी संख्या में काम करते हैं। लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती में आरक्षण पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे सेन्ट्रल रेलवे में 1982 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में निवेदन किया था परन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है। योग्य उम्मीदवार मिलते नहीं हैं—ऐसा कह कर जनरल उम्मीदवार ले लिए जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जो उनका रिजर्वेशन है उसको-पूरा किया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके।

दूसरी बात यह है कि जो सूरत-भुसावल की रेलवे लाइन है वहां के रहने वाले लोगों को बाम्बे जाने के लिए आमलनेर से सूरत एक सेकेण्ड क्लास बोगी 113 और 114 गाड़ियों में लगाई जाए। इसी प्रकार से सुरत से इन्दौर बाम्बे जो गाड़ी चलती है उसमें भी एक बोगी लगाई जाए। महाराष्ट्र की राजधानी बाम्बे है इसलिए लोगों को बाम्बे जाना ही होता है। धुलिया से बाम्बे जाने के लिए एक ही बोगी है इसलिए बहुत दिनों से यात्रियों की मांग है कि एक सेकेन्ड टीयर बोगी लगाई जाए तथा फस्ट क्लास में जो 8 बर्थ हैं उनको बढ़ाकर 20 कर दिया जाए। यह करना बहुत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ मेरा आपके द्वारा यह भी मन्त्री जी से निवेदन है कि सूरत-भुसावल लाइन पर बहुत से रेलवे गेट्स ऐसे हैं जिन पर गेटमेन नहीं हैं इसलिए वहां पर 24 घंटे के लिए गेटोन दिए जायें। इसी प्रकार से सूरत भुसावल लाइन पर अहमदाबाद से हावड़ा के लिए एक गाड़ी जल्द चलाई जाए क्योंकि उस रेल लाइन पर रहने वाले लोगों को हावड़ा जाने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सूरत से भुसावल जाने वाली गाड़ी में एक बोगी 78 अप में सूरत से लगाई जाए और उसको भुसावल में बाम्बे हावड़ा गाड़ी में जोड़ा जाए। इस बोगी के लगने से सुरत भुसावल लाइन पर रहने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा हो सकती है। इसके लिए वहां के लोग रेल मन्त्रीजी को बहुत धन्यवाद देंगे और मैं भी बहुत धन्यवाद दूंगा।

अंतिम बात यह है कि खान-पान की सेवा में जो नयी पैंकिंग निकाली गई है यह दीखती तो अच्छी है लेकिन दाल, चावल, चपाती सब एक जगह ही रहता है। मेरा निवेदन है कि इसमें

भी सुधार किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा और चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उन पर वे आवश्यक विचार करने की कृपा करें तथा रेलवे की सुविधायें बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं।

डा० प्रभात कुमार मिश्र (अंजगीर) : सभापति महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। साथ-ही-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे के सम्बन्ध में सदन में जो भी बातें हो रही हैं, उनको देखते हुए रेलवे के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हर क्षेत्र की समस्याओं की पूर्ति की जा सके।

प्रमुख रूप से मैं आपका ध्यान रेलवे में हिन्दी के प्रयोग के बारे में दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि रेलवे में जो हिंदी को प्रोत्साहन देने की सुविधा है, राष्ट्र भाषा के प्रयोग के लिए जो इन्क्रीमेंट दिया जाता है, उसके बावजूद भी हिन्दी का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया जाता है।

दूसरी बात यह है कि आज के जमाने में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवागमन का एक ही साधन है और वह है रेलवे। इसलिए रेलवे का विस्तार ग्रामीण अंचलों में होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा है कि हमें अपने देश की परम्पराओं को कायम रखना है। परम्पराओं के अनुसार कार्य करना है जिससे राष्ट्रीय एकता बनती है और उसका मुख्य साधन रेल है। अतः देश में आवागमन और यातायात के साधनों का विकास करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में विशेषकर हरिजन-आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि बड़ी लाइन नहीं तो छोटी लाइन का ही प्रावधान किया जाना चाहिए। रेलवे के विस्तार का यह लाभ होगा कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ते दामों पर पहुंचाई जा सकेंगी और महंगाई की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

सबसे मुख्य बात मैं मध्य प्रदेश में स्थित बिलासपुर स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इस स्टेशन की स्थापना 1890 में हुई थी और आज उसकी वैसी की वैसी हालत है। यह स्टेशन उस वक्त की आबादी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज आबादी बहुत बढ़ गयी है और उसके अनुसार वहां सुविधायें नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बढ़ती हुई आबादी को दृष्टि में रखते हुए स्टेशन पर रिटायरिंग रूम्स और रिजर्वेशन की सुविधायें बढ़ाई जाएं।

एक बात मैं विशेष रूप से बिलासपुर डिवीजन के बारे में कहना चाहता हूं। दक्षिण-पूर्व रेलवे का यह सबसे मुख्य डिवीजन है। 1983-84 में रेलवे को इस डिवीजन से आय 20 करोड़ रुपए के लगभग हुई थी। इस डिवीजन में काम कर रहे दो लाख कर्मचारियों में से दस हजार कर्मचारी बिलासपुर डिवीजन में काम करते हैं। इस डिवीजन के एक तरफ भिलाई है और दूसरी तरफ कोरबा का क्षेत्र है, जिसके आस पास पच्चीसों सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, स्पीनिंग मिलें हैं, जहां का धागा जापान एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ साथ डोलोमाइट, बाल्को, कोयला और एल्यूमिनियम से संबंधित कई फैक्ट्रीज है। वहां बिजली पानी और सब आवश्यक चीजें उपलब्ध हैं। सरकार ने सदन में बताया है कि सरकार दसवां जोन स्थापित करने जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि दसवां जोन बिलासपुर में स्थापित किया जाए, ताकि वहां की जनता को

फायदा हो सके। मैं मन्त्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि देश भर में स्थित 55 डिवीजनों में से सिर्फ इस डिवीजन पर प्रतिदिन 8 हजार वैगन्स लगभग 14 प्रतिशत लदते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कोयले का कितना बड़ा भण्डार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दसवां जोन बिलासपुर में ही स्थापित करें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। स्टेशन पर रिटायरिंग रूम्स की परेशानी के साथ-साथ प्रापर रिजर्वेशन नहीं होता है। जो कर्मचारी रेलवे में ड्यूटी पर होते हैं, मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अक्सर होता यह है कि कन्डक्टर समय पर नहीं मिलते हैं और जब दिन के समय ट्रैवल करते हैं तो लोग जबरन अपर क्लास में घुस आते हैं। जब उनसे कहा जाता है, तो वे कहते हैं कि रात के लिए स्लीपर हैं और दिन में सब फ्री हैं। उस समय रेलवे में सुरक्षा, रेलवे में रिजर्वेशन और रेलवे के कायदे-कानून का पालन कराने के लिए हमें एसिस्टेंस नहीं मिलती है।

रेलवे कोलोनीज के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रेलवे में सुधार के संबंध में हम बातें कर रहे हैं लेकिन रेलवे इम्पलाइज जिन कोलोनियों में रहते हैं, उनकी तरफ रेलवे विभाग का ध्यान नहीं जाता है। वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है, सफाई वहां पर नहीं रहती है और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है और रेलवे विभाग का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। एक जमाना वह था कि रेलवे के अस्पताल को बहुत अच्छा माना जाता था लेकिन आज वहां पर चिकित्सा की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नैला, बिलासपुर डिवीजन का एक रेलवे स्टेशन है। वहां आदमी सिर्फ पैदल ही जा सकता है या घोड़े पर जा सकता है वहां पर न गाड़ी जा सकती है और न मोटर चल सकती है। इसकी तरफ लगातार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। रेलवे कालोनी और रेलवे के अन्तर्गत आने वाली जन-सुविधाओं की जो बात है, चाहे वे सड़कों की हो, अस्पताल की हो, उनके क्वार्टरों की हो या सफाई की हो, इस पर रेलवे विभाग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि दूसरे विभाग इसमें कुछ नहीं करते हैं।

मैं विशेषकर अपने राज्य मन्त्री का ध्यान कालिंगा एक्सप्रेस की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और मध्य भारत को उड़ीसा से जोड़ने वाली लाइन है। उस गाड़ी में कोई पेन्टरी कार नहीं है, जिस की वजह से खाने की बड़ी तकलीफ होती है। वह पेन्टरी कार उसमें लगाई जाए और उस ट्रेन को सुपरफास्ट किया जाए। जैसा कि मुशरान साहब ने कहा है, इन्दौर-बिलासपुर एक्सप्रेस को भी सुपरफास्ट किया जाना चाहिए।

एक बात मैं विशेष रूप से सिंधिया जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, जहां हजारों मजदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं अपनी रोजी चलाने के लिए, वे जब वापस जाते हैं, तो उनके साथ लूट-खसोट होती है और वे चिल्लाते रहते हैं। उनको पुलिस की मदद भी नहीं मिलती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि निलामी करने वाले डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उन लोगों की जबरन लूट-खसोट करते हैं और पुलिस निष्क्रय रहती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में कुछ ऐसी कोचेज बनाई जाएं जो लम्बी दूरी तक चलने वाली रेलवे में लगाई जाएं। यह मेरा प्रोपेजल है, अगर पासीबिल हो, तो

इसको मान लिया जाए कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति फैमिली प्लानिंग की है, लम्बी रूट पर जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनका फैमिली प्लानिंग का आपरेशन उन कोचेज में किया जाए और उनको एन्क्रेजं किया जाए और विशेष सुविधाएं दी जाएं। इससे जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वह पूरा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का समर्थन करता हूं।

राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है और हमारे यहां जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद से रेलवे लाइनों का विकास बहुत कम हुआ है। सब से पिछड़ा हुआ हमारा प्रान्त है, इसलिए हमने इस सम्बन्ध में मांग की थी कि राजस्थान का एक सेपरेट जोन बनाया जाए। रेलवे विभाग ने इस सम्बन्ध में निर्णय भी लिया है मगर अभी तक उसको इम्पलीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक सेपरेट जोन इसका बना दिया जाए ताकि रेल लाइनों के सम्बन्ध में जो हमारी मांग है, वह निश्चित तरीके से पूरी हो जाए। पिछले पांच, छः सालों से हम निरंतर मांग करते आ रहे हैं। रेलवे विभाग ने उसका सर्वे करा दिया है। कोटा से देवगढ़, तोडा राय सिंह से नाथद्वारा और लाम्बिया से ब्यावर, इन तीनों का सर्वे तो हो चुका है मगर उसके आगे फुलस्टोप लगा हुआ है। अभी तक किसी भी लाइन के सम्बन्ध में दूसरा सर्वे नहीं किया गया है और न उसके सम्बन्ध में कोई एक्शन लिया गया है कि इन लाइनों को चालू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। छः साल से लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं और यह बात सही है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि जहां का मन्त्री बन जाता है, वहां नई रेल लाइन बिछ जाती है और नये काम हो जाते हैं मगर राजस्थान का रेल मन्त्री अभी तक नहीं बना और इस वजह से राजस्थान की रेलों के सम्बन्ध में सुनवाई बहुत कम है मगर श्री माधव राव सिंधिया हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते, वे राजस्थान में रेलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। जिन रेल लाइनों के बारे में मैंने निवेदन किया, खास तौर से कोटा से देवगढ़, इस लाइन को जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए ताकि कोटा टू देवगढ़ को उदयपुर से मिलाकर के अहमदाबाद तक बिछाया जा सके। इससे यह सारा एरिया कवर हो जायेगा। जिन लाइनों का आपने सर्वे कराया है उनमें से कम से कम एक लाइन तो हमको दीजिए ताकि लोगों से हम कह सकें कि हम 6 सालों से इनकी पैरवी कर रहे थे उनमें से यह लाइन हमने शुरू करवा दी है। इन तीनों लाइनों में से कम से कम एक लाईन देने की आप व्यवस्था कराइये।

गुलाबपुरा एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाऊन है। वहां से माल भी काफी जाता आता है और पेसेंजर भी वहां से काफी आते जाते हैं। वह अभी तक एक फ्लेग स्टेशन है। उसको पूरा स्टेशन बनाने के लिए भी हमने आप से कई मर्तबा कहा था। डी० आर० एम० ने भी आकर के उसकी जांच की है। जमीन की भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुलाबपुरा फ्लेग स्टेशन को पूरे स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें ताकि वहां के लोगों को इससे सुविधा मिले।

इसी तरह से खण्डवा और रतलाम के बीच में एक भोजरास स्टेशन बनाया गया है। जो कि गांव से एक किलोमीटर दूर बनाया गया है। दूर होने की वजह से सारे पेसेंजर गुलाबपुरा

स्टेशन से बैठते हैं। उसकी जगह पर रूपहैली स्टेशन बनाया जाना चाहिए और जो गुलाबपुरा फ्लेग स्टेशन है जहां पर कि एक टेम्परेरी टिकट बांटने वाला बैठा रहता है उसको पूरा स्टेशन बना दिया जाना चाहिए। उस स्टेशन से बहुत सी सवारियां बैठती हैं। वहां पर 581,582 अप और डाऊन दोनों गांड़ियां रुकनी चाहिएं ताकि वहां के पेसेन्जर लम्बी दूरी तक जाना चाहते हैं उनको सुविधा मिले।

मीनाक्षी एक्सप्रेस के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह पहले हफ्ते में तीन दिन चलती थी, अब उसको पांच दिन चला दिया है। लेकिन उस एरिये में सिर्फ एक ही एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके सिवाय और कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। इस मीनाक्षी एक्सप्रेस को पूरे सातों दिन चलाएं ताकि वहां की जनता को आराम मिल सके। उसमें फर्स्ट क्लास की बोगी नहीं लगती है। इसलिए उसमें फर्स्ट क्लास की बोगी भी लगनी चाहिए।

इसी प्रकार एक गरीब नवाज ट्रेन है जो कि अजमेर तक तो गरीब नवाज है, उसके आगे पिंक सिटी उदयपुर एक्सप्रेस है। इसको अब उदयपुर तक बढ़ा दिया गया है। उसको भी डेली चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस रुट पर बहुत ज्यादा ट्रेफिक है। लोगों को गाड़ी में जगह नहीं मिलती है। अगर यह सातों दिन चलेगी तो लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

हमारे यहां उदयपुर से दिल्ली के बीच में एक चेतक एक्सप्रेस चलती है। उसमें भीलवाड़ा के लिए रिजर्वेशन बहुत कम है। उसमें चार फर्स्ट क्लास का और दस सेकिन्ड क्लास का रिजर्वेशन है। भीलवाड़ा एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक नगर है। भीलवाड़ा के लिए ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि पहले एक बोगी खण्डवा से आती थी जो कि चित्तौड़गढ़ में जुड़ती थी। मगर वह बोगी काट दी गई है, इसकी वजह से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के लोगों को बहुत परेशानी हुई है। उस बोगी को पुनः जोड़ा जाए ताकि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के लोगों को रिजर्वेशन मिले और सहूलियत मिले।

ये मेरे चंद सुझाव थे। लेकिन में निवेदन करना चाहता हूं कि हम 6 साल से कोटा से देवगढ़ ब्राड गेज, टोढ़ारायसिंह से नाथद्वारा और लाम्बिया से ब्यावर रेलवे लाइनों की मांग कर रहे हैं। इनमें से कम से कम एक रेलवे लाइन तो हमें दे दें जिससे कि हम अपने क्षेत्र और राज्य के लोगों से कह सकें कि हमारे कहने से रेल मन्त्री ने यह लाइन दी है। मैं जानता हूं कि आपके पास बजट में कमी है लेकिन आप मध्यप्रदेश और दूसरे स्थानों के लिये लाइनें दे रहे हैं, हमें एक ही लाइन दे दीजिए ताकि वहां के लोग भी अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें और वहां उद्योग भी पनपे। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आया हूं जहां उत्तरी-सीमान्त रेलवे चलती है। पूर्वी क्षेत्र की सभी मामलों में उपेक्षा की गई है। हमें अब कुछ आशा है कि हमारे युवा मंत्री जी कुछ क्रांतिकारी कदम उठायेंगे और यह क्षेत्र विकसित होकर बाकी देश की बराबरी में आ जायेगा, कम से कम रेलवे के विकास के मामले में तो ऐसा होगा।

सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार छोटी लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है।

लेकिन इस मीटर गेज लाइन में से सभी रेलगाड़ियों को हटा दिया गया है तथा एक असम लिंक को गोहाटी से नई दिल्ली बड़ी लाइन की ओर मोड़ दिया गया है। यह अच्छी बात है, लेकिन महोदय, इस मार्ग पर अर्थात् सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंकशन मार्ग पर अधिकतर चाय बागान स्थित हैं। चाय उद्योग जैसाकि आप जानते हैं एक बहुत लाभकारी उद्योग है और यह बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाता है। इस रेल के बगैर, सारी चाय की पेटियां ट्रकों द्वारा कलकत्ता आ रही हैं। बढ़े हुए ट्रक भाड़े के कारण स्थानीय चाय की कीमतें भी बढ़ गयी हैं। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस लाइन पर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि यह ड्आर्स की अति महत्वपूर्ण लाइन है और सभी चाय बागान इसी मार्ग पर स्थित हैं क्योंकि यह मार्ग लगभग सभी चाय बागानों को छूती है।

सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार मीटर गेज पहले ही से वहां थी। लेकिन एक नया स्टेशन, नया अलीपुरद्वार भी बनाया गया है यद्यपि अलीपुरद्वार जंकशन वहां से केवल 4 किमी० दूर है। यदि गोहाटी से यह लाइन इस अलीपुरद्वार जंकशन से मिला दी जाय तो एक नया स्टेशन होना आवश्यक नहीं होता। यह अलीपुरद्वार जंक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण जंकशन है और यह एक बार में 10 से 12 रेलगाड़ियों को सम्भाल सकता है। लेकिन फिर भी इस स्टेशन की उपेक्षा की जा रही है और इसको इसके महत्व से वंचित किया जा रहा है क्योंकि बड़ी लाइन नया अलीपुरद्वार स्टेशन से कूच बिहार की ओर मुड़ जाती है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इसे ठीक किया जाय तथा बड़ी लाइन को अलीपुरद्वार स्टेशन से मिला दिया जाय। अलीपुरद्वार जंकशन में उत्तरी सीमांत रेलवे का मण्डलीय कार्यालय है। लेकिन इसे दिन प्रतिदिन उपेक्षित किया जा रहा है और सारे क्षेत्र के लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि कोई गाड़ी भी जंक्शन से होकर नहीं चलती। स्वयं अलीपुरद्वार में, जहां एक लघु उप-मण्डलीय कार्यालय है, पांच स्टेशन है लेकिन कोई भी रेल गाड़ी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस अलीपुरद्वार जंकशन पर विशेष ध्यान है। बंटवारे के बाद यह जंकशन शेष भारत को जोड़ने के लिये मुख्य लाइन के रूप में कार्य कर रहा था। अत: यह अलीपुर जंकशन सुरक्षा, प्रशासन तथा अन्य सभी दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह असम, भूटान तथा नेपाल के साथ एक सम्पर्क के रूप में कार्य करता है। अत: इस लाइन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं केवल एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। अब हमारे पास गौहाटी से त्रिवेन्द्रम् तक एक लाइन है।

चाय बागानों में काम करने के लिए श्रमिक अधिकतर मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्य से ही आते हैं। लेकिन इन लोगों को यहां सीधा सम्पर्क नहीं है। अत: लम्बे समय से डिब्रूगढ़ से रांची तक गाड़ी चलाने की मांग की जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस पर विचार करें। मेरी मांग का उत्तर देते हुए आपने कहा कि यहां लाइन नहीं बनाई जा सकती। मुझे हैरानी है कि आपने गोहाटी से त्रिवेन्द्रम तक लाइन कैसे बनाई, जो कि सबसे लंबा रेल मार्ग है। यदि इन चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के प्रति आपको जरा भी ख्याल है तो आप इसका समन्वय बड़ी आसानी से कर सकते हैं और डिब्रूगढ़ से रांची तक गाड़ी चला सकते हैं। यदि यह गाड़ी चलाई जाती है तो मध्य प्रदेश के साथ-साथ बिहार और उड़ीसा के लोगों को भी बहुत खुशी होगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभागीय कार्यालय के सभी दफ्तर अलीपुरद्वार जंकशन में खोले जाने चाहिएं। यहां बिलकुल सफाई नहीं है और स्टेशन पर भी ठीक व्यवस्था नहीं है। इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए और स्टेशन की देख-रेख ठीक से करने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाना चाहिए।

[हिंदी]

श्रीमती उषा ठक्कर (कच्छ-गुजरात) : माननीय सभाध्यक्ष जी, रेल मंत्री द्वारा पेश की गई पूरक मांगों का मैं समर्थन कर रही हूं। मैं यह स्पष्ट रूप से मानती हूं कि सरकार के पास जो धन है उसका जनता के अधिक से अधिक कल्याण के लिए उपयोग हो ऐसा ही सरकार सोचती है, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय रेल मंत्री इसका ध्यान रखते हैं; जनता की सुविधाओं को बढ़ाने की कशिशें करते हैं। फिर भी हो सकता है कि धन की भी कमी होने से जनता की मांगों पर पर्याप्त अमल न किया जाता हो। इस बात को लेकर माननीय श्री जगुभाई शाह ने जो सुझाव दिया है उस पर मैं अपनी सहमति व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा कि धन की कमी को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह बांड योजना को लागू करे। इससे अपनी सुविधा की पूर्ति करने के लिए जनता अपने आप धन देगी। सरकार को यह योजना जल्दी लागू कर देनी चाहिए।

मान्यवर, मैं अब कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगी। श्रीमन् बंबई की जनता अपनी यात्रा के दौरान बड़ी भारी परेशानी उठा रही है। लोगों को जल्दी-जल्दी अपने दफ्तर या कार्यक्षेत्र पर पहुंचने के लिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं। रेल मंत्री जी जानते ही हैं क्योंकि वे स्वयं वहां जा चुके हैं। वे जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

बंबई से एक सुपर फास्ट गाड़ी मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ जाती है। जो रेलवे का एक अत्यन्त सराहनीय कार्य है। बम्बई में रहने वाले इस क्षेत्र के लोग इससे आते जाते हैं। लेकिन इससे एक परेशानी भी है। जैसे सुपर फास्ट गाड़ी बहुत लम्बी होती है, जबकि वह गाड़ी बीच में जहां पर स्टाप करती है, उन स्टेशनों के प्लेटफार्म बहुत छोटे-छोटे होते हैं इससे वहां पर गाड़ी में चढ़ने उतरने में यात्रियों को बहुत मुसीबत होती है। इस परेशानी से बचने के लिए सामखियाली स्टेशन के जो लोग बंबई में रहते हैं उन्होंने चंदा करके अपना कुछ योगदान देने की तैयारी दिखाई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस प्रकार जनता के योगदान को स्वीकार करके, तथा कुछ अपनी ओर से धन लगा करके इस समस्या को दूर करे।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र कच्छ में समग्र गुजरात में पैदा होने वाले नमक का कोई 60 प्रतिशत नमक पैदा होता है। लेकिन उसकी ढुलाई के लिए वैगनों की बहुत कमी है। सरकार को चाहिए कि वह पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराये। इससे एक फायदा यह होगा कि नमक का अधिक उत्पादन भी होगा तथा नमक पैदा करने वाले मजदूरों को और रोजगार भी प्राप्त होगा।

मान्यवर, गांधी धाम से भुज के लिए इस समय मीटर गेज लाइन है, जिसकी लम्बाई कोई 50 कि०मी० है। इस लाइन को ब्राड गेज में रूपान्तरित करने के लिए सर्वे हो चुका है। इस पर और विचार करने के लिए रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई है। मैं सरकार से साग्रह

अनुरोध करती हूं कि वह तुरन्त इस काम को लागू करे। कच्छ देश का सीमान्त क्षेत्र होने के कारण देश की सुरक्षा के लिए भी इस क्षेत्र का विकसित होना जरूरी है। अधिक रेल सेवा को उपलब्ध कर यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि गांधीधाम एक्सप्रेस को गुजरात के विद्यानगर आण्द स्टेशन पर रोका जाये क्योंकि मेरे क्षेत्र में जिन छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए विद्यानगर-आण्द आना पड़ता है उन्हें सुविधा मिलेगी।

श्रीमन्, दिल्ली से कच्छ जाने के लिए गाड़ी मीटर गेज लाइन पर चलती है। यहां पर चलाये जाने वाले डिब्बों की हालत अत्यन्त खराब है, जैसे डिब्बों में कई बार पानी तथा बत्ती की सुविधा भी नहीं होती। ऐसे समय बच्चों को साथ लेकर इतनी लम्बी यात्रा करना यात्रियों के लिए दूभर हो जाता है। मैं उन लोगों की प्रतिनिधि हूं इसलिए वे लोग कई बार अपनी मुसीबतें मुझे सुना चुके हैं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस पर गौर करें तथा जनता की मुसीबतों को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।

आपने जो इस पर अपने विचार व्यक्त करने का कीमती अवसर दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करके अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, रेल मंत्रालय का काफी आजकल अखबारों में जिक्र आता है, फुर्ती से काम करने लगा है और तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसलिए, मांग तभी की जाती है जब यह सोचते हैं कि काम करने वाले लोग हैं और काम कर गुजरेंगे अन्यथा कोई काम नहीं करता। जब लोग समझते हैं कि काम होंगे तभी कोई मांग करता है। हमारी कमेटीज की रिपोर्ट हैं जिनको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति की नवीनतम रिपोर्ट में यह आशा व्यक्त की गई है :

"योजना आयोग को रेलवे के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए होने वाली वित्तीय कठिनाइयों की ओर ध्यान देना होगा। जबकि समिति रेल विभाग से यह निवेदन करती है कि वह अपने राजस्व से यथा सम्भव संसाधनों को अधिकतम बढ़ाए, यह जरूरी है, कि योजना आयोग अपेक्षित परिव्यय और उपलब्ध संसाधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए।"

इसे कई बार दोहराया गया है। इसकी सिफारिश भी की गई है। रेल अभिसमय समिति—सातवां प्रतिवेदन—के अनुसार—

"अतः समिति को यह जानकर दुःख हुआ कि यात्री तथा माल दोनों यातायातों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने, रेलवे द्वारा चलाई गई आधुनिकीकरण का योजनाओं तथा किराए भाड़े में पर्याप्त वृद्धियों के बावजूद भी कई वर्षों से राष्ट्रीय कोष में रेलों द्वारा किए गए अंशदान में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।" क्यों ?

क्यों ? प्रतिवेदन में आगे कहा गया है—

"यह प्रश्न कि क्या बढ़ती हुई ब्याज दरों तथा उसके परिणामस्वरूप सरकार से ऋण लेने की लागत में वृद्धि छठी योजना के दौरान लाभांश दर में वृद्धि को न्यायसंगत ठहरायेगी तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर समिति अपना मत तब तक व्यक्त नहीं

करेगी जब तक रेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम ज्ञापन में उनके विचार स्पष्ट रूप से नहीं मिल जाते। समिति इस अवस्था में केवल यही कहना चाहती है कि यदि सरकारी क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था के उच्च स्तर पर पहुंचना है तो इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है कि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम उसके विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन का सृजन करने में कोई कसर न उठा रखें।"

[हिंदी]

मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी हो तो रेलवेज में कोई सैंस लगा देनी चाहिए। आमदनी करिएगा और आमदनी को बढ़ाइये। आमदनी बढ़ नहीं सकती, आप कोशिश बहुत करते हैं और मैं आपकी कोशिश को मानता हूं लेकिन एक बात है, आपकी यह रिपोर्ट है :

[अनुवाद]

मैं रेलवे के संबंध में नियन्ता और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 के अग्रिम प्रतिवेदन में से एक संगत अंश उद्धृत करूंगा। उनका कहना है—

"इन सब उपायों के बावजूद, विशेषरूप से 1977-78 के बाद बताई गई और स्वीकृत दावे की राशि में वृद्धि हुई है। 1977-78 और 1981-82 के बीच घाटे और हानि के लिए किए गए दावों की संख्या 4.6 लाख से बढ़कर 7.4 लाख हो गई। स्पष्टतया 1977-78 में 14.3 करोड़ रुपए की दावे की राशि स्वीकृत की गई थी, जो 1981-82 में बढ़कर 19.9 करोड़ रु० हो गई।"

[हिंदी]

एवरीव्हेयर क्लेम्स एण्ड मिस-मैनेजमैंट, जो भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो काम हो रहे हैं, उससे हमें बड़ी आशा बंध रही है कि अब रेलवेज में कुछ सुधार आयेगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर रेलवेज एक कार्मशियल अंडरटेकिंग है, देश का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग है, एशिया का सबसे बड़ा अण्डरटेकिंग है और सारे संसार में दूसरे नम्बर पर है, फिर क्यों यह प्लानिंग कमीशन की तरफ जाए, प्लानिंग कमीशन के अधिकार में रहे। हमें यह कहना चाहिए कि कर्जा लेकर के लोगों की मांगें पूरी की जाएं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं और मैंने सिर्फ एक ट्रेन के बारे में लिखा था। इन्होंने भी ठीक लिखा, मगर मैं चाहता हूं कि आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सका, इसलिए मेहरबानी करके आप देखिए। मैंने रानकपुर एक्सप्रेस के बारे में निवेदन किया था, जो वहां की लोकल ट्रेन है और वह इलाका भी तमाम आदिवासी इलाका है। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। वहां के लोग अहमदाबाद और दूसरी कई फैक्टरियों में काम करते हैं। सारे राजस्थान में 6 सीमेंट की फैक्टरियां हैं। मैं चाहता हूं कि उस रानकपुर एक्सप्रेस को आप चाम्बेरी पर रोकने की व्यवस्था करें, उससे लोगों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। मेरी कान्सटीटूऐंसी पाली के लोग वहां रहते हैं और वहां स्टेशन बन रहा है। अब शायद जोधपुर में कोई नये डिवीजनल मैनेजर आ गए हैं, पहले तो ठाकुर साहब थे। पता नहीं, उनका दिमाग कैसे काम करता है कि उन्होंने सारे काम को अधूरा छोड़ रखा है। यदि वह काम थोड़ा लग जाए तो काम बने। यदि एक दफा सिंधिया जी को ले जाऊं तो इनकी काम करने की शक्ति को भी पहचानेंगे और लोग भी इन्हें देखकर खुश

होंगे। यदि आपके मन में आये और आपको नक्शा जंचे, दो लाख रुपया आप दे दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा और स्टेशन बढ़ जाएगा। मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। महोदय, यह 100 साल पुराना एक्ट है और हमारे मंत्री नये नौजवान हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सौ साल पुराने कानून को पलट दिया जाए। पुराना कानून होने के कारण सारा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स बराबर एक्ट के नीचे नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कानून को पलटा जाना चाहिए।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : आदरणीय चेयरमैन साहब, मेरा हल्का-ए-इन्तखाब और रियासत जम्मू-कश्मीर, जिसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और कण्डी एरिया है, उसमें ब-सिवाये रेलवेज के और कोई ज्यादा साधन लोगों को नहीं हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए।

यह ठीक है कि वहां पर रेलवेज की तरफ से कुछ सहूलियात हैं और सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उसमें और ज्यादा सुधार हुआ है और खास तौर पर गाड़ियां वक्त पर आना-जाना शुरू हो गई हैं।

2.00 म०प०

लेकिन उसमें बहुत से और सुधार की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इतना आप जानते हैं कि हमारी रियासत में बहुत से लोग सैर-सपाटे के लिए भी आते हैं और वैष्णोदेवी की यात्रा के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहां पर जो इस वक्त गाड़ियां चलती हैं, वे उस जरूरत को पूरा नहीं कर पाती हैं और काफी देर लगती है। पैसेंजर्स को रिजर्वेशन के लिए बहुत इन्तजार करना पड़ता है।

सभापति महोदय, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, सिर्फ दो-चार बातें जो कि बहुत जरूरी हैं, उन्हीं को आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। जम्मू मेल एक गाड़ी है, जो जम्मू से चलती है और उसमें बम्बई के लिए सीधे जम्मू से दो-चार डिब्बे लगते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये डिब्बे लगने बिलकुल बन्द हो गए हैं जिसके कारण काफी तकलीफ लोगों को हो रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उसको रिवाइव करना चाहिए क्योंकि जम्मू से बाम्बे जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए यह बड़ा जरूरी है और ये डिब्बे शुरू से फ्रंटियर मेल के साथ लगते थे।

सभापति महोदय, जम्मू से किसी भी गाड़ी में कोई भी ए०सी० चेयर कार का डिब्बा नहीं लगता है, जम्मू मेल, झेलम, शालीमार गाड़ियां चलती हैं, लेकिन किसी में भी ए०सी० चेयर कार का डिब्बा नहीं लगता है जिससे वहां के औसत दर्जे के जो पैसेंजर्स हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह ए०सी० चेयरकार का एक डिब्बा जरूर वहां से किसी न किसी गाड़ी में लगना चाहिए।

महोदय, इसके बाद मैं जम्मू से ऊधमपुर रेलवे लाइन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसका काम तो शुरू हुआ है लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि यह काम अगले 20 साल में भी पूरा हो पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर आप इस लाइन को कम्पलीट करना चाहते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। ऊधमपुर में

आर्मी का बहुत इन्स्टालेशन है और ऊधमपुर अपने आप में एक अच्छा टाउन भी है, इसलिए वहां के लिए एक रिजर्वेशन बुकिंग सेंटर खोलने की प्रार्थना करता हूं। अभी तक वहां पर कोई भी बुकिंग सेंटर नहीं है जिससे ऊधमपुर के लोगों को जम्मू आना पड़ता है और उन्हें इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहां पर एक बुकिंग काउंटर खोला जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

2.03 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी तरह जम्मू से पुंछ तक के एरिया के लोगों को जम्मू आने का कोई साधन नहीं है और उन्हें अपने काम के लिए जम्मू आना पड़ता है जिसमें लगभग पूरा दिन उनका चला जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां का कम से कम सर्वे ही करवा लिया जाए और दस साला प्लान बना लिया जाए, ताकि वहां के लोग जो अभी तक रेल देखने तक से महरूम हैं, वे भी देख लें कि रेल क्या होती है। इसलिए वहां पर सर्वे का काम जरूर अभी से शुरू करवा देना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां जम्मू से सुबह कोई भी ट्रेन नहीं चलती है जिसकी वहां पर बहुत जरूरत है। वह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है और वहां पर काश्मीर से लोग आते हैं तथा वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन जब उनको यह पता लगता है कि सुबह जम्मू से कोई ट्रेन ही नहीं है, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उनको शाम तक वहां पर इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर सुबह कोई फास्ट ट्रेन चलानी शुरू की जाए। यदि ऐसा हो जाएगा तो वहां के लोगों को तथा अन्य पैसेंजर्स को बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

सभापति महोदय, आप बार-बार मुझे बैठ जाने का संकेत कर रहे हैं, मैं बैठ जाऊं इस बात के लिए आप बहुत उतावले दिख रहे हैं, इसलिए मैं अन्त में एक-दो बात कहते हुए अपनी स्पीच समाप्त करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जम्मू में कोई रिटायरिंग रूम नहीं है। वहां पर अगर आप जाकर देखें, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस आते हैं या कश्मीर से लोग घूम कर आते हैं, वे आपको बाहर सड़क तक बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे और वे पूरे-पूरे दिन वहां बैठे रहते हैं। इसलिये वहां पर एक रिटायरिंग रूम की व्यवस्था जरूरी तौर पर होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं हिल-कंसेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले वहां पर हिल-कंसेशन मिलता था जिसके कारण वहां पर काफी तादाद में लोग आते थे और उसका फायदा उठाते थे, लेकिन वह अब बन्द कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि उसको रिवाइव किया जाए क्योंकि हमारा तो दारोमदार ही टूरिज्म पर है। अगर वह ही कम हो जाएगा तो उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिल कंसेशन के टिकिट जिस प्रकार से पहले मिलते थे, वैसे ही अब फिर शुरू होने चाहिएं।

सभापति महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कई डिस्ट्रिक्ट जैसे पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ हैं, जहां के लोगों को रेल रिजर्वेशन की कोई सुविध

प्राप्त नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक-एक रिजर्वेशन सेंटर खोलना चाहिए ताकि उनको भी कुछ सुविधा मिल सके और उन्हें जम्मू स्टेशन तक न आना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

*श्री जी० एस० बसवराजू (तुमकुर) : महोदय, मैं 1985-86 के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में रखी गई अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। इन मांगों पर बोलते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए।

हमारे देश में अधिकांश रेल लाइनें बहुत पुरानी हैं। उन्हें 200 वर्ष पहले बनाया गया था। हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 39 वर्षों के बाद भी हम उन्हीं लाइनों से काम चला रहे हैं। ये लाइनें अंग्रेजों ने जब बनवाई थीं जब देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी। किंतु अब देश की जनसंख्या 80 करोड़ के लगभग है। हम इन्हीं रेल लाइनों से कैसे काम चला सकते हैं? यह बिलकुल संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें रेल यात्रा में कठिनाई महसूस होती है। कई बार डिब्बों में खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती।

माल यातायात में भी इसी तरह की कठिनाई महसूस की जा रही है। अतः यह उचित समय है जब कि काफी नई रेलवे लाइनें बिछाई जायें। नई लाइनें बिछाने के अतिरिक्त छोटी लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदला जाना चाहिए तथा विद्युतीकरण के काम में भी तेजी लानी चाहिए।

माल यातायात में भी ऐसी ही कठिनाइयां आ रही हैं। बहुत अधिक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। जब माल छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर लाया जाता है तो करीब 10% माल की चोरी हो जाती है। यदि इसे रोका जाए तो देश को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

जब स्वर्गीय श्री के० हनुमन्तैया रेल मंत्री थे तो उन्होंने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की व्यापक योजना बनाई थी जिससे भारत के कई महत्वपूर्ण नगरों से होते हुए कन्याकुमारी और काश्मीर के बीच गाड़ी चलाई जाए। मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना का क्या हुआ?

रेल के डिब्बों की हालत भी बहुत खराब है। यहां तक कि दिन के समय भी खटमलों/कीड़ों आदि की वजह से सीटों पर बैठना सम्भव नहीं होता। डिब्बों में सफाई की बिलकुल व्यवस्था नहीं है। अधिकांश डिब्बे बहुत पुराने हो गए हैं और उनमें दरवाजे और खिड़कियां ठीक नहीं हैं।

कई गाड़ियों में डिब्बों की संख्या कम की जा रही है जैसा कि जी०टी० एक्सप्रेस में बंगलौर के लिए डिब्बों की संख्या कम की गई है। रेलों के किराए में कई गुना वृद्धि हुई है अतः यह आवश्यक है कि रेल यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी जायें और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधापूर्ण हो।

हमारे दादा-परदादा ने जो गाड़ियां देखी थीं, वही गाड़ियां आज भी विद्यमान हैं। न तो उनके डिब्बे बदले हैं और न खिड़कियां-दरवाजे। यहां तक कि उनका रंग रोगन भी वही है और जिन स्टेशनों पर वे पहले रुकती थीं अब भी उन्हीं पर रुकती हैं।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय रेलों के समय के बारे में विचार करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश गाड़ियां देर से पहुंचती हैं। यहां तक कि कर्नाटक एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस जैसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां भी अपनी मंजिल पर 4-5 घंटे देर से पहुंचती हैं। कई बार ये गाड़ियां 24 से 30 घण्टे तक देरी से पहुंचती हैं। रेलों में समय की पाबन्दी की यह हालत है। स्वर्गीय श्री हनुमन्तैया जब रेल मन्त्री थे तो गाड़ी के 5 मिनट देर से पहुंचने पर भी उसके विरुद्ध कार्यवाही करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज क्या हो रहा है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के 39 वर्षों के बाद भी कर्नाटक राज्य में एक भी नई लाइन के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है और कोट्टूर से हरिहर तक की लाइन लंबित पड़ी है। चित्रदुर्ग से रायदुर्ग लाइन पर भी कुछ प्रगति नहीं हुई है। चामराजा से सत्यमंगला तक और ऐसी अन्य कई नई रेल लाइन कर्नाटक की जनता के लिए सपना बनकर रह गई हैं।

मेरे राज्य में रेलों के विद्युतीकरण, रेलों को दोहरा करने और उन्हें बदलने का काम भी नहीं हुआ है। बंगलौर-मिराज लाइन को बदलने की मांग स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व से की जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाली बड़ी और महत्वपूर्ण लाइन है। यह लाइन इन दोनों राज्यों की जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी। अतः मैं मंत्री महोदय, श्री सिंधिया से अनुरोध करता हूं कि वह बंगलौर और मिराज के बीच लाइन बदलने का काम तुरन्त पूरा कराएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनता को बड़ी आशाएं थी कि हमारे युवा रेल मंत्री, श्री सिंधिया रेल यात्रा के दौरान अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। यही कारण था कि हमने कपूरथला में कोच फैक्टरी बनाने और ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़ाने का विरोध नहीं किया·····

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : इसे ग्वालियर तक श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी जी ने बढ़ाया था।

श्री अमर राय प्रधान : जो भी हो किंतु हमें आपसे यह आशा है कि अन्य क्षेत्रों में भी अधिक गाड़ियां चलाई जाएंगी और सातवीं योजना के दौरान दूसरी कोच फैक्टरियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि हमें यह न लगे कि गाड़ियों में डिब्बे नहीं हैं। मैं देश के अधिकतम पिछड़े क्षेत्र से हूं। मैं पूर्वोत्तर प्रदेश में उत्तर-सीमांत रेल क्षेत्र का रहने वाला हूं जो कि उत्तर बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह देश में सर्वाधिक उपेक्षित रेल लाइन है। रेलवे बोर्ड और रेल प्रशासन उत्तर-सीमांत रेलवे के साथ सौतेला बर्ताव कर रहा है। आज उत्तर-सीमांत रेलवे में यात्रा करने में भय लगता है। लोग समझते हैं कि उनके लिये गाड़ी से यात्रा करना एक दुःस्वप्न जैसा है। किसी भी समय गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है या फिर गाड़ी समय पर नहीं चलती।

जहां तक समय का संबंध है, मैं आपको बता दूं कि उस क्षेत्र के लिए यहां से दो गाड़ियां चलती हैं—तिनसुकिया मेल और आसाम मेल। क्या आप पिछले छः महीनों में एक भी दिन ऐसा बता सकते हैं जब ये गाड़ियां समय पर चली हों? कभी भी नहीं। मैं कम से कम दो घंटे

या फिर 4-5 घंटे देर से या कई बार तो पूरे दिन की देरी के बाद जाती है। यह स्थिति है। यह तिनसुकिया मेल मिलिटरी ट्रेन बन गई है। जरूरतमंद यात्रियों को इस गाड़ी से जाने की अनुमति नहीं होगी···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : महोदय, सेना के लोगों को भी उचित कारणों से यात्रा करनी पड़ती है।

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन मंत्री महोदय मेरी बात से सहमत होंगे कि यह गाड़ी मिलिटरी स्पेशल बन गई है। अतः यात्रियों को असुविधा होने से बचाने के लिए आपको कुछ अन्य प्रबन्ध करने चाहिएं ताकि पूर्वोत्तर प्रदेश, जो कि एक पिछड़ा तथा देश का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है, की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कलकत्ता और दिल्ली की यात्रा करते समय ऐसी खराब स्थितियों का सामना न करना पड़े। एक अन्य गाड़ी है दार्जिलिंग मेल जो नई जलपाईगुरी से···के बीच चलती है (व्यवधान) जी हां यह मेरा और पूर्वोत्तर प्रदेश की जनता का अनुभव है·· (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : आप थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए।

श्री अमर राय प्रधान : मैं गुस्सा करके बोलता हूं कि तिनसुखिया और दार्जिलिंग मेल जैसे चल रही हैं उससे मालूम हो जाएगा कि वह बुलककार्टस से कंपीट करने लगी हैं।

[अनुवाद]

दार्जिलिंग मेल 541 किलोमीटर का फासला तय करती है। इस गाड़ी का निर्धारित यात्रा समय 13 घंटे है, परन्तु यदि आप पिछले छः महीने के वास्तविक यात्रा समय पर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि यह गाड़ी सदा 2 से 12 घंटे तक लेट होती रही है। 1950-52 में इसका यात्रा समय 8 घण्टे था परन्तु आज यह 13 घंटे है जोकि पांच घटे अधिक है। यह तो स्थिति है।

मैं मालदा-एकल लक्ष्मी बालूरघाट रेलवे लाइन का भी उल्लेख करना चाहता हूं। रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय ने इसे चुनाव का हथकन्डा बनाया हुआ है। जब चुनाव आने वाला होता है तो वे इस लाइन के लिए रेल बजट में कुछ धन आवंटित कर देते हैं।

श्री अजय मुशरान : यह एक गम्भीर आरोप है।

श्री अमर राय प्रधान : जी हां यह निश्चित रूप से एक गम्भीर आरोप है। यह श्री सिंधिया अथवा किसी भी अन्य मंत्री के विरुद्ध हो सकता है—परन्तु यह सच है कि चुनाव से पहले कुछ लाख रुपए आवंटित कर दिये जाते हैं। फिर कुछ पोस्टरों, बड़े बैनरों और विज्ञापनों में उसका उल्लेख किया जाता है तथा चुनाव के तुरन्त बाद सब समाप्त हो जाता है सिवाय एकलक्ष्मी— बुलरघाट मालदा रेलवे लाइन की आधारशिला के।

काफी समय से हम मालदा से कूच बिहार लाइन के दोहरा किये जाने की मांग करते रहे हैं परन्तु आप इसमें विलम्ब करते आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली से और कलकत्ता से रेल द्वारा अधिकाधिक संख्या में लोग इस क्षेत्र को देखने आए तो आपको इस क्षेत्र में दोहरी लाइन बनानी चाहिए। परन्तु अधिक रेलवे लाइनें बिछाने के मामले में आप इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपकी अनुपूरक मांगों का कैसे समर्थन कर सकते हैं। देश

का सर्वाधिक उपेक्षित भाग अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता। अतः, हम इसका विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं हरियाणा के बारे में विशेष रूप से सोनीपत जो कि मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, के बारे में दो-तीन मांगें मंत्री महोदय के सम्मुख रखना चाहता हूं।

मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों ने सिंधिया जी के बारे में कहा है कि जिस प्रदेश से रेल मंत्री बन जाते हैं, उस प्रदेश में बहुत काम होता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं। यदि सप्लीमेंट्री बजट को देखा जाए तो हरियाणा के लिए बहुत ही थोड़े पैसों का प्रावधान किया गया है। रेलवे लाइन सोनीपत में जिस शहर से गुजरती है, वह वहां की आबादी को दो हिस्सों में बांट देती है। यह कम से कम एक लाख की आबादी वाला शहर है। हरियाणा और पंजाब के लोग सोनीपत से होकर दिल्ली आते हैं। वहां से इतनी गाड़ियां चलती हैं कि वह फाटक कम से कम 12 घण्टे तक बन्द रहता है, जिसके कारण वहां एक्सीडेंट होते हैं। लोगों को बहुत असुविधायें होती हैं। यदि आप बजट को देखें, तो पायेंगे कि ग्वालियर-झांसी पर लैवल क्रासिंग की जगह पर ओवर-ब्रीज का प्रावधान किया गया है। जैसी कि रिपोर्ट है, वह क्रासिंग 24 घंटे में से सात घंटे बन्द रहता है, जिस क्रासिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह क्रासिंग 24 घंटे में से 12 घंटे बन्द रहता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सोनीपत से उत्तर की तरफ जो तीसरा अंडर ब्रिज है, उस पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। इस वक्त यह मालवीय शिक्षा सदन के पास है। यह मांग बहुत पुरानी मांग है। इस ब्रिज के लिए मैं मंत्री जी से पूरे जोर से अपील करता हूं कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें।

इसके साथ ही मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे लोग दिल्ली से सोनीपत जाते हैं और सोनीपत से दिल्ली आते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सोनीपत से दिल्ली तक और दिल्ली से रोहतक रेलवे का इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाए, जिससे रेल ज्यादा चल सकें और वहां पर लोग पहुंच सकें। यह आप जानते ही हैं कि जिस देश के यातायात के साधन अच्छे होते हैं, वही देश विकास करता है। मैं समझता हूं कि यातायात की कमी के कारण दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव है, वह बढ़ता जा रहा है। यदि यातायात की सुविधायें बढ़ जाती हैं, तो दबाव भी कम हो सकता है और दिल्ली के आस-पास के शहरों में वे जाकर बस सकते हैं। वे वहां रह सकते हैं।

इसके साथ ही मेरी गुजारिश है कि सरकार ने आज तक किसी प्रकार का कोई कारखाना सोनीपत के अन्दर नहीं खोला है। कुछ फैक्ट्रियों का यहां जिक्र भी होता रहा है, वहां का सर्वे भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक कोच फैक्ट्री अभी सरकार द्वारा पंजाब को दी गई है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सोनीपत के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि किसी और फैक्टरी का वहां पर प्रावधान किया जाए और सोनीपत के अन्दर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दूसरी फैक्टरी लगाई जाए।

इसके साथ ही मेरी गुजारिश है कि रोहतक और गोहाना जो रेलवे लाइन है, उस पर जो सड़क क्रोस करती है, वहां पर कोई फाटक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। एक दुर्घटना मेरे पार्लियामेंट चुनाव से चार, पांच दिन पहले जसैंया, कहानी के बीच थ्री-व्हीलर से रेलवे क्रोसिंग पर हुई, जिसमें 5 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गये। वहां पर हर साल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैंने एक पत्र इसके संबंध में मंत्री जी को लिखा, तो उनका यह जवाब आया कि वहां से बहुत कम लोग गुजरते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि रोजाना हजारों की संख्या में वहां से लोग गुजरते हैं और फाटक न होने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं।

इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में मैंने पहले ही कहा है। मेरा कहना यह है कि हरियाणा जैसे प्रान्त में, जहां बिजली की बहुत कमी है, वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट को अपने पावर प्लांट लगाने चाहिए, जिससे रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो सके। इससे पब्लिक को फायदा होगा और रेलवे डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैंने जो ओवरब्रिज और खास कर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बातें कही हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान इसी सप्लीमैंटरी बजट में किया गया है। इसमें से दिल्ली से सोनीपत और दिल्ली से रोहतक तक रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, जिससे जनता को लाभ पहुंचे।

इन शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इसके लिए मैं श्री बंसीलाल तथा श्री माधव राव सिंधिया तथा उनके कर्मचारियों को होस्पेट-बंगलौर के बीच बड़ी लाइन पर रात्रि गाड़ी चलाने के लिए धन्यवाद देती हूं जो कि 85-86 हैदराबाद-बंगलौर रेलगाड़ी को गुन्टकल में जोड़ती है। यह उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी। चूंकि होस्पेट में बहुत से खनिज पदार्थों के भण्डार जमा हैं। खानों के मालिक काफी समय से बार-बार इस गाड़ी को शुरू करने के लिए निवेदन करते आ रहे थे। परन्तु आज जैसी कि स्थिति है, गाड़ी का समय उपयुक्त नहीं है। गाड़ी होस्पेट से 10 बजे रात को चलती है तथा गुन्टकल रात को 12 बजे पहुंचती है। इसको बंगलौर-हैदराबाद गाड़ी को जोड़ने के लिए जो कि 11.30 पर आती है—तीन घंटे के लिए रुकना पड़ता है। यह समय जनता के लिए सुविधाजनक नहीं है। मैं काफी समय से इस गाड़ी का समय बदलने का निवेदन करती आ रही हूं। सौभाग्य से मुझे मंत्री महोदय का पत्र मिला है कि 85-86 हैदराबाद-बंगलौर एक्सप्रेस का 1-12-85 से समय बदलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस परिवर्तन के बारे में सुनकर हम सन्तुष्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि समय को इस प्रकार बदला जाएगा कि सुबह 8-30 बजे बंगलौर पहुंचा जा सके। क्योंकि 12 बजे बंगलौर पहुंच कर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे सन्देश है कि यदि यही समय रखा जाता है तो पर्याप्त यात्री मिल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करके यह देखेंगे समय शीघ्र बदला जाए।

मैं एक बार फिर निवेदन करती हूं कि होस्पेट से बंगलौर के बीच एक अलग रेलगाड़ी चलाई जाये। इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर ऊपरी पुल आदि जैसे मूलभूत ढांचे उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इससे अत्यन्त असुविधा होती है। अतः, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि एक पृथक् रेलगाड़ी चलाई जाये जिसका नाम "हम्पी एक्सप्रेस" हो, क्योंकि यह उस महान् विजयनगर साम्राज्य को जोड़ेगी जो कि अपने समृद्ध राजवंश के लिए प्रसिद्ध है।

दूसरे, 1962 में कोट्टूर को हरिहर से जोड़ने के लिए 1962 में सर्वेक्षण किया गया था। चार बार उसका प्राक्कलन तैयार किया गया। इसके बाद उस क्षेत्र की जनता की मांग पर 1980 में इस कोट्टूर-हरिहर लाइन को जोड़ने के लिए। 8 करोड़ रुपए का अन्तिम प्राक्कलन तैयार किया गया, जो कि कर्नाटक के सर्वाधिक सुदूर अंचलों को जोड़ता है तथा कुदलिगी, हाडागली, हगरीबोमानाहल्ली होस्पेट तथा हरिहर लाल्लुक के भागों को जोड़ता है, जो कि कर्नाटक के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। मुझे बताया गया है कि हुबली मण्डल में बहुत सा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय का हटाया गया माल पड़ा है। उसका उपयोग इस लिंक लाइन के निर्माण के लिए किया जा सकता है जिससे निर्माण लागत में 50% कमी हो सकती है। यदि यह लाइन निर्मित की जाती है तो निश्चय ही उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः निर्माण कार्य को इसी वर्ष शुरू किया जाये। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे तथा इस क्षेत्र के लोगों की चिरकालीन मांग को पूरा करेंगे।

चित्र दुर्ग-राय दुर्ग लाइन का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है तथा उस पर पहले ही से 1 से 2 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं, और यदि आप उसके लिए इस वर्ष पर्याप्त धन आवंटित नहीं करते हैं तथा कार्य को जारी नहीं रखते हैं तो मैं समझतः हूं कि जो ढांचा आपने तैयार किया है वह कुछ समय बाद लुप्त हो जायेगा। अतः चित्र दुर्ग राय दुर्ग लाइन के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

इसी तरह मिराज—बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य काफी समय से विलम्बित पड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे और इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

***श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव (अमालापुरम)** : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब इस अनुपूरक मांग द्वारा रेलवे को विभिन्न शीर्षों के अधीन विशेषकर स्टेशनों के निर्माण के लिए 433 करोड़ रुपए खर्च हेतु और मिलेंगे। अच्छा यह होगा कि नये रेलवे स्टेशन बनाने के स्थान पर पुराने स्टेशनों का सुधार किया जाये। इस समय हमारे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। शौचालय की सुविधाएं नहीं हैं। अतः नये स्टेशन के निर्माण से पहले वर्तमान स्टेशनों में सुधार करना अधिक बेहतर है। रास्ते में आने वाले छोटे स्टेशनों की बात तो छोड़ें, बड़े स्टेशनों पर भी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा देश के सबसे बड़े जक्शनों में से एक है। परन्तु वहां पर यात्रियों को उपलब्ध सुविधाएं बहुत कम है। वहां पर प्रतीक्षालय एवं प्रतीक्षा स्थल भी उपलब्ध नहीं है। वहां पर बहुत भीड़ हो जाती है अतः काफी सुधार की जरूरत है।

*मूलतः तेलगु में दिय गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

वहां पर लोगों के कुछ दिन रुकने का स्थान नहीं है। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि विजयवाड़ा स्टेशन के विकास में रुचि लें।

महोदय, विजयवाड़ा--वालटेर लाइन के विद्युतीकरण के लिए बार-बार निवेदन किया जा चुका है। लोगों द्वारा बहुत से अभ्यावेद भेजे गये हैं। फिर भी अभी तक इस लाइन के विद्युतिकरण के लिए कुछ नहीं किया गया।

महोदय, इस समय वालटेर से हैदराबाद के बीच केवल एक ही रेलगाड़ी है अर्थात् गोदावरी एक्सप्रेस, जिसमें 25 बोगियां तथा दो इन्जन होते हैं। ऐसा सोचा गया था कि अधिक बोगियां लगा कर अधिक यात्री ले जाये जा सकते हैं। परन्तु वह लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ। दो अलग इन्जनों द्वारा दो पृथक् गाड़ियां चल सकती हैं, जिससे कि अधिकाधिक लोग उनमें यात्रा कर सकते हैं। एक के स्थान पर दो गाड़ियां लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं।

महोदय, मद्रास और बंगलौर जाने वाले यात्रियों के लिए राजमुन्दरी पर आरक्षण का निर्धारित कोटा बहुत कम है। इस समय चार सीटें उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन गन्तव्यों के लिए राजमुन्दरी से कोटा बढ़ाया जाये। बहुत से लोग राजमुन्दरी से मद्रास के लिए प्रतिदिन जाते हैं। चूंकि वहां पर सीटों की संख्या अति सीमित है, ये लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से पुरजोर अपील करता हूं कि राजमुन्दरी से आरक्षणों का कोटा बढ़ायें। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि तादेपल्ली गोदाम से आरक्षण कोटा बढ़ाया जाये।

उत्तरी रेलवे की तुलना में दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों में कम वातानुकूलित कोच लगाये जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर विचार करें तथा इस असंगति को दूर करें।

काकिनाडा पूर्वी—गोदावरी जिला मुख्यालय है। परन्तु यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह बड़ी लाइन से सम्बन्ध नहीं है। ब्रिटिश काल से ही इसकी मांग रही है कि इसे मेल लाइन से जोड़ा जाये, इससे लोग वाल्टेर तथा हैदराबाद जा सकेंगे।

महोदय, दूसरे विश्व युद्ध से पहले काकीनाडा और कोटिपल्लिम के बीच एक रेलवे लाइन थी और इसे बाद में बन्द कर दिया गया था। यदि इस रेलवे लाइन को पुन: चालू कर दिया जाए तो इस क्षेत्र के लोग नरसापुर के मार्ग से अमालपुरम तक जा सकेंगे। यह मद्रास तक सामान को भेज। में भी सहायता देगा। अत: इन लाइनों को यथाशीघ्र बिछाने के लिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं।

महोदय, रेलगाड़ियों में जो खाने के पैकेट दिए जाते हैं वे बहुत घटिया होते हैं। इसमें प्रत्येक चीज आपस में मिल जाती है और इसे खाने में बहुत दिक्कत आती है। हमारी गाड़ियों में खान-पान सेवा बहुत घटिया किस्म की है और इस बारे में मैंने माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा था। लेकिन मेरे पत्र का जवाब जो उन्होंने दिया था उससे मैं आश्चर्यचकित हूं। उन्होंने बताया कि वास्तव में लोगों ने खाने की तारीफ की है। मुझे कहते हुए दु:ख होता है कि वास्तविकता कुछ और ही है।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से व्यापारियों को कुछ और माल डिब्बे आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। व्यापारियों को और अधिक माल डिब्बे देने के लिए मैंने उनसे पहले से अनुरोध किया था। व्यापारियों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे हानि उठा रहे हैं क्योंकि वर्षा के कारण उनका सामान खराब हो रहा है। अतः मेरे क्षेत्र में व्यापारियों के लिए और अधिक माल डिब्बों का आबंटन करने के लिए माननीय मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज। केवल तीन मिनट।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट दिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल तीन मिनट। मन्त्री जी के पास उत्तर देने का समय होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : रेलवे विभाग के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे आशा थी कि श्री सिंघिया स्थिति की कसौटी पर पूरे उतरेंगे। मुझे अभी भी उन्हें उत्तर देते हुए देखना है। मैं उन बातों को वाद-विवाद मैं उठाऊंगा जो भविष्य में हमारे सामने आएंगी। तब तक मैं केवल दो मुद्दे उठाऊंगा।

जहां तक जम्मू और काश्मीर में रेलवे के निर्माण का सम्बन्ध है, श्री बंसीलाल और उससे पहले तत्कालीन रेल मंत्री श्री गनी खान चौधरी जी ने भी इस बारे में मुझे बताया था। कोसीगोंड से बारामूला तक सर्वेक्षण करने बाद भी उन्होंने कहा था। "हमारे पास धन नहीं है" धन की कमी थी। लेकिन रेलवे विभाग के महाप्रबन्धक श्रीनगर गए**···और एक संवाददाता सम्मेलन कराया। मैंने विभिन्न मामलों पर मन्त्रालय के साथ पहले से ही सम्पर्क रखा हुआ था। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और उस सम्मेलन में उन्होंने कहा, "हम इस रेलवे लाइन को खोलने की सम्भाव्यता पर शीघ्र ही विचार कर रहे हैं" मैंने यह मामला मन्त्रालय के साथ उठाया। क्या संवाददाता सम्मेलन को बुलवाने तथा घोषणा करने के लिए उन्हें अधिकार था?

उपाध्यक्ष महोदय : हम नहीं जानते। किसी भी व्यक्तिगत के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एक मिनट और। महोदय, इसके बाद रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य के रूप में मुझे बताया गया था कि यात्री टिकटों और माल की बुकिंग के प्रबन्ध के लिए किसी संस्थान या किसी व्यक्ति को सौंपने के लिए मुझे मन्त्रालय की सहायता करनी चाहिए। मैं अपने दोस्त की सिफारिश नहीं करूंगा परन्तु मैंने जम्मू और काश्मीर में चैम्बर आफ कामर्स के साथ यह मामला उठाया था। उन्होंने कुछ सेवानिवृत्त सेना अफसरों के नाम दिये थे जिनको नामों की सिफारिश करनी थी। मैंने मन्त्रालय के साथ मामला उठाया और उनको सूचित किया कि इस समय मन्त्रालय के 25 लाख रुपए श्रीनगर में संस्थान के पास ऋण के रूप में थे—वह**···

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह नाम कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। वह आरोप कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने वर्तमान स्थिति की सूचना मुझे क्यों नहीं दी ? वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं इसका उत्तर दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने आपसे एक पत्र प्राप्त किया है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर दिया। मैंने मामले को आपके साथ उठाया था। मुझे रेलवे विभाग से एक सूचना प्राप्त हुई है। मैं उस क्षेत्र से संसद सदस्य हूं। जब वह वहां जाते हैं तो वह मुझे सम्मेलन में भाग लेने के लिये निमन्त्रण नहीं देते हैं। आपने कहा, "आप इस पर विचार कर रहे हैं" उसके बाद से डेढ़ महीना बीत गया। आपके ध्यान में जो बात लाई गई है उस बारे में कुछ लोग आपको स्थिति का उत्तर देने से मना कर रहे हैं। युवा और गतिशील मन्त्री होने के कारण मुझे आपसे बहुत आशा है। लेकिन किसी भी अधिकारी को आपके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिये और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने से आपको रोकना नहीं चाहिये। वह** रेलवे विभाग का 25 लाख रुपया बकाया था। यह मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी आरोप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये। कई सदस्य बोले हैं लेकिन आप मन्त्री जी के उत्तर सुने।

श्री माधव राव सिंधिया : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान बहुत रचनात्मक तथा दिलचस्प चर्चा के लिये मैं आपका आभारी हूं।

मुझे यह भी खुशी हुई है कि सम्पूर्ण सभा ने फतूआ-इस्लामपुर रेलवे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है और केवल दो बातें उठाई गई थी जिसके बारे में मैं प्रत्येक सदस्य का अलगअलग उत्तर दूंगा। लेकिन इसके अलावा सावधानी के मुद्दे भी थे —मैं कहना चाहूंगा कि इसका हरेक ने स्वागत किया। मैं समर्थन के लिये सदन का आभारी हूं जो उन्होंने इस राष्ट्रीयकरण के लिये दिया है।

मुझे विश्वास है कि दो दिन के वाद-विवाद के पश्चात् माननीय सदस्य इस बात से अवगत हो गये हैं कि रेलवे विभाग कितना बड़ा कार्य सम्पन्न कर रहा है। जैसा कि श्री डागा ने कहा कि विश्व में इतना बड़ा यह दूसरा संगठन है जो एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। यह ऐसा 'नेट वर्क' है जो भारतीय उप महाद्वीप को हर तरह से जोड़ता है और इसका 61,000 किलोमीटर तक का विस्तार है रेलवे परिवार में लगभग 17 लाख लोग कार्यरत है। यह संख्या जेमेका या पनामा देश की जनसंख्या के लगभग बराबर है। हम 11,000 गाडियां चलाते हैं। 7000 स्टेशनों का प्रबन्ध करते हैं और हमारी गाडियां प्रतिदिन इतने किलोमिटर चलती है। कि वह 35 बार विश्व का चक्कर लगाले हम इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं और रेलों तथा रेल लाइनों के प्रबंध को ठीक करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे है। कुछ गलतियां हो सकती हैं परन्तु विशाल

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्य होने के कारण मुझे विश्वास है कि सदस्य हमें सहयोग देंगे। तथा मुझे विश्वास है कि श्री बंशीलाल के नेतृत्व में हम रेल मन्त्रालय में जिस निष्ठा और उद्देश्य तथा प्रयोजन से कार्य कर रहे हैं, माननीय सदस्य उसे समझेंगे।

मैं एक मुख्य परिसम्पत्ति के बारे में मैं साफ-साफ और सुस्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में मानव संसाधन की शानदार प्रतिभा विद्यमान है। इसमें दुर्लभ स्थानों पर पहुंचने के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। पूरा रेलवे विभाग लगा हुआ है।

उन लोगों को वहां पर पता नहीं लगता कि बच्चों को शिक्षा सुविधाएं अपेक्षित है शिक्षा के लिए कहां भेजें वे लोग यह नहीं जानते कि शिक्षा की सुविधाएं कहां है या उनके लिए चिकित्सा सेवा कहां से आएगीं। इस तरह के अगम्य स्थानों पर मैंने एक दौरे के कार्यक्रम के बाद कुछ घण्टे बिताए थे। वहां दौरे के कार्यक्रम के लिए मेरे पास एक हेलीकाप्टर होता था और मैंने जून के महीने में उन दो-तीन घण्टों का फायदा इस तरह से उठाया कि अपने स्थान से हट कर दूसरे पर मैं आकस्मिक दौरे के लिए हेलीकाप्टर लें गया। वास्तव में, मैं पुलिस लाइन्स पर उतरता था पुलिस जीप ली मुझे कहना चाहिए कि कुछ पुलिस कर्मियों को उठाना पड़ता था। दोपहर को गर्मी 45 डिग्री थी पुलिस जीप ली और स्टेशन गए। में यह देखकर चकित और हैरान था और यह देखकर मुझे सन्तोष हुआ था कि किस प्रकार स्टेशन मास्टर के साथ विशेषकर वे जो अगम्य स्थानों पर तैनात है--जब हेलीकाप्टर उतरता है, हालांकि पूरे गांव के लोग आ जाते हैं—व्यवहार किया जा रहा था। मैं उन सभी पांचों स्टेशनों के गांव वालों की बहुत प्रशंसा करता हूं कि वे स्टेशन मास्टरों को भागवान् की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग पीने के पानी की सहायता कर रहे थे, अन्य सुविधाओं के साथ-सहायता कर रहे थे। हमारे कर्मचारियों द्वारा कुल मिलाकर इस प्रकार का समर्पण भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। हांलांकि प्रत्येक संगठन में कुछ त्रुटियां होती हैं। कुछ विश्वासघाती लोग होते हैं और हम उनका पता लगाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे है तथा जब कभी हमारे ध्यान में त्रुटियों की कोई बात लायी जायेगी, हम शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे।

लेकिन उन कुछ उदाहरणों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत थोड़े हैं। पर हमें वास्तविक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय रेलवे में हजारों और लाखों कर्मचारी अपना उत्कृष्ठ कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन में उन श्रमिकों उन कर्मचारियों के लिए प्रशंसा का एक शब्द मेरे उत्तर में होना चाहिए।

वाद-विवाद के दौरान अनेक सदस्यों ने हमारी वित्तीय समस्याओं को अच्छी तरह से समझा है। विरोधी दल से श्री वसुदेव आचार्य तथा अन्य माननीय सदस्य और श्री मूलचन्द डागा सहित कांग्रेस दल के अनेक माननीय सदस्यों सभी ने रेलवे को अधिक आबंटन ने देने के लिए कहा था। अत: साधनों की कमी है। यह सच है कि पहले रेलवे के लिए 1650 करोड़ रुपए की राशि वार्षिक योजना परिव्यय के रूप में दी गई थी जो कि पहले वर्ष की राशि के बराबर थी परन्तु जो वास्तविक शब्दों में हालांकि बहुत कम थी। लेकिन साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधान मन्त्री के समर्थन का बहुत महत्व लगाया तथा उन्होंने 400 करोड़ रुपए के आबंटन

द्वारा हमारी प्रशंसा व्यक्त की थी। परन्तु रेलवे को जो कुछ प्राप्त होता है वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि हम बहुत कुछ अधिक चाहते हैं। परन्तु साधनों की कमी के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ किया गया है और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

धन की कमी के कारण हमें उन मदों को प्राथमिकता देनी होगी जिन्हें हम पहले करना चाहते हैं। वाद-विवाद में कई बार माननीय संसद सदस्य यात्रियों सम्बन्धी पहलू पर ही बल देते हैं और यह सच है। यह बिल्कुल सच है। मैं भी अपने अन्य माननीय साथियों की तरह 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। वास्तविक रूप से स्थानीय क्षेत्रों से यह दबाव है क्योंकि लोगों के मन में यात्री गाड़ी का सम्बन्ध सीधे रेलवे कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए, यात्री गाड़ी पर अधिक जोर दिया जाता है। परन्तु मैं अपने उन माननीय साथियों को बताना चाहता हूं जो राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं। जो रेलवे के कार्य को भली भांति जानते हैं कि हम दूसरे कार्यों की भी अनदेखी नहीं कर सकते जो बहुत अनिवार्य किस्म के हैं तथा जिसे रेलवे करती है और वह माल गाड़ी है दोनों के बीच सही तालमेल होना चाहिए। क्योंकि यदि रेलवे माल ले जाने में किसी तरह से लक्ष्य प्राप्त नहीं करती तो अर्थ-व्यवस्था पर संकट आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि संसद सदस्य रेलवे लाइन की कमी को समझते हैं। कई बार लोग महसूस करते हैं कि एक यात्री गाड़ी को उस समय क्यों नहीं चलाया जाता जब वहां कोई विशेष यात्री गाड़ी या एक्सप्रैस गाड़ी नहीं जाती है? परन्तु उस मार्ग का उस समय माल ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए माल को ले जाने की दृष्टि पर जिस पर कल श्री रामसिंह यादव ने प्रकाश डाला था, उसको भूलाया नहीं जाना चाहिए। हम भारतीय परिवहन प्रणाली द्वारा सभी प्रकार से लगभग 70 प्रतिशत का सामान ले जाते है ··

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चाय के अलावा।

श्री माधवराव सिंधिया : खनिज लोहे का 95 प्रतिशत का भाग, उर्वरक का 95 प्रतिशत, कोयला 76 प्रतिशत, सीमेंट 52 प्रतिशत, खाद्यान्न 15 प्रतिशत, पी० ओ० एल० 49 प्रतिशत ले जाया जाता है। ये सभी बहुत अनिवार्य वस्तुएं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: चाय के बारे क्या स्थिति है?

श्री माधव राव सिंधिया : हम कुछ चाय ले जा रहे हैं। सड़क द्वारा भी भारी मात्रा में चाय भेजी जाती है। लेकिन चाय हमारे ध्यान में बराबर है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय रेल अर्थ-व्यवस्था के पहिए हैं और जैसा मैंने कहा कि आवंटित साधनों के भीतर हमें यात्रियों के हितों और माल की ढुलाई दोनों की ओर ध्यान देना होगा। मैं जानता हूं कि एक यात्री गाड़ी को विशेष स्थान पर रोकने या विशेष जगह से यात्री गाड़ी को चलाने से कोई भी लोकप्रिय बन सकता है। परन्तु श्री बंशीलाल और मैं हम दोनों का अटल विश्वास है कि यदि इस प्रणाली के दीर्घकालीन हितों को कुर्बान करके प्राप्त किया जाता है तो थोड़े समय के लिए यह लोकप्रियता प्राप्त करना व्यर्थ है। इसीलिए कुछ प्राथमिकताएं दी गई हैं जिन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा।

महोदय, इस वर्ष वार्षिक योजना आवंटन राशि 2050 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। हमारी योजना में प्राथमिकता प्राप्त मदें चल स्टाक, ट्रैक पुनर्नवीकरण, विद्युती-

करण और कार्यशाला आधुनिकीकरण हैं। ऐसा उपयोग करने की क्षतता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह सच है कि धन के अभाव के कारण नई लाइनों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ऐसी प्रणाली का शीघ्रता के विस्तार करने में कोई तर्क नहीं है यदि आप वर्तमान प्रणाली को नहीं चला सकते हैं। अतः यह सच है कि बहुत कम राशि दी गई है। गत वर्ष नई लाइनों के लिए 114 करोड़ रुपये रखे गए थे, इस वर्ष केवल 69 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

मैं माननीय संसद सदस्यों के सामने सही तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूं और फिर मैं उन के विचार जानूंगा। मैं उनसे शांति तथा धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करूंगा।

इस वर्ष, नई लाइनों की चल रही योजनाओं 1500 करोड़ रुपये लागत है और नई लाइनों के लिए पूरे पांच वर्षों के लिए केवल 350 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। यह दुर्भाग्य की बात है। यदि हमारे पास अधिक पैसा होता तो हम सचमुच अधिक पैसा खर्च करते किंतु प्राथमिकताओं में हमने यह देखा था कि हमें उन चीजों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जो माल-यातायात दुर्घटनाओं को प्रभावित करते हैं। अतः चल स्टाक को–2050 करोड़ रुपये में से पूरी आवंटन राशि में से 33 प्रतिशत दिया गया है। इसी प्रकार लाइनों के नवीकरण में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 20000 कि० मी० का काम अभी बाकी है। यदि हम इस पुराने काम को 10 वर्षों में पूरा करना चाहेंगे, तो इसका यह अर्थ होगा कि हमें प्रति वर्ष 4200 कि० मी० लाइनों का नवीकरण करना होगा, क्योंकि नवीकरण के लिए प्रति वर्ष 2300 कि०मी० की वृद्धि होती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइन के नवीकरण का कार्य आरम्भ किया जाए क्योंकि इससे समय पावन्दी पर प्रभाव पड़ता है, इससे रेलगाड़ियों के आने जाने और उनकी गति पर भी और सबसे अधिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अतः हमने कुल राशि का 25 प्रतिशत लाइनों के नवीकरण के लिए रखा है।

हम अधिक देना चाहते हैं। किंतु फिर भी इस 25 प्रतिशत से हम 4200 कि० मी० का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। किंतु जो कुछ हम से हो सकता है यह सबसे अधिक है। अतः 35 प्रतिशत चल स्टाक के लिए और 25 प्रतिशत लाइनों के नवीकरण के लिए दिया गया है। विद्युतीकरण के लिए भी हर प्रकार से कुछ प्राथमिकताएं रखी गई हैं।

हम विद्युतीकरण कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और हम ने कुल आवंटन राशि का 60 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए और 5 प्रतिशत कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखा है।

वास्तव में 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निर्धारित राशि में से चल स्टाक के लिए 45 प्रतिशत राशि रखी गयी है। हम उन समस्याओं से अवगत हैं जो पश्चिम बंगाल में हैं। वहां 26 हजार माल डिब्बे बनाने की क्षमता है। हमें उन श्रमिकों के हितों को भी ध्यान में रखना है जो वहां काम कर रहे हैं। अतः हमें चल स्टाक के लिए अधिक से अधिक 45 प्रतिशत राशि मिल गयी। अतः हम अपनी तरफ से इन प्राथमिकता प्राप्त मदों को पूरा करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि 400 करोड़ रुपये में से भी लाइनों के नवीकरण के लिए 20 प्रतिशत, विद्युतीकरण के लिए 15 प्रतिशत और 8 प्रतिशत कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए है। अतः केवल प्राथमिकता प्राप्त मदों को ही 400 करोड़ में समायोजित किया गया है। और किसी रेल मन्त्री अथवा परिवहन मन्त्री के चुनाव क्षेत्र में गलत तरीके से कोई राशि नहीं दी गयी है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक-एक रुपया इस में जमा गया है।

मैंने पहले ही लाइनों के नवीकरण के सम्बन्ध में बात की है। हमारे पास इस वर्ष 3000 कि०मी० का बजट लक्ष्य था। वर्ष 1985-86 में पहली अप्रैल को लक्ष्य 3000 कि०मी० था। किंतु किन्तु मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने इस लक्ष्य को 3500 कि०मी० तक बढ़ाया है। हम अपनी ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कुछ समस्याएं हैं। हमारे सामने भिलाई से रेल के और दुर्गापुर से स्लीपरों की कुछ वस्तुओं की सप्लाई में कुछ समस्याए हैं। किंतु हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। वे भी हमारी सहायता के लिए अपनी ओर से बहुत कुछ कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। लाइनों के नवीकरण के पहलू की लम्बे समय तक उपेक्षा किये जाने के कारण इतना काम बकाया पड़ा हुआ है। वर्ष 1977-78 में लाइनों के नवीकरण के लिए केवल 41 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए जो कुल राशि का 9.7 प्रतिशत है। वर्ष 1980-81 में 109 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो 11.2 प्रतिशत था, और अब यह 505 करोड़ रुपये है जो 25 प्रतिशत है। मैं केवल इस तथ्य को ही बताना चाहता था।

जैसा माननीय सदस्य पहले से ही जानते हैं कि हम 7000 माल डिब्बों के लिए और आर्डर दे रहे हैं और कुल 12,5000 मालडिब्बे हो जायेंगे। हम 15 हजार मालडिब्बों का आर्डर देना चाहते थे और हम आशा करते हैं कि अगले वष हम 15 हजार मालडिब्बों का आर्डर दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालडिब्बों की बहुत जरूरत है। हमें पांच वर्ष की अवधि में 95 हजार माल-डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। आबंटन की आवश्कयता इस विशेष समय पर पड़ी, मालडिब्बों के निर्माता केवल इतना ही कर सकते हैं, किन्तु अगले वर्ष हम इसको बढ़ाना चाहते हैं।

महोदय, सिगनल्स और दूर-संचार रेलवे कार्यकरण का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसमें भी हमने राशि का आवंटन किया है, हमने केवल राशि का आवंटन ही नहीं किया है, अपितु हम सिगनल्स और दूरसंचार की आधुनिक प्रणालियां भी आरम्भ कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी को पूरी तरह आयात करने की बजाय हम यह देखना चाहते हैं कि क्या अपने रेलवे में प्रयोग करके प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है। हम अपने अनुभव के लिए चर्चगेट और बोखिली के बीच एक लाइन के लिए प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। जिस में हम नया रेशा प्रकाशीय (फाइबर आप्टिक) तकनीक का प्रयोग करेंगे जो नवीनतम तकनीक है और जिसको मैं अन्ततः भारतीय रेलवे में प्रयोग होते हुए देखना चाहूंगा। किन्तु हम देखना चाहेंगे कि रेशे की प्रकाशीय (फाइबर आप्टिक) तकनीक से हमें क्या अनुभव होता है।

जहां तक रेलवे कार्यकरण के अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्य···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र, में जनजातीय क्षेत्र में रेलवे के विस्तार की क्या स्थिति है?

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे अनेक विषयों के सम्बन्ध में कहना है। मेरा विचार है कि मैं इस विषय में बात करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने क्षमता के उपयोग—ट्रैक क्षमता, चल स्टाक आदि की क्षमता के सम्बन्ध में बात की है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। हम विद्युत इन्जन, डीजल इन्जन और अपने समस्त चल-स्टाक की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को उन इन्जनों की प्रतिशतता की जानकरी देना चाहूंगा जिनका उपयोग नहीं किया गया। विद्युत इन्जनों में 1982-83

में यह 23 प्रतिशत और 1984 में भी यह 23 प्रतिशत थी और इसमें नवम्बर में भारी कमी हुई है जब यह 20.6 प्रतिशत तक गिर गई है। इसी प्रकार इस वर्ष डी० सी० इन्जनों में यह गत वर्ष 30 प्रतिशत से इस वर्ष 24 प्रतिशत घट गई है। अतः इस पहलू की ओर से ध्यान हटा नहीं है। इसी प्रकार 1984-85 में डीजल इन्जनों में यह 13.12 प्रतिशत थी और 1985-86 में अक्तूबर तक यह 12.39 प्रतिशत है। यह प्रतिशतता कम हो सकती हैं किंतु यदि इन्हें वास्तविक रूप दिया जाएगा तो इनका बहुत प्रभाव पड़ सकता है।

जहां तक हमारी उत्पादन इकाइयों का सम्बन्ध है हम ने इस बात का प्रयास किया है कि ये अपने लक्ष्य पूरे करेंगी। चितरन्जन लोकोमोटिव वर्कस में हम उन्हें अधिक काम देना चाहते हैं और हम अधिक आर्डर देना चाहते हैं क्योंकि विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाती है—सी० एल० डब्ल्यू ने अप्रैल से अक्तूबर 1984 की अवधि के दौरान—34 इन्जन और अप्रैल से अक्तू. 1985 तक 41 इन्जन तैयार किए। इसी प्रकार इस अवधि में डी० एल० डब्ल्यू० उत्पादन में वृद्धि हुई है। गत वर्ष 63 से इस वर्ष इन्जनों की यह संख्या 68 तक पहुंच गई है और आई० सी० एफ० के उत्पादन में 489 से 494 तक वृद्धि हुई क्योंकि यह पूरी क्षमता से कार्य करता है।

ह्वील एंड एक्सल संयंत्र में भारी सुधार हुआ है। गत वर्ष उत्पादन 1188 था और इस वर्ष 9250 का लक्ष्य था और अगले वर्ष हमें आशा है कि इस संयंत्र में हम 23 हजार ह्वील सेट का उत्पादन करेंगे। विश्व बैंक का मूल्यांकन यह है कि हम यह लक्ष्य चार वर्षों में पूरा करेंगे और जब अगले वर्ष यह संख्या 23 हजार सेट तक पहुंच जाएगी, तो हम ऐसा 2 2½ वर्षों में कर पाएंगे। अतः उत्पादन इकाइयों में भी सुधार हुआ है।

जहां तक हमारे माल ढुलाई के लक्ष्यों का संबंध है, मुझे सदन को इस बात से अवगत कराने में प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष पूरे वित्तीय वर्ष के लिए माल ढुलाई का हमारा लक्ष्य 2500 लाख टन था। गत वर्ष हम 23 लाख 70 हजार प्राप्त कर सके। योजना आयोग द्वारा दिया गया बढ़ा कोटा 130 लाख टन था। सामान्यतः लगभग 60-80 लाख टन की वृद्धि होती है किंतु इस वर्ष यह 130 लाख निर्धारित की गई। यद्यपि हमने माल डिब्बे की संख्या घटा दी है और इंजनों की संख्या में भी थोड़ी बहुत कमी की है फिर भी गत वर्ष की तुलना में हमें इससे 130 लाख टन की वृद्धि करनी थी। मुझे इस सदन को इस बात की जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सात महीनों में उन 130 लाख टन में से 126.6 लाख की टन प्राप्ती हुई है। अतः जो भी कोटा हमें पूरे वर्ष के लिए दिया गया है उसको पूरा किया गया है और हमें विश्वास है कि हम लक्ष्य से भी बहुत अधिक प्राप्त करेंगे।

जहां तक वस्तुओं की वास्तविक ढुलाई का सम्बन्ध है मुझे भी सदन को इस बात की सूचना देने में प्रसन्नता हो रही है कि कोयले की ढुलाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री जंगा रेड्डी को गलत समाचार मिला था जब उन्होंने यह कहा कि कोयले की सप्लाई न होने के कारण कुछ बिजली घर बन्द कर दिए गए हैं। यह सच नहीं है। कोई भी बिजली घर रेलवे द्वारा कोयला सप्लाई न होने के कारण बन्द नहीं किया गया। चीनी की ढुलाई में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है; सीमेंट में 2.3 प्रतिशत, इस्पात में 8 प्रतिशत और खाद्यान्नों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आधुनिकीकरण के हमारे लक्ष्य के अनुसरण में हम यथाशीघ्र वाष्प इंजनों को हटा रहे हैं। सामान्यत: 2013 ई० तक ये हटा दिये जायेंगे। हमने लक्ष्यों में परिवर्तन कर दिया है। और हम 2000 ई० तक वाष्प इंजनों का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इस वर्ष छ: महीनों की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आई सीडी कन्टेनर की संख्या 4511 से बढ़कर 9693 हो गई है। हम ऐसे अनेक स्थानों की खोज में हैं जहां आई० सी० डी० कंटेनर डिपो खोले जा सकते हैं। मैंने पहले ही अपनी उत्पादन इकाइयों के विषय में बात की है। हमने सी० एल० डब्ल्यू० कार्य क्षमता में विकास करने का निर्णय भी किया है। आज हम 60 इंजन तैयार कर रहे हैं। हम अगले वर्ष 70 इंजन तैयार करने की आशा करते हैं और अन्त में 100 इंजन तैयार करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है। पांच वर्ष की अवधि में हमारे विद्युतीकरण कार्यक्रमों में लगभग 500 इंजनों की आवश्यकता है और हमें इन उपायों द्वारा कमी को पूरा करना है।

अब मैं सुरक्षा की बात करता हूं। सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर हम अधिक ध्यान देते हैं और मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि ये दुर्घटनाए होती है तो मंत्री स्तर से लेकर पूरे रेल परिवार तक क्या गुजरती है, विशेषकर उस स्थिति में जब इन्हें बचाया जा सकता था। कुछ सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सुरक्षा दलों का गठन किया गया है और सुरक्षा पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ है ताकि निचले स्तर से भी सहयोग प्राप्त हो। सब से छोटा कर्मचारी भी अपने आपको इस कार्य में भागीदार समझे। मुझे यह बात कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यद्यपि वर्ष के प्रारंभ में—यह बात भी समझी जा सकती है कि उपाय आरम्भ करने में भी कुछ समय लगता है जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। किंतु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली अप्रैल से नवम्बर की अवधि, अर्थात् आठ महीनों में दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है।

3.00 म०प०

रेल कर्मचारियों द्वारा हुई दुर्घटनाओं में भी थोड़ी सी कमी हुई है। परंतु मैं दुर्घटनायें कम होने की इस दर से संतुष्ट नहीं हूं और हम सब इस बात की ओर ध्यान देते रहेंगे। किंतु तथ्य तो यह है कि इसमें थोड़ी सी कमी हुई है और दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी हुई है। जिस बात की हमें चिन्ता है वह रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं मे वृद्धि की है। इससे सचमुच हम चिंतित है और सच तो यह है कि मुझे सदन को इस बात से अवगत कराना है कि कल रात भी एक दुर्घटना हुई जिसमें गोरखपुर क्षेत्र में छ: व्यक्तियों की मृत्यु हुई और तीन घायल हुए और वे अस्पताल में हैं। अत: इससे हम बहुत ही चिन्तित हैं क्योंकि रेल फाटकों पर होनेवाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। हमारे मन में रेलफाटकों का प्रश्न है। हमारा देश बहुत विशाल है और रेल मार्ग भी बहुत बड़ा है। देश में करीब 37,000 रेल फाटक हैं जिनमें से केवल 15 हजार में ही चौकीदार रहते हैं। इन में चौकीदार रखने पर बहुत खर्च होता है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि प्रति वर्ष 300 से 400 रेलफाटकों पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। इस सम्बन्ध में हम अपने कर्मचारियों में वृद्धि कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि आंकड़ों में सुधार हुआ है, फिर भी हमें रेलफाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण चिन्ता हो रही है और यह एक ऐसा मद है जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है।

अब मैं समय की पाबंदी की बात करता हूं।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : क्या मन्त्री महोदय रेलवे यात्रियों तथा इसके द्वारा ढोये जा. वाले सामान की सुरक्षा के पहलू के विषय में कहना चाहेंगे ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं इसे भी सम्मिलित करना चाहूंगा। अब मैं समय की पाबंदी पर आता हूं। मैं स्वयं 60 रेलगाड़ियों की निगरानी कर रहा था। वे बहुत देर से चल रही थीं वे केवल 25% समय पर ही ठीक समय पर चलती थी लेकिन अब वह बढ़कर 60%70 प्रतिशत हो गया है। कुछ ऐसी रेलगाड़िया हैं। जिनसे बहुत परेशानी होती है। अमर राय प्रधान जी कुछ रेलगाड़ियों का उल्लेख कर रहे थे। हम तिनसुखिया और असम मेल में सुधार करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : मालदा और कूच बिहार के बीच रेल लाइन को दोगुना किया जाना चाहिए।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं बताना चाहता हूं कि मार्ग नवीनीकरण, विद्युतीकरण आदि जैसे इंजीनियरी कार्यों में देरी लगती है। कुछ देरी लोग करते हैं। जनता जब किसी के भी विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे इसके लिए रेलें ही सहज ही मिल जाती हैं। प्रदर्शन करना हो तो वह कहती हैं "प्रदर्शन के लिए चलिए रेलवे-स्टेशन चलते हैं।" प्रदर्शनों के संबंध में ये समस्याएं आड़े आती हैं। जंजीर खींचने और होज–पाइप अलग करने के मामलों में हमें पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे और मध्य रेलवे के एक हिस्से में ऐसी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे और उसकी सम्पत्ति के प्रति और रेलों को इस्तेमाल करने वाली जनता में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने, में अगर माननीय सदस्य सहायता और सहयोग दें तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा क्योंकि जनता को बहुत असुविधा होती है।

जनवरी और अगस्त के बीच जंजीर खींचने की कुल 1,32,888 घटनाएं घटी। इनमें से 22,000 घटनाएं बिहार, 21,000 मध्यप्रदेश और 39,000 उत्तर प्रदेश में हुई। मुख्यत: इन्हीं तीन राज्यों में जंजीर खींचने की घटनाएं घटीं। इसी तरह मैं होज-पाइप को अलग करने की समस्या का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह भी एक प्रमुख समस्या है। हमने जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। लेकिन मेरे विचार से जनजागृति और सहयोग की ज्यादा जरूरत है। इसी अवधि अर्थात् जनवरी-अगस्त के दौरान होज-पाइप अलग करने की कुल 46,149 घटनाएं घटीं। इसमें से 20,540 पूर्वी रेलवे में और 23,558 उत्तरी रेलवे में घटीं। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, 46,000 म से 25,000 हजार उत्तर प्रदेश में और 10,000 बिहार में घटीं।

एक माननीय सदस्य : दक्षिण रेलवे में क्या हो रहा है ?

श्री माधव राव सिंधिया : दक्षिण रेलवे का रिकार्ड बहुत बढ़िया है।

[हिंदी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : मध्यप्रदेश के आंकड़े दिए हैं, हरियाणा के भी दे दीजिये कि वहां क्या हो रहा है।

श्री माधव राव सिंधिया : हरियाणा के भी हैं लेकिन हरियाणा के इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के अभियान के अन्तर्गत अप्रैल से सितम्बर 1985 के दौरान पिछले साल इसी अवधि के दौरान की गई चैकिंग से 30 प्रतिशत अधिक चेकिंग की गई और एक लाख पचपन हजार लोगों की चेकिंग की गई। अप्रैल से सितम्बर 1985 के दौरान 24 लाख लोग बिना टिकट यात्रा करते पाए गए। इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रेलवे की वसूल की गई बकाया राशि के रूप में पिछले साल से 20 प्रतिशत अधिक अर्थात् 5.11 करोड़ रुपए वसूल हुई।

यात्रियों की सुविधाओं और अन्य पहलुओं पर कुछ कहने से पूर्व मैं रेल व्यवस्था की कार्य कुशलताओं के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। वैगन और इंजिन आदि के उपयोग का सबसे बढ़िया मापदण्ड प्रतिवैगन दिन शुद्ध टन किलोमीटर है। इसमें चमत्कारिक वृद्धि हुई है। पिछले साल छः महीनों में यह 1.74 से बढ़कर 1188 हो गया जोकि अब तक का एक रिकार्ड है। इसी तरह इस साल 6 महीनों में शुद्ध टन किलोमीटर पिछले साल के 80 अरब से बढ़कर 91 अरब शुद्ध टन किलोमीटर हो गया।

अब मैं यात्री पक्ष के कुछ ऐसे पहलुओं को लूंगा जिन्हें करने का हम विचार कर रहे हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम रेलवे में हमने 9000 टन भारी रेलगाड़ियों की ढुलाई के संबंध में कुछ परीक्षण किए हैं। अभी तक इस रेलगाड़ी की भारवाहक क्षमता 4500 टन है। हम इसे दोगुना करना चाहते हैं क्योंकि इससे निर्गम में और पटरी के उपयोग में वृद्धि होगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 9000 टन भारी रेलगाड़ियों की ढुलाई के सम्बन्ध में किए गए थे परीक्षण इस तथ्य के बावजूद कि हमने लोकोट्राल का आयात भी नहीं किया है, काफी हद तक सफल रहे हैं। 9000 टन की रेलगाड़ी को चलाने के लिए तीन डीजल इंजन होने चाहिएं और इन तीनों के लिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि पहले इंजिन को दिए गए आदेश की तत्काल प्रतिक्रिया दूसरे और तीसरे इंजिन पर हो। इस प्रणाली के लिए आदेश जारी किए गए हैं और इसे आयात किया जा रहा है। मेरे विचार से हमने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, परीक्षण के लिए प्रणाली के दो सेटों के आर्डर दिए हैं। लेकिन उनके आयात से पूर्व, अस्थायी उपाय के तौर पर हमने परीक्षण किए हैं जोकि बहुत सफल सिद्ध हुए हैं।

यात्रियों की सुविधाओं के बारे में कुछ चर्चा की गई थी। हम जानते हैं। कि बहुत सी शिकायतें खासकर आरक्षण के मामले में भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। इस बात को पूरी तरह से महसूस करते हुए हम यह देखने के लिए यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं कि इसे कितना और कितनी शीघ्रता से कम किया जा सकता है। आरम्भ में हम नई दिल्ली स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। यह नई दिल्ली से चलने वाली सभी 40-50 रेलगाड़ियों के लिए होगा। मार्च 1986 तक यह लागू हो जाएगा। बाद में साल के अंत तक निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली में भी यह योजना लागू की जाएगी। हम नहीं चाहते कि शुरू में जल्दी की जाए और बाद में सब गड्डमड्ड हो जाए। हम पहले उसे वहां लागू करना चाहते हैं और उसके बाद वहां के अनुभवों के आधार पर उसे हावड़ा बम्बई और मद्रास में लागू करना चाहते हैं। हमारी यह योजना है। जहां तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सम्बन्ध है, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण इसे समाप्त करने में बहुत सहायता देगा। बहरहाल, वहां भी भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं।

ऐसा नहीं है कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसे और कम करने के हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अभी भी कोई जाकर किसी भी रेलगाड़ी की बहुत सी टिकटें खरीद या इसी तरह का कोई काम कर सकता है। इस त्रुटि को महसूस करते हुए हमने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में एक और कालम जोड़ा है ताकि टिकट पर टिकट खरीदने वाले का लिंग—स्त्री है या पुरुष तथा उसकी आयु उस पर हो ताकि किसी ओर को टिकट बेचना अधिक से अधिक कठिन हो जाए।

जहां तक भाड़े का सम्बन्ध है, हमारे पास आपरेशन इन्नफोरमेशन सर्विस नामक एक बड़ा कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम है। इसकी लागत 520 करोड़ रुपए है। एक विशाल प्रणाली होने तथा दूर संचार में बहुत सा काम करने की जरुरत के कारण यह 1994-95 तक पूरा होगा। मैंने इस अवधि को कम करके 1991 तक पूरा करने का प्रयास किया है। अन्य देशों में जहां भी इस प्रणाली को लाग् किया गया है, वहां रेल भाड़ा संचालन की कार्यकुशलता में 38 प्रतिशत सुधार हुआ है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर प्राथमिकता देंगे।

जहां तक खान-पान का संबंध है, इस दिशा में भी हमने थोड़ी सी शुरूआत की है। आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण की तरह ही, मैं महसूस करता हूं कि यहां भी हमें धीरे-धीरे बढ़ना होगा क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो भोजन की किस्म और उसे परोसने के तरीके में गिरावट आएगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम यह सब कर रहे हैं, उसे पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हम इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी कर रहे हैं और इस समय लगभग 20-25 रेल. गाड़ियों में 'कैसरोल' में खाना परोसा जा रहा है। कुछ शिकायतें मिली हैं। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार 80-85 प्रतिशत ने विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के कारण इसका स्वागत किया है क्योंकि यह पूरी तरह से सील बंद होता है और इसमें खाना गर्म रहता है। हमने विशेष हाट-केसों (इनकी पूरी व्यवस्था करने में 4 महीने लगे) के आर्डर दिए थे ताकि खाना परोसने के लिए रेलगाड़ियों में 48 केसरोल्स हो सके। जैसा कि मैंने पहले कहा हाल ही में शिकायतें मिली हैं। कुछ ही दिनों पहले हैदराबाद के कुछ ससद सदस्यों से एक शिकायत मिली थी जिसकी हम जांच कर रहे हैं। मैं इस समस्या को शुरू में ही खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि इस शिकायत के खिलाफ अगर हमने दृढ़ता से कार्यवाही नहीं की तो यह रोग फैलता जाएगा। अत: मैं उस मुख्य (बेस) रसोई के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना चाहता हूं जहां 'केसरोल' में ठण्डा खाना रखा गया ताकि इस समस्या को शुरू में ही खत्म कर दिया जाए और लोग भी जान जाएं कि हम यात्रियों की सुविधाओं को कितना महत्व देते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : रेल प्रयोगकर्त्ता सलाहकार समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी होनी चाहिए। इसकी बैठक तीन माह में एक बार होती है।

श्री माधव राव सिंधिया : लोगों को टिकट की धनराशि वापस लेने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, हमने सारी व्यवस्था को पुनर्गठित किया है और बहुत शीघ्र, एक महीने के अन्दर, नई प्रणाली काम करने लगेगी। इसमें हमने स्टेशन मास्टर को कहीं अधिक शक्तियां दी हैं ताकि इस्तेमाल न किए गए टिकटों की धनराशि लोगों को यथा शीघ्र वापिस मिल सके।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

श्री माधव राव सिंधिया : इस पहलू को हमने हमेशा ध्यान में रखा है इसीलिए हमने यह काम अपने सलाहकार संगठन आर० आई० टी० ई० एस० को सौंपा है। यह काम मैंने उन्हें लगभग 5 महीने पहले सौंपा था। सामान्यतः मैं हर बात के लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूं किंतु इसके लिए मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया क्योंकि मैं बहुत विस्तार से अध्ययन करना चाहता हूं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि भविष्य में इसकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं हो सकती है। उन्होंने तीन खण्डों में एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। धीरे-धीरे चरण बद्ध तरीके से हम इसे रेलों में लागू करेंगे।

जहां तक दावों का सम्बन्ध है, यहां भी सदन को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छः महीनों से विचाराधीन दावों की संख्या जो कि 1-1-85 को 17,000 थी, कम होकर 6,000 तक रह गई है। निपटाए गए दावों की संख्या में यह 62% सुधार है। अन्य यात्री सुविधाओं जैसे टेलीफोन इन्क्वायरी, टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने, सी० सी० टी० वी०, महानगरों में लोक शिकायत केन्द्रों की स्थापना आदि की ओर हम ध्यान दे रहें हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि एक ओर जिस दिशा में बहुत तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है, वह है भ्रष्ट और अकुशल रेल कार्मिकों का पता लगाना और उन्हें शीघ्रता से बाहर निकालना। कुछ आयु वर्ग के कार्मिकों की जांच की गई है। आमतौर पर यह जांच मात्र औपचारिकता ही रही। मैंने उन्हें बता दिया है कि यह औपचारिकता नहीं रहेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के रिकार्डों की बहुत बारीकी से जांच की जाएगी और उनमें किसी भी तरह की अगर कमी पाई गई तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा मैं सदस्यों द्वारा निजी तौर पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। मेरे पास केवल 15 मिनट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, आपके पास केवल 10 मिनट हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : मेरे पास केवल 10 मिनट हैं। मुझे सभी के प्रश्नों का उत्तर···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी, निजी बातों का जवाब आप लिख कर दे सकते हैं और आम बात का उत्तर आप अभी दे सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। उनके बोलने में व्यवधान मत डालिए। पहले उन्हें पूरा कर लेने दीजिए ··

(व्यवधान)

श्री माधव राव सिंधिया : श्री जाफर शरीफ ने रेलवे कालोनियों का मुद्दा उठाया है : हमने 1985-86 में आबंटित धनराशि को, पिछले वर्ष आबंटित 90 करोड़ रुपए की धनराशि से बढ़ा कर 97.20 करोड़ रुपए लगभग 9 प्रतिशत अधिक कर दिया। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं और रेलवे कोलोनियों को उपयुक्त महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति मानव संसाधन है। हमने पुलों के सुधार का काम भी शुरू किया है। सातवीं योजना के प्रारम्भ में जिन 2000 पुलों के सुधार या पुनर्निर्माण की जरूरत थी, उनमें मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य हम करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? वह हरेक को उत्तर दे रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : श्री जाफर शरीफ ने रेल यात्री निवास का मामला उठाया है। इसके बारे में एक गलत फहमी है। यह होटल नहीं है। यह वास्तव में नई दिल्ली स्टेशन पर प्रतीक्षालयों विश्रामालयों के विस्तार की योजना है। मेरे विचार से मध्यम और निम्नवर्ग के बहुत से यात्री आते हैं और वाहन मालिकों की दया पर उन्हें छोड़ दिया है जाता है। ये यात्री नहीं जानते कि उन्हें उपयुक्त आवास कहां मिलेगा। इसलिए हम सबसे सस्ती और साधारण सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मौजूदा स्थानों पर लोग महीनों-महीनों रहते हैं, खाली कर देते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। सभी स्टेशनों पर यही हो रहा है। बहुत से स्थानों पर देखने में आया है कि एक ही व्यक्ति रह रहा होता है। वह खाली कर देता है, फिर लौट आता है और दोबारा से रहने लगता है।

श्री माधव राव सिंधिया : अगर आप चाहें तो मैं अलग-अलग सदस्यों को लिखित उत्तर भेज दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आम बात का उत्तर आप दे सकते हैं। वह आपको अलग से स्वयं लिखेंगे। उन्हें बहुत सी बातें कहनी हैं। इसलिए मैंने माननीय सदस्यों को कहा कि वे बहुत संक्षेप में कहें। पर उस समय किसी ने भी संक्षेप में नहीं कहा। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं हैं क्यों कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी आम बात आप कह सकते हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं अत्यधिक रचनात्मक चर्चा के लिए माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण समर्थन भी दिया गया और कुछ आलोचनाएं भी की गईं जिसमें से अधिकतर रचनात्मक थीं और हमने इसे उसी भावना से स्वीकार किया कि यदि आलोचना नहीं सुनेंगे तो हम सुधार कैसे कर सकते हैं ? अतः, हमारी भूलों का उल्लेख करने के लिए भी मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार और अनुरोध करना चाहता हूं कि जन सहयोग बहुत जरूरी है। जन सहयोग होना ही चाहिए। कोई स्वचालित चेतावनी प्रणाली की बात कर रहा था। इस प्रणाली में एक चुम्बक पटरी पर और एक चुम्बक को डिब्बे में लगा दिया जाता है। इसलिए रेलगाड़ी अगर लाल सिग्नल के पास से गुजरती है या पहुंचती है तो खुद-ब-खुद ब्रेक लग जाती है और चालक को इसे दूर करने और निरपेक्ष रखने हेतु सचेतन प्रयास करने होंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है। इसका परीक्षण पूर्वी रेलवे में किया गया था। हाट बाक्स डिटेक्टर का भी परीक्षण किया गया था। हम बहुत खुश थे। यह एक भारी सुरक्षा उपाय था एक हफ्ते के अन्दर ही रेल की पटरियों पर से वे सारे गायब हो गए थे। उनका मूलभूत आंतरिक मूल्य था और वे चुरा लिये गये। उसी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है और हम इसे बम्बई उपनगरीय रेलों में प्रयोग में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं और वहां यह बहुत सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

अत:, जन सहयोग बहुत महत्त्व रखता है। वास्तव में यह सरकार द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही की सफलता का आधार है। मैं नहीं समझता कि प्रजातन्त्र कोई एक तरफा मार्ग है। मेरे विचार से प्रजातन्त्र एक साझेदारी है। प्रजातन्त्र चुनाव जीतने वालों और चुनाव जीताने वालों के बीच एक साझेदारी है और उत्तरदायित्व दोनों पक्षों का है। मेरे विचार से सारा भारत साझेदारी की इस भावना को स्वीकार करता है और इसकी जड़ें प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में मजबूत होती जा रही हैं। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो कोई भी भारत को प्रगति करने से रोक नहीं सकता।

मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी के भाषणों में मैंने समझदारी का अन्तर्प्रवाह पाया है। इस तरह के समर्थन से हमारा विश्वास और भी अधिक बढ़ता है। मैंने भारतीय रेलों को हमेशा देश की एकता और अखंडता का जीवन्त प्रतीक पाया है। राष्ट्र एक ऐसे आधुनिक और प्रगतिशील समाज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो प्रगतिशील तो है लेकिन अपनी अनिवार्य सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए हुए हैं मेरे विचार से यह हमारे प्रधान मन्त्री महोदय की विचार धारा के प्रति श्रद्धांजलि है जो आधुनिकता के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध होने के बावजूद अपनी आदरणीय मां की तरह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने पर निरन्तर जोर दे रहे हैं। यही सांस्कृतिक अस्मिता देश को ऐसी चारित्रिक दृढ़ता दे सकती है जो विज्ञान और प्रौद्यागिकी की ओर कदम बढ़ाने से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को पूरी तरह पचा लेने, लेकिन राष्ट्रीय मानसिक सन्तुलन और अस्मिता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्वयं भौतिक प्रगति ही इस देश को आगे की ओर अग्रसर कर सकती है। मेरे विचार से भारतीय रेलें वास्तव में आधुनिक प्रौद्योगिकीय प्रगति के सार के साथ-साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। हम भारत की पूर्व-पश्चिम और उत्तर दक्षिण में एकता बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे।

रेल के डिब्बों को किसी धर्म क्षेत्र या जाति की पहचान नहीं करनी होती है। हमारी रेलगाड़ियों में उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिन्दमहासागर के उष्ण जल और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में रहने वाले लोग यात्रा करते हैं। इन डिब्बों में इमाम और पुरोहित, पण्डित और ग्रन्थी मिलते हैं और इन समस्त जातियों के लोगों को मिलाजुला कर एक क्षण के लिए टैगोर के एक ऐसे आदर्श भारत की रचना करती है, जहां क्षुद्र और आन्तरिक कारणों से फूट न पड़ी हो।

हमें आपकी समझ, धैर्य और सहयोग की जरूरत है। हमें विश्वास है कि हमें यह पूरी तरह मिलेगा इस विश्वास के सहारे हम भारतीय रेलों को, भारत की सफलता की एक और कहानी बनाने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि

"कि फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन के सम्बन्ध में फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के लोकहित में अर्जन का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड, 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मन्त्री महोदय।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1985-86 की अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल), 1985-86 की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
16	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	433,00,00,000

3.26 म०प०

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक 1985*

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय बर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं विधेयक को पुर:स्थापित**करता हूं। मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री रंगा।

*दिनाक 13-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित प्रस्तुत।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे कुछ कहना है। मेरे कहने का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल-लाइनों की संख्या बढ़ाने की तत्कालिक राष्ट्रीय जरूरत की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना है। हमारे 9 राज्य हैं जिनमें से केवल 3 रेलों से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ के मुख्यालय तो समीपस्थ रेलवे स्टेशन से 10 मील की दूरी पर स्थित हैं यही उपयुक्त समय है जब रेल विभाग का ही नहीं बल्कि वित्त विभाग आदि को भी इस क्षेत्र में रेलों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा और इस बात का सुनिश्चिय करना होगा कि इन सभी राज्यों और उनके मुख्यालयों को किसी भी तरह रेलों से जोड़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.28 म०प०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 16, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक को लेते हैं।

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

सदन में विधेयक पर चर्चा किए जाने से पहले मैं इस संशोधन को लाने के कारणों के बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति जिसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह, जब तक नियमों के अन्तर्गत सभापति के रूप में बने रहने के अयोग्य नहीं हो जाता, 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेगा और एक व्यक्ति जिसे उपसभापति या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेगा। इस धारा में आगे यह उपबन्ध है कि सभापति और उपसभापति के पद पूर्णकालिक होंगे तथा उन्हें वेतन दिया जाएगा व नियमों के द्वारा उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित किया जाएगा। इन उपबन्धों के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है जिसमें सेवा की शर्तें और अयोग्यता को बताया गया है। सभापति की सेवा शर्तों के भाग के रूप में नियमों में यह व्यवस्था है कि जब तक कोई अन्यथा शर्त न हो तब तक सभापति 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होगा। लेकिन उपसभापति के मामले में नियमों में कोई अपबंध नहीं है जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई हो।

यह आशंका व्यक्त की गई थी कि सेवानिवृत्ति की आयु सम्बन्धी नियम इस अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हैं। चूंकि सभापति के लिए 5 वर्ष की कार्यावधि अधिनियम में बताई गई है इसलिए एक विचार व्यक्त किया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा इस अवधि को कम नहीं किया जा सकता।

इस आशंका को दूर करने के लिए हम अधिनियम में एक उपबन्ध का प्रस्ताव करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सभापति तथा उपसभापति निर्धारित कालावधि तक या

65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा। सदन में विधेयक पेश करने का उद्देश्य इस उपबन्ध को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में शामिल करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों गठन में दो सदस्य केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व कौन की अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति किसी भी रूप में दो बार से अधिक पद धारणा नहीं करेगा। परन्तु व्यवहार में यह होगा कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जो पदेन सदस्य के रूप में इस समय नियुक्त होते हैं, वे थोड़े समय के लिए आयोग की सेवा कर सकते हैं तथा नियुक्ति के लिए दुबारा से पात्र हो सकते हैं। दो बार नियुक्ति की व्यवस्था से नियुक्तियों की सीमा निर्धारित होती है। हमने सोचा कि इस सीमा को हटाना वांछनीय है क्योंकि हय आवश्यक नहीं लगता क्योंकि इन दो सदस्यों की नियुक्ति अपने पद के कारण होती है।

इसलिए आयोग में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के मामले में इस प्रतिबन्ध को हटाने का उपबन्ध यह संशोधन करता है।

महोदय, संशोधन साधारण है और विवादास्पद नहीं है। हमने सुनिश्चित किया है कि संशोधन लागू होने के बाद जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे केवल उनके मामले में संशोधित उपबन्धों को लागू किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों से इस विधेयक को समर्थन प्राप्त होगा।

(समाप्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी सोमवार को बोलेंगे।

3.31 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म०प०

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प
[···जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 2 अगस्त, 1985 को श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर और आगे चर्चा लेते हैं।

[हिंदी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पिछले दिनों हिल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में श्री हरीश रावत जी के प्रस्ताव पर बोल रहा था। इस सम्बन्ध में मैंने पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मैंने गंगटोक के अन्दर घड़ियों का कारखाना देखा। जिसके कारण उस इलाके के हजारों युवकों को जीविका मिली हुई है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में काटेज इण्डस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में यदि आप सर्वे करायें तो पायेंगे कि शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जहां पर किसी न किसी कमरे में काटेज इण्डस्ट्री का काम न होता हो। यदि नेशनल कैपीटल रीजन के तमाम एरिया में इस काम पर बैन लगा दिया जाए तो उससे दिल्ली वालों को फायदा होगा और पर्वतीय क्षेत्रों में काटेज इण्डस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। दिल्ली में आज जो वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, बैन लगाने से हल हो सकती है।

आज दिल्ली के मकानों में जहां काटेज इण्डस्ट्री लगती हैं, वहां टैक्सों की चोरी और नम्बर दो का काम होते हुए भी देखा गया है। यदि काटेज इण्डस्ट्रीज को हिल एरियाज में लगा दिया जायेगा तो इससे टैक्सों की चोरी भी रुक जायेगी और पर्वतीय क्षेत्रों का भी विकास होगा। इसके साथ ही दिल्ली जैसे शहर में आज जो आवास की समस्या बनी हुई है, वह समस्या भी हल हो सकती है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को जीविका मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि उनको ठीक कीमत पर सामान उपलब्ध हो।

मेरा सुझाव है कि हिल एरियाज के अन्दर लोन और दूसरी अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हों ताकि उन्हें अपना सामान तैयार करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपको मार्किटिंग की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि उनको अपने सामान की अच्छी कीमत मिल सके। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका बहुमुखी विकास होगा। उस इलाके का भी विकास होगा और वहां रहने वाले परिवारों का भी विकास हो सकेगा।

इसके साथ मैं एक सलाह और देना चाहता हूं। यदि आप पर्वतीय इलाकों का विकास करना चाहते हैं और वहां के लोगों को जीविका प्रदान करना चाहते हैं तो आप हर हिल एरिया के लिए अलग से एक विकास बोर्ड की स्थापना करें। वह बोर्ड उनकी हर प्रकार की कठिनाइयों के बारे में सोचकर सरकार से मदद लेता रहेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं केन्द्रीय सरकार हिल एरियाज के विकास के लिए इन बोर्डों को ज्यादा से ज्यादा धन दे जिससे वहां पर पूरी तरह से विकास कार्य किए जा सकें। इसमें मैं एक चीज और चाहता हूं कि वहां के लोगों में काटेज इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जायें, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के साधन दिए जायें और पावर-प्लांट्स हर हिल स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा

लगाए जायें । इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद करे । वहां के जो नवयुवक हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए काटेज इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन का प्रावधान किया जाए और उन काटेज इण्डस्ट्रीज में जो सामान तैयार हो, उसके लिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसको एक्सपोर्ट करने के प्रबन्ध किए जायें ताकि वहां पर फारेनर्स भी एट्रैक्ट हो सकें तथा अधिक से अधिक टूरिस्ट वहां पर आयें जिससे फारेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिले । बाहर के लोग आयेंगे तो उनसे कुछ सीखेंगे भी और फायदा भी उठायेंगे । इसलिए मेरी गुजारिश है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हिल एरियाज पर होटल बनाने के लिए जो अन-एम्पलायड नवयुवक हों, जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको लोन दे ताकि बड़ी संख्या में वहां पर होटल बन सकें जिससे वहां पर आने वाले टूरिस्ट्स को सुविधा मिल सके तथा वे वहां पर काटेज इण्डस्ट्रीज की चीजें भी खरीद सकें । इससे हमारे देश की इज्जत दूसरे देशों में बढ़ सकेगी ।

इसी के साथ साथ मैं कुछ फलों के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा । मेरे विचार में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को तेज करने की बड़ी आवश्यकता है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहां पर हर प्रकार की सुविधा मोहैया करे । अच्छे से अच्छे फल पैदा करने के लिए वह सहायता दे तथा फलों की मार्केटिंग का भी वाकायदा इन्तजाम करे ताकि किसान जो भी फल पैदा करें उसको उचित दामों पर बेचकर वे लाभान्वित हो सकें ।

इन शब्दों के साथ माननीय हरीश रावत जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरीश रावत जी ने डेवलपमेंट आफ हिल एरियाज के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं सबसे पहले तो प्लानिंग मिनिस्टर से यह कहूंगा, एक सवाल भी मैंने पूछा था खास तौर से राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की जो अरावली हिल्स हैं जिनमें करीब 8-9 जिले पड़ते हैं उनमें ज्यादातर आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही रहते हैं । आप जानते हैं राजस्थान के आदिवासी इस देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं । उस दिन मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि इन हिल एरियाज को नहीं लिया गया है तो मेरी खास तौर पर गुजारिश है कि ये ऐसे एरियाज हैं जिनको लिया जाना चाहिए और गरीबों के विकास के लिए जो भी काम हो रहे हैं और जो भी सहायता आप कर रहे हैं वह यहां पर मिलनी चाहिए । थोड़े दिन पहले वहां पर प्रधान मन्त्री का दौरा हुआ था, सिरोही जिला और माउन्ट आबू के कुछ गांव उन्होंने देखे थे । वहां पर गरासिया, भील और दूसरी ट्राइबल जातियों के लोगों के घरों में जाकर देखा, तो वहां पर ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन का खाना भी उनके घर में मौजूद नहीं था । तो इस प्रकार की स्थिति है । जो सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित लोग हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तरीके से इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और हमारी सरकार आज जो कुछ भी मदद इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए और गरीबी मिटाने के लिए कर रही है, वे सारी सुविधाएं बड़े पैमाने पर इन लोगों को मिलें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से ये जो ऐसे जिले हैं जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही है और उसके बाद जोधपुर और भीलवाड़ा भी है और उधर बूंदी और कोटा है, ये ऐसे इलाके हैं, जहां पर ट्राइबल लोग बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं और ऐसे इलाकों को निश्चित तरीके से इस प्लान के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए और

उसके बाद वे सब सुविधाएं, जो आप हिली एरियाज को दे रहे हैं, इन लोगों को मिलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन यह है कि आज जितने भी विकास के काम किये जा रहे हैं और जो मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है, वह मदद ठीक तरीके से उनके पास नहीं पहुंच रही है और इसके सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इस तरीके से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको चाहे जानवर देकर, चाहे जमीन देकर, चाहे कुएं खुदवा कर या पम्पसेट लगा कर या अन्य प्रकार की काटेज या स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए काफी बड़ी सहूलियत देने की बात आपने की है मगर वह उन तक पहुंच रही है या नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मुझे हवाई यात्रा के लिए जाना है इसलिए मुझे जाना होगा। सदन की अनुमति से मैं श्री मूलचन्द डागा से अनुरोध करूंगा कि जब तक उपाध्यक्ष के पेनल से कोई पीठ ग्रहण नहीं करता तब तक वह पीठ संभालें।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

3.41 म०प०

[श्री मूलचन्द डागा पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : चेयरमैन साहब, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और जो राजस्थान के हिली एरियाज में रहते हैं, क्या उन तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो सर्वे कराया गया था कई इंस्टीट्यूशन्स की तरफ से, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि सब्सीडी का वितरण जो बैंकों या अन्य प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है, बैंक के अधिकारी लोग या ब्लाक डेवलपमेंट के लोग यह समझते हैं कि इनको मुफ्त का पैसा मिल रहा है और मुफ्त के पैसे को जितना चाहे बटोर लो। इस चीज को रोकना होगा। अभी थोड़े दिन पहले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछा था। उन्होंने एक बैंक के बारे में कहा कि फलां बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा है। इस पर मैंने यह जानकारी चाही थी कि वह कौन सा बैंक है जो अच्छा काम कर रहा है। क्या गरीबों को सब्सीडी ठीक प्रकार से उपलब्ध हो रही है। इन लोगों की गरीबी अगर मिटानी है, तो इन लोगों का सारा शेयर जो दूसरे लोग हड़प जाते हैं, इसको रोकने के लिए माकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस चीज को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार योजना इसलिए बनाती है कि गरीब लोगों को लाभ मिले और उनकी आमदनी बढ़े, उनका लिविंग स्टेंडर्ड बढ़े और इसके सम्बन्ध में सारे प्रावधान किए गए हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम भी इसलिए बनाया गया था। इनका सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है और ठीक से मानीटरिंग हो रही है या नहीं, इसके सम्बन्ध में क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की है, जिससे मालूम पड़ सके कि गरीब लोगों को उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं। इस चीज को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब इसको ठीक प्रकार

से देखा जाएगा और मानीटर किया जाएगा, तभी इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा। हमारी कांग्रेस ने और श्री राजीव गांधी ने पावर्टी को आने वाले समय में समाप्त करने या कम करने की व्यवस्था की है। तभी यह काम हो पाएगा। अगर आपने इन अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया और यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि जो सुविधाएं वहां के लोगों के लिए पहुंचाई गई हैं वे उनको ठीक प्रकार से मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, काम सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं तो यह सारी योजना पूरे तरीके से कामयाब नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। ये सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से लोगों तक तभी पहुंच सकती हैं। इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

तीसरा मेरा कहना यह है कि राजस्थान में खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और ये सारे हिली एरियाज में हैं। सेंड स्टोन वहां पर बड़े पैमाने पर मिलता है जिससे चूना और सीमेंट बनता है। अगर इसके लिए फैक्ट्री स्थापित की जाए तो निश्चित तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए चाहे कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इन सारे जिलों में बड़े पैमाने पर सेंड स्टोन उपलब्ध है और कुछ जगह सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर इनको स्थापित करने की आवश्यकता है। आपने बड़ी लाइन कोटा चित्तौड़ ब्राडगेज निकाली है, उसके पीछे भी मंशा यही थी कि कोटा से लेकर मध्य भारत का मंदसौर जिला भी इसमें आता है, यहां पर सेंड स्टोन बड़े पैमाने पर निकलता है और उसका इतना डिपाजिट है इन क्षेत्रों में कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना बहुत आवश्यक है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलेगा। फैक्ट्री में तो थोड़े लोगों को काम मिलता है, हजार-पांच सौ लोगों को, लेकिन जो माइनिंग एरिया होता है, उसमें हर एक इण्डस्ट्री के साथ सीमेंट कारखाने से 5 हजार से लेकर 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इतने बड़े पैमाने पर पत्थर निकाला जाता है फैक्ट्री के लिए। इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए इन बातों के सम्बन्ध में खासतौर से इस एरिया को जो कि हिली एरिया है, इस तरह की इण्डस्ट्री देने के लिए जांच करवाई जाए और सेंड स्टोन बेस्ड इण्डस्ट्री वहां स्थापित करवाई जाए। कितने शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है और उससे उनकी गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सकती है, इसका पता लगाया जाए। इस व्यवस्था की खासतौर से वहां पर आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन यह है राक फास्फेट के बारे में जो कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। इससे खाद बनता है। उदयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में खासतौर से राक फास्फेट बड़े पैमाने पर निकलता है। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार का फास्फेट उपलब्ध होता होगा। राजस्थान सरकार वहां पर थोड़ा बहुत राक फास्फेट निकाल रही है, लेकिन उसकी खपत बहुत कम है। उसकी पूरी खपत नहीं हो पाती। अगर फास्फेट के उपयोग के लिए वहां पर इण्डस्ट्री, खाद कारखाने की स्थापना हो जाए तो निश्चित तरीके से राक फास्फेट का बहुत लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। उस डिपाजिट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है और उसमें हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में यह व्यवस्था की जा सकती है और इससे लोगों को रोजगार-धंधा उपलब्ध हो सकता है। इस व्यवस्था की निश्चित तरीके से बहुत बड़ी आवश्यकता है। (व्यवधान)

डागा जी आप कुर्सी पर बैठते ही घंटी बजाने लगे।

सभापति महोदय : व्यास जी आप 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर रोज के लिए आपको ये कुर्सी मिल जाए तो क्या हाल होगा ?(**व्यवधान**)

मैं तो आप ही के हित में राजस्थान के हित में बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अच्छी बात कह रहे हैं, आप 5 मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माइका के बारे में कहना चाहता था कि माइका बिहार, आंध्र-प्रदेश में निकलता है और तीसरा राजस्थान के अन्दर भीलवाड़ा में निकलता है और इस पर आधारित कारखाना यहां पर स्थापित होना चाहिए। माइका पेपर का कारखाना बिहार में स्वीकृत हो चुका है और आंध्र प्रदेश में भी इसके सम्बन्ध में स्वीकृति हुई है। हमारे यहां का माइका किसी काम नहीं आ रहा है और खासतौर से जो वेस्ट है वह बरबाद जाता है और उसकी वजह से खेत खराब होते हैं। अगर यह पेपर कारखाना स्थापित हो जाए तो उस क्षेत्र के शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार धंधा मिल सकता है। इस व्यवस्था को रोकने की बहुत आवश्यकता है। आज बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में मारबल निकल रहा है। यह मारबल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर में निकलता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बढ़िया किस्म का निकलता है। यहां पर जो मारबल निकलता है वह हरा, पीला, आसमानी या दूसरे रंगों का निकलता है। तरह-तरह का मारबल इस ट्राइबल एरिया में उपलब्ध है। प्राइवेट या पब्लिक सैक्टर में यहां पर मारवल से संबंधित एक कारखाना लगाया जाए। ऐसी व्यवस्था होने से लोगों को रोजगार मिलेगा।...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मेहरबानी करके विषय पर ही बोलिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। यहां पर जो हिली एरियाज हैं, उनमें खनिज पदार्थ निकलते हैं। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर खड़िया मिट्टी, क्वाट्स, कापर, जिंक और कई प्रकार के धातु निकलते हैं। माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इनका बहुत बड़ा डिपाजिट भीलवाड़ा में निकला है। रामपुरा, अगुचा जो भीलवाड़ा जिले में हैं, वहां पर यह डिपाजिट निकला है। एशिया में इतना कहीं भी नहीं है। पचवर्षीय योजना में जिंक के उत्खनन करने का प्रावधन किया गया है, उसके साथ ही साथ यहां पर जिंक स्मैलअर प्लान्ट अगर लगा दिया जाए तो उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तीस-चालीस किलोमीटर के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर डिपाजिट निकले हैं। इसलिए निश्चित तरीके से व्यवस्था करने की जरूरत है। जितने भी खनिज पदार्थ राजस्थान में निकलते हैं, अगर उनसे संबंधित कारखाने स्थापित किए जाएं तो वहां का विकास तेजी से होगा और वे गरीब लोग जिनकी हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, उनको रोजगार मिल जायेगा और बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस की नीतियों और हमारे नेता राजीव जी की इच्छा पूरी होगी। इस प्रकार इन एरियाज के डवलपमेंट के लिए आपके बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। प्लानिंग कमीशन जब तक इसके संबंध में स्वीकृति नहीं देता तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। हमारे यहां सारे काम इसी वजह से रुके हुए हैं। ये क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए, अगर

कोई कमी है तो निश्चित तरीके से प्राथमिकता दी जाए ताकि उन क्षेत्रों का अधिक से अधिक डवलपमेंट हो सके और वहां के लोग आर्थिक तौर पर सम्पन्न हो सकें और अपने पांवों पर खड़े हो सकें। मुझे आशा है, आप मेरे इन विचारों पर पूरे तरीके से गौर करेंगे जिससे वहां की व्यवस्था सुधर सके और वहां के लोग आर्थिक तौर पर आगे बढ़ सकें।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला): सभापति महोदय, आपको अध्यक्षपीठ पर देखकर बहुत खुशी होती है।

मैं श्री रावत के संकल्प का समर्थन करता हूं जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है तथा जब मैं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए तर्क देता हूं तो मैं भारत के सभी पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखता हूं जो जम्मू और कश्मीर का पड़ौसी राज्य है। मैं नहीं कहता कि जम्मू और कश्मीर में कुछ नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार को इसका बहुत श्रेय जाता है लेकिन मैं वह बात दोहराना चाहता हूं जो मैंने इस सदन में कई बार कही है कि हमारे पास जम्मू और कश्मीर में कोई सरकारी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। महोदय आपके माध्यम से मैं यहां अब माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाता हूं कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी ने यहां एक प्रश्न के उत्तर में मुझे ये आंकड़े दिए हैं। मेरा यह प्रश्न था कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है, जम्मू और कश्मीर के हिस्से का क्या प्रतिशत था और यह उत्तर था। पिछले 30 वर्षों के दौरान लगभग 25,550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और जम्मू तथा कश्मीर का हिस्सा 0.06% था। यह केवल 7 करोड़ रुपए है जो श्रीनगर के पास एच०एम०टी० इकाई को लगाने में खर्च किया गया था। अतः जम्मू और कश्मीर में हमारे पास कोई सरकारी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। जब हम पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय आपके पास पृष्ठभूमि में यह बातें होनी चाहिए कि हमारे पास कोई सरकारी क्षेत्र का उद्योग नहीं है।

3.56 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इसके अलावा दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास ऐसी सरकार है जिसका लंबे समय से सापेक्ष महत्व नहीं है। यह अस्तित्व में आई क्योंकि** --और वह सरकार महसूस करती है कि भय की तलवार उनके ऊपर लटक रही है तथा इसलिए लोग उन्हें किसी भी समय सत्ता से हटा देंगे। इस काल के दौरान वे राज्य को अगणनीय हानि पहुंचा रहे हैं क्योंकि वे बिना किसी सापेक्ष महत्व, बिना किसी दीर्घकालीन योजना से सरकार चलाते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विकास के लिए अपेक्षित धन के लिए केन्द्रीय सरकार से कहने के लिए उनके पास साहस नहीं है।

सभापति महोदय इस पृष्ठभूमि में, मैं एक ठोस तर्क देता हूं और यहां इस महान् सभा के सभी सदस्यों का मुझे समर्थन प्राप्त होगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रानिक उद्योग

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रमुख उद्योग है और इलेक्ट्रानिक उद्योग से प्रदूषण भी नहीं होता है। यदि केन्द्रीय सरकार अवसर का लाभ उठाए तो हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां इस उद्योग को लगाया जा सकता है। इस समय पर्यटन ने बहुत आकर्षण प्राप्त किया है और मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि हाल ही में श्री भगत ने कहा कि वह अवसर का लाभ उठायेंगे तथा उस राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि हम पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं तथा यदि आप इन 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि निकाल दे तो हम पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रानिक उद्योग जो प्रमुख उद्योग है और जिन्हें थोड़ी पूंजी से लगाया जा सकता है इसलिए उन्हें पहाड़ी क्षेत्र के दूरस्थ कोने में स्थापित कर सकते हैं और वे उद्योग कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। मैं यहां अपने राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ठोस तर्क देने के लिए खड़ा हूं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी वे स्थापित किये जाने हैं।

जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है मैं पूरे संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं नहीं जानता कि जब आप यह संकल्प पारित करते हैं तो क्या होगा। क्या माननीय मन्त्री इस अवसर के अनुरूप सिद्ध होंगे तथा यह कहेंगे कि वह इस संकल्प के अनिवार्य तत्वों को स्वीकार करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे ? क्या वह यह भी कहेंगे कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वह इसे प्रधानमन्त्री के ध्यान में लाएंगे क्योंकि हमारे युवा तथा गतिशील प्रधानमन्त्री भी इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना में दिलचस्पी रखते हैं। अत: मैं इस संकल्प को पूरा समर्थन देता हूं। यह संकल्प बताता है कि सम्बन्धित मन्त्रालयों में पहाड़ी क्षत्र विकास के जिए एक कक्ष (सेल) होगा। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा और यह कहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद् या इसी तरह की कुछ चीज होगी। हमारे पास प्रत्येक मन्त्रालय में इकाई नहीं हो सकती। परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय हो सकता है जो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर निगरानी रख सकता है और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग या कुछ अन्य उद्योगों जो प्रमुख उद्योग हैं उनको स्थापित करने का निर्णय ले सकता है।

संकल्प के भाग (ग) में कहा गया है कि एक विशेष ऊंचाई के बाद उद्योग स्थापना हेतु परिवहन और निवेश में राजसहायता दी जाए। समग्र रूप से जम्मू और काश्मीर राज्य एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो दूर-दराज स्थित हैं और उन तक पहुंचना नहीं हो पाता है। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, श्री गुलाम नबी आजाद, जोकि यहां उपस्थित हैं, को याद दिलाना चाहता हूं कि वे वाशिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उन्हें अपने जिले 'डोडा' को नहीं भूलना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काफी दूर स्थित हैं, जैसे—बावता, वालेजा, मड, किश्तवार, दोडू, बसंतगढ़, मध, गुरेज, तुलिल, करनाह आदि ये क्षेत्र पहाड़ी राज्य में हैं। यहां तक कि लद्दाख, कारगिल, लेह जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन और निवेश में काफी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैं श्री रावत को ऐसा संकल्प पेश करने पर बधाई देता हूं। मैं हार्दिक रूप से खण्ड (ग) का समर्थन करता हूं।

4.00 म०प०

श्रीमन्, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा, क्योंकि इस संकल्प पर पहले ही यहां कई बार काफी चर्चा हो चुकी है। मैंने इसलिए यह आंकड़े उद्धृत किए हैं, क्योंकि मैं अपने भाषण में असंगति नहीं लाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं उन्हें भूतपूर्व वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये आंकड़े उद्धृत करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र

के उद्योगों पर खर्च किए गये 25,550 करोड़ रुपयों में हमें केवल उसका 0.06% प्राप्त हुआ। तो वे इस बारे में कुछ करें। वे जानते हैं कि राज्य के पर्यटन उद्योग को धक्का लगा है। हमारे लघु और ग्रामीण उद्योग पर्यटन पर ही निर्भर हैं और जब पर्यटक ही हमारे इन उद्योगों द्वारा बनाये गये कालीन, हस्तशिल्प या पेपर-मशीन का सामान नहीं खरीदते हैं तो उन पर बुरा असर पड़ रहा है, वे डावांडोल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा भाग बहुत कम है। आज मैंने आपके ध्यान में यह बात ला दी है और जब आप उत्तर दें तो क्या मुझे आश्वासन देंगे कि आप जम्मू और काश्मीर में इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करेंगे और राज्य के बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देंगे?

श्री जी० एस० बसवराज* (तुमकुर) : सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री हरीश रावत द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और वहां रह रहीं विभिन्न जनजातियों के रहने की स्थिति में सुधार के बारे में पेश किए गए संकल्प का स्वागत करता हूं।

कश्मीर क्षेत्र में कई प्रकार के लोग पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। इसी प्रकार फ्रन्टियर और दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में भी विभिन्न जनजातियां रहती हैं। कर्नाटक में नीलगिरी, वीलीगीरी, रांगना, महादेश्वर आदि महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां सोलीगा, कादूकुरुबस, जेनुकुरुबस आदि जनजातियां पाई जाती हैं।

उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष योजना है, लेकिन दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए पश्चिम घाट विकास योजना नाम की एक योजना है। दुर्भाग्य से इस योजना से कोई लाभ नहीं हुआ है। यह योजना संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही है। यह राज्यों और केन्द्र दोनों की ही जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आबंटित राशि का सही उपयोग हो। केन्द्र को ऐसी योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि राज्यों के पास कम वित्त उपलब्ध है।

कर्नाटक में 'सोलीगा' जनजाति नीलीगीरी रंगा पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। वे आज भी 200 वर्ष का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे घने जंगलों में रहते हैं और अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते हैं।

कर्नाटक के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य जनजातियां, जैसे—कादुकुरुबस, जेनुकुरुबस, हेल्लीक्यापा, सिल्लीक्यापा आदि रहती हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि ये जनजातियां कैसे रह रही हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि पश्चिम घाट विकास योजना ने इन अभागे लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। केन्द्र और राज्य दोनों ने इनकी अनदेखी की है।

जेनुकुरुबस लोग पहाड़ों से शहद एकत्रित करके दूर-दराज के गांवों, कस्बों में इसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस शहद से इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। उन्हें शायद दो रु० प्रति किलोग्राम की दर से पैसे मिलते हैं। लेकिन इसी शहद को नगरों में 40 रु० प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। शोषक बिचौलियों ने इन जनजातीय लोगों को भी नहीं बख्शा है। इन लोगों के जनजातीय जीवन को समझना और उनको ऊंचा उठाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इसी प्रकार के जनजातीय लोग महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। हाल ही में जब्बर पटेल द्वारा

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बनाई गई मराठी फिल्म 'जयतारे जेत' में 'जेनुकुरुबस' के जन-जीवन को काफी अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया था। इन आदिवासियों की तरफ केन्द्र और राज्यों को पूरा ध्यान देना चाहिए।

श्री हरीश रावत ने अपने संकल्प में इन लोगों के पुनर्वास के लिए अनुरोध किया है। उन्हें आवास सुविधाओं की सख्त आवश्यकता है। अभी वे झाड़ियों, गुफाओं और घने जंगलों में पेड़ों पर रह रहे हैं। आदिवासियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आदिवासियों के जनजीवन पर फिल्मों का निर्माण कर, उन्हें दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। सोलिगा समुदाय में जन्म दर में तेजी से कमी आ रही है। इनमें से कई बीमारियों द्वारा मारे जाते हैं। अगर यही सब जारी रहा तो निकट भविष्य में ये जनजातियां लुप्त प्राय हो जायेंगी।

इन जनजातियों की पहचान कर, उन्हें किसी उद्योग में लगाया जाना चाहिए। वे बांस के अच्छे हस्तशिल्प बना सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनको अपने सामान को बेचने के लिए विपणन सुविधाएं दी जानी चाहिए और बिचौलियों द्वारा किये जा रहे शोषण जो समाप्त किया जाना चाहिए।

जैसा कि प्रो० सोज ने सुझाव दिया है कि इन आदिवासी लोगों को सहायता प्रदान देने के एकमात्र उद्देश्य से इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। दूर-दराज के जंगलातों में रहने वाली इन जातियों के लिए परिवहन सुविधाएं दी जानी चाहिए। वे घने जंगलों में रह रहे हैं। उनको परिवहन सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए और अन्य परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम-उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और इन रेशमी उत्पादनों की बिक्री के लिए सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की जानी चाहिए। अन्यथा फिर बिचौलिये सारे लाभ को समेट जायेंगे। शहद-उत्पादन के क्षेत्र में भी इन आदिवासियों को सहायता दी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्राकृतिक स्त्रोत उपलब्ध हैं। इन आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्राकृतिक सम्पदा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य भागों में एक विशेष प्रकार के दल के लोग रहते हैं। उन्हें 'बुडा-बुडिके' नाम से जाना जाता है। वे खानाबदोश लोग हैं। उनके पास रहने को मकान नहीं हैं और वे एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते रहते हैं। अन्य आदिवासियों की तरह इन लोगों की भी सरकार को हर प्रकार से सहायता देनी चाहिए। उन्हें आवास सुविधाएं दी जानी चाहिए। सबसे पहले आवास कालोनियां स्थापित की जानी चाहिए। फैक्ट्रियां स्थापित की जानी चाहिए। उन्हें चिकित्सा, कपड़े और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए। उन्हें सभ्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें हमारे बीच मानवों की तरह रहना चाहिए। उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए केन्द्र और राज्यों को उन्हें उदार दरों पर वित्तीय सहायता देनी चाहिए। यहां मैं माननीय मन्त्री जी के विचारार्थ एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग परिषद् का गठन किया जाए। पश्चिम घाट विकास योजना से इन आदिवासी लोगों को बिल्कुल भी सहायता नहीं मिल रही है। अत: अलग-अलग परिषद् का गठन आवश्यक है। इन परिषदों का अध्यक्ष कोई समर्पित समाजसेवी होना चाहिए। इन मामलों में राजनीतिज्ञों को नहीं लाना

चाहिए। इन निर्दोष आदिवासियों की सहायता के लिए सहकारी सोसाइटियों का गठन किया जाना चाहिए।

आदिवासियों को ऊंचा उठाने के लिए जिस धनराशि का प्रावधान किया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, मैं इस बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। करोड़ों रुपये के खाते दिखाये जाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता, यह राशि कहां व्यय की जाती है? अतः इस राशि का दुरुपयोग करने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। श्री रावत ने भी अपने संकल्प में सुझाव दिया है कि अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय जनजातीय समुदाय के उत्थान और उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, मैं, श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। इस सभा में पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है परन्तु इस समय इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोग यह समझते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका हमेशा शोषण करते रहे हैं। हमने देखा है कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत ही कम अवसरों पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। वे सैर-सपाटे अथवा मात्र आनन्दमय समय व्यतीत करने के लिए वहां जाते हैं। परन्तु उन्होंने वहां के लोगों के विकास के सम्बन्ध में नहीं सोचा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम पहाड़ी क्षेत्रों से क्या-क्या प्राप्त करते हैं। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के बिना मैदानी क्षेत्रों के लोग जीवित नहीं रह सकते।

पहाड़ी क्षेत्रों से चाय, सिनकोना, औषधि युक्त जड़ी-बूटियां, मूल्यवान वृक्ष, मसाले, फल और क्या-क्या हम वहां से नहीं प्राप्त करते। ये सभी वस्तुएं देश के पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं तथा वहां पर कार्यरत लोगों के अपने रिवाज हैं, उनकी अपनी संस्कृति है जो देश के बाकी क्षेत्रों से भिन्न है। परन्तु जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वे कभी नहीं सोचते कि ये लोग भी भारतीय हैं और उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः जो लोग देश की समृद्धि के लिए कार्यरत हैं, जो हमें औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमें काफी मात्रा में फल दे रहे हैं, जो हमें मूल्यवान वृक्ष उपलब्ध करा रहे हैं और उनके बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, हम उन लोगों के विकास के लिए क्या करते हैं? जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम सिर्फ पहाड़ों की ही अथवा वृक्षों की ही बात नहीं करते बल्कि हम वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में, जो वहां पर कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बात करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सभी अच्छे महाविद्यालय, स्कूल तथा सभी रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण स्कूल मैदानी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। अतः कुछ समय के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अध्ययन के लिए मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता है और बहुत ही कम लोगों को मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल पाते हैं। उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। जब कभी भी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग दिल्ली आते हैं तो उनसे पहले पूछा जाता है, 'वे कहां से आये हैं' और अगर वह कहता है कि वह अमुक पहाड़ी क्षेत्र से आया है तो वे समझते ह कि वह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, तथा यह यहां कैसे आ सका है?' यह बात है।

उन्हें कभी भी निर्णय लेने वाले पदों पर नहीं लगाया जाता है। वे हमेशा ही उपाध्यक्ष, सचिव अथवा उप-सचिव या ऐसे किसी अन्य पद पर नियुक्त होते हैं। जब कोई उच्चतम पद या निर्णय लेने सम्बन्धी पद होते हैं तो समझा जाता है कि पहाड़ के लोगों के पास उस पद के उपयुक्त बुद्धि नहीं हो सकती। अतः पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी विकास परिषदों अथवा ऐसे अन्य निकायों में बहुत से सदस्य मैदानी क्षेत्रों के हैं और पहाड़ी क्षेत्रों का एक भी व्यक्ति उनमें नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में जन-जाति के लोग भी रहते हैं। इन जन-जाति के लोगों को भी कभी भी जिम्मेदारी वाले पदों पर नहीं लगाया जाता है। अतः, महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास-कार्य पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सौंपा जाना चाहिए तथा उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए – अर्थात् उस क्षेत्र के लोगों को जो उनके रिवाजों से अवगत हों, उनकी भाषा जानते हों, जो उनकी संस्कृति को जानते हों तथा जो उनके रहने-सहने के ढंग से अवगत हों, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के लोगों के दिल में इन बातों की कोई कद्र नहीं होती है। केवल, जब कभी पहाड़ी क्षेत्रों में सैर-सपाटे के लिए जाते हैं, उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे पिंजरे में बन्द कुछ लोग हैं और आश्चर्य करते हैं कि ये लोग वहां पानी विद्युत तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं के बिना कैसे जी रहे हैं। 'ये लोग जल कहां से प्राप्त करते हैं।' पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को पेय-जल लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। वे प्रशंसा करते हैं कि 'कितना सादा जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे हैं?' महोदय, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि सरकारी पदों के लिए तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाये। कम से कम उनके अपने क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाना चाहिए ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास मैदानी क्षेत्रों की तरह किया जा सके।

मैं कुछ बातों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमें प्रत्येक बार कठिनाई पेश आती है और ये लोग आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता जाता है। वे कहते हैं, 'वे अपने आपको अन्य लोगों के बराबर न तो सोच सकते हैं और न बन सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, एक अलग भाषा है तथा रिवाज भी अलग हैं जो देश के बाकी भागों से भिन्न हैं।' सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने चाहिए; अन्यथा पहाड़ी क्षेत्रों से मुसीबत पैदा हो सकती है और अगर पहाड़ी क्षेत्रों से मुसीबत आती है तो उसे सम्भालना मुश्किल होगा क्योंकि आप जानते ही हैं, इतिहास भी गवाह है, कि प्रत्येक क्रांति पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू होती है और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग एक बार नाराज हो जायें तो वे सभी नियम-विनियमों को जो हम यहां बना रहे हैं नहीं मानेंगे और उन्हें सम्भालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अतः कृपया सावधानी बरतें।

इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सीमा क्षेत्र भी आ जाते हैं। सीमा क्षेत्रों को बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए तथा उनका काफी अधिक विकास किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य देशों की ओर से उन्हें लालच दिया जाता है। सीमा क्षेत्र होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के साथ बहुत ही विशेष व्यवहार की आवश्यकता है। छोटा-नागपुर, संथाल परगना तथा उड़ीसा और मध्यप्रदेश के क्षेत्र तथा असम, मेघालय, नागालैंड आदि सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं और आप जानते हैं कि वहां के लोग बहुत ही सरल हैं! वे झूठ नहीं बोल सकते। वे दूसरों को धोखा नहीं दे सकते। अतः उन्हें ऐसा समझा

जाता है जैसे 'बेवकूफ ये नहीं जानता है'। उनकी सरलता के कारण उन्हें धोखा देना, उनका शोषण करना तथा अपनी सुख-सुविधा के लिए जो चाहिए वह उनसे प्राप्त कर लेना मैदानी लोगों के लिए आसान होता है।

महोदय, हम पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत सारी मूल्यवान वस्तुयें प्राप्त कर रहे हैं परन्तु हम अपनी तरफ से उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। अतः यह एक बहुत ही अच्छा संकल्प है और समय आ गया है कि सरकार इस पर विचार करें और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को भी प्रशासन में तथा निर्णय लेने वाले पदों में समान शक्तियां दें न कि उन्हें मात्र अधीनस्थ स्थिति में रखे। पर्वतीय लोग अपने क्षेत्रों से अवगत हैं, अपनी संस्कृति से अवगत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के रहन-सहन तथा रिवाजों से परिचित हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों के समूचे विकास का उत्तरदायित्व पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सौंपा जाना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : वास्तव में हम जनजातियों की समस्याओं तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। अतः मैं भी अपने अन्य मित्रों से, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है, सहमत हूं।

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिकतर जनजातियों के हैं। ये जनजाति के लोग राष्ट्र विकास में लगे हुए हैं। वे बड़ी लगन से राष्ट्र विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे हमें शहद उपलब्ध करा रहे हैं, वे हमें लकड़ी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा, वे हमें फल उपलब्ध करा रहे हैं। वे हमें बहुत ही अच्छा पर्यावरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम छुट्टियों में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों के सुन्दर दृश्यों का आनन्द लेते हैं। कि हम पर्वतीय क्षेत्रों से शहद तो चूस रहे हैं लेकिन फलों के छिलके उनकी तरफ फेंक रहे हैं। वास्तव में यह भेद-भाव है जो मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विद्यमान है। जब तक यह असमानता रहेगी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि एक न एक दिन, हो सकता कल ही पड़ोसी देशों द्वारा उनका अनुचित लाभ उठाया जायेगा क्योंकि वे लोग हमारी देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के स्थानों पर रह रहे हैं। उदाहरण के लिए, सिक्किम को ले सकते हैं। सैनिक दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कल ही, अगर कोई विदेशी जाकर उनका इस उपेक्षा के कारण अनुचित लाभ उठाता है तो निश्चित ही हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अतः, यह एक गम्भीर मामला है। हमें देखना चाहिए कि वहां पर चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो तथा यह असमानता समाप्त हो। अन्यथा हमें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जहां तक उनके खेती सम्बन्धी दिन-प्रतिदिन काम का सम्बन्ध है, मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह वहां पर औषधि युक्त पौधे उगाने की योजना बनाये क्योंकि ऐसे पौधे वहां पर सरलता से उगाये जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का पर्याप्त मात्रा में विकास किया जा सकता है। हवाई-जहाजों द्वारा बीज छिड़कने का आधुनिक तरीका प्रयोग करके पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष उगाये जा सकते हैं। यह रही एक बात।

दूसरी बात जिसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं वह है दूर-संचार प्रणाली तथा परिवहन। इनके सुधार की काफी गुंजाइश है। हाल में ही, मैं सिक्किम गया था। पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र से जाते समय बहुत कठिनाई पेश आती है। बागडोगरा से सिक्किम तक सड़क द्वारा कठिन यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में मैंने लोगों से पूछा था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक सिगरेट के लिए एक रुपया देना पड़ता है। उन क्षेत्रों में ठण्ड के कारण धूम्रपान करना आवश्यक होता है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति धूम्रपान करता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि वहां के जीवन की क्या परिस्थितियां हैं। वे एक सिगरेट के लिए एक रुपया दे रहे हैं। अतः सिगरेट के एक पैकेट की कीमत 10 रुपये पड़ती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने बताया कि ऐसा परिवहन समस्या के कारण है। वहां पर दोनों तरफ भू-स्खलन होता है। बागडोगरा से हमें सिक्किम के आंतरिक क्षेत्र में जाने के लिए छः घंटे लगे। इन परिवहन समस्याओं तथा समुचित दूर-संचार सुविधाओं की कमी के कारण ये क्षेत्र कभी-कभी बाहर के संसार से अलग कट जाते हैं तथा अकेले पड़ जाते हैं। मैंने देखा कि भू-स्खलन के कारण बहुत से टेलीफोन खम्भे गिर गये और संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। यह स्थिति है वहां की। अतः, महोदय, मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह इन क्षेत्रों में अच्छी संचार तथा दूर-संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए आगे आये इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता दर्शाने वाले कार्यक्रम दिखाने के लिए सरकार को विशेष दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने चाहिए और उन्हें विश्व के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उनको भी पता लगे कि आगे उनके क्षेत्र के बाहर क्या कुछ हो रहा है। अंत मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह यह देखे कि इन दूर-दराज के तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर विशेष दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दिखाया जाए।

महोदय, इन क्षेत्रों में, पर्यावरण बहुत अच्छा है; इन क्षेत्रों का वातारवण बहुत ही स्वच्छ व शांत है। हम सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अब, क्योंकि लोग अनपढ़ है, वे किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो सकते हैं। इन क्षेत्रों को इन सब बातों से बचाना चाहिए। इसके अलावा, महोदय, वे कभी सरकार के पास सहायता का अनुरोध लेकर नहीं आते हैं। वे चुप रहते हैं। अगर केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों की उपेक्षा करता है तो कल पड़ोसी राष्ट्र उनसे अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अतः अपने देश की सुरक्षा व एकता के हित में सरकार को वहां और अधिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने चाहिए तथा सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य भी अपने हाथ में लेना चाहिए। केवल तभी आप इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति तथा विकास की आशा कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पश्चात् मैदानी क्षेत्रों के लोग भी वहां के शांत वातावरण में जाकर पढ़ सकते हैं तथा वे भी अपने अध्ययन के लिए अधिक समय दे सकेंगे। इस प्रकार से इन क्षेत्रों के लोग अधिक ज्ञान अर्जित कर सकेंगे तथा आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं सुझाव दूंगा कि इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य आधुनिक उद्योग लगाने की बजाय हमें वहां पर अधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना पर विचार करना चाहिए क्योंकि वहां पर लोग कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन को सरलता से ग्रहण कर सकेंगे। उन्हें शायद आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के तरीकों की जानकारी न हो। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की असमानता को नहीं बढ़ने देना चाहिए। अन्यथा यह देश के लिए बहुत ही घातक होगा।

स्वास्थ्य के प्रश्न पर, इन महान सदन के समक्ष रखने के लिए मेरे पास कुछ बातें हैं। महोदय, हाल में ही मैं गंगटोक गया था। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर तथा स्वास्थ्य स्थितियों की दशा देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। अकेले सिक्किम में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा, मुझे पता चला है कि चिकित्सकों को वहां 660/- रुपये मासिक मूल वेतन दिया जाता है।

मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों मे रहने वाले डाक्टरों के वेतन-मानों में बहुत अंतर है। हमारे राज्य में अर्थात् कर्नाटक में, एक डाक्टर को 1200/- रुपये मूलवेतन के रूप में दिये जाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन स्थानों में डाक्टरों को इतना कम वेतन दिया जाता है। यदि यह अन्तर बना रहा तो आप उनसे अच्छी सेवा की आशा कैसे कर सकते हैं ? इसलिये स्वास्थ, कृषि आदि के स्तर पर बने हुए अन्तर को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिये। अन्यथा इससे इस देश में अनेक समस्यायें पैदा हो जायेंगी।

इसके अलावा, महोदय पानी पहाड़ों से नीचे बहता है। इस जल को प्रदूषित होने दिया जाना चाहिये। इन स्थानों में बरमा कुओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे कि वहां के लोगों को भूमिगत पानी प्राप्त हो सके जो प्रदूषित नहीं होता है। कर्नाटक में लोगों को बरमाकुओं से पानी मिलता है जिससे वहां के लोग भूमितग स्तर स्वच्छ जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम संचारी रोगों आदि को फैलने से रोक सकते हैं। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिये सरकार को युद्ध-स्तर पर कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

*श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (आमालापुरम) : सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प एक महत्वपूर्ण संकल्प है। सरकार को पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए और अधिक रुचि दिखानी चाहिए।

महोदय, सरकार ने अभी तक देश के केवल उत्तरी भागों—जैसे सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को मान्यता दी है। सरकार ने दक्षिण के अनेक पहाड़ी इलाकों को मान्यता देने में उपेक्षा की है। पूर्वी घाटों और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अनेक पहाड़ी इलाके हैं। इसलिये पहाड़ी इलाकों के सभी विकास कार्यक्रम केवल उत्तरी राज्यों तक ही सीमित रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दक्षिण, विशेषकर आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को मान्यता दी जाये और इन इलाकों को भी विशेष सहायता दी जाये और अन्य विकास कार्यक्रम इन इलाकों में भी चलाये जायें। मेरे राज्य में अनेक पहाड़ी इलाके हैं; जहां अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के अन्य लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति के ये लोग पहाड़ी इलाकों में बहुत परिश्रम से, कठिनाई से तथा जोखिम उठाकर फसलें उगाते हैं। किन्तु चूंकि यहां कोई बाजार नहीं है; जहां वे लोग अपने कृषि उत्पादों को बेच सकें अत: उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उन क्षेत्रों में परिवहन की कोई सुविधा नहीं है; इसलिए इन जनजातियों के लोगों को अपनी उपज की बिक्री के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। ये बिचौलिए वास्तव

*मूलत: तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में इन गरीब जनजातियों के लोगों का रक्त चूस रहे हैं। इसलिए, सरकार को इन पहाड़ी इलाकों में परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने तथा जनजातियों की स्थिति सुधारने के लिए इन बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन पहाड़ी इलाकों में विपणन सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायें जिससे कि जनजाति के लोग अपने उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेच सकें। जनजाति के लोगों को बिचौलियों की दया पर अब बिल्कुल न छोड़ा जाए।

महोदय, मेरे राज्य के पहाड़ी इलाकों को अब तक मान्यता नहीं दी गई है। मेरे राज्य में पार्वतीपुरम् पदेरु, भद्राचलम आदि जैसे अनेक पहाड़ी इलाके हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन पहाड़ी इलाकों को तत्काल मान्यता दी जाए और वहां सभी प्रकार की विकास सहायता प्रदान की जाए। अब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश इन कार्यक्रमों का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अत: ऐसा पूर्ण प्रबन्ध किया जाए जिससे कि पहाड़ी इलाकों के आर्थिक विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ इन लोगों को मिल सके। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई समुचित सरकारी तंत्र नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को विशेष रुचि लेनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों का लाभ इन लोगों को प्राप्त हो सके।

महोदय, आंध्र प्रदेश में खनिज पदार्थों यथा मैंगनीज, अल्युमिना, अभ्रक आदि का विशाल भंडार है जो मुख्यरूप से जनजाति तथा पहाड़ी इलाकों में उपलब्ध हैं। पूर्वी घाटों में मैंगनीज और अभ्रक के भंडार बहुत अधिक हैं। इन भंडारों के दोहन के लिए यदि वहां उद्योग स्थापित किए जायें; तो ये सम्पूर्ण इलाके खुशहाल हो सकते हैं। इन इलाकों में रहने वाले जनजाति के लोगों का जीवन स्तर बहुत सुधर सकता है। मेरे राज्य के इस इलाके में एल्युमिना का कारखाना लगाने का पहले एक प्रस्ताव रखा गया था। किन्तु वहां एल्युमिना कारखाना स्थापित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार राज्य में एल्युमिना कारखाना स्थापित करने की बात केन्द्र से करती रही है। किन्तु आज की तारीख तक केन्द्र इसकी उपेक्षा करता रहा है। पडेरू और अरक घाटी जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए एल्युमिना कारखाना स्थापित करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि इस कारखाने को स्थापित करने के बारे में केन्द्र शीघ्र ही निर्णय लेगा जिससे कि राज्य के इन पहाड़ी इलाकों का विकास हो सके और वहां रह रहे जनजातीय लोगों की दयनीय स्थिति में परिवर्तन हो सके।

महोदय, देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अनेक जलविद्युत परियोजनायें हैं जो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के नाम हैं; मचखन, सीलेरु और श्री सैलम।

इन परियोजनाओं के आस-पास हजारों कर्मचारी निवास करते हैं। उन्हें वहां रहते हुए अब दस वर्ष से अधिक हो गया है। किन्तु इन लोगों को परिवहन, चिकित्सा तथा शिक्षा आदि की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा जीवन बिताने के लिए ये सुविधायें कराई जानी चाहिए। इससे जनजातीय लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी। महोदय, इस अवसर पर मैं पुन: यह अनुरोध करता हूं कि मेरे राज्य के पूर्वी घाटों में बसे भद्राचलम्, पडेरु, चिंतापल्ली, सिलेरु, पार्वतीपुरम् इलाकों

को 'पहाड़ी इलाकों' के रूप में मान्यता दी जाए और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अधीन दी जाने वाली सभी विशेष सुविधायें उन्हें प्रदान की जाए। चूंकि इस इलाके में रहने वाले लोग अधिकतर अनुसूचित जाति और जनजाति के तथा कमजोर वर्ग के हैं, अतः यदि इन इलाकों को पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया जाए; तो इन लोगों को बहुत अधिक लाभ होगा। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि जिन लोगों के लिए ये विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं; उनको इनका लाभ मिलना ही चाहिए। बोलने के लिए मुझे अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया था। हम दो बार समय बढ़ा चुके हैं अब हम छः घंटे पूरे कर चुके हैं। सूची में अभी एक सदस्य और है और फिर मंत्री महोदय को भी बोलना है। अतः हम उसके लिए समय बढ़ायेंगे।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० भिकराम (मंडला) : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य श्री हरीश रावत के संकल्प पर चर्चा हो रही है और मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज है, जिससे कि उनकी तरक्की हो सकती है, वह है आवागमन के साधन। यदि हम देश के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं तो वहां आवागमन के साधनों को विकसित करना बहुत जरूरी है। जब तक वहां आवागमन के साधन नहीं होंगे, तब तक कोई भी विकास का काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए शासन को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के साधन उपलब्ध कराए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी शासकीय सेवक सेवा करने के लिए जाता है, उनके रहने के लिए वहां निवास की व्यवस्था नहीं होती। उसकी वजह से यह होता है कि जिस किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, वह केवल-मात्र अपनी ज्वाईनिंग देकर फिर वापस चला जाता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मंडला जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 डाक्टरों की नियुक्ति की गई, लेकिन वे सब अपनी ज्वाईनिंग देने के बाद वापस अपने घर चले गए और वे स्थान ज्यों-के-त्यों आज भी खाली पड़े हुए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां बैगा जाति के 22 आदिवासी लोग समय पर मदद न पहुंचाए जाने के कारण मर गए। इस ओर मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित कराया था।

अभी इस वर्ष जुलाई से लेकर 10 दिसम्बर तक कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हो गई है। जब बीमारी फैलती है, तो वहां से बीमारी की खबर न तो जिला प्रशासन को मिल पाती है और न कहीं और खबर दे पाते हैं। और अगर जिला प्रशासन को खबर मिल भी जाए, तो भी वहां से वह तुरन्त कोई मदद नहीं दे सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर आने-जाने की सुविधा नहीं है, उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इसलिए वहां आने-जाने की सुविधा दी जानी अनिवार्य है। ताकि इस प्रकार की बीमारी आदि से वहां पर लोगों की मृत्यु न हो।

इसी प्रकार मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्वयं मध्य प्रदेश के मंडला जिले का रहने वाला हूं, मैं अपने जिले की ही बात आपको बताता हूं। वहां पर पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां के लिए जो भी सुविधाएं प्रान्तीय शासन द्वारा अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा उद्योगों

के लिए दी जाती हैं वे सुविधाएं तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उद्योग दूसरे जिले के बार्डर पर जा कर लगाते हैं जिसका फायदा बार्डर के दूसरे जिलों को होता है और उस जिले का कोई फायदा नहीं होता है। महोदय यह मंडला वही क्षेत्र है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किन्तु महोदय वहां पर उद्योग न लगाकर वे लोग बार्डर पर उद्योग लगाते हैं और अपने कारखाने खोलते हैं जिससे दूसरे जिलों को फायदा होता है। इसलिए इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाए जायेंगे तो बड़ा अच्छा होगा।

सभापति महोदय, हमारे यहां प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है। महोदय, इसके अतिरिक्त और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पर्यटन तंत्र की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। जैसे अमरकंटक है इसको पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जा सकता है नर्मदा नदी का उद्गम होने से तीर्थ स्थान भी है। इसी प्रकार से चांडा नामक स्थान है जो कि काश्मीर की तरह ठंडा और सुन्दर है, मंडला नगर प्राचीन काल में गौंड राजाओं की राजधानी का स्थान था तीन तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और बड़े ही सुन्दर, रमणीक पहाड़ी स्थल हैं और उसकी बहुत ही सुन्दर प्राकृतिक छटा है, उनको पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है, परन्तु अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया है। अगर वास्तव में आप इन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो आप इन क्षेत्रों में ऐसे अधिकारियों को भेजिए जिनकी वास्तव में सेवा करने की इच्छा हो तथा जो आदिवासियों से घुल-मिल सकें। शासन ने बहुत काम किया है और प्रशासन बहुत कुछ करना चाहता है, किन्तु वहां पर जो अधिकारी हैं वे लोगों से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं जिसके कारण कोई भी फायदा वहां के लोगों को नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं आपको वहां पर मकान बनाने की योजना के बारे में बताना चाहता हूं। प्रान्तीय शासन ने वहां पर बैरा जाति के आदिवासी लोगों को मकान देने की सुविधा देनी चाही, इस पर एक योजना बनी और उसमें एक आई०ए०एस० अधिकारी ने मकान बनाने का आदेश दे दिया, नक्शे के अनुसार मकान बने, एक कालोनी बना दी गई पक्के मकानों की किन्तु वे उन आदिवासियों की सुख-सुविधा एवं उपयोगिता के अनुसार नहीं बने। उनमें पक्के सीमेंट के फर्श करवा दिए गए। वस्त्र-विहीन आदिवासियों को उनमें ज्यादा ठण्ड महसूस हुई फिर कालोनी के मकान पास-पास जिसका परिणाम यह निकला कि वह सब धीरे-धीरे उन मकानों को छोड़ कर जंगल में चले गए और उनके फायदे का कोई काम नहीं हुआ। उनके लिए तो मकान इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए थे जिनमें मकानों का अन्तर काफी रहे। जिसमें वे बाड़ी बनाकर उसमें, राई और सरसों, मक्का, सब्जी आदि वे पैदा कर सकें, अपने पशुओं को बांध सकें। आधा फर्लांग दूरी पर एक के बाद दूसरा मकान बनाया जाना चाहिए था ताकि उनके रहन-सहन के अनुकूल हो सके जिससे वे उसमें रह सकें, महोदय किन्तु हुआ यह कि कौलोनी टाइप मकान बना दिए जिनमें उनके लिए रहना मुश्किल हो गया। शासन ने उनकी सुविधा को सोचा पर उनके वास्तविक जीवन की अनभिज्ञता से कुछ नहीं हो पाया।

इसीलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे अधिकारियों को भेजा जाए जो कि आदिवासियों के जन-जीवन से परिचित हों और जो सेवा भाव से प्रेरित होकर वहां पर उन लोगों के कल्याण के कार्यक्रमों को लागू कर सकें। आदिवासियों के रहन-सहन से अनभिज्ञ अधिकारियों को वहां पर नहीं भेजा जाना चाहिए।

महोदय, मैंने परसों भी यह बात बतलाई थी और आज फिर कहना चाहता हूं कि केंद्रीय शासन जब तक प्रान्तीय शासन को आदिवासी क्षेत्रों में सड़क आदि बनाने की इजाजत नहीं देगा, तब तक वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रान्तीय शासन केन्द्र शासन के आदेशों के अभाव में न वहां पर सड़क बना सकता है, न बिजली पहुंचा सकता है और न नहर आदि पहुंचा सकता है।

इसलिए बहुत सा विकास का काम रुका पड़ा है और करोड़ों का निर्माण कार्य खराब हो गया है।

आपने जो वन संरक्षरण नियम सन् 80 बनाया है, उसके तहत बिना केन्द्र की मंजूरी के जंगल काट कर सड़क, नहर, ब्रांच, विद्युत लाइन नहीं ले जाई जा सकती है।

महोदय, इसमें सुधार लाना होगा ताकि विकास के कार्य न रुकें।

महोदय, लिफ्ट इरिगेशन का काम अवश्य हो सकता है। इस कारण शासन शीघ्र ही लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू करवाने की कृपा करें।

मान्यवर मेरा सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग से प्राधिकरण बनाया जाये जो कि विकास के सब कामों पर निगरानी रखे और कार्य करें। यदि इन सब बातों पर आप एवं शासन विचार करेगा तो अवश्य ही इन क्षेत्रों का विकास और उद्धार हो सकेगा।

अन्त में, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापती महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : यहां पर यह चर्चा बहुत ही लाभ-प्रद और विस्तारपूर्वक हुई है। यहां जो भी मुद्दे उठाए गए हैं; वे नोट कर लिए गए हैं और वास्तव में जैसा कि आपने कुछ समय पहले ठीक ही कहा था कि शुरू में इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया था। यह चर्चा वास्तव में 2 अगस्त, 1985 को आरम्भ की गई थी। दूसरी बार चर्चा 16 अगस्त, 1985 को की गई थी। तीसरी चर्चा 29 नवम्बर, 1985 को की गई थी। आज यह चौथा दिन है। अत: हमने यह ध्यान रखा है कि इस चर्चा में कितने सदस्यों ने भाग लिया—अब तक 32 सदस्य इस पर बोल चुके हैं। मैंने न केवल प्रत्येक मुद्दे को नोट किया है, अपितु मैंने सदस्यों द्वारा शुद्ध किए गए भाषणों से भी नोट कर लिया है। हमने उन भाषणों की प्रतियां ले ली हैं, हरेक का विश्लेषण कर लिया गया है तथा हमने कागज तैयार कर लिया है। यहां तक कि ये मुद्दे संकल्प अथवा संशोधन के दायरे में नहीं आते हैं किंतु फिर भी जिन मुद्दों को सदस्यों ने महत्वपूर्ण समझा है हमने उन विविध मुद्दों को भी लिख लिया है और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मैं उनका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा वास्तव में चार मुद्दों को लेकर मुख्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था। पहले मुद्दे का सम्बन्ध इस बात से है कि पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ कक्ष बनाए जाएं जिससे कि विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रानिक उद्योग के बारे में था। तीसरा उद्योग स्थापित करने के लिए परिवहन और अन्य निवेश सम्बन्धी राजसहायता देने के बारे में था जिस पर आज भी एक माननीय सदस्य बोले हैं। चौथा मुद्दा अनेक सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में था जो उस राशि से सम्बन्धित था जो पहाड़ी इलाकों के पारि-स्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा वनों के संरक्षण के लिए विश्व से अथवा अतिरिक्त राशि से दिए जाने हैं।

महोदय, माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा था, उसे भी नोट कर लिया गया है और मैं उसके प्रत्येक मुद्दे पर अभी उत्तर दूंगा। किन्तु इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व हमारा दृष्टिकोण यह रहेगा कि पहाड़ी इलाकों की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा रहा है जिसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बता-ऊंगा। प्रयास यही है और इसीलिए मैंने कहा है कि चर्चा बहुत ही उपयोगी रही है। वास्तव में हम नए सिरे से विचार कर रहे हैं जैसा कि हमारे माननीय नेता, प्रधान मंत्री ने हमें निदेश दिया है कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं का पता लगाने के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाये। अब मैं पहाड़ी इलाकों के बारे में ही बोलूंगा—पहाड़ी इलाकों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० रंगा ने ठीक ही कहा है। मूलभूत आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवश्यकतायें क्या हैं? और इसके बाद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन्हें किस प्रकार सुलभ कराई जा सकती है। यह कार्य केवल विश्वविद्यालय, पुल या सड़क बना कर नहीं पूरा किया जा सकता है; अपितु यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रति उपभोक्ता वाले व्यय में वृद्धि हो।

निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय का होना अत्यधिक आवश्यक है। सड़क होना और पुल होना भी आवश्यक है। ऐसा करने पर ही यह पता चलता है कि दूरस्थ बनों और पहाड़ियों पर रहने वाले ये पहाड़ी लोग, खराब मौसम होने तथा भर पेट भोजन न मिलने के बावजूद, न केवल पहाड़ी इलाकों के विकास के लिये, अपितु पूरे भारत के लिये कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हम राशि को इस प्रकार व्यय करें कि यह धन उन लोगों तक वापस पहुंच जाये और चाहे उपभोक्ता व्यय अर्थात् एक दिन में वह जो खरीद करता है। हम यह परीक्षण करने जा रहे हैं।

समस्या से निपटने के लिये पूरी नीति ही बदलनी होगी। स्थिति यह है कि कुछ लोग मैदान के रहने वाले हैं। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि पहाड़ी इलाकों के कार्य-कलापों से सम्बन्धित नीति निर्धारित करते समय पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। योजना पर चर्चा करने के लिये आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से मैं मिलता रहा हूं। मुझे पता चला कि उनमें 90 प्र० श० लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं। इससे पता चलता है कि चेतना कितनी विकसित हो चुकी है। यही कारण है कि 32 माननीय सदस्य इस विषय पर निर्धारित समय अर्थात् छः घंटे से अधिक बोले हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त किये हैं।

अतः अगर हमें इस कसौटी पर खरा उतरना है तो हमें इन स्थानों को क्षेत्रीय आधार पर बांटना होगा। पहला सवाल यह है: पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए? विशेषज्ञों और सलाहकारों द्वारा हाल में दी गई राय के अनुसार भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को दो मूल क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। एक वह प्रदेश जो भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ियों के साथ निस्तृत क्षेत्र है। अर्थात् अपनी सीमाओं के भीतर सारे राज्य को एक श्रेणी के रूप में माना जाए, अर्थात समूचे राज्य को एक पहाड़ी क्षेत्र के रूप में माना जाए। दूसरे एक ऐसा प्रदेश जिसे पहाड़ी क्षेत्र मान लिया गया है जहां राज्य का एक हिस्सा-पहाड़ियों से घिरा हो और इसका दूसरा हिस्सा मैदानी इलाके में हो जैसे असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कुछ हिस्से। कुछ भाग पहाड़ी हैं

लेकिन बहुत से हिस्से मैदानी हैं। इन क्षेत्रों की समस्याओं को भी हल किया जा रहा है। यह श्रेणी दो है और इसे निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र के रूप में माना गया है।

मैं राज्यों का ब्यौरा दूंगा। सबसे पहले मैं आम धारणा के बारे में बताऊंगा। निर्दिष्ट क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या एच० ए० डी० पी० क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम या डब्ल्यू० जी० डी० पी० क्षेत्र। इस आधार पर सारी समस्या को हल किया जा रहा है। सारी बात तो भोजन ईंधन और चारे की व्यवस्था करने की है। सबसे पहले लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन ईंधन और चारा उपलब्ध कराना होगा।

क्या इलेक्ट्रानिकी उद्योग की जरूरत है, जी हां हैं, लेकिन सवाल यह है कि वहां जो पूंजी लगाई जएागी उसका लाभ क्या उस व्यक्ति को मिलेगा जो खून-पसीना बहाकर, खराब मौसम को झेल कर अपनी आजीविका कमाने के लिए पहाड़ों पर काम करता है।

मैदानी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को—यहां तक कि उन पहाड़ी राज्यों में भी जहां अंशतः पहाड़ी क्षेत्र हैं और अंशतः मैदानी क्षेत्र समीप के स्कूल में जाने के लिए 1 या 2 कि० मी० चलना पड़ता है जबकि कुछ राज्यों के पहाड़ी इलाकों में उन्हें 5 से 6 कि० मी० तक चलना पड़ता है इसलिए एक राज्य के भीतर ही अलग-अलग आबंटन किया जाना चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं ताकि वहां भी प्राथमिकता निर्धारित की जा सके और सबसे अधिक जरूरतमन्द लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।

तो भोजन ईंधन और चारे के आधार पर हमें पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं या कठिनाइयों को हल करने की नीति अपनानी होगी। इस परिभाषा के अन्तर्गत पहली श्रेणी का पहाड़ी क्षेत्र आता है जो कि राज्य की सीमाओं के साथ फैला हुआ है विशेषज्ञों और सलाहकारों की सलाह के अनुसार ये राज्य हैं : जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।

निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम-बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल नाडु, केरल और संघ राज्य क्षेत्र गोआ आते हैं।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : आपने एक गलती की है, आंध्र प्रदेश भी है।

श्री ए० के० पंजा : नहीं, नहीं।

एक माननीय सदस्य : और मध्य प्रदेश के बारे में क्या है ?

श्री ए० के० पंजा : वह भी है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं बताता हूं। एक अन्तर किया जा रहा है। किस तरह वह मैं बताता हूं। इन निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को, दो समूहों में बांटा गया है जहां पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष जोर दिया गया है, वे हैं : असम के दो जिले उत्तर प्रदेश के आठ जिले, तमिलनाडु का नीलागिरि जिला, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के तीन सबडिवीजन, तथा पश्चिम घाट पहाड़ी क्षेत्रों में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र गोआ में पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य जैसे कुछ क्षेत्र भी हैं :

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा भी ?

श्री ए० के० पंजा : जी हां उडीसा भी और आन्ध्रप्रदेश के कुछ हिस्से।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : आंध्र प्रदेश में कोई भी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता।

श्री ए० के० पंजा : अगर कोई प्रश्न रह जाएगा तो उसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा।

उपभोक्ता व्यय बढ़ा है या नहीं अगर बढ़ा है तो किस तरीके से, इसका पता लगाने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें इस मसले को इस तरह से विभाजित करना है जिसमें समूचा कार्य किया जाना है।

इसके लिए, निगारनी रखना जरूरी है और इस उद्देश्य से अलग से एक विभाग गठित किया गया है। जब तक उसका विस्तार नहीं हो जाता तब तक हम उप-योजना प्रणाली के आधार पर काम कर रहे हैं। अर्थात् राज्य में ही पहाड़ी क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय को निर्धारित करने के उद्देश्य से अलग से एक उपयोजना होनी चाहिए।

लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपयोजना बनाने और धनराशि निर्धारित करने के बावजूद राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तरीका नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों पर खर्च करने के लिए निर्धारित धनराशि को वे कहीं और ऐसे काम के लिए व्यय कर देते हैं जहां वे सोचते हैं कि वहां खर्च किया जाना चाहिए। योजना चर्चा में उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है जहां पर पैसा व्यय किया जाएगा। इसलिए हम ऐसे तरीकों का पता लगाने की कोशिश तथा चर्चा कर रहे हैं कि इसे केवल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर ही व्यय नहीं किया जाएगा बल्कि यह भी निर्धारित किया जाए कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना पैसा पहाड़ी क्षेत्रों पर, कितना आदिवासी क्षेत्रों पर, कितना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर या अत्यधिक गरीब तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले समुदायों पर किया जाए। ऐसा न करने पर इस पैसे को किसी और जगह पर खर्च किया जाता रहेगा और अंत में यह दर्शाया जाएगा कि अमुक धनराशि न्यूनतम जरूरतों पर व्यय की गई लेकिन क्षेत्र परिभाषा और नाम के अनुसार इसका नाम "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" है और हमें पता चला है कि कुछ अन्य राज्यों में कुछ क्षेत्रों में यह पैसा जरूरत मंद लोगों पर व्यय न करके किन्हीं और लोगों पर व्यय किया जा रहा है। इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक परिपत्र भी जारी किया जा चुका है कि एक शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित धनराशि को अगर दूसरे शीर्ष पर व्यय किया गया तो केन्द्र द्वारा आबटन में कटौती की जाएगी। इसमें किसी दंड की व्यवस्था करने संबंधी खंड को रखना होगा, अन्यथा कोई नहीं सुनेगा। इस तरह की किसी व्यवस्था का पता लगाने के लिए हम चर्चा तथा प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा सर्वाधिक गरीब इलाकों के लिए पैसा निर्धारित किया जायेगा। अगर संबंधित राज्य सरकार इस धनराशि को वहां व्यय नहीं करेगी तो दंड संबंधी खण्ड लागू किया जाएगा। उपयोजना में भी यही कठिनाई आड़े आती है। कुछ राज्य सरकारें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि को मैदानी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों पर व्यय कर देती हैं। निःसंदेह पैसा उन्हीं पर व्यय किया गया जिन्हें इसकी जरूरत थी पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसकी और अधिक जरूरत होती है। उनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि उन्हें दिन में एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। सख्त मेहनत करके वे चीजें उगाते हैं लेकिन वहां विपणन सुविधाएं नहीं हैं। उनका माल बिचौलियों को बेचा जाता है जो उसे सस्ते दामों में खरीद कर मैदानी इलाकों में दुगने दामों में बेचता है। यही लोग मैदानी इलाकों से सामान खरी-

दकर पहाड़ों पर ले जाते हैं और तिगुने-चौगुने दामों पर बेच देते हैं। इन समस्याओं का अब पता लगा लिया गया है और प्राथमिकताएं निर्धारित कर दी गई हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधान-मंत्री के निदेश से प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि पहाड़ी राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय विशेषतौर पर निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश को ही लीजिए। पांचवीं योजना में यह परिव्यय 691 रुपए और छठी योजना में 1618 रुपए था तथा सातवीं योजना में 3034 रुपए निर्धारित किया गया है इसी तरह हर राज्य में, चाहे वह पूर्ण तथा पहाड़ी राज्य क्षेत्र हो या निर्दिष्ट पहाड़ी राज्य, प्रति व्यक्ति परिव्यय में वृद्धि की गई है। मैं सिक्किम का एक और उदाहरण दे सकता हूं। पांचवीं योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय 1906 रुपए और छठी योजना में 5809 रुपए था तथा सातवीं योजना में 10,952 रुपए है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर उन लोगों का पता लगाना और उन्हें देना जिनके लिए यह है—इस बात पर जोर दिया है। सदन में इस बात को लेकर सहमति है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। वास्तव में जम्मू-कश्मीर से आने वाले एक मित्र ने यह स्वीकार किया है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन क्या इसमें सुधार निवेश के अनुपात में हो रहा है ? लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। हम पूंजी लगा रहे हैं। पर क्या इसका फायदा उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसे इसकी सर्वाधिक जरूरत है ? अन्य बहुत से उदाहरण हैं। पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों के आंकड़े भी मेरे पास हैं। छठी योजना में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति औसत परिव्यय 891 रुपए था और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1219 रुपए था। सातवीं योजना में राष्ट्रीय औसत 1493 रुपए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2281 रुपए है।

5.00 म.प.

श्री ए०जे०वी०बो० महेश्वर राव : पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम और अन्य राज्य है लेकिन पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि आते हैं।

श्री ए०के० पंजा : जी हां पूर्वी क्षेत्र को मैं जानता हूं मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के भाषणों में कहा गया है कि इन आदिवासियों की देख भाल की जानी चाहिए। यह कहना वाजिब ही है। कुछ लोगों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है। हम इस बारे में जागरूक हैं और इसलिए यह आवंटन किया गया है। अभी हम आंकड़ों के हिसाब से चल सकते हैं। उसके बाद निगरानी का काम देखना होगा और स्वयं देखना होगा कि क्या पहुंचा है···(**व्यवधान**)

डा० वी० वेंकटेश : जनसंख्या घट रही है तो स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति परिव्यय बढ़ेगा।

श्री ए० के० पंजा : जनसंख्या कहां कम हो रही है।

डा० वी० वेंकटेश : खराब स्वास्थ्य के कारण लोग मर रहे हैं।

श्री ए० के० पंजा : मेरे मित्र सही नहीं कह रहे हैं। देश तो खुशहाल होता अगर देश की जनसंख्या एक उपयुक्त सीमा में आ जाती। हम माल्थस के जनसंख्या संबंधी इस सिद्धांत को नहीं चाहते कि प्राकृतिक विपदाओं या रोगों के माध्यम से लोगों की मृत्यु होगी। हम सिकिजयान्कजी सिद्धांत का उपयोग करना चाहते हैं···(**व्यवधान**)

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें राजनीति को न लाएं, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को नोट कर लिया गया है। कृपया राजनीति को बीच में लाए बिना देखिए कि क्या हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और क्या वित्तीय कठिनाइयों को मद्दे नजर रखकर

जोर दिया गया है। बहुत सी वित्तीय कठिनाइयां हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें माननीय सदस्यों को देना ही होगा।

जहां तक इलेक्ट्रानिकी उद्योग का संबंध है, बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। और वे सही हैं। हमारे विशेषज्ञों ने जांच करने पर पाया है कि, जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का संबंध है, तीन कारणों से वहां इलेक्ट्रानिकी उद्योग वास्तव में बहुत अच्छे हैं। पहला धूल रहित वातावरण—वैज्ञानिक हमें इसकी सलाह देते हैं—इसरा इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के लिए कच्चे माल या तैयार माल का भारी मात्रा में परिवहन जरूरी नहीं होता और तीसरा कारण यह कि इसे लघु स्तर पर सहज रूप से चलाया जा सकता है। लेकिन इन पर विचार करके हम मैदानी इलाकों की जरूरतों और वातावरण में भी संतुलन बनाए रख रहे हैं क्योंकि उद्योग को तो सफल होना ही है। ऐसा नहीं हो कि एक उद्योग स्थापित कर दिया जाए और समय पर वहां लाभ पर उत्पादन कार्य शुरू न हो सके। इसलिए पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की सुविधाओं और असुविधाओं, बाजार और कार्मिकों की उपलब्धता, लोगों को सही काम पर लगाना, आदि पर भी विचार किया जा रहा है। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है अगर इलेक्ट्रानिकी उद्योग की स्थापना पहाड़ों पर की जाती है मेरे मित्र प्रो० सोज जम्मू-कश्मीर से हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं जम्मू और कश्मीर में इलेक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई आश्वासन दे सकता हूं। इसे चाहे जम्मू-कश्मीर में अथवा और किसी ऐसे पहाड़ी राज्य में जहां इसकी जरूरत है, लगाया जाए... हमने इलेक्ट्रानिकी उद्योग के उद्यमियों को पहाड़ों पर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है इससे इस उद्योग की स्थिति न केवल पहाड़ों बल्कि मैदानी क्षेत्र में भी सुधरेगी। उच्च निवेश सहायता की सीमा को 50 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है··· **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप इलेक्ट्रानिकी उद्योग की स्थापना जम्मू-कश्मीर में करेंगे या नहीं?

श्री ए०के० पंजा : इसकी स्थापना किस राज्य में की जाए इस पर निर्णय अभी लेना है, लेकिन आमतौर पर···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने आपके सामने मामला रख दिया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जम्म-कश्मीर की उपेक्षा की जाए··· **(व्यवधान)**

सभापती महोदय : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है···**(व्यवधान)**

श्री ए० के० पंजा : हमें सारे पहाड़ी क्षेत्र, और इनमें से जम्मू-कश्मीर के विकास पर निश्चय ही विचार करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाना है और इसी कारण हम इलेक्ट्रानिकी उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? राजनीति की बात छोड़िए। कृपया मान जाइए कि··· **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बज रही है—

गणपूर्ति न होने के कारण सदन सोमवार 11 म०पू० तक के लिए स्थगित होता है।

5.14 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 1985/25 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।
